बीएड – 118

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Creating an Inclusive School
समावेशित विद्यालय का निर्माण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

संरक्षक	**अध्यक्ष**
प्रो. अशोक शर्मा	**प्रो. एल.आर. गुर्जर**
कुलपति	निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

**** संयोजक**	*** संयोजक**
डॉ. अनिल कुमार जैन	**डॉ. रजनी रंजन सिंह**
सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ	सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ) एल.आर. गुर्जर
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. जे. के. जोशी
निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रो. दिव्य प्रभा नागर
पूर्व कुलपति
ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त)
शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. अनिल शुक्ला
आचार्य शिक्षा ,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. रजनी रंजन सिंह
सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अनिल कुमार जैन
सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. कीर्ति सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. पतंजलि मिश्र
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. अखिलेश कुमार
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

*डॉ. रजनी रंजन सिंह ,सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक

** डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 14.06.2015 से निरन्तर

समन्वयक एवं सम्पादक

समन्वयक (बी.एड.)
डॉ. कीर्ति सिंह
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सम्पादक
डॉ. अखिलेश कुमार
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम लेखन

1. **श्री विजय कुमार** (इकाई सं. 1,2,3)
स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, नागपुर
2. **डॉ. रश्मि रंजन** (इकाई 4,5,6, 8,9, 10)
बैकुंठ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, अमलोरी, सीवान (बिहार)
3. **डॉ. आध्याशाक्ति राय** (इकाई सं. 7, 12)
स्पेशल एजुकेशन विभाग,
डी.एस.एम.एन.आर.यू., लखनऊ
4. **श्री ब्रिजेश राय**(इकाई सं. 11)
स्पेशल एजुकेशन विभाग,
डी.एस.एम.एन.आर.यू., लखनऊ

आभार

प्रो. विनय कुमार पाठक
पूर्व कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. अशोक शर्मा
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रो. एल.आर. गुर्जर
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रो. करण सिंह
निदेशक
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

डॉ. सुबोध कुमार
अतिरिक्त निदेशक
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

उत्पादन 2016, ISBN : ISBN : 978-81-8496-538-4

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
1	अक्षमता के संप्रत्यय एवं उसके विभिन्नमॉडल	1
2	बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)	19
3	बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)	38
4	विशेष आवश्यकताओं की समझ	57
5	विशिष्ट बालकों की पहचान	78
6	विशेष शैक्षिक जरूरतों को संबोधित	111
7	विद्यालय को समावेशित विद्यालय बनाने में बाधाएँ/ चुनौतियाँ	143
8	शून्य अस्वीकृति हेतु समावेशी विद्यालयों की चुनौतियां, बाधा मुक्त वातावरण, संसाधनों की सरंचना,सहायक सामग्री, अनुकूलन, संसाधन कक्ष , सामाजिक और सामुदायिक जागरूकता तथा सामुदायिक- व अभिभावकों की सहभागिता	162
9	समावेशी विद्यालय की चुनौतियों का समाधान	178
10	समावेशी का प्रबंधन	192
11	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभकारी योजनाएँ	225
12	समावेशी शिक्षा : उत्तम प्रयोग एवं विभिन्न संगठन	244

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठकों से आग्रह

प्रिय पाठकों,

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 एवं 2010 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुशंसाओं के क्रम में एनसीटीई द्वारा 2014 में तैयार किये गये पाठ्यक्रम की अनुपालना में विश्वविद्यालय ने अपनी विद्या परिषद् की स्वीकृति के पश्चात अन्तिम रूप में बने बी.एड. (ओडीएल) पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष की स्व-अधिगम सामग्री (SLM) तैयार की है। यह पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अन्य शिक्षाविदों के अथक प्रयास से तैयार की गई है। यह एनसीटीई द्वारा 2014 में सुझाये गये नये पाठ्यक्रम के प्रकाश में किया गया प्रथम प्रयास है। आप प्रबुद्ध पाठक हैं। आपको इस SLM के किसी विषय, उप विषय, बिन्दु या किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई पड़ती है या इसके परिवर्द्धन हेतु आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो शिक्षा विद्यापीठ सहर्ष आपके सुझावों को अगले संस्करण में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा। आप अपने सुझाव हमें निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, रावतभाटा रोड, कोटा - 324010 या मेल soe@vmou.ac.in पर भेजने का कष्ट करें।

धन्यवाद

(डॉ. अनिल कुमार जैन)

निदेशक

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई - 1

अक्षमता के संप्रत्यय एवं उसके विभिन्न मॉडल

(Models and the Construct of Disability)

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 अक्षमता
1.4 अक्षमता के प्रतिरूप
1.4.1 चिकित्सीय प्रतिरूप
1.4.2 सामाजिक प्रतिरूप
1.4.3 अधिकार आधारित प्रतिरूप
1.5 संकलक उपागम
1.6 ICIDH और ICFDH के अन्तर्गत क्षति, अक्षमता और विकलांगता का अर्थ
1.7 पर्यावरणीय व्यक्तिगत परस्पर क्रिया के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव
1.8 सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव
1.9 सामाजिक दायित्व पूर्ती के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव
1.10 लेबलिंग
1.10.1 लेबलिंग के लाभ और सीमाएँ
1.11 सामान्यता
1.12 अक्षमता बनाम निःशक्तजन वाद विवाद
1.13 सारांश
1.14 अभ्यास प्रश्न
1.15 संदर्भग्रंथ सूची

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

क्षति, अक्षमता और विकलांगता ये तीनो शब्द एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इनकी व्याख्या इनके मॉडल अथवा प्रतिरूप के जरिये अच्छे तरीके से की जा सकती है। मॉडल अथवा प्रतिरूप अक्षमता अथवा विकलांगता के साधन के रूप में कार्य करते है जिनके जरिये हम इनकी उपयुक्त व्याख्या और पुनर्वास प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते है।

प्रस्तुत इकाई में आप अक्षमता, इनके विभिन्न प्रतिरूप, संकलक उपागम, क्षति, विकलांगता, अक्षमता के प्रभाव, लेबलिंग, सामान्यता, अक्षमता बनाम निःशक्तजन वाद विवाद एवं इससे सम्बंधित जानकारियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद :

- अक्षमता का अर्थ बता सकेंगे।
- अक्षमता के विभिन्न मॉडल अथवा प्रतिरूप को बता सकेंगे।
- संकलक उपागम को बता सकेंगे।
- क्षति और विकलांगता को बता सकेंगे।
- ICIDH और ICIFDH को बता सकेंगे।
- अक्षमता के प्रभाव को बता सकेंगे।
- लेबलिंग और सामान्यता को बता सकेंगे।
- इससे संबंधित अन्य जानकारियों को बता सकेंगे।

1.3 अक्षमता (Disability)

जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपूर्ण हो और वह किसी भी वातावरण में अपने आपको समायोजित करता है तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते है। प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता अलग – अलग होती है। इसी प्रकार अलग – अलग व्यक्तियो की विभिन्न प्रकार की अक्षमता को समझने के लिए हमें उनकी बौधिक और शारीरिक क्षमता की जानकारी होना आवश्यक है। अक्षमता शब्द किसी भी व्यक्ति की क्षमता में किसी भी कारण से आयी कमी को प्रदर्शित करती है। जैसा की हम जानते है की यदि मानव शरीर का कोई भी अंग, तंत्रिका

तंत्र या मस्तिष्कीय भाग क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उससे संबंधित क्रियाओ में अक्षमता आ जाती है जो सामाजिक परिप्रेक्ष में शारीरिक अथवा मानसिक सीमितता के रूप में प्रदर्शित होती है और इसके कारण व्यक्ति अपना व्यतिगत, सामुदायिक और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अक्षमता अस्थाई / तात्कालिक या स्थाई भी हो सकती है। यह व्यक्ति के किसी अंग विशेष या व्यक्ति के पूरे शरीर की कार्यक्षमता की कमी से संबंधित है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य करने से रोकता है अथवा सामान्य तरीके से कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए रेटिना की कमी के कारण व्यक्ति के देखने की क्षमता में जो विकार / बाधा उत्पन्न हुई उसे अक्षमता कहेंगे और इसके कारण संबंधित व्यक्ति की व्यतिगत और सामाजिक क्रिया प्रभावित होती है।

1.4 अक्षमता के प्रतिरूप (Model based on Rights)

अक्षमता के प्रतिरूप जो की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक किसी भी प्रकार की क्षति से जुड़ी हो, परिभाषित करने का एक विश्वसनीय साधन अथवा मार्ग है। यह सरकार, समुदाय और समाज को एक आधार प्रदान करती है जिसके जरिये वे अक्षम लोगो की जरूरतओ को पूरी करने के लिए योजना अथवा प्रबंधन कौशल का विकास करते है। आज के इस आधुनिक युग में भी प्रायः सामान्य व्यक्ति अक्षम या विकलांग व्यक्तियो को संदेह की दृष्टि से देखते है और उनके प्रति हमेशा नकारात्मक रूख अपनाते है जिससे विकलांग व्यक्तियो में हीनता की भावना का विकास होता है। अक्षमता और विकलांगता की जटिलता को समझने के लिए इनकी गहन अध्यन की आवश्कता होती है जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और अक्षमता के प्रतिरूप इन्ही उपरोक्त वर्णित पहलुओ जो की पूर्णता: अक्षम व्यक्तियो से संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए इनकी उचित व्याख्या और पुनर्वसन का मार्ग प्रदान करता है जिसके आधार पर हम इनके लिए उपयुक्त पुनर्वसन की प्रक्रिया को अपना सकते है। अक्षमता के वर्तमान प्रचलित प्रतिरूपो में चिकित्सीय या मेंडिकल प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप, अधिकार आधारीत प्रतिरूप, मानवीय या चैरिटी प्रतिरूप, धार्मिक या नैतिक प्रतिरूप, आर्थिक प्रतिरूप, ग्राहक या अधिकार प्रतिरूप, विशेषज्ञ या व्यवसाय प्रतिरूप और पुनर्वास प्रतिरूप है। उपरोक्त वर्णित अक्षमता के विभिन्न प्रतिरूपो में हम अक्षमता के तीन मत्वपूर्ण प्रतिरूप चिकित्सीय या मेंडिकल प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप और अधिकार आधारित प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम विस्तार में इन प्रतिरूपो की विभिन्न विशेषताओ और गुण दोषो के संबंधमें भी जानकारी प्राप्त करेंगे।

1.4.1 चिकित्सीय प्रतिरूप (Medical Model)

अक्षमता का चिकित्सीय प्रतिरूप अक्षमता की व्याख्या किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक क्षति और व्यक्तिगत या सामाजिक परिणाम के रूप में करता है। इस प्रतिरूप को हम जैविक न्यूनता या

कार्यात्मक – सीमितता अथवा व्यक्तिगत प्रतिरूप भी कहते है। यह प्रतिरूप यह प्रदर्शीत करता है की विकलांग व्यक्तियो में जो सीमिताएँ या अक्षमताएं होती है वह प्राथमिक रूप से केवल और केवल उनकी क्षति के परिणामस्वरूप होती है। इस प्रतिरूप की संकल्पना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू. एच. ओ. 1980) के द्वारा दी गयी क्षति, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू. एच. ओ. 1980) ने क्षति, अक्षमता और विकलांगता को इस प्रकार परिभाषित किया है :

- **क्षति :** किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक या शारीरिक संरचना अथवा कार्यात्मक हास या असामान्यता।
- **अक्षमता :** किसी भी कार्य के निष्पादन में (क्षति के परिणामस्वरूप) उत्पन्न अवरोध या योग्यता में कमी।
- **विकलांगता :** कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के लिए सामान्य हो परन्तु क्षति या अक्षमता के परिणामस्वरूप उस कार्य को सामान्य तरीके से करने में असुविधा या अवरोध हो।

उपरोक्त वर्णित परिभाषा के आधार पर हम आसानी से देख सकते है की यह प्रतिरूप मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक, संवेदीय अथवा मानसिक कार्यात्मकता की कमी या अयोग्यता पर ज्यादा जोर देता है और किसी व्यक्ति की अक्षमता का वर्णन करने के लिए नैदानिक तरीको का प्रयोग करता है। यदि हम अक्षमता के चिकित्सीय प्रतिरूप की जटिल प्रारूप की बात करे तो यह क्षति के लिए कुछ हद तक आर्थिक कारको को भी स्वीकार करता है और यह मान्य करता है की अपूर्ण आर्थिक परिस्थितिया अक्षम व्यक्तियो के कार्य करने के अवसरो को प्रभावित करती है। साधारण शब्दों में चिकित्सीय प्रतिरूप यह कल्पना करता है की पहले चरण के रूप में समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए या डब्लू. एच. ओ. टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हुए उन्हें अधिक से अधिक सामान्य बनाया जाना चाहिए।

यदि हम चिकित्सीय प्रतिरूप के दोषो की बात करे तो हमें निम्नलिखित जानकारिया मिलती है:-

- यह प्रतिरूप अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो के लिए दूसरे अव्यावहारिक शब्दों की उत्पत्ती में सहायक है जैसे – असामान्य अथवा अयोग्य।
- यह प्रतिरूप अक्षम व्यक्तियो के लिए अमानवीय दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार है जहां केवल क्षति की प्रकृति और गंभीरता ही मत्वपूर्ण है।
- यह प्रतिरूप अक्षम व्यक्तियो की व्याख्या और वर्गीकरण उनके क्षति के आधार पर करता है और यह व्यक्ति को समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराता है।

- यह प्रतिरूप व्यक्ति में आत्म सम्मान की कमी, दया का कारण, समाज द्वारा उनकी जरूरतो को अधिकार के रूप में अस्वीकृती, अविकसित जीविकोपार्जन कौशल, निम्न शिक्षा और उच्च स्तरीय बेरोजगारी की भावना को बढ़ावा देता है।

1.4.2 सामाजिक प्रतिरूप (Social Model)

अक्षमता के सामाजिक प्रतिरूप को अक्षमता के अल्पसंख्यक – समूह प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है। अक्षमता के इस सामाजिक प्रतिरूप का विकास 1970 और 1980 के दशक में अक्षम लोगो के द्वारा किया गया था जो नागरिक अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। यह प्रतिरूप अक्षम या विकलांग लोगो को समाज के एक सदस्य के रूप में स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है की जो अधिकार समाज के अन्य लोगो के लिए है वो अक्षम या विकलांग लोगो के लिए भी होने चाहिये। यह प्रतिरूप समाज में व्याप्त चुनौतियो, कुरितियों और अवरोधो को हटाने या कम करने पर जोर देता है जिससे व्यक्ति समाज में दूसरे सदस्यो के तरह ही समानता के आधार पर सामान अवसरो के साथ समाज में एक परिपूर्ण और सक्रिय जीवन का निर्वाह आसानी से कर सके। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि समस्या समाज और वातावरण में व्याप्त है तो समाज और वातावरण में परिवर्तन होना चाहिये। उदाहरण के लिए यदि व्हीलचेयर प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने आवागमन के लिए बस या किसी अन्य यातायात के साधनो का प्रयोग करने में कठिनाई अथवा अवरोध का सामना करता है तब उस स्थिति में बस अथवा यातायात के अन्य साधनो को पुन: संरचित किया जाना चाहिये। साधारण शब्दो में इस प्रतिरूप का तात्पर्य यह है की यदि व्यावहारिक, शारीरिक और संस्थागत रूकावटो अथवा अवरोधो को हटा दिया जाय तो निश्चित रूप से अक्षम या विकलांग लोगो के जीवन में सुधार होगा। यदि हम इस प्रतिरूप के उपरोक्त विवरण पर गौर करे तो यह निष्कर्ष निकलता है की एक पूर्ण विकसित समाज में कोई भी अक्षम अथवा विकलांग नही होगा।

सामाजिक प्रतिरूप के अनुसार अवरोध भिन्न – भिन्न प्रकार के होते है जो संस्थागत भेदभाव अथवा पूर्ण असमावेशन के लिए जिम्मेदार है, उदाहरण के लिए :

- इमारतो का निर्माण इस प्रकार किया जाता है की अक्षम व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सूचना अथवा जानकारी का विकास इस तरीके से किया जाता है की अक्षम अथवा विकलांग लोग उसका प्रयोग आसानी से नही कर सकते।
- अक्षम अथवा विकलांग लोगो से सम्बंधित अभिवृतिया और रूढ़िवादिता उन्हें सामान अवसरो को प्राप्त करने से रोकती है।

- विशेष सेवाओ की रचना जो अक्षम व्यक्तियो को समाज के दूसरे व्यक्तियो से अलग करती है और संभवता समाज में एक अलग समुदाय के निर्माण में सहायक होती है ।

इसके अलावा अक्षमता का सामाजिक प्रतिरूप हमें यह बताने में भी सहायता करता है की हम कैसे अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को समानता का अवसर प्रदान कर सकते है। इसके अनुसार :

- इमारतो का निर्माण इस प्रकार किया जाय की वो पूर्ण रूप से सभी के लिए सुगम्य हो ।
- सूचना अथवा जानकारी का विकास सुगम्य प्रारूपो में किया जाय।
- अक्षमता के सम्बन्ध में पूर्व व्याप्त अभिवृतियो और परिकल्पनाओ को चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाय।
- ऐसी विशेष सेवाए जो अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को समाज की मुख्यधारा से अलग करती है, को बंद या समाप्त किया जाय।
- अक्षम अथवा विकलांग लोगो को अपने हक के लिए आगे आना।
- ऐसी नीतियो को लागू करना जो अक्षम व्यक्तियो को देश के दूसरे सामान्य नागरिको को प्राप्त अधिकार और उनकी ही तरह जीवन यापन करने का सामान अवसर प्रदान करना ।
- नियमित तौर पर जागरूकता के विभिन्न प्रारूपो को सामुदायिक स्तर पर आयोजित करना ।

1.4.3 अधिकार आधारित प्रतिरूप (Model Lasedon Right)

आज हम जिस वर्तमान समय में रह रहे है वह हर दृष्टिकोण से काफी उन्नत है और यही कारण है की आज की पीढ़ी अपने अधिकारो के प्रति काफी सजग है । यदि हम अधिकार आधारित प्रतिरूप की संकल्पना को इस निरंतर परिवर्तनशील और प्रगतीशील समय की देन माने तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नही होनी चाहिये । अधिकार आधारित प्रतिरूप में निर्भरता से आत्मनिर्भरता पर पूर्ण जोर दिया गया है । यह प्रतिरूप पूर्ण रूप से अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो के वास्तविक व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारो पर आधारित है जिसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील है । हाल के समय में यदि हम अक्षमता के स्वरुप की बात करे तो इसकी धारणा अधिकार आधारित वार्तालाप के अंतर्गत एक सामाजिक – राजनीतिक संप्रत्य के रूप में की जा सकती है । अक्षम अथवा विकलांग लोगो के लिए वर्तमान समय में विभिन्न संस्थाये इनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इन्ही में से एक है राजनीतिक संस्था। अक्षम लोगो ने अपने पूर्ण अधिकारो की प्राप्ति के लिए राजनीतिज्ञो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और इनका पूर्ण साथ पाकर अब वे भी मानवीय और नागरिक अधिकारो के लिए राजनीतिकीय रूप से सक्रिय हो गए है और अपने अधिकारो की प्राप्ति के लिए वे विभिन्न आंदोलोनो में सक्रिय रूप से

भाग ले रहे है। अधिकार आधारित प्रतिरूप की सामान्य विशेषता यह है की यह वातावरण / पर्यावरण अनुकूलन को अक्षम व्यक्ति के मुलभूत अधिकारो के रूप में मान्यता प्रदान करता है और इस तथ्य पर जोर देता है की पर्यावरण को अक्षम व्यक्तियो के जरूरतो के अनुसार अनुकूलित होना चाहिये और उन्हे समाज के शारीरिक अथवा व्यावहारिक अवरोधो जैसी चुनौतियो का सामना नही करना पड़े (समाज के शारीरिक अथवा व्यावहारिक अवरोधों का वर्णन अक्षमता के सामाजिक प्रतिरूप में किया गया है)। साधारण शब्दो में यदि हम इस प्रतिरूप की विशेषताओ की बात करे तो इसके अनुसार अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को विद्यालय, निजी अथवा सरकारी कार्यो में भागीदारी, सार्वजनिक इमारतो में सुगम्य प्रवेश, सार्वजानिक यातायात का सुगम्य उपयोग, और सार्वजनिक सूचनाओ का सुगमता से प्राप्त एवं उपयोग करने का अधिकार हो। इस प्रकार हम देखते है की यह प्रतिरूप अक्षमता के चिकित्सीय और सामाजिक प्रतिरूपो से कही अधिक बेहतर है जहा न तो व्यक्ति को समस्या के रूप में देखा जाता है और न ही पर्यावण एवं समाज के परिणाम के रूप में बल्कि व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जहा उसे सभी अधिकार मिलने चाहिये।

1.5 संकलक उपागम

जब हम अक्षमता के विभिन्न प्रतिरूपो की बात करते है तो हमें इसके साथ ही साथ एक संकलित अथवा एकीकृत उपागम की भी आवश्यकता होती है जिसके अंतर्गत अक्षमता के उन सारे परिदृश्यो अथवा पहलुओ को सम्मलित किया जा सके और लाभार्थी को उसका पूरा लाभ मिल सके । संकलक उपागम विशेषकर अक्षमता के उपरोक्त वर्णित तीन प्रतिरूपो – चिकित्सीय प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप और अधिकार आधारित प्रतिरूप को एक में मिलाने अथवा एक साथ लाने का प्रयत्न है। यह उपागम अक्षम लोगो को समाज अथवा उनके व्यक्तिगत जीवन में दुसरो के बीच रहते हुए भिन्न – भिन्न भूमिका को निभाने का अवसर प्रदान करता है । संकलक उपागम अक्षमता के विभिन्न प्रकार अथवा विभिन्न दृष्टिकोणो और इनके विभिन्न सहायक प्रतिरूपो को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह उपागम दर्शन और सहायक प्रतिरूप के समझ, संश्लेषण और तार्किक उपयोग पर आधारित है और इसके साथ ही साथ यह उपागम सहायक प्रतिरूप की व्याख्या इस प्रसंग में करता है की किस प्रकार अक्षम लोगो को उनके सम्बंधित समुदाय की सहभागिता में वृद्धि की जा सकती है। इस उपागम के अंतर्गत अक्षमता से संबंधित समस्याओ के लिए जो सुधारात्मक या उपचारात्मक उपाय किये जाते है वो व्यक्ति और समाज के मध्य परस्पर आकर्षण के परिवर्तन को भी सम्मिलित करता है और अक्षमता से संबंधित नकारात्मक विशेषताओ अथवा दृष्टिकोणो को ज्यादा से ज्यादा प्रभावहीन बनाने की कोशिश करता है । उपचार अथवा सुधार के साधन के तौर पर यह उपागम अक्षम व्यक्ति, अधिवक्ता, पेशेवर या कोई भी जो अक्षमता के नकारात्मक कारक अथवा विशेषताओ को प्रभावहीन अथवा उनमें सुधार करने के योग्य हो,

को सम्मिलित करता है। साधारण शब्दो में यह उपागम इस तथ्य का हिमायती है की अक्षम व्यक्ति को अक्षमता के विभिन्न प्रतिरूपो में से जिस प्रतिरूप के जरिये ज्यादा से ज्यादा फायदा हो अथवा जो प्रतिरूप उनकी जरूरत के अनुसार उपयुक्त हो, उसके लिए वही प्रतिरूप प्रयोग में लाया जाय अथवा अपनाया जाये। इस प्रकार हम देखते है की संकलक उपागम अक्षम व्यक्तियो और दूसरे पेशेवरो के लिए एक पूर्वनिर्धारित मंच उपस्थित कराता है जहा अक्षम व्यक्तियो का अक्षमता के विभिन्न प्रतिरूपो का प्रयोग करते हुए पूर्ण समावेशन निश्चित किया जा सकता है और प्रत्येक क्षेत्र में उनके उन्नति का मार्ग प्रस्शत किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए की अक्षम व्यक्ति भी दूसरे सामान्य व्यक्ति की तरह ही समाज का एक क्रियाशील सदस्य है।

1.6 ICIDH और ICFDH के अन्तर्गत क्षति, अक्षमता और विकलांगता का अर्थ

एक स्वस्थ व्यक्ति ही "सामान्य" व्यक्ति कहलाता है अथवा जो व्यक्ति अपने आपको अपनी योग्यता, समाज, संस्कृति और वातावरण के अनुसार ढालता है तो हम उसे एक "सामान्य व्यक्ति" की संज्ञा दे सकते है। इसके विपरीत जो व्यक्ति किसी भी कारण से अपने आपको समाज, संस्कृति, पर्यावरण अथवा पूर्ण योग्य होने के बावजूद भी परिस्थितियो के साथ पूर्ण समायोजन नही कर पाता है तो इस स्थिति में हम उस व्यक्ति को "असामान्य" अथवा "असामान्यता" से सूचित कर सकते है। साधारण शब्दो में "स्वस्थता" अथवा "सामान्यता" किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओ की पूर्णता की स्थिति को दर्शाते है जबकि "असामान्यता" किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओ की अपूर्णता की स्थिति को दर्शाते है जो क्षति, अक्षमता और विकलांगता के रूप में प्रदर्शित होती है। इसी "असामान्यता" (क्षति, अक्षमता और विकलांगता) शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम "विश्व स्वास्थ्य संघटन" ने वर्ष 1980 में अपने द्वारा प्रकाशित "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड" में किया। इसके अनुसार क्षति, अक्षमता और विकलांगता का अर्थ इस प्रकार है :

- **क्षति :** किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानीक अथवा मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता अथवा हानि जो शारीरिक अंगो के कारण से होती है, उसे क्षति कहते है। इसके अंतर्गत किसी बीमारी या क्षति के कारण शरीर में उपस्थित उत्तको को नुकसान पहुचता है, उदाहरण के लिए किसी कारणवश किसी व्यक्ति की आँख की रेटिना का खराब हो जाना जिसके कारण संबंधित व्यक्ति की दृश्य क्षमता में कमी आना।
- **अक्षमता :** क्षति के परिणामस्वरूप जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य तरीके से नही कर सकता है अथवा सामान्य तरीके से करने में बाधा उत्पन्न होती है अर्थात

व्यक्ति के कार्य करने के तरीके में समस्या उत्पन्न होती है, जैसे आँख की रेटिना की खराबी के कारण संबंधित व्यक्ति के दृश्य क्षमता में बाधा उत्पन्न होना जिससे कारण संबधित व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाओ का प्रभावित होना।

- **विकलांगता :** क्षति अथवा अक्षमता के परिणामस्वरूप जब व्यक्ति अपनी योग्यता, उम्र, लिंग, और सामाजिक – सांस्कृतिक कारको में दूसरे सामान्य व्यक्तियो से पीछे रह जाता है अथवा दूसरे सामान्य व्यक्तियो की तरह पूर्ण रूप से सामाजिक दायित्व की पूर्ती करने में या पूर्ण रूप से सामाजिक भागीदारी में पिछड़ जाना या अक्षम महसूस करना। उदाहरण के लिए अल्प दृष्टि अथवा दृष्टिहीन व्यक्ति दूसरे सामान्य व्यक्तियो की तरह अपने दैनिक कार्यो को निष्पादित नही कर सकते अथवा सामान्य प्रतिस्पर्धा में दूसरे सामान्य व्यक्तियो से पिछड़ जाना।

मई 2001 में, विश्व स्वास्थ्य की 54 वी सम्मलेन ने "विश्व स्वास्थ्य संघटन" के द्वारा प्रकाशित "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड" के द्वितीय संस्करण को एक नये शीर्षक "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनींग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ" (ICFDH) के रूप में मान्यता प्रदान की। "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनींग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ" (ICFDH) को "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड" (ICIDH-2) के रूप में भी जाना जाता है। ICFDH को हम संक्षिप्त रूप में ICF भी कहते है। ICFDH अक्षमता की उत्पत्ती में पर्यावरणीय कारको पर ज्यादा बल देता है जो "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड" के नए और पिछले वर्गीकरण के बीच मुख्य अंतर है। ICIDH-2 वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य "मानव क्रियाओ" और "अक्षमता" के वर्णन के लिए एक एकीकृत मानक भाषा और रूपरेखा का निर्माण करना है जो स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण घटक है। "इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनींग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ" (ICFDH) के अनुसार क्षति, अक्षमता और विकलांगता का अर्थ इस प्रकार है :

- **क्षति :** क्षति शारीरिक क्रियाओ अथवा शारीरिक संरचनाओ में समस्या अथवा परिवर्तन है जहाँ शारीरिक क्रियाएँ शरीर पद्धति की दैहिक क्रियाओ और मनोवैज्ञानिक क्रियाओ को सम्मिलित करती है वहीं शारीरिक संरचनाएँ शरीर की शारिरीय भाग (अंग, हाथ, पैर और उनके घटक) है। उदाहरण के लिए महत्त्वपूर्ण विचलन, हानि, पक्षाघात या अंधत्व।
- **अक्षमता :**ICFDH के अंतर्गत **"अक्षमता"** शब्द के स्थान पर **"कार्यात्मक सीमितता"** शब्द का प्रयोग किया गया है। कार्यात्मक सीमितता किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य निष्पादन में कठिनाई अथवा समस्या से है अथवा व्यक्तिगत स्तर की समस्या से संबंधित है, जैसे यात्रा करना, टहलना या भोजन करना।

- **विकलांगता :**ICFDH के अंतर्गत **"विकलांगता"** शब्द के स्थान पर **"सहभागिता प्रतिबंध"** शब्द का प्रयोग किया गया है । "सहभागिता प्रतिबंध" किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन परिस्थितियो अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में सहभागिता की समस्या से है अथवा सामाजिक स्तर की समस्या से संबंधित है। उदाहरण के लिए रोजगार या आवागमन में भेदभाव का सामना करना।

1.6.1 पर्यावरणीय व्यक्तिगत परस्पर क्रिया के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव

गंभीर अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन कई समस्याओ का सामना करते है जिनमें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएँ महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न कारणो से अक्षम व्यक्ति के लिए अक्षमता के कारण उन्हे अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य अथवा व्यक्तिगत जीवन में दैनिक जीवन संबंधी क्रियाकलापो को करने में काफी कठिनाइयो का सामना पड़ता है। पर्यावरणीय व्यक्तिगत परस्पर क्रिया के संदर्भ में अक्षमता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, का वर्णन हम निम्नांकित रूपो में कर सकते है :

- **गामक समस्या :** अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति की गामक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है जिसके कारण उन्हे अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ सकता है । इसके अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रापूर्वक अपने घर में, पड़ोस में और बाज़ार में चलने – फिरने अथवा आवागमन में समस्या हो सकती है।
- **व्यक्तिगत कौशल समस्या :** अक्षमता व्यक्ति की स्वयं सहायक कौशल को प्रभावित कर सकती है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उनके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया के लिए एक जरूरी कौशल है। इसके अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को भोजन, पहनावा, अलंकरण, शौच और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी कौशल समस्या हो सकती है।
- **संप्रेषण समस्या :** संप्रेषण किसी भी व्यक्ति के विचारो को समझने और अभिव्यक्त करने का एक साधन है और यह भाषिक तथा अभाषिक किसी भी रूप में हो सकती है । अक्षमता व्यक्ति के संप्रेषण कौशल को प्रभावित कर सकती है जिसके कारण व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ पारस्परिक कार्यो को करने में दिक्कत हो सकती है।
- **अधिगम समस्या :** अक्षमता के कारण किसी व्यक्ति की सिखने की योग्यता भी प्रभावित हो सकती जिसके कारण व्यक्ति अपने पर्यावरण में दूसरे सामान्य व्यक्ति से काफी पिछड़ जाता है।
- **सामाजिक कौशल समस्या :** अक्षमता की प्रकृति सामाजिक कौशल को प्रभावित कर सकती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी उम्र के अनुरूप सामाजिक व्यवहार की कसौटियो

अथवा मापदंडो को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को अपने वातावरण के अनुरूप पारस्परिक क्रिया करने में समस्या उत्पन्न होती है।

1.6.2 सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव

अक्षमता न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक स्तर को भी प्रभावित करती है। अक्षमता अथवा विकलांगता के कारण व्यक्ति समाज या समुदाय में सामान रूप से भागीदार नही हो सकता क्योकि व्यक्ति की अक्षम परिस्थितियाँ उन्हे ऐसा करने से रोकती है। सामाजिक भागीदारी के संदर्भ में अक्षमता के प्रभावो का वर्णन हम निम्नांकित रूपो में कर सकते है :

- अक्षमता अथवा विकलांगता के कारण व्यक्ति में निम्न आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न होती है और वे ऐसा सोचते है की उन्हे समाज की विभिन्न प्रतियोगिताओ अथवा क्रियाओ में भाग लेने की योग्यता या अधिकार नही है।
- अक्षमता परिवार के सदस्यो के लिए एक शर्म अथवा उपहास का मुद्दा है और वे ऐसा सोचते है की इससे परिवार की बदनामी होगी और इसी वजह से वे परिवार के अक्षम सदस्य को सामाजिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित नही करते अथवा उन्हे समाज में घुलने – मिलने से रोकते है।
- अक्षमता के कारण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में असामान्यता हो सकती है जिसके कारण भी व्यक्ति सामाज के विभिन्न आवश्यक कार्यो से अपने आपको दूर रखता है अथवा अयोग्यता के कारण उसके महत्त्व से वंचित रहना पड़ता है।
- अक्षमता अथवा विकलांगता व्यक्ति के लिए कई प्रकार के भौतिक अवरोधो का निर्माण करते है जो अक्षम व्यक्ति के पूर्ण सामाजिक भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते है, जैसे अगम्य परिवहन, इमारते, सामुदायिक केंद्र इत्यादि।

1.6.3 सामाजिक दायित्व पूर्ती के संदर्भ में अक्षमता का प्रभाव

अक्षमता और विकलांगता दोनो ही स्थितियाँ व्यक्ति के सामाजिक दायित्व पूर्ती की योग्यता को गंभीर अथवा उच्च स्तर पर प्रभावित करती है। अक्षमता किसी व्यक्ति के सामाजिक दायित्व पूर्ती को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, का वर्णन हम निम्नांकित रूपो में कर सकते है :

- **भौतिक अवरोध :** अक्षमता व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक अयोग्यता की स्थति को दर्शाता है जिसके कारण व्यक्ति को सामान्य भौतिक साधनो के प्रयोग करने में कठिनाई होती है और यह सामाजिक दायित्व की पूर्ती में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए घर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान, इमारतो, सीढी, प्रवेश मार्ग, परिवहन इत्यादि का अगम्य होना।

- **व्यावहारिक अवरोध :** अक्षमता संबंधित व्यक्ति के लिए उसके वातावरणमें नकारात्मक प्रवृतिया उत्पन्न करती है जिसके कारण उन्हे अपने समाज और समुदाय में भेदभाव, हीनता, करुना पात्र, डर, अस्वीकृति इत्यादि तथ्यो का सामना करना पड़ता है और इसके कारण उन्हे सामाजिक दायित्व की पूर्ती के लिए उचित और सामान अवसर नही मिल पाता है।
- **सामाजिक अवरोध :** अक्षम अथवा विकलांग व्यक्ति प्रायः जिस समाजमें रहते है उस समाज की धारणा यह होती है की ऐसे व्यक्ति अयोग्य होते है और उन्हे हीन दृष्टी से देखा जाता है और उन्हे समाज के एक निरर्थक सदस्य के रूप में स्वीकारा जाता है जिसके कारण उन्हे अपना स्वयं का परिवार स्थापित करने और उसकी दायित्व की पूर्ती में अवरोध उत्पन्न होता है।
- **रोजगार अवरोध :** सामाजिक दायित्व की पूर्ती में रोजगार एक महत्त्वपूर्ण साधन है । अक्षमता अथवा कार्यात्मक सीमितता संबंधित व्यक्ति के रोजगार के अवसरो को सामान्य व्यक्तियो की तुलना में काफी कम कर देती है क्योकि नियोक्ता पहले से ही विकलांगता के संबंध में पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है और वह ज्यादा से ज्यादा सामान्य व्यक्तियो को तरजीह देना चाहता है जिसके कारण अक्षम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होती है और यह सामाजिक दायित्व की पूर्ती में बाधक बनती है।

1.7 लेबलिंग

हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न सूचक अथवा लेबल का प्रयोग करते है जो व्यक्ति की कार्य विशेषताओ और योग्यताओ के आधार पर उनको प्रदान की जाती है अथवा उनके छवि के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर या प्राचार्य। लेबलिंग उन व्यक्तियो को पहचानने की एक प्रक्रिया है (सृजनकर्ता या वर्णनकर्ता) जो दूसरे व्यक्तियो की तुलना में सामान्य मापदंडो से अलग होते है या साधारण शब्दो में लेबलिंग किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह की पहचान उनके लिए पहले से निर्धारित श्रेणी अथवा वर्ग के अनुसार करता है।

1.7.1 लेबलिंग के लाभ और सीमाएँ

अक्षम और विकलांग लोगो का लेबलिंग क्यों क्यिा जाना चाहिये, इसके निम्नांकित कारण है :

- लेबलिंग व्यक्ति के अधिगम या व्यवहार में अर्थपूर्ण अंतरो की पहचान करता है और यह उन अंतरो को पहचानने का पहला और आवश्यक जिम्मेदारीपूर्ण प्रतिक्रियात्मक चरण है ।

- लेबलिंग विभिन्न व्यवहारिक पहलुओ के लिए विशेष शिक्षण विधिया, परीक्षण, आकलन और हस्तक्षेप जैसी क्रियाओ की रचना अथवा उनकी उत्पत्ती में सहायक होता है।
- लेबलिंग विभिन्न क्षेत्रो और विभिन्न स्तर पर होने वाले संवादो और वर्गीकरण तथा शोध निष्कर्षो में पेशवरो की मदद करता है।
- लेबलिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यरत संगठनो को संबंधित कार्यो के लिए निधि और संसाधन दिलाने में मदद करता है।
- लेबलिंग अक्षम विशेष हिमायती समूह को इस योग्य बनाता है की वे विशेष कार्यक्रमो को बढ़ावा दे सके।
- लेबलिंग नीतिनिर्धारक और सामान्य जन को अक्षम और विकलांग लोगो की जरूरतो केप्रति अधिक से अधिक जागरूक बनाता है।

अक्षम और विकलांग लोगो का लेबलिंग क्यों नही किया जाना चाहिये, इसके निम्न कारण है :

- लेबलिंग सामान्यता अक्षमता, क्षति और कार्य – निष्पादन न्यूनता पर जोर देता जिसके कारण सामान्य जन उनकी योग्यता अथवा सिखने की क्षमता को न देखकर उनकी अयोग्यता अथवा अक्षमता पर ज्यादा ध्यान देते है जो उनके प्रति नकारात्मक दृष्टीकोण की उत्पत्ती में सहायक होता है।
- लेबलिंग किसी अक्षम बच्चो को कलंकित करने जैसा है क्योकि सामान्य जन उन्हें हीन दृष्टी से देखते है और उन्हें विशेष नाम से पुकारते है जो उनके लिए असहनीय होता है और वे अपने हम उम्र समूह में मजाक का पात्र बन कर रह जाते है।
- लेबलिंग अक्षम व्यक्तियो के आत्म – सम्मान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- लेबलिंग के कारण सामान्य जनो को अक्षम व्यक्तियो से कम उम्मीद रहती है जिसके कारण उन्हें अपने हम उम्र लोगो के बीच अथवा सामाजिक भागीदारी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- लेबलिंग व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओ के आधार पर होती है जिसके कारण सामान्य लोगो में यह धारणा बन जाती है की उस श्रेणी अथवा विशेषताओ वाले सभी व्यक्तियो की विशिष्टता एक जैसी होती है।

1.8 सामान्यता (Normalcy)

सामान्यता को हम सामान्य स्थिति भी कहते है । यह एक अंतरसंबंधित धारणा और सामान्य होने की एक अवस्था है । एक व्यक्ति को समाज अथवा समुदाय में सामान्य तभी माना जाता है जब उस व्यक्ति का व्यवहार उस समाज अथवा समुदाय के दूसरे सामान्य सदस्यो के जैसा हो अथवा स्वीकार्य हो । जैसा की हम जानते है की जैसे – जैसे समाज की प्रकृति परिवर्तित होती है (भिन्न – भिन्न समाज) वैसे – वैसे सामान्यता और असामान्यता की अवधारणा भी समय के साथ – साथ परिवर्तित होती रहती है । विविधतापूर्ण समाज में "सामान्यता" और "असामान्यता" शब्द को परिभाषित करना कठिन है क्योकि यह व्यक्ति, समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है और यह निर्भरता विभिन्न सामाजिक मानको और वैश्विक मानको को भी सम्मिलित करता है । प्रायः सामान्य व्यवहार की व्याख्या केवल असामान्यता की तुलना में की जाती है । साधारण शब्दो में, सामान्यता एक कुशलता के रूप में और असामान्यता एक अकुशलता के रूप में देखी जाती है जिसके कारण व्यक्ति को उसके समाज के द्वारा सम्मिलित, बहिस्कार या कलंकित किया जा सकता है। सामान्यता का अध्यन विशेष शिक्षा की नींव को समझने में हमारी मदद करता है क्योकि यह यदि कोई विशिष्ट या असाधारण है और उसके असाधारण होने का क्या अर्थ है, की व्याख्या के लिए आधार प्रदान करता है ।

1.9 अक्षमता बनाम नि:शक्तजन वाद विवाद

वर्तमान में किसी विकलांग अथवा अक्षम व्यक्ति के लिए "अक्षमता" शब्द प्रयोग करने को लेकर पूरे विश्व में निरंतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यह वाद – विवाद का एक ज्वलंत मुद्दा है। बहुत से पेशेवर, प्रतिष्ठित संस्थान जो विकलांगता के पुनर्वास क्षेत्र में कार्य कर रहे हे उनका ऐसा मानना है की "अक्षमता" शब्द अपने साथ बहुत सारे नाकारात्मक अर्थो को लेकर आता है क्योकि जब हम किसी व्यक्ति का लेबलिंग अक्षमता से करते है तो स्वाभाविक रूप से हमारी कल्पना यह होती है की "व्यक्ति असामान्य अथवा अयोग्य है" जिसके कारण अक्षम व्यक्तियो के आत्म सम्मान को ठेस पहुचती है । जब समाज का एक बड़ा समुदाय विकलांग व्यक्तियो को "अक्षम" कहकर संबोधित करता है तो प्रायः अधिकांश विकलांग व्यक्ति इससे आहात होकर सामाजिक आपराधिक कार्यो को अंजाम देते है। सन 1980 में पहली बार यू.एस. में अक्षम और विकलांग व्यक्तियो के लिए विकल्प के रूप में **"अलग प्रकार से योग्य"** शब्द का प्रयोग इस आधार पर किया गया की इससे अक्षम व्यक्तियो को अधिक सकारात्मक संदेश जायेगा और इस प्रकार उनके प्रति भेदभाव को अधिक से अधिक टाला जा सकेगा। अक्षम और विकलांग लोगो को "अलग प्रकार से योग्य" कहकर बुलाना या पुकारना एक मृदु प्रयोग अथवा शिष्ट प्रयोग है । एक ओर कुछ लोगो का मानना है की अक्षमता एक अप्रिय और कलंकित शब्द

है जो अक्षम व्यक्तियो को निरूत्साहित करता है और इसलिए इसका बहिस्कार किया जाना चाहिये वही दूसरी ओर कुछ का मानना है की अक्षमता के लिए "अलग प्रकार से योग्य" शब्द का प्रयोग वास्तव में इस विचार को प्रोतसाहित करता है की यह मानवीय होने का, अग्रसर करने का, संचार करने का, अभिप्राय व्यक्त करने का, अनुभव करने का, सिखने का और चिंतन करने का एक सामान्य साधन है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता प्रत्येक क्षेत्र में दूसरो से अलग होती है और इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते है चाहे वो अक्षम हो या सक्षम जो "अलग प्रकार से योग्य" शब्द की अवधारणा पर बिलकुल खरा उतरता है। कुछ लोगो का मानना है की यदि हम अक्षम लोगो को "अलग प्रकार से योग्य" शब्द से भी संबोधित करते है तो भी यह अक्षम व्यक्ति को सक्षम लोगो से अलग करता है और उनकी अभिव्यक्ति "अलग" के रूप में होती है। अभी भी आज के परिदृश्य में पूरे विश्व में अक्षम और विकलांग लोगो के लिए "अक्षमता" शब्द का प्रयोग अधिक और "अलग प्रकार से योग्य" शब्द का प्रयोग कम किया जाता है इसके बावजूद भी हम इस निष्कर्ष पर नही पहुच पाये है की अक्षम और विकलांग लोगो के लिए कौन सा संबोधन उपयुक्त होगा और यह जानना बहुत ही कठिन है की उनके लिए कौन सा संबोधन विकल्प के रूप में लिया जाय जो अक्षमता से ग्रसित है और जो उनकी पहचान / व्याख्या अक्षम के रूप में करते है।

1.10 सारांश

क्षति, अक्षमता और विकलांगता ये तीनो शब्द एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इनकोक्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए हमें इनकी प्रकृति को जानना आवश्यक है। मॉडल अथवा प्रतिरूप अक्षमता अथवा विकलांगता के साधन के रूप में कार्य करते है जिनके जरिये हम इनकी उपयुक्त व्याख्या और पुनर्वास प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते है। अक्षमता के विभिन्न प्रतिरूपो में चिकित्सीय, अधिकार आधारित और सामाजिक प्रतिरूप महत्त्वपूर्ण है और इनकी अपनी अपनी विशेषताएँ है जिसके जरिये हम अक्षम व्यक्तियो को उनकी जरूरतो के अनुसार पुनर्वसन उपलब्ध करते है । संकलक उपागम विशेषकर अक्षमता के उपरोक्त वर्णित तीनो प्रतिरूपो को एक में मिलाने अथवा एक साथ लाने का प्रयत्न है और यह अक्षम लोगो को समाज अथवा उनके व्यक्तिगत जीवन में भिन्न – भिन्न भूमिकाओ को निभाने का अवसर प्रदान करता है।ICIDHके अनुसार क्षति किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानीक अथवा मानसिक, या शारीरिक हानि है वही अक्षमता क्षति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है और यह व्यक्ति के कार्य करने की शैली को प्रभावित करता है और विकलांगता क्षति अथवा अक्षमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है जिसके कारण व्यक्ति अपनी योग्यता, उम्र, लिंग, और सामाजिक – सांस्कृतिक कारको में दूसरे सामान्य व्यक्तियो से पीछे रह जाता है । ICFDH के अनुसार क्षति शारीरिक क्रियाओ अथवा शारीरिक संरचनाओ में समस्या अथवा परिवर्तन है, वही इसके अंतर्गत "अक्षमता" शब्द के स्थान पर "कार्यात्मक

सीमितता" शब्द का प्रयोग किया गया है और विकलांगता के लिए "सहभागिता प्रतिबंध" शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के विभिन्न परिदृश्यो जैसे उसके व्यक्तिगत पर्यावरण, सामाजिक भागीदारी और सामाजिक दायित्व पूर्ती पर पड़ता है जिससे व्यक्ति की जीवन शैली प्रभावित होती है और यह विभिन्न समस्याओं के रूप में दिखती है। लेबलिंग उन व्यक्तियो को पहचानने की एक प्रक्रिया है जो दूसरे व्यक्तियो की तुलना में सामान्य मापदंडो से अलग होते है। सामान्यता को हम सामान्य स्थिति भी कहते है और यह एक अंतरसंबंधित धारणा और सामान्य होने की एक अवस्था को प्रदर्शित करती है। जैसा की हम जानते है की अक्षमता को विभिन्न नामो से संबोधित किया जाता है और वर्तमान में यह वाद – विवाद का एक ज्वलंत मुद्दा है की अक्षम लोगो को किस नाम से संबोधित किया जाय जिससे उनके आत्म सम्मान को ठेस नही पहुचे और समाज के द्वारा भी उन्हे अलग नजरिये से नही देखा जाय।

1.11 अभ्यास प्रश्न

1. अक्षमता के मॉडल / प्रतिरूप से आप क्या समझते है ?
2. अक्षमता के किन्ही तीन मॉडल / प्रतिरूप की व्याख्या करे ?
3. संकलक उपागम की विशेषताओ को लिखे?
4. ICIDH और ICFDH के आधार पर क्षति, अक्षमता और विकलांगता के अर्थ को लिखे ?
5. पर्यावरणीय व्यक्तिगत परस्पर क्रिया के संदर्भ में अक्षमता के प्रभाव को लिखे ?
6. अक्षमता व्यक्ति की सामजिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है ? स्पष्ट करे।
7. अक्षमता सामजिक दायित्व पूर्ती में कैसे अवरोध उत्पन्न करती है ? स्पष्ट करे।
8. लेबलिंग क्या है? इसके होने वाले लाभ और हानियो का वर्णन करे ?
9. सामान्यता से आप क्या समझते है ?
10. अक्षमता बनाम निशक्तजन वाद – विवाद पर टिप्पणी लिखे।

1.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- अल्बर्ट, जी.एल., एंड सिलमन, के.डी. (2001). हैंडबुक ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज, थाउजेंड ओक्स सी.ए: सेज।

- अब्लेइस्म, द लॉ, एंड बैरियर्स टू इक्वलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (http://www.Ico-cdo.org/en/disabilities-call-for-papers-background-papersectionIV, एक्सेस ऑन 20 अप्रील 2015)।
- एटीटूयडनल बैरियर्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज (http://www.newd-youth.info/attitudinal-barriers-for-people-with-disabilitie, एक्सेस ऑन 20 अप्रील 2015)।
- डिसेबिलिटी एक्शन इन इस्लिंगटन डी.ए.आइ.आइ इज एन आर्गेनाईजेशन रन बाय एंड फॉर डिसेबल्ड पीपल्स। (http:www.daii.org/about, एक्सेस ऑन 12 अप्रील 2015)।
- डेविड, एफ. (1995). लेबल जार्स नॉट पीपल: बोल्टन डेटा फॉर इन्क्लूजन, दी एक्शन रिसर्च सेंटर फॉर इन्क्लूजन।
- डेम्पसे, जे. इयान. एंड नन्कर्विस, करेन. (2006). कम्युनिटी डिसेबिलिटी सर्विसेस: ऐन एविडेंस-बेस्ड एप्रोच टू प्रैक्टिस, पूरडुए यूनिवर्सिटी, यूएसए: यूएनएसडब्लू प्रेस।
- गेह. एट. अल. (2011). द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ दी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्सनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इन द लिटरेचर: अ सिस्टेमेटिक रिव्यु एंड कंटेंट एनालिसिस. जर्नल ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, वॉल्यूम 33, पीपी. 1089-1102.
- हेवार्ड, डब्लू. (2006). एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन: ऐन इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, न्यू जर्सी: पीयर्सन मेरिल प्रेन्टिस हॉल।
- हाउ "डिफरेंटली एबल्ड" मर्जिनालिज़ेस डिसेबल्ड पीपल (http://www.autistichoya.com/2013/08/differently-abled.html, एक्सेस ऑन 2 मई 2015)।
- लेबलिंग इन स्पेशल एजुकेशन: अडवानटेजस एंड डिसअडवानटेजस (http://pathtoteaching.com/2014/07/04/labelling-in-special-education-advantages-and-disadvantages, एक्सेस ऑन 25 अप्रील)।
- मुखोपाध्याय. एट. अल. (2006). मेंटल रिटार्डेशन एंड फर्स्ट ऐड, न्यू देल्ही: कनिष्क पब्लिकेशन।

- मिचिगन डिसेबिलिटी राइट्स कोएलिशन इज अ डिसेबिलिटी जस्टिस मूवमेंट वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म कम्युनिटीज । (http://www.mymdrc.org/models-of-disability.html, एक्सेस ऑन 10 अप्रील 2015)।
- सिंह, दीदार. (2009). अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन: यूनिट-3, इग्नू, नॉएडा: शगुन ऑफसेट प्रेस।
- सोशल इंटरप्रेन्योरशीप एंड पीपल्स विथ डिसेबिलिटीज: चैल्लेंजेस एंड पोसिबिलिटीज। (http://www.slideshare.नेट/cacarluen/recognizing-pwd-productivity, एक्सेस ऑन 13 अप्रील 2015)।
- शेक्सपियर, टी. एंड वाटसन, एन. (2002). द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी: जर्नल ऑफ ऐन आउटडेटेड आइडियोलॉजी इन रिसर्च इन सोशल साइंस एंड डिसेबिलिटी, वॉल्यूम 2, पीपी. 9-28.
- वास्सेर्मन. एट. अल. (2013). डिसेबिलिटी डेफिनिशंस, मॉडल्स, एक्सपीरियंस: द स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया, एडवर्ड एन जालटा पब्लिकेशन. (http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/disability, एक्सेस ऑन 10 अप्रील 2015)।
- वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन. (1980). इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैर्मेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स: अ मैन्युअल रीलेटिंग टू द कोन्सेक्युएनसेस ऑफ डिजीज, जिनेवा: स्विट्ज़रलैंड।
- वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन. (2001). इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्सनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, जिनेवा: स्विट्ज़रलैंड।
- व्हाट डज ""डिफरेंटली एबल्ड" मीन? (http://www.wisegeek.com/what-does-differently-abled-mean.htm, एक्सेस ऑन 2 मई 2015)।

इकाई – 2

बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)

Policy Level Intervention in addressing Special Educational Need of Children (International Perspective)

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चे

2.4 मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1971

2.5 निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1975

2.6 अक्षम बच्चो के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाये

- 2.6.1 यूनिसेफ (UNICEF/यूनाइटेड नेशंस इंट रनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड, 1946)
- 2.6.2 यूनेस्को(UNESCO/यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन, 1945)

2.7 यू.एन.सी.आर.सी. (UNCRC/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989)

2.8 यू.एन.सी.आर.पी.डी. (UNCRPD/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008)

2.9 सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरुरतो की शिक्षा पर कार्य की रूपरेखा, (यूनेस्को के द्वारा अंगीकृत, 1994)

2.10 एम.डी.जी. (MDG/मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000)
2.11 ई.एफ.ए. (एजुकेशन फॉर आल, 1990)
2.12 आइ.डी.डी.पी. (IDDP/इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 1992)
2.13 सारांश
2.14 अभ्यास प्रश्न
2.15 संदर्भ ग्रंथ सूची

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशेष आवश्यकताओ वाले बच्चो की कुछ विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताये होती है जिनकी पूर्ती सामान्य शिक्षा के द्वारा नही की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष के संदर्भ में यदि हम विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चो की बात करे तो 18 वी शताब्दी के पूर्व इनकी स्थिति काफी दयनीय थी और ये सामाजिक मुख्यधारा से वंचित थे । 18 वी शताब्दी के अंत तक निःशक्त जनो के पुनर्वास से संबंधितशिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और 19 वी शताब्दी में वैश्विक स्तर पर अक्षम व्यक्तियो के पुनर्वसन अथवा विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चो को सामाजिक मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने बल्कि विभिन्न देशो के द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओ, संधिपत्रो, योजनाओ और अधिनियमो पर समझौताकिया गया है जिनसे इनकी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण क्षेत्रो में सामान अवसर के साथ पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तुत इकाई में आप विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यके संदर्भ में मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र 1971, निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र 1975, अक्षम बच्चो के लिए कार्यरत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाये (यूनिसेफ और यूनेस्को), यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2008, सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरुरतो की शिक्षापर कार्य की रूपरेखा 1994, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000, एजुकेशन फॉर आल 1990, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 1992एवं इससे संबंधित जानकारियो का विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे।

2.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चो के बारे में बता सकेंगे।

- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1971 को बता सकेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1975 को बता सकेंगे।
- अक्षम बच्चो के लिए कार्यरत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो के बारे में बता सकेंगे।
- यूनिसेफ (UNICEF/यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड, 1946) के बारे में बता सकेंगे।
- यूनेस्को (UNESCO/यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन, 1945) के बारे में बता सकेंगे।
- यू.एन.सी.आर.सी. (UNCRC/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989) के बारे में बता सकेंगे।
- यू.एन.सी.आर.पी.डी. (UNCRPD/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008) के बारे में बता सकेंगे।
- सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरुरतो की शिक्षापर कार्य की रूपरेखा, (यूनेस्को के द्वारा अंगीकृत, 1994) के बारे में बता सकेंगे।
- एम.डी.जी. (MDG/ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000) को बता सकेंगे।
- ई.एफ.ए. (एजुकेशन फॉर आल, 1990)के बारे में बता सकेंगे।
- आइ.डी.डी.पी. (IDDP/इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 1992)के बारे में बता सकेंगे।
- इससे संबंधित अन्य जानकारियो को बता सकेंगे।

2.3 विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओ वाले बच्चे :

जैसा की नाम से ही स्पष्ट है "ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है" । विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते है जिन्हें सामान्य या साधारण शिक्षण या प्रशिक्षण के जरिये उनकी शैक्षणिक जरूरतो को पूरा नही किया जा सकता है। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चो से बुद्धि में, शारीरिक सरंचना में, व्यवहार में, सामाजिक निपुणता में और कार्य कुशलता में उनसे पूर्ण अलग होते है अथवा पिछड़े होते है और इस कारण ऐसे बच्चो की आवश्यकताएँ भी अलग होती है इसलिए वे "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" कहलाते है । ऐसे बच्चो को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में, बल्कि

व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक क्षेत्रो में भी विशेष प्रशिक्षण अथवा विशेष मदद की जरूरत होती है । यदि अक्षमता अथवा विकलांगता की प्रकृति गंभीर हो तो व्यक्ति को अपनी सहायता स्वयं करने में कठिनाई होती है। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चो के लिए विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक शैक्षणिक कौशलो की पहचान की जाती है और इसके आधार पर उनके लिए उपयुक्त शैक्षणिक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार की जाती है । विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चो की श्रेणी में मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, सीमांत रेखीय, स्वलीनता, अल्प दृष्टि, अंधत्व, शारीरिक अक्षमता, श्रवण अक्षमता, प्रतिभावान और सृजनात्मक बच्चे आते है और इन सभी की शैक्षणिक आवश्यकताएँ एक – दूसरे से भिन्न होती है ।

2.4 मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1971

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन् 1971 से 1975 के दरम्यान निःशक्त व्यक्तियो के प्रति दो प्रमुख घोषना पत्रो को स्वीकृति प्रदान की गयी जिनमें से एक **“मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र”, 1971**(द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटली रिटारडेड, 1971) से सम्बंधित था।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने “मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो” पर अपनी इस उद्घोषणा को प्रस्ताव संख्या 2865 (XXVI) के जरिये दिनांक 20 दिसम्बर 1971 को पारित किया । इस घोषणा पत्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियो से संबंधित अधिकारो पर कार्य करने की एक रूप-रेखा प्रदान की। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत, दूसरे व्यक्तियो के सामान ही मानसिक विकलांग व्यक्तियो को भी शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और इसके अलावा जहा तक संभव हो, उन्हे अपने परिवार अथवा पालक अभिभावक के साथ रहने और सामुदायिक जीवन के विभिन्न पहलुओ में भागीदारी की सुनिश्चितता का निर्धारण किया गया। यह घोषणा पत्र अक्षम व्यक्तियो को सामान्य जीवन में सम्मिलन और समेंकित प्रोत्साहन की ओर प्रथम चरण था।

2.5 निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1975

"निःशक्त जनो के अधिकारो पर घोषणा पत्र”, 1975 (द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स, 1975) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव संख्या 3447 (XXX) के जरिये दिनांक 9 दिसम्बर 1975 को अंगीकृत किया गया । यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियो के मानवीय अधिकारो के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी । यह घोषणा अक्षम व्यक्तियो के प्रति शिक्षा, चिकित्सीय सेवाएँ, नियोजन सेवाए, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपने परिवारो के साथ रहना, सामाजिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओ में भागीदारी, सभी प्रकार के शोषण, कुप्रयोग, या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण एवं स्वयं का उपयोग और कानूनी सहायता प्रदान करने की

वचनबद्धता को बार-बार दोहराती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारो की सुनिश्चितता और दायित्व पूर्ती के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दो प्रमुख पहल की गयी जो "निःशक्त व्यक्तियो के लिए यू.एन. शताब्दी (1983-92) वर्ष" (यू.एन. डिकेड फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स) और "एशियन एवं प्रशांत महासागरीय शताब्दी (1993-2002) वर्ष" (द एशियन एंड पसिफ़िक डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड) के नाम से जाना जाता है।

2.6 अक्षम बच्चो के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाये

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाये संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की उद्देश्यो की पूर्ती के लिए कार्य करती है, जिनका संबध विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न स्तर पर अलग-अलग प्रकार के कार्यो से होता है। विकलांगता पुनर्वसन के क्षेत्र में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत है जो पूरे विश्व में इनके पुनर्वसन और अधिकारो के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसिया विकलांगता पुनर्वसन के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रो में भी कार्य करती है। अक्षम बच्चो के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो में यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्लू.एच.ओ., एक्शन ऐड, हैंडीकैप इंटरनेशनल, हेलेन केलर इंटरनेशनल और कौंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन इत्यादि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ के अंतर्गत हम यूनिसेफ और यूनेस्को के संबंधमें जानकारी प्राप्त करेंगे।

2.6.1यूनिसेफ (UNICEF/यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड, 1946)

यूनिसेफ का विस्तारित रूप **"यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड"** है और यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यूनिसेफ की स्थापना दिसम्बर 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू यॉर्क में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध की विध्वंशता से संसार में प्रभावित हुए बच्चो को सहायता प्रदान करना था। आधिकारिक रूप से यह "यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड" के नाम से जाना जाता था परन्तु सन् 1983 में इसका आधिकारिक नाम बदल कर "यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फण्ड" कर दिया गया किन्तु इसके वास्तविक संक्षिप्त रूप "यूनिसेफ" में कोई परिवर्तन नही किया गया।यूनिसेफ बच्चो के अधिकारो, बच्चो में होने वाली बिमारियो से सुरक्षा, बच्चो को शिक्षित करने में मदद, उनको पोषक आहार उपलब्ध करवाने और विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षण देने में सहायता इत्यादि के लिए कार्य करता है।इसका क्षेत्रीय कार्यालय न्यू देल्ही में है जो श्रीलंका, नेपाल, भारत और मंगोलिया में हो रहे कार्यो की निगरानी और समीक्षा करता है। भारत में पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए यूनिसेफ की सहायता से पल्स पोलियो कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

यूनिसेफ मिशन : यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक अधिकारिक जनादेश है जिसके अंतर्गत बच्चो के अधिकारो के संरक्षण के लिए वकालत करना, उनकी मौलिक जरुरतो की प्राप्ति में मदद करना और पूर्ण संभाव्यता की प्राप्ति में उनके लिए अवसरो का विस्तार करना सम्मिलित है। यह मानव उन्नति के लिए परिस्थितियो, संरक्षण और बच्चो के विकास के महत्त्व पर जोड़ देती है । यह सर्वाधिक सुविधाहीन या वंचित बच्चो जैसे युद्ध पीड़ित, आपदा पीड़ित, अत्यधिक निर्धन, सभी प्रकार की हिंसा एवं शोषण और जो विकलांग है, उनको विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति समर्पित है।

शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ द्वारा क्रियान्वित योजनाये : शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ निम्नलिखित कार्यो को करती है :

- **शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना:** इसके अंतर्गत यूनिसेफ उन कार्यक्रमो को बढ़ावा देती है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के पांच पहलुओ को संबोधित करती है। इसमें आरंभिक बाल्यवस्था देखभाल और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, योग्य पाठ्यक्रम और उपयुक्त अधिगम सामग्री विकास कार्यक्रम, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया विकास कार्यक्रम, अधिगम के लिए वातावरण विकास कार्यक्रम और अधिगम उपलब्धी और मूल्यांकन कार्यक्रम सम्मिलित है ।
- **नवयुवको के विकास में समृद्धीलाना:** नवयुवको के विकास को गति प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के द्वारा राष्ट्रीय संगठन अभियान कार्यक्रम, विद्यालय पूर्व कार्यक्रम और किशोरो और अभिभावको के लिए शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है।
- **वंचित अथवा निष्काषित बच्चो को सम्मिलीत करना :**सभी बच्चे और नवयुवक जो विशेष रूप से अधिगम प्रक्रिया से वंचित अथवा निष्काषित है जैसे लड़किया, कार्यरत बच्चे, विशेष जातीय अल्पसंख्यक एवं हिंसा और कुव्यवहार से प्रभावित बच्चे, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चे और एच.आइ.वी. एड्स से पीड़ित बच्चे यूनिसेफ के मुख्य केंद्र बिंदु है जिससे उन्हे उच्च स्तरीय शिक्षा और अन्य आवश्यक शिक्षण अवसरो को प्राप्त करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इसके लिए यूनिसेफ आरंभिक स्तर पर जन्म नामांकन और विद्यालय नामांकन, वंचित और जोखिम वाले बच्चो की पहचान के लिए विद्यालय सामुदायिक कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षण पद्दति जैसे कार्यक्रमो को बढ़ावा देती है।
- **लड़कियो की शिक्षा सुनिश्चित करना :** यूनिसेफ लड़कियो को पूर्ण और सामान शिक्षा प्रदान करने की वकालत करता है एवं लिंग भेदभाव के सभी स्वरूपो को समाप्त करने पर जोड़ देता है। इसके लिए यूनिसेफ लड़कियो की शिक्षा को सामाजिक स्तर पर, लड़कियो की शिक्षा के

अवरोधो को समाप्त करने के लिए लक्षित कार्यक्रम, और आधारभूत शिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।

- **आपातकाल, हिंसा और अस्थिरता की स्थिति में उनकी शिक्षा को सुनिचित करना :** यूनिसेफ किसी भी कारण से आयी आपातकाल, हिंसा और अस्थिरता की स्थिति में प्रभावित हुए बच्चो की शिक्षा को सुनिश्चित करता है।

2.6.2 यूनेस्को(UNESCO/यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन, 1945)

यूनेस्को **(UNESCO/यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन)** की संकल्पना 9 नवंबर 1945 को लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन के दौरान पारित हुई और 4 नवंबर 1946 को यह लागू किया गया। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रो के मध्य परस्पर सहयोग कार्य से सार्वभौमिक न्याय, विधि-शासन और मानवीय अधिकारो की पूर्ती के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, और संप्रेषण के जरिये विश्व की शांति और सुरक्षा में योगदान करना है।संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा विश्व के समस्त लोगो के लिए जो मूलभूत अधिकार प्रमाणित है, उनको बिना किसी नस्लीय भेदभाव के, लिंग भेदभाव के, भाषा एवं धार्मिक भेदभाव के,उनको सुनिश्चित किया गया है।

यूनेस्को के कार्य :अपने जनादेश को पूरा करने के लिए, यूनेस्को पांच सिद्धांतो का क्रियान्वयन करता है, जो इस प्रकार है :

- **भावी अध्ययन :**भविष्य के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संप्रेषण के रूपो पर अध्यन करना।
- **सूचनाओ का विकास, अंतरण और साझाकरण :**इसके लिए यह प्राथमिक रूप से शोध, प्रशिक्षण और शिक्षण गतिविधियो पर जोरदेता है।
- **स्तरीय कार्य समायोजन :** अंतर्राष्ट्रीय उपकरण और सांविधिक संस्तुति का निर्माण और उनका अभिग्रहण करना।
- **विशेषज्ञता :** 'तकनीकी सहयोग' के रूप में सदस्य राज्यो में, उनकी नीतियो और परियोजनाओ के विकास में विशेषज्ञ उपलब्ध कराना।
- **विशेष सूचनाओ का आदान-प्रदान करना :** इसके अंतर्गत यूनेस्को विभिन्न क्षेत्रो से संबंधित उपयोगी सूचनाओ का आदान-प्रदान करता है।

यूनेस्को और शिक्षा : शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को के प्रमुख कार्य निम्न्नांकित है :

- **उचित शिक्षा :** यूनेस्को उन शिक्षण क्रियाओ को बढ़ावा देता है जो सभी लड़कियो एवं महिलाओ और विशेष अधिगम जरुरत वाले बच्चो के विशेष रूप से निर्मित किया गया हो और जो सभी के लिए सामान अवसर को बढावा दे।
- **आजीवन शिक्षा :**यह संस्था सदस्य राज्यो में आजीवन शिक्षा की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अध्ययन और पोषक प्रयोगात्मक कार्यो की जिम्मेदारी लेता है।
- **शिक्षण सम्मलेन :** यूनेस्को अपने सदस्य राज्यो में शिक्षा की उन्नति के लिए नीतियो के निरूपण और तकनीको से संबंधित क्षेत्रीय सम्मेलनो का आयोजन करता है।
- **अध्यापक शिक्षण :**यह सदस्य राज्यो के अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम, अंतर्विषयक उपागम के विकास में और नवीन प्रतिरूपो के विकास के लिए निधि प्रदान करता है और अध्यापक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।
- **शिक्षण प्रविधि, सामग्री और तकनीक :**यह संस्था शिक्षण प्रविधियो, सामाग्रियो और तकनीको के विकास में मदद करती है जो प्रिंट संचार, श्रवण-दृश्य संचार, दूरस्थ शिक्षा, उन्नत शैक्षणिक तकनीक, समूह शिक्षण, संगणक सहायक निर्देश और संबंधित उपागम को सम्मिलित करती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास पर जोर देती है और उन्हे शिक्षा में समेंकित करने की वकालत करती है।
- **शिक्षण योजना और वित्तीयन :**यूनेस्को अपने सदस्य राज्यो को दीर्घावधि समेंकित शिक्षण कार्यक्रमो के विकास एवं योजनाओ के निर्माण में मदद करती है।

इसके अलावा यह शिक्षण तंत्र की पुनर्संरचना, सामुदायिक और व्यक्तिगत जरुरतो के अनुसार शिक्षा और शर्णार्थियो के शिक्षण पर भी कार्य करती है।

2.7 यू.एन.सी.आर.सी. (UNCRC/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989)

सन् 1924 में **"बच्चो के अधिकारो"** पर हुई जेनेवा सम्मलेन में यह कहा गया की बच्चो के लिए विशेष देखभाल संबधी सेवाओ में विस्तार करने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए **"बच्चो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र संधि-पत्र"**(UNCRC/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रस्ताव संख्या A4/25 के जरिये दिनांक 20

नवंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गयी। यह मानव अधिकारो को पहचानने की दिशामें दूसरा चरण था। विकलांगता सेसंबद्ध इसके कुछ अनुच्छेद इस प्रकार है:

अनुच्छेद 2 :

- राज्य दलो वर्तमान संधि पत्र में प्रत्येक बच्चो के लिए जिन अधिकारो का निर्धारण किया गया है, उनका सम्मान और उनके अधिकारो की सुनिश्चितता को बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार क्षेत्र में, उनके अभिभावक या विधिक संरक्षक की वंश या पीढ़ी, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य अभिप्राय, राष्ट्रीयता, विशिष्ट संस्कृति या सामाजिक मूल, वैभव, अक्षमता, जन्म स्थान या अन्य स्थिति को दरकिनार करते हुए उनके अधिकारो की सुनिश्चितता को आश्वस्त करेंगे।

अनुच्छेद 23 :

- राज्य दलो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चो को उनके पूर्ण और सभ्य आनंदित जीवन के लिए ऐसी परिस्थितियो जो उनके आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता और सामुदायिक भागीदारी में बच्चो की क्रियाशीलता को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है, की पहचान करेंगे।

- राज्य दलो विशेष देखभाल के लिए विकलांग बच्चो के अधिकारो की पहचान और बच्चो की स्थिति और अभिभावको की परिस्थितियो के अनुरूप या बच्चो के अन्य देखभाल के लिए या उनके देखभाल के लिए जो जिम्मेदार है, प्राप्त हुए आवेदन पत्रो पर पात्र बच्चो को संसाधनो की उपलब्धता के अनुरूप उनको सहायता प्रदान की जाय और इसके विस्तार और प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया जाय।

- निःशक्त बच्चो की विशेष जरुरतो की पहचान करते हुए वर्तमान अनुच्छेद के 2 रे परिच्छेद के अनुसार जब भी संभव हो, बच्चो के अन्य देखभालकर्ता या अभिभावको की वित्तीय संसाधनो को ध्यान में रखते हुए, प्रोत्साहन विस्तार नि:शुल्क प्रदान किया जाना चाहिये। बच्चो की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को सम्मिलित करते हुए, प्रभावी अभिगमन एवं शिक्षा की प्राप्ति, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण सेवाए, पुनर्वास सेवाए, रोजगार और मनोरंजनात्मक अवसरो का निर्माण इस तरीके से किया जाय जो बच्चो को पूर्ण संभाव्य सामाजिक एकीकरण एवं व्यक्तिगत विकास की प्राप्ति के अनुकूल हो और इसकी सुनिश्चितता निर्धारित की जा सके।

- राज्य दलो की उनकी क्षमताओ एवं कौशलो में सुधार और इन क्षेत्रो में अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए राज्य दल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से, सुरक्षा एवं चिकित्सीय स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, अक्षम बच्चो के लिए मनोवैज्ञानिक और कार्यात्मक उपचार के क्षेत्र में, पुनर्वास के तरीको के विषय में और शिक्षा एवं व्यावसायिक सेवाओ से संबधित जानकारीयो के प्रसार और उपयोगो को सम्मिलित करते हुए उचित सूचनाओ का आदान-प्रदान करेंगे।

इस संबंध में विकासशील देशो में जरुरतो के अनुसार विशेष कार्यवाही का प्रावधान है। इस संधिपत्र के अनुच्छेद 43 और 44 में यह स्पष्ट किया गया है की इस संधिपत्र के अंतर्गत राज्य दलो के द्वारा किये गए कार्यो की प्रगति का मूल्यांकन बच्चो के अधिकारो पर बनी समिति के माध्यम से किये जाएँगा और इसके अलावा राज्य दलो अपने-अपने कार्यो से संबंधित रिपोर्ट को भी जमा करेंगे।

2.8 यू.एन.सी.आर.पी.डी. (UNCRPD/यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 2008)

यू.एन.सी.आर.पी.डी. को 13 दिसम्बर 2006 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत ने इस संधिपत्र पर 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया था और इसकी अभिपुष्टि 1 अक्टूबर, 2007 को की थी। 3 मई 2008 को यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अस्तित्व में आया। **यू.एन.सी.आर.पी.डी.** विकलांग जनो के कल्याणार्थ एक व्यापक नीति है जो अक्षम व्यक्तियो को उनके समाज में जहा वे रहते है, सामान अवसर और पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इस संधिपत्र का सिद्धांत निःशक्त जनो के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपयुक्त नीतियो को प्रदर्शित करता है :

- व्यक्तियो की अन्तर्निहित गरिमा के लिए, स्वयं का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता सहित व्यक्तिगत स्वायत्तता सम्मान;
- अ-भेदभाव;
- समाज में पूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी और समावेशन;
- मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में विकलांग व्यक्तियो के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान;
- अवसरो की समानता;
- सुगम्यता;

- पुरुषो और महिलाओ के बीच समानता;
- अक्षम बच्चो की उभरती क्षमता के लिए सम्मान और अपनी पहचान को संरक्षित करने के लिए विकलांग बच्चो के अधिकारो का सम्मान।

यू.एन.सी.आर.पी.डी.“सार्वभौमिक परिकल्पना” के विषय पर बातचीत करता है जिसका तात्पर्य उत्पाद, पर्यावरण, लोगो के द्वारा प्रयोग करने लायक कार्यक्रम एवं सेवाए और अनुकूलन या विशेष संरचना की आवश्यकता के बिना अधिक से अधिक विस्तारित संभावनाओ वाले अभिकल्पो/डिजाईन से है । यू.एन.सी.आर.पी.डी 50 अनुच्छेदो को सम्मिलित करता है जो विकलांग जनो को उच्च स्तरीय पूर्ण सेवाएँ देने के लिए समर्पित है । यह महिलाओ और अक्षम बच्चो को उनके जीवन के प्रति अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संकल्पना को प्रदर्शित करता है।

2.9 सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरुरतो की शिक्षा पर कार्य की रूपरेखा, (यूनेस्को के द्वारा अंगीकृत, 1994)

सन् 1924 में सलमांका, स्पेन में, स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से “विशेष जरुरतो की शिक्षा” पर एक विश्व सम्मलेन का आयोजन किया गया था और इसी विश्व सभा के

दौरान “सलमांका अभिव्यक्ति और कार्यवाही की रूपरेखा” को अंगीकृत किया गया था । इस सम्मलेन को बुनियादी आधार प्रदान करने के लिए इससे पहले पांच क्षेत्रीय सेमिनारो का आयोजन किया गया था ।सलमांका में आयोजित हुए “विशेष जरुरतो की शिक्षा” पर हुए विश्व सम्मलेन में 92 देशो के प्रतिनिधि और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनो ने भाग लिया था ।इसकी कार्यवाही की रूपरेखा की उत्पत्ती का कारण, सन् 1990 में जोमेंटीयन विश्व घोषणा पत्र में “सभी के लिए शिक्षा” पर जो घोषणा की गयी थी, उसी संदर्भ में सभी व्यक्तियो की विशेष जरुरतो की शिक्षा के सुनिश्चितीकरण और योजनाओ के विस्तार से था ।इस सम्मलेन की अभिव्यक्ति “सभी के लिए शिक्षा” की प्रतिबद्धता के साथ आरंभ होता है। इस सम्मलेन में समावेशी शिक्षा के प्रमुख दृष्टीकोण को दोहराया गया था, जिनकी विशेषता निम्नांकित अभिव्यक्तियो से प्रदर्शित होती है :

- विद्यालय को सभी बच्चो को समायोजित करना चाहिये भले ही वो शारीरिक, बौधिक, संवेगात्मक/भावुक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियो के आधार पर पिछड़े अथवा अक्षम हो।
- नियमित विद्यालय इस समावेशी उन्मुखीकरण के साथ, भेदभावपूर्ण प्रवृतियो एवं नजरियो, स्वागत योग्य समुदायो का निर्माण, समावेशी समाज का निर्माण और सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति

के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है; इसके अतिरिक्त यह अधिकांश बच्चो को प्रभावी शिक्षाउपलब्ध कराता है एवं कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करता है और अंत में यह पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए किफायती होता है।

विश्व सम्मलेन में सभी सरकारो को निम्नलिखित कार्यो के लिए कहा गया है :

- शिक्षण सेवाओ में सुधार के लिए सर्वोच्च नीति और बजटीय प्राथमिकता दे ताकि व्यक्तिगत भिन्नता या समस्याओ के बिना सभी बच्चो को सम्मिलित किया जा सके।
- समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या नीति के एक विषय के रूप में अपनाया जाय और सभी बच्चो का नामांकन सामान्य विद्यालय में किया जाय जब तक की उनको कुछ और करने का कारण नही मिल जाता।
- समावेशित विद्यालयो वाले देशो के साथ प्रदर्शन परियोजनाओ का विकास और आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना।
- निर्णय सृजन एवं नियोजन प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियो के लिए कार्यरत संस्थाओके साथ अभिभावक और सामुदायिक समितियो की भागीदारी को सुनिश्चित करना ।
- पूर्व-प्राथमिक स्तर पर और इसके साथ ही साथ समावेशी शिक्षा के व्यावसायिक पहलुओ के स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करना।
- आरंभिक और सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा के प्रावधानो को संबोधित करना।

यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समावेशी स्कूली शिक्षा को शामिल किये जाने के दृष्टीकोण के समर्थन के लिए कहती है और सभी शिक्षा कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में विशेष जरुरतो की शिक्षाके विकास को प्रोत्साहित करने को भी कहती है ।यह एकीकृत विशेष जरुरतो के प्रावधनो के समर्थन के लिए नेटवर्क में सुधार और इसे तकनीकी रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियो को कहता है ।समावेशी शिक्षा के सभी पहलुओ में और अधिक सम्मिलित होने के लिए यह गैर सरकारी संगठन को अधिकृत राष्ट्रीय समितियो के सहयोग से मजबूती प्रदान करने के लिए कहता है।

2.10 एम.डी.जी. (MDG/मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000)

संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख सम्मेलनो और शिखरो पर एक दशक पर निर्माण के लिए और संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा पत्र (यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन), को अंगीकृत करने के लिए विश्व के समस्त नेतागण सितम्बर 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक साथ उपस्थित हुए, इस प्रतिबद्धता के साथ की वे अपने राष्ट्रो में व्याप्त अत्यधिक दरिद्रता को कम करेंगे और 2015 की निर्धारित समय सीमा के साथ समयबद्ध लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए एक नयी वैश्विक साझेदारी स्थापित करेंगे और यही **"सहस्राब्दी विकास लक्ष्यो"** (एम.डी.जी./ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2000) के नाम से जाना जाता है।

लक्ष्य : सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आठ अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य है जिनका निर्धारण सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मलेन में किया गया था और जिसका अभिग्रहण संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा पत्र के जरिये किया गया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र के सभी 189 सदस्य देशो ने (वर्तमान में 193 सदस्य देश है) और कम से कम 23 अंतर्राष्ट्रीय संगठनो ने 2015 तक निम्नांकित सहस्राब्दी लक्ष्यो की प्राप्ति में मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जो इस प्रकार है :

- **लक्ष्य 1 :अत्यधिक गरीबी और भूखो का उन्मूलन :** इसके अंतर्गत दो कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है : कार्य 1 : 1990 और 2015 के बीच, जिनकी आय $1 प्रतिदिन आय वाले लोगो के अनुपात से कम है, उनको आधा करना। कार्य 2 : 1990 और 2015 के बीच भूख से पीड़ित लोगो के अनुपात को आधा करना।

- **लक्ष्य 2 :सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति :**इसके अंतर्गत कार्य 3 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो इस प्रकार है : सन् 2015 तक यह सुनिश्चित करना की सभी जगह के बच्चो को, लड़को और लड़कियो को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने के योग्य बनाना।

- **लक्ष्य 3 : लैंगिक समानता को बढ़ावा :** इसके अंतर्गत कार्य 4 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो अधिमानत: 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करना और 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरो में समानता लेन से संबंधित है।

- **लक्ष्य 4 : बाल मृत्यु दर में कमी :** इसके अंतर्गत कार्य 5 की प्राप्ति का निर्धारण किया गया है जो 1990 और 2015 के मध्य तक, बाल मृत्यु दर को दो-तिहाई तक कम करने से संबंधित है ।

- **लक्ष्य 5 : मातृ स्वास्थ्य में सुधार :** इसके अंतर्गत कार्य 6 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो इस प्रकार है : 1990 और 2015 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात को तीन चौथाई से कम करना।

- **लक्ष्य 6 : एच.आइ.वी./एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियो से मुकाबला :** इसके अंतर्गत दो कार्यो की प्राप्ति पर जोर दिया गया है : कार्य 7 : 2015 तक एच.आइ.वी./एड्स के प्रसार और व्यापकता में कमी लाना। कार्य 8 : 2015 तक मलेरिया और अन्य बीमारियो की घटनाओ को रोकना।

- **लक्ष्य 7 : पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना :** इसके अंतर्गत तीन कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो इस प्रकार है : कार्य 9 : देश की नीतियो एवं कार्यक्रमो में सतत विकास के सिद्धांतो को एकीकृत किया जाय और पर्यावरणीय संसाधनो की पुन: क्षतिपूर्ति करना। कार्य 10 : स्थायी उपयोगो के बिना सुरक्षित पीने का पानी और बुनियादी स्वच्छता उपयोग करने वाले लोगो के अनुपात को 2015 तक आधा करना। कार्य 11 : 2020 तक गन्दी बस्तियो अथवा झुग्गियो में रहने वाले कम से कम 100 मिलियन लोगो के जीवन में महत्त्वपूर्ण सुधार करना।

- **लक्ष्य 8 : विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा :** इसके अंतर्गत 7 कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जो इस प्रकार है : कार्य 12 : आगे के विकास के लिए नियम आधारित, उम्मीद के मुताबिक, गैर भेदभावपूर्ण व्यापार और वित्तीय प्रणाली का विकास करना (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनो ही स्तर पर अच्छे सुशासन, विकास और गरीबी में कमी की प्रतिबद्धता को सम्मिलित करते हुए)। कार्य 13 : सबसे कम विकसित देशो की विशेष जरुरतो को संबोधित करना। कार्य 14 : विशाल भूमि से घिरे देशो और विकासशील छोटे द्वीप राज्यो की विशेष जरुरतो का पता लगाना। कार्य 15 : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशो की ऋण की समस्याओ को व्यापक रूप से हल करना। कार्य 16 : विकासशील देशो के सहयोग से नौजवानो के लिए सभ्य और उत्पाद कार्यो का विकास और रणनीतियो को लागू करना। कार्य 17 : दवा कंपनियो के सहयोग से विकासशील देशो में सस्ती आवश्यक दवाओ तक पहुँच प्रदान करना। कार्य 18 : निजी क्षेत्रो के सहयोग से नयी प्रौधोगिकियो के लाभो को उपलब्ध कराना, विशेष रूप से सुचना और संचार प्रौधोगिकी के रूप में।

इस घोषणा पत्र में प्रत्येक लक्ष्य के साथ विशिष्ट कार्य और उन लक्ष्यो की प्राप्तिके लिए निश्चित तिथि का निर्धारण किया गया है।

2.11 ई.एफ.ए. (एजुकेशन फॉर आल, 1990)

"सभी के लिए शिक्षा" (ई.एफ.ए./एजुकेशन फॉर आल) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वव्यापी मसला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र, 1948 में यह गया की सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है लेकिन इस घोषणा के पांच दशक बाद भी दुनिया के करोड़ो बच्चे और व्यस्क अपने इस अधिकार से वंचित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर **"सभी के लिए शिक्षा"** के अधिकार को गति प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में थाईलैंड के जाँमटीन शहर में आयोजित हुए **"सभी के लिए शिक्षा"** पर विश्व सम्मलेन में 155 देशो के प्रतिनिधियो और 150 गैर सरकारी संघठनो ने भाग लिया और सन् 2000 तक सभी बच्चो को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके बीच की निरक्षरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर अपनी सहमती जाहिर की। इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण और निरक्षरता उन्मूलन पर चिंतन करना था। बुनियादी शिक्षण के लिए 6 प्रमुख लक्ष्यो की पहचान की गयी थी जो निम्नांकित है :

1. बच्चो का आरंभिक देखभाल और विकासात्मक क्रियाओ का विस्तार करना ;
2. प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक पहुँच स्थापित करना ;
3. अधिगम उपलब्धि में सुधार, जैसे की एक निश्चित उम्र दल के बच्चो के लिए सहमती प्रतिशतता (उदाहरण – 14 साल के बच्चो के लिए 80 प्रतिशत) को लागू करना या निश्चित उम्र के लिए आवश्यक अधिगम उपलब्धि की एक परिभाषित स्तर को लागू करना ;
4. व्यस्क निरक्षरता दर में कमी लाना ;
5. युवाओ और व्यस्को के लिए जरुरी अन्य कौशलो में प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा के प्रावधानो में विस्तार करना ;
6. व्यक्तियो और परिवारों के द्वारा ज्ञान, कौशल एवं बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मुल्यो, स्वास्थ्य और सतत विकास के अधिग्रहण में वृद्धि करना।

जाँमटीन विश्व घोषणा पत्र में इ.एफ.ए. के लिए विश्व के देशो के द्वारा जिस सिद्धांत पर सहमती हुई थी वो अपने आप में निम्न कथनो को सम्मिलित करती है :

- प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, युवा और व्यस्क की अधिगम जरुरतो को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जिन शैक्षणिक अवसरो का निर्माण किया गया है, वो उससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

- विकलांग व्यक्तियो की अधिगम आवश्यकताओ पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में, निःशक्त व्यक्तियो के प्रत्येक श्रेणी से संबधित व्यक्ति को शिक्षा तक सामान पहुँच प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरुरत है।

2.12 आइ.डी.डी.पी. (IDDP/इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, 1992)

पूरे विश्व में विकलांग व्यक्तियो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इस कार्य में विभिन्न देश के सरकारो और संगठनो को सक्षम बनाने और इनके लिए विभिन्न उपायो को लागू करने के लिए 1983 से 1992 तक **"विकलांग व्यक्तियो के लिए संयुक्तराष्ट्र दशक"** का आयोजन किया गया था। 14 अक्टूबर 1992 को यह दशक समाप्ति की ओर था, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ ने इसका संज्ञान लेते हुए सन् 1992 को अपने प्रस्ताव संख्या 47/3 के जरिये 3 दिसम्बर को विकलांग व्यक्तियो के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 3 दिसम्बर 1992 को यह पहली बार **"अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस"**(इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज)के रूप में मनाया गया। यह पुरे विश्व में निःशक्त व्यक्तियो के स्तर में लगातार हो रहे सफलता के आयाम में परिवर्तन के साथ मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन/अभिकरण दिवस है जिसका लक्ष्य विकलांग व्यक्तियो के मुद्दो और उनकी गरिमा के लिए समर्थन जुटाने एवं विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो तथा उनकी भलाई के लिए एक नयी सामाजिक समझ को बढ़ावा देना है। यह विकलांग व्यक्ति, जो जीवन के प्रत्येक पहलुओ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर एकीकरण से वंचित है, उनके बेहतरी के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस अलग मुद्दो पर केन्द्रित होता है। 18 दिसम्बर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ ने इसके मूल नाम **"इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स"** में संसोधन कर **"इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज"** कर दिया और संशोधित नाम का प्रयोग सन् 2008 से शुरू किया गया।

इस दिवस पर होने वाले कार्य : निःशक्त व्यक्तियो के लिए आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विभिन्न तरीको से बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर से कई देशो के लोग भाग लेते है। इस आयोजन में होने वाली स्पर्धाए कला प्रदर्शनियो को भी सम्मिलित करती है जो मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियो के द्वारा किये गए कार्यो को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत होने वाले अन्य प्रतियोगिताओ में विकलांग व्यक्तियो के द्वारा समाज में एक पूर्ण भूमिका अदा करने में जिन कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है, उसे उजागर करने के लिए वे विभिन्न विरोध प्रदर्शन स्पर्धाओ में भी भाग लेते है। इसके अलावा इनके लिए और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है जिनमें खेल स्पर्धाए भी सम्मिलित होती है।

प्रतीक :अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का समन्वयन संयुक्त राष्ट्र के सक्षम राष्ट्रो के द्वारा किया जाता है जो विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो और गरिमा को समर्थन एवं बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। **"सक्षमता"** के प्रतीक को **नील रंग के "UN"** से सूचित किया जाता है और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द **"enable"** है।**"UN"** यह संकेत चिन्ह जैतून शाखाओ से घिरे उत्तरी ध्रुव पर केन्द्रित दुनिया की दिगंशीय समदूरस्थ प्रक्षेप (An Azimuthally Equidistant projection) को प्रदर्शित करती है। **"enable"** शब्द पूरी तरह से छोटे अक्षरो में लिखा गया है जिनमें **"e"अक्षर लाल** और **बाकी अक्षर नीले** रंग का होता है।

2.13 सारांश

जैसा की हमने देखा विशेष शैक्षणिक जरुरत वाले बच्चो की श्रेणी में मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियो को सम्मिलित किया जाता है। 18 वी शताब्दी के पूर्व तक इन बच्चो की स्थिति काफी दयनीय थी और ये पूर्णता सामाजिक मुख्यधारा से वंचित थे। 19 वी शताब्दी में इनको समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कार्य किये गए और जिनके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में इनके जीवन के प्रत्येक स्तर में काफी सुधार हुआ है और ये काफी हद तक गरिमा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्त व्यक्तियो के कल्याणार्थ जो सम्मलेन और घोषनाए हुई है उनमें द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटली रिटारडेड1971, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स 1975, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2008, सलमांका अभिव्यक्ति और विशेष जरूरतो की शिक्षा पर कार्य की रूपरेखा 1994, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 और एजुकेशन फॉर आल 1990प्रमुख है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनो में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड 1946 और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन 1945 प्रमुख है।अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियो के सम्मान के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का आयोजन किया जाता है।

2.14 अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शैक्षणिक आवश्यक्ताओ वाले बच्चो से आप क्या समझते है ?
2. मानसिक मंदित व्यक्तियो के अधिकारो पर घोषणा पत्र, 1971 का वर्णन करे।
3. यूनिसेफ के कार्यो को लिखे।

4. यूनेस्को द्वारा कार्यान्वित योजनाओ को लिखे।

5. यू.एन.सी.आर.सी. के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदो का उल्लेख करे।

6. यू.एन.सी.आर.पी.डी. की नीतियो का वर्णन करे।

7. सलमांका अभिव्यक्ति की विशेषताओ और कार्यो को लिखे।

8. MDG के प्रमुख लक्ष्यों क्या है ?

9. निःशक्त जनो के अधिकारो से आप क्या समझते है ?

10. सभी के लिए शिक्षा पर टिप्पणी लिखे।

11. आइ.डी.डी.पी. का वर्णन करे।

2.15 संदर्भ ग्रंथ सूची

- इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज-टाइम एंड डेट. (http://www.timeanddate.com/holidays/un/international-day-persons-डिसेबिलिटीज, एकसेस ऑन 7 जून 2015).
- कुमार, विजय. एंड जैन, ए. के. (2014). डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन: ए ड्रीम टुवर्ड्स मिलियंस ऑफ होप्स इन इंडिया, यूरोपियन अकादमिक जर्नल, वॉल्यूम. 2, नंबर. 8, पीपी. 10753-10771.
- पाण्डेय, आर. के. एंड हेमलता. (2012). एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया (एम.एम.डी. 011): इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन (ब्लाक 4), इग्नू, न्यू देल्ही: बेरी आर्ट प्रेस ।
- रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया. (2000). ट्रेनिंग मैन्युअल ऑन डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड मेंनस्ट्रीमींग ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट इंस्टिट्यूसन, न्यू देल्ही: राज प्रिंटिंग.
- यू.एन मिल्लेनियम डेवलपमेंट गोल्स. (2000). वी कैन एंड पोवर्टी: मिल्लेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड 2015. (http://www.un.org/millenniumgoals/, एकसेस ऑन 5 जून 2015).
- यूनाइटेड नेशंस. (2000). यू.एन मिल्लेनियम: प्रोजेक्ट, गोल्स, टारगेट्स एंड इंडीकेटर्स. (http://www.unmillenniumproject.org/goals.gti.htm, एकसेस ऑन 5 जून 2015).

- यूनाइटेड नेशंस. (2000). यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन: रेजोलूसन एडाप्टेड बाई द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर: न्यू यॉर्क.
- यू.एन इनेबल: इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज-3, (http://www.un.org/disabilities/deafult.asp/default.asp?id=111, एक्सेस ऑन 7 जून 2015).

इकाई – 3

बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)

Policy Level Intervention in addressing Special Educational Need of Children (National Perspective)

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे
3.4 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966) की संस्तुति
3.5 आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेकित शिक्षा, 1974)
3.6 एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)
3.7 एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987)
3.8 डी.पी.इ.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम)
3.9 एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान)
3.10 आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992)
3.11 पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995)
3.12 एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)
3.13 राष्ट्रीय विकलांग जन नीति अधिकार, 2006
3.14 शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009)
3.15 सारांश

3.16 अभ्यास प्रश्न
3.17 संदर्भ ग्रंथ सूची

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो की कुछ विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताये होती है जिनकी पूर्ती सामान्य शिक्षा के द्वारा नही की जा सकती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष के संदर्भ में यदि हम विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चो की बात करे तो स्वतंत्रता पूर्व इनकी स्थिति काफी दयनीय थी और ये सामाजिक मुख्यधारा से वंचित थे। स्वंत्रता के बाद ऐसे बच्चो को सामाजिक मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न नीतियां और अधिनियम बनाये गए जिनसे इनकी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण क्षेत्रो में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तुत इकाई में आप विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग की संस्तुति, आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेंकित शिक्षा, 1974), एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986), एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987), डी.पी.इ.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान), आर.सी.आइ. (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992), पी.डब्लू.डी. (विकलांग जन अधिनियम, 1995), एन.टी.ए. (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999), राष्ट्रीय विकलांग जन नीति अधिकार, 2006, शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009) एवं इससे संबंधित जानकारियो का विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे।

3.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चो के बारे में बता सकेंगे।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग की संस्तुति को बता सकेंगे।
- आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेंकित शिक्षा, 1974) के बारे में बता सकेंगे।
- एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986) को बता सकेंगे।
- एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987) के बारे में बता सकेंगे।
- डी.पी.इ.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) के बारे में बता सकेंगे।

- एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान) के बारे में बता सकेंगे।
- आर.सी.आइ. (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992) के बारे में बता सकेंगे।
- पी.डब्लू.डी. (विकलांग जन अधिनियम, 1995) के बारे में बता सकेंगे।
- एन.टी.ए. (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999) के बारे में बता सकेंगे।
- राष्ट्रीय विकलांग जन नीति अधिकार, 2006 के बारे में बता सकेंगे।
- शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009) को बता सकेंगे।
- इससे संबंधित अन्य जानकारियो को बता सकेंगे।

3.3 विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे

जैसा की नाम से ही स्पष्ट है "ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है" । विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते है जिन्हें सामान्य या साधारण शिक्षण या प्रशिक्षण के जरिये उनकी शैक्षणिक जरूरतो को पूरा नही किया जा सकता है । ऐसे बच्चे सामान्य बच्चो से बुद्धि में, शारीरिक सरंचना में, व्यवहार में, सामाजिक निपुणता में और कार्य कुशलता में उनसे पूर्ण अलग होते है अथवा पिछड़े होते है और इस कारण ऐसे बच्चो की आवश्यकताएँ भी अलग होती है इसलिए वे "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" कहलाते है । ऐसे बच्चो को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक क्षेत्रो में भी विशेष प्रशिक्षण अथवा विशेष मदद की जरूरत होती है । यदि अक्षमता अथवा विकलांगता की प्रकृति गंभीर हो तो व्यक्ति को अपनी सहायता स्वयं करने में कठिनाई होती है । विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चो के लिए विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक शैक्षणिक कौशलो की पहचान की जाती है और इसके आधार पर उनके लिए उपयुक्त शैक्षणिक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार की जाती है । विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चो की श्रेणी में मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, सीमांत रेखीय, स्वलीनता, अल्प दृष्टि, अंधत्व, शारीरिक अक्षमता, श्रवण अक्षमता, प्रतिभावान और सृजनात्मक बच्चे आते है और इन सभी की शैक्षणिक आवश्यकताएँ एक – दूसरे से भिन्न होती है ।

3.4 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चो पर कोठारी आयोग (1964-1966) की संस्तुति

सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलतसिंह कोठारीकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जिसे **भारत का प्रथम**

शिक्षा आयोग अथवा **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है** । कोठारी आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने सर्वप्रथम अपने कार्यवाही की योजना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की समस्याओ को उठाया और नियमित विद्यालयो में अक्षम अथवा विकलांग बच्चो को सम्मिलित करने के लिए गहन अनुशंसा की। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की शिक्षा मंत्रालय को विशेष बच्चो की समस्याओ को दूर करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिये और एन.सी.आर.टी. को विकलांग बच्चो पर अध्यन करने के लिए एक कक्ष की स्थापना करनी चाहिये जिसका मुख्य उद्देश्य देश और विदेश में विकलांगता के क्षेत्र में हुए शोध कार्यो की निगरानी और शिक्षको के लिए अध्यन सामग्री तैयार करने से होगा। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया की अक्षम या विकलांग बच्चो की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली से बिलकुल भी अलग नही होनी चाहिये और इसका संयोजन न केवल मानवीय धरातल पर किया जाना चाहिय बल्कि उपयोगिता के आधार पर भी किया जाना चाहिये। इसके अलावा आयोग ने 1986 तक अक्षमता के चार श्रेनियो के लिए निश्चित लक्ष्य तय किये जिनमें 15 प्रतिशत दृष्टिहिनों, मूकबधिरो और अश्थिविकलांगता और 5 प्रतिशत मानसिक मंदता की शिक्षा निर्धारीत की गयी। इसके साथ ही साथ कमीशन ने दृढ़तापूर्वक शिक्षण सेवाओ के प्रतिपादन के रूप में समावेशी शिक्षा के प्रतिरूप का प्रस्ताव रखा इस तथ्य के साथ की यह प्रतिरूप न केवल किफायती होगा बल्कि इससे अक्षम और सक्षम बच्चो के बीच पारस्परिक समझ में वृद्धि और सुधार होगा।

3.5 आइ.इ.डी.सी. (अक्षम / विकलांग बच्चो के लिए समेंकित शिक्षा, 1974)

कोठारी आयोग (1964-1966) ने अपनी रिपोर्ट में समावेशी शिक्षा के प्रतिरूप का प्रस्ताव रखा था जिनपर अमल करते हुए और भारत में विशेष शिक्षा की समस्याओ और योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षको की कमी को देखते हुए भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने सन् 1974 में एकीकृत शिक्षा की शुरुआत की जिसे **"विकलांगो बच्चो के लिये समेंकित शिक्षा"** (इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन) के नाम से जाना गया और जिसे हम संक्षिप्त में **आइ.इ.डी.सी.** भी कहते है। समेंकित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षण पद्दति से है जहा अक्षम अथवा विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में दूसरे सामान्य बच्चो की तरह सामान अवसर और भागीदारी के साथ शिक्षा ग्रहण करते है और उनके लिए आवश्यक अथवा सहायक सेवाये जो उनकी जरुरतो को पूरा करती है, को अपने आप में सम्मिलित करती है।इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को किताबो, लेखन-सामग्रीयों, विद्यालयी पोशाको, यातायात, विशेष सहायक सामग्री और यंत्रो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शुरुआत में

नियमित विद्यालयो में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारो को केंद्र सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता निर्धारित की गयी थी परन्तु सन् 1992 में आइ.इ.डी.सी. की योजना में संशोधन किया गया और उन विद्यालयो के लिए 100 प्रतिशत की आर्थिक सहायता निर्धारित की गयी जो विकलांग बच्चो के एकीकृत शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित थे। विकलांग बच्चो की शिक्षा के लिए आइ.इ.डी.सी. योजना वृहद् रूप में विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहन और हस्तक्षेप प्रदान करती है जो पूर्व विद्यालयी प्रशिक्षण, अभिभावकीय परामर्श, सामुदायिक सम्मिलन, शिक्षण–अधिगम-सामग्री, अक्षम बच्चो की पहचान और आकलन, आवागमन, पाठक और अनुरक्षक, छात्रावास सुविधा, और अन्य सहायक यंत्रो को सम्मिलित करती है। इसके अलावा यह प्रत्येक 8 विकलांग बच्चो पर एक विशेष शिक्षक (1:8) और प्रत्येक नियमित विद्यालयो में 8वी से 10वी तक के लिए संसाधन कक्ष भी प्रदान करती है। सन् 1997 में आइ.इ.डी.सी. कार्यक्रम को शिक्षा के दूसरे प्रमुख परियोजनाओ जैसे जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम (डी.पी.इ.पी.) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), के साथ मिला दिया गया।

3.6 एन.पी.इ. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति"** (एन.पी.इ./नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन,1986) के रूप में हुई जिसने शिक्षा के स्तर को पूर्ण रूप से बदल दिया और इसमें पूरे देश में सभी के लिए शिक्षा का एक सामान पैटर्न लागू किया जाय और इसी के परिणामस्वरूप आज हम अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में 10+2 अथवा 10+2+3 का पैटर्न देख रहे है। इसके साथ ही यह भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसमें विकलांगता अथवा अक्षमता पर अन्नुछेद / धारा (सेक्शन 4.9) को सम्मिलित किया गया और इस बात पर जोर दिया गया की विकलांगो की शिक्षा के अंतर्गत विषमता अथवा असमानता को खत्म किया जाय और शैक्षणिक अवसरो की समानता को लागू किया जाय। एन.पी.इ. के अनुसार **विकलांगो की शिक्षा का उद्देश्य** इस प्रकार होना चाहिये की उन्हे सामान्य समुदाय में समान भागीदार के रूप में शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियो के साथ समेंकित किया जा सके, सामान्य विकास के लिए तैयार किया जा सके और इस योग्य बनाया जा सके की वे जीवन की चुनौतियो का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जानी चाहिये :

- जहाँ तक संभव हो, गामक विकलांग और अन्य सौम्य अथवा अति-अल्प विकलांग बच्चो का शिक्षण दूसरे बच्चो के साथ सामान्य तरीके से हो।

- गंभीर विकलांग बच्चो के लिए, जहाँ तक संभव हो, जिला मुख्यालय में विशेष विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।
- विकलांग बच्चो के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पुन: अभिविन्यस्त करने की जरूरत है विशेषकर प्राथमिक शिक्षको के लिए जिन्हें विकलांग बच्चो की विशेष समस्याओ को समझने में कठिनाई होती है।
- विकलांग बच्चो की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनो के द्वारा किये गए प्रयत्न को अधिकसे-अधिक संभावित तरीको से प्रोत्साहित किया जाय।

3.7 एम.एच.ए. (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987)

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में यदि हम अक्षमता अथवा विकलांगता से संबंधितअधिनियम की बात करे तो सबसे पहला अधिनियम सन् 1912 में आया जो **"भारतीय उन्माद अधिनियम"** (इंडियन लूनेसी एक्ट) के नाम से जाना गया और जिसे हम संक्षिप्त में **आइ.एल.ए.** भी कहते है। इस अधिनियम के अंतर्गत **"मानसिक रुग्न"** और **"मानसिक मंदता"** को एक साथ रखा गया और दोनो के लिये एक सामान उपचार पद्दति प्रयोग में लायी गयी। बाद में यह महसूस किया गया की मानसीक मंदता मानसिक रुग्णता से अलग है और ये मानसिक रुग्ण की श्रेणी में नही आते है और इसी को ध्यान में रखते हुए सन् 1987 में **"भारतीय उन्माद अधिनियम"** के स्थान पर **"मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम"** (एम.एच.ए./मेंटल हेल्थ एक्ट) लाया गया इस उद्देश्य के साथ की मानसिक रुग्णता वाले लोग समावेशी समाज के एक सदस्य है और इसके लिए राज्यो को सभी अवरोधो को दूर करना चाहिये जिससे उनकी उपचार, देखभाल, सहायता और स्वाभिमान के साथ जीवन यापन की संकल्पना को पूर्ण और सामान अवसर के साथ सुनिश्चित किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (एम.एच.ए.) यह सुनिश्चित करता है की :

- मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति को शीघ्र अथवा समय पर मनोविकृति संबंधी अस्पताल या निगरानी गृह में उपचार के लिए विधिवत प्रवेश।
- ऐसे मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति जो समाज के लिए घातक है अथवा घातक साबित हो सकते है या दूसरो को नुकसान पहुचा सकते है, समाज को उनसे सुरक्षित रखना।
- ऐसे मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति जो जब तक मनोविकृति संबंधी अस्पताल और निगरानी गृह में उपचार के लिए है, तब तक उनके परवरिश और भरण – पोषण के लिए विधिवत दायित्व को निभाना।

- ऐसे मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति जो अपने कार्यो को करने में असमर्थ है उनके लिए संरक्षण या निगरानी की सुविधा प्रदान करना।
- मनोविकृति संबंधी अस्पतालो और निगरानी गृहो की स्थापना, नवीनीकरण और नियंत्रण करना।

इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय अधिकारियो और राज्य अधिकारियो की भी नियुक्ति की जा सकती है।

3.8 डी.पी.इ.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम)

भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से सन् 1994 में विश्व बैंक की मदद से **"जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम"** (डी.पी.इ.पी. / डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम) की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम देश के 7 राज्यो के कुल 42 जिलो का चयन किया गया था और यह वर्तमान में पूरे देश के 15 राज्यो के लगभग 220 जिलो में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य **आइ.इ.डी.सी. / समेंकित** परियोजनाओ को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमो के माध्यम से अधिक से अधिक अक्षम अथवा विकलांग बच्चो को नियमित विद्यालय प्रक्रिया में शामिल करना है। इस परियोजना का मुख्य केंद्र बिंदु सेवारत सामान्य शिक्षको को इस योग्य बनाना है की वे विकलांग और सामान्य बच्चो का आरंभिक हस्तक्षेप, मूल्यांकन, सहायक सामग्रियो का उपयोग और व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रमो को तैयार कर सके। सन् 1997 में **आइ.इ.डी.सी. / समेंकित** शिक्षा को औपचारिक रूप से **डी.पी.इ.पी.** परियोजना के एक घटक के रूप में जोड़ा गया। अभी तक इस परियोजना के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टी से पूरे देश में लगभग 200,000 नए विद्यालयो की स्थापना की गयी है जिससे न केवल विकलांग और सामान्य पिछड़े बच्चो की नामांकन दर में वृद्धि हुयी है बल्कि प्रौढ़ साक्षरता में भी बढ़ोतरी हुयी है। इस परियोजना की आधारशिला समुदाय संघठन और अक्षमता के आरंभिक हस्तक्षेप जैसे कार्यो की सहायता से है और यह शिक्षको के मध्य कौशल और निपुणता के विकास पर जोर देता है। यह विभिन्न क्षेत्र स्तर पर संसाधन सहायता प्रदान करता है और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शिक्षण सामाग्रियो के प्रावधान को अपने में सम्मिलित करता है।

3.9 एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान)

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक निश्चित कालावधी में प्रारंभिक अथवा मौलिक शिक्षा की सार्वजनीकरण की प्राप्ति के लिए लागू की गयी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत सन् 2000 में इस उद्देश्य के साथ की गयी की सन् 2007 तक पूरे देश में

प्रारंभिक शिक्षा की सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन् 2002 में भारतीय संविधान में 86 वा संसोधन किया गया जिसमें 6 से 14 साल के आयुवर्ग के सभी बच्चो (सामान्य और असामान्य) को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के सहयोग से संपूर्ण देश में चलाई जा रही है और इसके जरिये 192 मिलियन बच्चे जो 1.1 मिलियन घरो अथवा निवास स्थानो में रहते है, उनकी आरंभिक शिक्षा की जरुरतो को पूरा किया जा रहा है। इस योजना में समावेशी और समेंकित शिक्षण प्रकिया को सम्मिलीत किया गया जिससे बिना किसी अवरोध और भेद - भाव के विकलांग अथवा अक्षम बच्चो को सामान्य बच्चो के साथ पढाई करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो सारी सुविधाये जैसे रैंप, सहायक यंत्र, संसाधन कक्ष, विशेष शिक्षक जो पूर्ण समावेशन के लिए जरूरी है, प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है की यह उन निवास स्थानो में नए विद्यालयो की स्थापना करता है जो काफी पिछड़े है और जहा विद्यालय की सुविधा नही है। इसके अलावा यह पहले से मौजूद विद्यालयो की मूलभूत सुविधाओ को जैसे अतिरिक्त वर्ग, शौचालय, पीने का पानी, रख – रखाव निधि और विद्यालय विकास निधि के जरिये मजबूती प्रदान करता है। एस.एस.ए. योजना के अंतर्गत जिन विद्यालयो में शिक्षको की कमी है उन विद्यालयो में अतिरिक्त शिक्षको की नियुक्ति की जाती है और पहले से कार्यरत शिक्षको की कार्य योग्यता में बढ़ोतरी के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए निधि और नयी शिक्षण तकनीको से अवगत कराने के लिए समूह स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य केंद्र बिंदु विशेष आवश्यकता (विकलांग अथवा अक्षम) वाले बच्चे और लडकियो की शिक्षा पर है और यह डिजिटल दूरियो को कम करने के लिए संगणक शिक्षा भी प्रदान करता है।

3.10 आर.सी.आइ.एक्ट (भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (आर.सी.आइ.एक्ट/रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट) 1 दिसम्बर 1992 को संसद में पारित किया गया और 22 जून 1993 को यह अस्तित्व में आया। सन् 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। विकलांगता के क्षेत्र में समरूपता की जरुरत और न्यूनतम मापदंड तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो के लिए विभिन्न पुनर्वास कोर्स से संबधित मानकीकृत पाठ्यक्रमो का विकास करता है और उनको प्रदान की जाने वाली सेवाओ को नियमित और निरिक्षण करने का कार्य करता है। इसका एक कार्य यह भी है की पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी अहर्ता प्राप्त पेशेवरो और कार्यकर्ताओ को केंद्रीय पुनर्वास

पंजिका में दर्ज करना और उनका रख - रखाव करना। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अयोग्य व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को प्रशिक्षण सेवाए प्रदान करता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का भी प्रावधान है।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कुछ उद्देश्य इस प्रकार है :

- पुनर्वास क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियो के लिए प्रशिक्षण नीतियो और कार्यक्रमो को नियमित करना;
- विभिन्न श्रेणियों के पेशवर जो विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वसन से जुड़े है, उनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित न्यूनतम मापदंड का निर्धारण करना ;
- पूरे देश में विकलांग व्यक्तियो के शिक्षण, प्रशिक्षण और पुनर्वसन के कार्यक्रमो में एकरूपता लाने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानो में एक सामान मापदंड लागू करना;
- विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वसन के क्षेत्र में विभिन्न संस्थानो / विश्वविद्यालयो द्वारा चलाये जा रहे डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमो को मान्यता प्रदान करना और जहा पाठ्यक्रम मापदंड के अनुरूप नही चल रहे है, उनकी मान्यता रद्द करना;
- पारस्परिक आधार पर विदेशी डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमो को मान्यता प्रदान करना;
- पुनर्वास अहर्ता प्राप्त व्यक्तियो को केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकरण करना और उनका रख – रखाव करना;
- कार्यरत प्रशिक्षित पेशेवरो को विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनो के सहयोग से निरंतर पुनर्वास शिक्षण (सी.आर.इ.) कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना;
- पुनर्वसन और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना; और
- मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र को मान्यता प्रदान करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत ऑनलाइन मोड, दूरस्थ मोड और पारंपरिक मोड के रूप में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू की गयी है। वर्तमान में लगभग 400 संस्थानो को आर. सी. आइ. के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। कोई भी पुनर्वास कर्मचारी जो विकलांगता पुनर्वसन के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसको आर. सी. आइ. में पंजीकरण कराना आवश्यक है और अपने पंजीकरण की नवीनीकरण के लिए एक निश्चित कालावधि के अंदर आर. सी. आइ. के द्वारा प्रमाणित विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो को करना पड़ेगा।

3.11 पी.डब्लू.डी.एक्ट (विकलांग जन अधिनियम, 1995)

विकलांग जन (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) **अधिनियम 1995** (पी.डब्लू.डी.एक्ट.) भारतीय विकलांग आन्दोलन के इतिहास में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया एक ऐतिहासिक और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कानून है। विकलांग जन अधिनियम दिसम्बर 1995 को पारित किया गया था और बुधवार 7 फेब्रुअरी 1996 को यह पूरे देश में लागू हुआ। इस अधिनियम के पास होते ही राष्ट्र निर्माण में विकलांग जनो की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सकी जैसा की भारत ने बीजिंग में आयोजित "इकनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक' (ESCAP,1993-2002) की 48 वे अधिवेशन में एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में विकलांग जनो को सामान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकार संरक्षण की सुनिश्चितता से सम्बंधित उद्घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशो में सम्मिलित था जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम "भारतीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय" के द्वारा संसद में पारित करवाया गया। यह अधिनियम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अक्षमता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है और ऐसे समाज के निर्माण के लिए संघर्ष करता है जहा अक्षम व्यक्ति समानता और स्वाभिमान के साथ जीवन में अग्रसर हो सके। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- विकलांग अथवा अक्षम व्यक्तियो की पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षण, चिकित्सीय देखभाल, विकलांगता अथवा अक्षमता की रोकथाम, और उनके अधिकारों के संरक्षण को केंद्र और राज्य सरकारो के द्वारा जिम्मेदारी लेना और सुनिश्चित करना।
- विकलांग व्यक्तियो के लिए अवरोध-मुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत लाभो के साझाकरण में विकलांग व्यक्तियो के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करना।
- अक्षम व्यक्तियो के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण से उनकी रक्षा करना।
- ऐसी रणनीतियो को बनाना जिससे अक्षम व्यक्तियो के लिए व्यापक कार्यक्रमो, सेवाओ और सामान अवसरो को सुनिश्चित किया जा सके।
- समाज की मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियो को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाना।
- इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानो के पूर्ण कार्यान्वयन की सुनिश्चितता के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वयक और प्रबंधक समिति का गठन करना।

राष्ट्रीय स्तर पर पी.डब्लू.डी.एक्ट. के प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए "मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय" जो की एक संवैधानिक संस्था है, को यह जिम्मेदारी दी गयी है और राज्य स्तर पर "विकलांग आयुक्त कार्यालय" अपने-अपने राज्यो में पी.डब्लू.डी.एक्ट. के प्रावधानो के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। पी.डब्लू.डी.एक्ट. के अंतर्गत सात प्रकार की विकलांगता को सम्मिलित किया गया है जिन्हे हम लाभार्थी भी कहते है; **दृष्टिहीन, अल्प दृष्टी, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण क्षति, चाल गति अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता अथवा बिमारी।** विकलांग जन अधिनियम में कुल 14 अध्याय है जिनमें 1 वे अध्याय में प्रस्तावना और परिभाषाओ को सम्मिलित किया गया है, 2 और 3 अध्याय में केंद्र और राज्य समन्वय समितियो से संबंधित कार्यो का वर्णन किया गया है, 10 वे अध्याय में विकलांग व्यक्तियो के लिए संस्थओ को मान्यता देना, 11 वे अध्याय में गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियो के लिए संस्था की स्थापना और 12 वे अध्याय में मुख्य विकलांग आयुक्त एवं विकलाग आयुक्त की नियुक्ति एवं उनके कार्यो को सम्मिलित किया गया है। पी.डब्लू.डी.एक्ट. के कुछ मुख्य अध्याय जिन्हे हम इस अधिनियम के अंतर्गत "विकलांग व्यक्तियो के लिए प्रावधान" की संज्ञा से भी सूचित करते है, इस प्रकार है :

- **अध्याय 4 –अक्षमता की रोकथाम और शीघ्र पहचान :** इस अध्याय के अंतर्गत अक्षमता की उत्पत्ती के कारणो को जानने के लिए सर्वेक्षण, परीक्षण और अनुसंधान संबधी कार्यो को करना, अक्षमता को रोकने के लिए विभिन्न उपायो को करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के कर्मचारियो को प्रशिक्षित करना, सभी बच्चो का साल में एक बार जांच करना जिससे जोखिम वाले बच्चो की पहचान हो सके, विकलांगता संबंधी विषय पर जागरूकता अभियान चलाना और जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद माँ और बच्चे की सुरक्षा निश्चित करना इत्यादि प्रावधान है।
- **अध्याय 5 –शिक्षा :** इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक अक्षम बच्चो को 18 साल की उम्र तक समेंकित विद्यालयो अथवा विशेष विद्यालयो में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अक्षम बच्चो के लाभार्थ हेतु उपयुक्त परिवहन, अभिगम्य इमारतो का निर्माण, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, और परीक्षा प्रणाली में संशोधन करना, अक्षम बच्चो को मुफ्त किताब, छात्रवृति, ड्रेस, और अधिगम सामग्री प्रदान करना, विशेष विद्यालयो को व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओ का युक्त करना, अनौपचारिक शिक्षण पद्दति को प्रचलित करना, मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करना इत्यादि प्रावधानो को सम्मिलित किया गया है।
- **अध्याय 6 – रोजगार :** इस अध्याय के अंतर्गत अक्षम व्यक्तियो के लिए सरकारी नौकरियो में 3% रिक्त पद आरक्षित किये गये है जिनमें 1% अंधत्व अथवा अल्प दृष्टी के लिये, 1% श्रवण

अक्षमता के लिये और 1% चालगति अक्षमता अथवा प्रमस्तिस्कीय पक्षघात के लिये परन्तु अभी तक इसमें मानसिक मंदता के लिए आरक्षण नही है । इसके अलावा अक्षम व्यक्तियो के कल्याण के लिए उपयुक्त योजनाओ का निर्माण करना, सरकारी अनुदान प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ को अक्षम व्यक्तियो के शिक्षण के लिए 3% सीटो को आरक्षित रखना, सेवा के दौरान यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश विकलांग अथवा अक्षमता से ग्रसित हो जाता है तो उसे बर्खास्त अथवा पदावनत नही किया जा सकता है बल्कि उन्हे उसी वेतन और शर्तो के आधार पर अन्य पद पर स्थापित किया जा सकता है और अक्षमता अथवा विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नही किया जा सकता है इत्यादि प्रावधान है।

- **अध्याय 7 – सकारात्मक कार्यवाही :** इस अध्याय के अंतर्गत अक्षम अथवा विकलांग व्यक्तियो को रियायती दरो पर भूमि का आबंटन करना जिसके अंतर्गत गृह निर्माण के लिए, विशेष मनोरंजनात्मक केंद्र की स्थापना के लिए, विशेष विद्यालयो के लिए, विकलांग उधमियो द्वारा कारखानो की स्थापना के लिए इत्यादि प्रावधानो को सम्मिलित किया गया है।
- **अध्याय 8 – अविभेदिकरण :** इस अध्याय के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियो के आवागमन और परिवहन के लिए सार्वजनिक इमारतो को, रेल डिब्बो को, बसो को, जलयान को, वायुयान को, सार्वजनिक स्थलो को, सार्वजनिक प्रतीक्षालय को, सार्वजनिक शौचालय को और लिफ्ट को अभिगम्य बनाना और इसके साथ ही साथ सभी सार्वजनिक जनोपयोगी स्थल को रैंप (चल सीढी) की सुविधा के द्वारा अवरोध मुक्त बनाने का प्रावधान है।
- **अध्याय 9 – अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास :**इस अध्याय के अंतर्गत अनुसंधान को प्रायोजित और प्रोत्साहित करने का प्रावधान है जिसमें अक्षमता की रोकथाम, समुदाय आधारित पुनर्वास, सहायक उपकरणो का विकास, उपयुक्त रोजगार की पहचान और विकास, कार्यालयो और कारखानो में परिवर्तन के जरिये विकास जैसे शोध कार्यो को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानो को विशेष शिक्षा, पुनर्वास और मानव संसाधन विकास से संबधित कार्यो के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।
- **अध्याय 13 – सामाजिक सुरक्षा :** इस अध्याय के अंतर्गत अक्षम व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनो को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विकलांग सरकारी कर्मचारियो को बीमा सुरक्षा प्रदान करना, अक्षम व्यक्तियो को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना जो एक साल से अधिक समय से विशेष रोजगार विनिमय में पंजीकृत है और उन्हे लाभप्रद व्यवसाय में स्थानांतरित करना इत्यादि प्रावधान सम्मिलित है।

- **अध्याय 14 – शिकायत निवारण :** इस अध्याय के अंतर्गत यदि विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो का हनन होता है अथवा जो अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियो को प्रदान किये गए है, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी पाई जाती है तो उस स्थिति में विकलांग व्यक्ति केंद्र में स्थित "मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय" और राज्य में स्थित "विकलांग आयुक्त कार्यालय" में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

इस प्रकार इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से विकलांग व्यक्ति कानून के मुताबिक अपने मानवीय अधिकारो को प्राप्त कर सकते है। वर्तमान में यह अधिनियम केंद्र में संशोधन के लिए प्रस्तावित है।

3.12 एन.टी.एक्ट (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999)

विकलांग व्यक्तियों को सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सन् 1995 में भारत सरकार के द्वारा पी.डब्लू.डी.एक्ट. लाया गया था जो विकलांग व्यक्तियो के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण निर्णय था परन्तु इस अधिनियम के आने के बावजूद भी विकलांग व्यक्तियो से संबंधित अभिभावको के मनमें हमेंशा यह प्रश्न होता था की **"उनके बाद उनके बच्चो का क्या होगा?"** क्योकि इस अधिनियम में इससे संबंधित ऐसा कोई भी प्रावधान नही था और इस अधिनियम की एक त्रुटी यह भी थी की इसमें "स्वलीनता" और "बहु विकलांगता" को सम्मिलित नही किया गया था। इन्ही त्रुटियो को दूर करने के उद्देश्य से सन् 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम लाया गया। **राष्ट्रीय न्यास** (स्वलीनता, प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियो के कल्याण के लिए) **अधिनियम 1999** (एन.टी.एक्ट.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति से संबंधित अभिभावक की मृत्यु होने पर संरक्षक की नियुक्ति, अभिभावक अथवा रिश्तेदार के आवेदन के आधार पर संरक्षक की नियुक्ति अथवा पंजीकृत संगठन जो आवासिक सुविधा उपलब्ध कराते है एवं न्यास द्वारा मान्य न्यूनतम मानको को बरकरार रख सकते है, संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्न्नांकित है :

- विकलांग व्यक्तियो को उनके समुदाय में अथवा जिस समुदाय से वे संबध रखते है, जहाँ तक संभव हो सके उन्हे स्वतंत्रापूर्वक जीवन जीने के लिए योग्य और सशक्त बनाना।
- अक्षम व्यक्तियो को दी जाने वाली सुविधाओ को सुदृढ़ करना जिससे उन्हे अपने परिवार के साथ रहने में सहायता प्राप्त हो।

- संकट की स्थिति में निःशक्त व्यक्तियो के परिवारो को आवश्यकता आधारित सेवाए प्रदान करने के लिए पंजीकृत संघठनो को विस्तारित सहायता प्रदान करना।
- ऐसे विकलांग व्यक्तियो की समस्याओ पर कार्यवाही करना जिन्हे पारिवारिक समर्थन प्राप्त नही है।
- अक्षम व्यक्तियो के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु की स्थिति में उनके देख-भाल और सुरक्षा के उपायो को प्रोत्साहित करना।
- निःशक्त व्यक्तियो को जरूरत के समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षक और समिति की नियुक्ति के लिए कार्यप्रणाली को विकसित करना।
- विकलांग व्यक्तियो के लिए सामान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी के कार्यो को सहज बनाना।
- उपरोक्त उद्देश्यो से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियो के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते है जिनमें अभिभावक संगठनो और गैर-सरकारी संस्थाओ का पंजीकरण, स्थानीय स्तर की समितियो का निर्माण, गृह विजिट एवं देख-भाल प्रदाता कार्यक्रम, जागरूकता और प्रशिक्षण सामाग्रियो का विकास और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओ का भी संचालन किया जाता है जिनमें घरौंदा योजना, समर्थ योजना, एस्पिरेशन योजना, रिमोट एरिया फंडिंग योजना, निरामय योजना, ज्ञान प्रभा योजना, उद्यम प्रभा योजना, अरुणिम योजना और सहयोगी योजना प्रमुख है। यह अधिनियम अपनी योजनाओ और कार्यक्रमो में केवल स्वलीनता, प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियो को ही सम्मिलित करती है।

3.13 राष्ट्रीय विकलांग जन नीति अधिकार, 2006

विकलांग जनो के लिए राष्ट्रीय नीति फेब्रुअरी 2006 में भारत सरकार के द्वारा जारी की गयी थी। इस नीति को अमल में लाने का मकसद यह था की भारत सरकार के पास विकलांग जनो से संबंधित विभिन्न व्यापक दस्तावेज होने चाहिये जो विकलांग जनो के लिए बनाये गये प्रावधानो के संदर्भ में सरकार के द्वारा लिए गये सभी निर्णयो और कार्यो की जानकारी प्रदान कर सके। राष्ट्रीय नीति अक्षम व्यक्तियो को देश के मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में स्वीकार करता है और ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर देता है जहा समाज में उन्हे सामान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी प्राप्त हो सके। यह नीति

निःशक्त व्यक्तियो को संविधान में उनके लिए बनाये गए विभिन्न प्रावधानो के अंतर्गत उनके अधिकारो के कार्यान्वयन, शीघ्र पहचान और सहायता, शिक्षा, पुनर्वास कार्यक्रम, रोजगार, सामजिक सुरक्षा, अवरोध-मुक्त वातावरण, प्रशिक्षित मानव संसाधनो का विकास, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक विकल्पो और उपयुक्त एवं सहायक उपकरणो तक सुगम पहुच को सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है। यह नीति इस तथ्य पर बल देती है की बच्चो को विद्याभ्यास के पूर्व साल से प्राथमिक शिक्षण तक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण तक शिक्षा दी जानी चाहिये और इसके लिये शिक्षा के विभिन्न विकल्पो जैसे नियमित विद्यालय, मुक्त विद्यालय और ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं दूसरे उपयुक्त शिक्षण उपागम को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके अलावा गंभीर रूप से अक्षम बच्चो को समुदाय आधारित शिक्षण कार्यक्रम और गृह आधारित शिक्षण कार्यक्रम के जरिये शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य हमेंशा प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियो के द्वारा ही करवायी जानी चाहिये। यह नीति युवा अक्षम बच्चो के अधिकारो के संरक्षण के लिए सुगम देख-भाल, निश्चितता और सुरक्षा उपायो को विशेष रूप से सम्मिलित करती है और इसके साथ ही साथ यह सभी योग्य स्तर के बच्चो के लिए सुगम शिक्षा, मनोरंजन, पुनर्वास, स्वास्थ्य और अन्य विशेष सेवाओ की जरुरतो को सम्मिलित और सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति में अक्षम अथवा विकलांग महिलाओ को भी विशेष महत्त्व दिया गया है और इसके लिए उनकी विशिष्ट जरुरतो को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमो का विकास किया गया है। यह नीति अक्षम महिलाओ के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषणो से उनकी सुरक्षा की जरुरतो को भी दर्शाती है। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति में सम्मिलित किये गए प्रावधानो के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय अथवा प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है। मंत्रालय विभिन्न एजेंसीयो के सहयोग से नीति के कार्यान्वयन को समन्वित करती है जिनमें दूसरे संबंधित सरकारी संस्थाए, निःशक्त व्यक्तियो का संगठन, विकलांगता के क्षेत्रमें कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन, परिवार का प्रतिनिधि अथवा अभिभावक संगठन और विशेषज्ञ एवं पेशेवर सम्मिलित है।

3.14 शिक्षा का अधिकार और अक्षम बच्चे (आर.टी.इ., 2009)

शिक्षा का अधिकार (आर.टी.इ./द राईट टू एजुकेशन) अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया जिसका मुख्य केंद्र बिंदु अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6-14 साल के बच्चो के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानो को अमल में लाना था। यह अधिनियम 1 अप्रील 2010 को अस्तित्व में आया और इसके साथ ही भारत उन 135 देशो में शामिल हो गया जहा शिक्षा को प्रत्येक बच्चो (सामान्य और अलग प्रकार से योग्य) के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया। इस अधिनियम में प्राथमिक विद्यालयो के लिए न्यूनतम मानको का विशिष्ट रूप से उल्लेख

किया गया है और निजी विद्यालयो में 25% सीटो के आरक्षण का निर्धारण गरीब विद्यार्थियो के लिए किया गया है। इसके अनुसार कोई भी बच्चा या विद्यार्थी अधिगम, मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर विद्यालय में अमान्य अथवा निष्काषित नही जा सकता है और जब तक वे प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नही कर लेते है तब तक उन्हे बोर्ड परीक्षा को पास करने की जरुरत नही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिक्षा से वंचित, किसी कारणवश बीच में पढाई छोड़ने वालो और विशेष आवश्यकता/अक्षम बच्चो के लिए भी विशेष प्रावधान है। यह सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयो में कार्यरत शिक्षको की वेतन श्रेणी में समतुल्यता लाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अभेदभाव और सरकारी एवं निजी विद्यालयो की दूरियो को भरने पर जोर देता है। इस अधिनियम के आने से निःशक्त विद्यार्थियो को सामान्य विद्यार्थियो के साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिला जिसके परिणामस्वरूप अक्षम और विकलांग विद्यार्थियो के नामांकन दर में काफी वृदि हुयी जिससे उन्हे सामजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ।

3.15 सारांश

विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते है जिन्हें विशेष शिक्षण के साथ–साथ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।ऐसे बच्चो को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और मनोरंजनात्मक क्षेत्रो में भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है।**"कोठारी आयोग"**, भारतका ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने सर्वप्रथम विशेष आवश्यकता वाले बच्चो की समस्याओ को उठाया और नियमित विद्यालयो में अक्षम अथवा विकलांग बच्चो को सम्मिलित करने और समावेशन का सुझाव दिया। भारत सरकार के द्वारा विकलांग बच्चो को के लिए विभिन्न शैक्षणिक प्रावधानों के अंतर्गत **"विकलांग बच्चो के लिए समेंकित शिक्षा" 1974, "जिला प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम" 1994,** और **"सर्व शिक्षा अभियान"2000,** जैसे कार्यक्रमो का संचालन किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार और सभी के लिए एक सामान शिक्षा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति"1986** (एन.पी.इ./नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन) का गठन किया गया और यह भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें विकलांगता अथवा अक्षमता पर अन्नुछेद / धारा (सेक्शन 4.9) को सम्मिलित किया गया और इस बात पर जोर दिया गया की विकलांगो की शिक्षा के अंतर्गत विषमता अथवा असमानता को खत्म कर उनके लिए शैक्षणिक अवसरो की समानता को लागू किया जाय। भारत में अक्षम व्यक्तियो को प्रत्येक क्षेत्र में उन्हे उनका पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाये गये है उनमें **"मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम"1987** (एम.एच.ए./मेंटल हेल्थ एक्ट.), "**भारतीय पुनर्वास परिषद**

अधिनियम" 1992 (आर.सी.आइ.एक्ट/रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट.), "**विकलांग जन** (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) **अधिनियम" 1995** (पी.डब्लू.डी.एक्ट.) और "**राष्ट्रीय न्यास** (स्वलीनता, प्रमस्तिस्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियो के कल्याण के लिए) **अधिनियम" 1999** (एन.टी.एक्ट.) प्रमुख है। "**राष्ट्रीय विकलांग जन नीति अधिकार"2006,** विकलांग जनो के लिए बनाये गये प्रावधानो के संदर्भ में सरकार के द्वारा लिए गये सभी निर्णयो और कार्यो की जानकारी प्रदान करता है। **"शिक्षा का अधिकार"** (आर.टी.इ./द राईट टू एजुकेशन) अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया जिसका मुख्य केंद्र बिंदु अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6-14 साल के बच्चो के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानो को अमल में लाना था।

3.16 अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शैक्षणिक आवश्यक्ताओ वाले बच्चो से आप क्या समझते है ?
2. विशेष जरुरत वाले बच्चो पर कोठारी आयोग की संस्तुतियो को लिखे।
3. आइ.इ.डी.सी.योजना की विशेषताओ को लिखे।
4. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति"भारतीय शिक्षण इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है ? स्पष्ट करे।
5. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है ?
6. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किये गए कार्यो का वर्णन करे ?
7. सर्व शिक्षा अभियान कीविशेषताओ की व्याख्या करे।
8. भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्यो का उल्लेख करे।
9. पी.डब्लू.डी.एक्ट. के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियो के लिए बनाये गए प्रावधानो का वर्णन करे।
10. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की विशेषताओ को लिखे ?
11. विकलांग जन नीति अधिकार से आप क्या समझते है ?
12. "शिक्षा का अधिकार" अक्षम बच्चो के लिए कैसे उपयोगी है ?

3.17 संदर्भ ग्रंथ सूची

- सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. (1987). मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडिया. (http://www.sadarem.ap.gov.in/SADAREM/Gos.do?mode=downloadFileHomePage&id=5, एकसेस ऑन 13अक्टूबर 2014).
- गोविंदा, आर. एल. (2007). इंट्रोडक्शन: पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एजुकेशन , हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन.
- कुमार, विजय. एंड जैन, ए. के. (2014). डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन: ए ड्रीम टुवर्ड्स मिलियंस ऑफ होप्स इन इंडिया, यूरोपियन अकादमिक जर्नल, वॉल्यूम. 2, नंबर. 8, पीपी. 10753-10771.
- कुट्टी, थ्रेस्सिया. एट. अल. (2011). आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल रिटार्डेशन (एम.एम.डी.इ. 033): सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड वर्किंग विथ पेरेंट्स, फॅमिली एंड कम्युनिटी (ब्लाक 3), इग्नू, देल्ही: यंग प्रिंटिंग प्रेस।
- मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. (1995). पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इक्वल ओपर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट इंडिया. (http://www.socialjustice.nic.in/pwdact1995.php, एकसेस ऑन 20सितम्बर 2014).
- मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. (1992). रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया. (www.svayam.com/pdf/the_rci_act 1992&amendement_act_2000.pdf, एकसेस ऑन 12 अक्टूबर 2014).
- मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. (1999). द नेशनल ट्रस्ट फॉर थे वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीप्ल डिसेबिलिटीज एक्ट इंडिया. (http://www.socialjustice.nic.in/pdf/ntact199.pdf, एकसेस ऑन 12 अक्टूबर 2014).
- मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. (1992). नेशनल पालिसी ऑन एजुकेशन, 1968. (www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf, एकसेस ऑन 12 अक्टूबर 2014).
- पाण्डेय, आर. के. एंड हेमलता. (2012). एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया (एम.एम.डी. 011): इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन (ब्लाक 4), इग्नू, न्यू देल्ही: बेरीं आर्ट प्रेस ।

- सुब्रह्मनियन, आर. (2001). राईट टू एजुकेशन: ओपर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, एजुकेशन डायलाग.
- विजयन, पी. एंड गीथा, टी. (2006). इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, न्यू देल्ही: आर.सी.आइ.

इकाई - 4

विशेष आवश्यकताओं की समझ
(Understanding Special Needs)

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 विशिष्ट बालक का अर्थ
4.4 विशिष्ट बालकों की विशेषता
4.5 धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन
4.6 विशिष्ट बालकों के प्रकार
4.7.1 दृष्टि बाधित बालक
4.7.2 श्रवण बाधित बालक
4.7.3 मानसिक मंद बालक
4.7.4 अधिगम अक्षम बालक
4.7.5 प्रतिभाशाली बालक
4.7.6 बहुविकलांग बालक
4.7.7 स्वलीनता
4.7.8 चलन नि:शक्त
4.7.9 प्रमस्तिष्क पक्षाघात
4.8 सारांश
4.9 शब्दाबली
4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.11 अभ्यास प्रश्न

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशिष्ट बालक वैसे बालक होते हैं जिनकी योग्यता, क्षमता, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषता अपने सामान्य उम्र के बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं। जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न

कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु तथा समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक की विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते हैं कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत इकाई में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप

- विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विशिष्ट बालक के विभिन्न प्रकारों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
- धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे ।
- दृष्टि बाधित बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- श्रवण बाधित बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- मानसिक मंद बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- अधिगम अक्षम बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- बहुविकलांग बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- स्वलीन बालक को परिभाषित कर सकेंगे।
- चलन नि:शक्त बालकों को परिभाषित कर सकेंगे।
- प्रमस्तिष्क पक्षाघात को परिभाषित कर सकेंगे।

4.3 विशिष्ट बालक का अर्थ (Meaning of Sepecial Student)

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं। जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु तथा समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक की विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते हैं कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तियों

का समुचित उपयोग करने तथा तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है । "विशिष्ट बालक" की ये विशेषताएँ सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं हो सकती हैं, जिसमें बालक भिन्न हो सकता है । इन भिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे- बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन - क्रिया अक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवण-ह्रास, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से कुसमयोजित अथवा समस्यात्मक बालक आदि। चूँकि इन सभी उपवर्गों से सम्बंधित बालकों की प्रकृति भिन्न होती है इसलिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

वास्तव में विशिष्ट बालक शब्द एक वृहद पद है जिसके अंतर्गत विभिन्न असामान्यताओं से युक्त बालकों के अनेक समूह समाहित रहते हैं। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालक की परिभाषा अपने-अपने तरीके से दी है। कुछ परिभाषाएँ निम्नवत इसप्रकार हैं-

क्रुक शैंक के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है"।

डन के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं" ।

क्रो एवं क्रो (Crow andCrow) के अनुसार, "विशेष प्रकार या 'विशिष्ट' शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण कराते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असमान्य प्रतीत हो वह गुण विशेष के कारण अपने साथियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे अथवा उसे प्राप्त करे और साथ ही इससे उसके व्यवहार की क्रियाएँ एवं अनुक्रियाएँ भी प्रभावित हों । "

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालकों का अर्थ लिखिए
2. विशिष्ट बालकों के किन्हीं दो परिभाषाओं को लिखिए

4.4 विशिष्ट बालकों की विशेषता (Characterstic of Special Student)

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमें इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

1. विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
2. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
3. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालकों के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें

4.5 धनात्मक व ऋणात्मक विचलन (Positive and Negative Varience)

विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते है तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र (Prababability curve) कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी कक्षा के छात्रों कि बुद्धि-लब्धि और प्रतिशत संभावना के बीच आलेख खींचें तो हमें निम्नवत आकृति प्राप्त होगी और इसे ही

सामान्य प्रायिकता वक्र कहा जाता है। सामान्य प्रायिकता वक्र के शीर्ष बिंदु से X-अक्ष पर डाला गया लम्ब पूरे वक्र को दो सममित भागों में विभाजित करता है। लम्ब का पाद केन्द्रीय मान को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय मान के बांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कम हैं तथा इनका विचलन ऋणात्मक है। इसी प्रकार केन्द्रीय मान के दांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से अधिक हैं तथा इनका विचलन धनात्मक है।

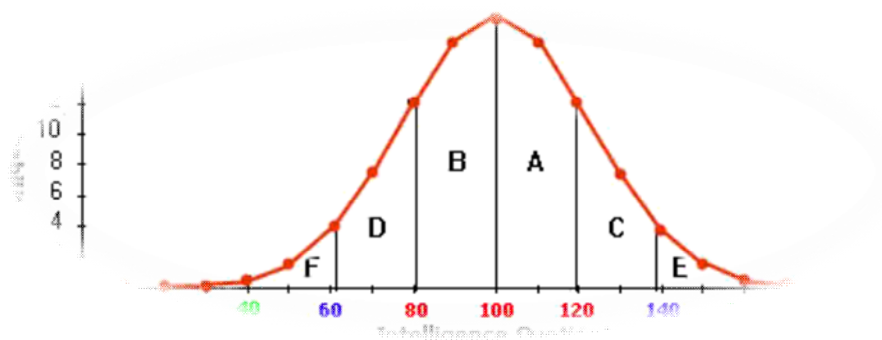

इसी प्रकार यदि किसी खेल के मैदान का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ भी यह अद्वितीयता देखने को मिल जायेगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे। कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जायेंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जायेंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जायेगी। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से सम्बन्धित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलता पूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते है कि वह मायने रखता है। उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्त्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि। एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न

1. धनात्मक रूप से विचलित बालकों का कोई दो उदहारण दें .
2. ऋनात्मक रूप से विचलित बालकों का कोई दो उदहारण दें

4.6 विशिष्ट बालकों के प्रकार (Types of Special Student)

विशिष्ट बालकों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है जो बालक किसी गुण विशेष के सन्दर्भ में सामान्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जिससे इन बालकों का अधिगम एवं अनुकूलन प्रभावित होता है। कुछ

बालक मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि एवं विवेक के बहुत ही ऊँचे स्तर पर विराजमान होकर प्रतिभाशाली एवं होनहार के रूप में दिखाई देते हैं जबकि कुछ बालकों में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत से ज्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य साथियों से काफी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और अपने इस पिछड़ेपन के कारण मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक या धीमी गति से पढ़ने वाले बालक के रूप में उन्हें अपनी विशेष न्यूनताओं और क्षमताओं के आधार पर कई इस तरह के विशेषण दिए जाते हैं। यही बात व्यक्ति के अन्य आयामों- संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक आदि को लेकर भी है। यहाँ भी कुछ बालकों को आप इन आयामों के सन्दर्भ में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में बहुत अधिक दूरी तय करते हुए पा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों या असाधारण बालकों के कई प्रकार बताये हैं । हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980)के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-

i. प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. अधिगम असमर्थ बालक
iv. व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
v. संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
vi. श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
vii. दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
viii. शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
ix. गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

रिली एवं लेविस (Reilly and Lewis, 1983)ने विशिष्ट बालकों को निम्नांकित छः भागों में बांटा है-

i. प्रतिभाशाली बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. अधिगम असमर्थ बालक
iv. मानसिक रोग से ग्रसित बालक
v. शारीरिक रूप से विकलांग बालक
vi. बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

इस तरह आप देखते हैं कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में प्रतिभासंपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक आते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

i. प्रतिभाशाली बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. दृष्टि अक्षम बालक

iv. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
v. भाष-दोष से ग्रसित बालक

अभ्यास प्रश्न

1. रिली एवं लेविसने विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा है ?
2. हेवार्ड तथा औरलेंसकी ने विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा है ?

4.7.1 दृष्टि बाधित बालक (Visual Impaired Child)

कक्षा में अनुदेशन अथवा वातावरण में स्वतंत्र गमन हेतु दृष्टि बहुत ही महत्त्वपूर्ण आयाम है। हम सभी लोगों की दृष्टि भिन्न –भिन्न होती है। हममें से कुछ लोग उनसे भी अधिक दूर तथा स्पष्ट देख सकते हैं जो कि सामान्य से धनात्मक दिशा में ही विचलित होते हैं। हममें से ज्यादातर लोग दृष्टि-आयाम के मध्य बिंदु के आस-पास ही मिलेंगे। जो लोग चश्में का प्रयोग करते हैं, जिन्हें दृष्टि की समस्याएं हैं या पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं वो भी आपस में अलग-अलग दृष्टि क्षमता रखते हैं।

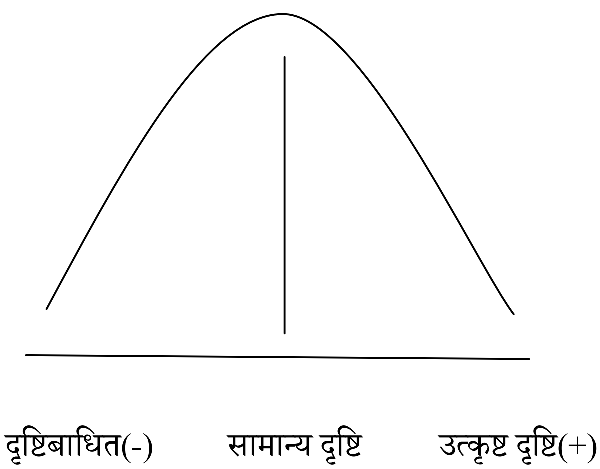

अत: दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिसको सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है। दृष्टि-बाधिता व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की दो परिभाषाएं प्रचलन में हैं-

a) विधिक (Legal)
b) शैक्षिक (Educational)

विधिक (Legal) परिभाषा-

विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्न लिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं:-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो।

[Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the condition:

i. Total absence of sight; or
ii. Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses; or
iii. Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.(PWD Act, 1995)]

यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 200 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 20 फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।

आंशिक दृष्टि दोष(Partially Sighted)-विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 और 20/200 के बीच हो। वहीँ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)"से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

शैक्षिक परिभाषा(Educational Definition):

शैक्षिक परिभाषा पठन-अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार "उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के वगैर वे पढ़ना सीख नहीं सकते।

अभ्यास प्रश्न

1. दृष्टि बाधिता की शैक्षिक परिभाषा लिखें
2. आंशिक दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं ?
3. विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक को परिभाषित करें .

4.7.2 श्रवण बाधित बालक

श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। जोकि बालक को समाज से अलग कर देती है। जिससे बालक का भाषा विकास बाधित हो जाता है। श्रवण अक्षमता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

'कांग्रेस ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ' ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि- "एक बधिर व्यक्ति वह है जिनकी श्रवण बाधित 70 डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को समझ नहीं पाता हो।"

वहीँ यूनेस्को की विशेषज्ञ कमेंटी (1985) ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "बधिर बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जिनमें अत्यधिक श्रवण अक्षमता ह्रास के चलते स्वाभाविक वाणी और भाषा का विकास अत्यंत या पूर्णतः नहीं हुआ हो।"

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि।"

आंशिक श्रवण बाधिता - आंशिक श्रवण बाधिता के अर्न्तगत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के श्रवण बाधिता से पीडित बालक/व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। श्रवण अक्षमता जन्मजात भी होती है तथा जन्म के बाद जिन्दगी के किसी काल में भी। दोनों समूहों के बीच वाणी और भाषा सम्प्रेषण में अंतर होता है।

श्रवण ह्रास मनुष्य के जन्म के समय से जीवन के किसी काल में हो सकता है। यह ह्रास निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-

श्रवण बाधिता के प्रकार

i. **कंडक्टिव श्रवण ह्रास(Conductive Hearing Loss)**- बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण में किसी प्रकार का विकार होने से ध्वनि को अन्तः कर्ण तक संचालित होने में अवरोध उत्पन्न होता है। यह दोष बाहरी अथवा मध्य कर्ण तक ही सिमित रहता है। अन्तः कर्ण बिलकुल सामान्य स्थिति में रहता है।

ii. **सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास(Sensory-neural Hearing Loss)** – यदि श्रवण क्षमता का ह्रास अन्तः कर्ण या नर्भ पथ में जो अन्तः कर्ण से नर्भ पथ तथा मस्तिस्क तंत्र तक के रास्ते में किसी बिमारी के कारण उत्पन्न हो, उसे सेंसरी न्यूरल श्रवण अक्षमता कहते हैं। इसमें बाह्य तथा मध्य कर्ण सामान्य अवस्था में रहते हैं। इसमें ध्वनि का सञ्चालन अन्तः कर्ण तक होता है किन्तु ध्वनि का सही ढंग से विश्लेषण तथा प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है।

iii. **मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)**- एक ही व्यक्ति में कंडक्टिव तथा सेंसरी न्यूरल दोनों प्रकार के श्रवण ह्रास होते हैं, जिसे मिश्रित श्रवण ह्रास कहते हैं। इसमें बाह्य, मध्य तथा अन्तः तीनों कर्ण विकृत होते हैं।

iv. **केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)**- सेरिब्रल कार्टेक्स से सटे ब्रेन स्टेम के बीच के श्रवण पथ संक्रमित हो जाने से केन्द्रीय श्रवण ह्रास होता है। इसमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप एवं श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं मिलता।

v. **कार्यात्मक श्रवण ह्रास(Functional Hearing Loss)-** इस प्रकार के श्रवण ह्रास में कान के सभी भाग ठीक ढंग से काम करते हैं, परन्तु व्यक्ति सुनकर भी न सुनने का अभिनय करता है।किसी भी आवाज के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता।

अभ्यास प्रश्न

1. श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं ?
2. श्रवण ह्रास के कितने प्रकार हैं ?
3. कार्यात्मक श्रवण ह्रास क्या है ?
4. मिश्रित श्रवण ह्रास क्या है ?

4.7.3 मानसिक मंद बालक

मानसिक मंदता के अन्तर्गत वैसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पायी जाती है लिहाजा वे मन्द गति से सीखते हैं। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक संम्प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह मानसिक मंदता क्या है? सामान्यतया मानसिक मंदता से यही अर्थ निकाला जाता है कि बालक की बुद्धि-लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour)को भी माना जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होने के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार- मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बुद्धि की अपसमान्यता अभिलक्षित होती है।

अमेंरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973)के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"

इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-

i. मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।
ii. मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।
iii. मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।

मानसिक मन्दता के प्रकार-

अमेंरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी(AAMD)के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत चार भागों में बांटा जाता है-

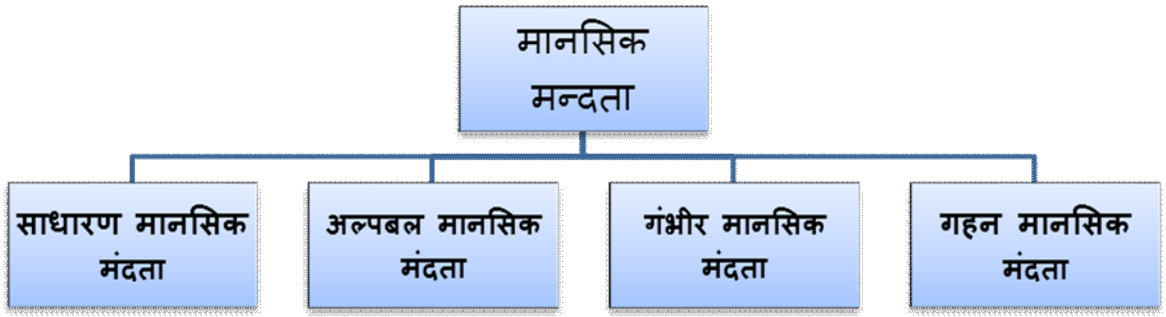

i. **साधारण मानसिक मंदता(Mild Mental Retardation)**
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 52-67 के बीच होती है।इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8-11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं।

ii. **अल्पबल मानसिक मंदता(Moderate Mental Retardation)**
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 36-51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय असंतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना दिया जाता है।

iii. **गंभीर मानसिक मंदता(Severe Mental Retardation)**
बुद्धि-लब्धि 20-35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतया अपने दैनिक क्रिया-कलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं।

iv. **गहन मानसिक मंदता(Profound Mental Retardation)**
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि-लब्धि 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जेवण पर्यंत देख-रेख की जरूरत पड़ती है। ये बालक प्रायः अल्प-आयु होते हैं।

शैक्षिक वर्गीकरण (EducationalClassification)-शैक्षिक रूप से मानसिक मंद बच्चों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

1. शिक्षणीय (Educable)
2. प्रशिक्षणीय (Trainable)
3. अभिरक्षणीय (Custodial)

1. **शिक्षणीय (Educable)-** इन बालकों की बुद्धिलब्धि 50 – 70 के मध्य होती है। ये बालक चौथी कक्षा तक अकादमिक कार्यों को ठीक ढंग से निपटा लेता है। ऐसे कुछ बालक रोजगार करने में भी समर्थ होते हैं। इनको उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात समाज में समायोजन करने योग्य बनाया जा सकता है।
2. **प्रशिक्षणीय (Trainable)-** इन बालकों की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच में होती हैं। वाक् एवं भाषा का विकास सीमित होता है। इन्हें कपड़े पहनने, पेशाब -पखाना करने खाने पीने एवं सामाजिक समायोजन हेतु प्रशिक्षण की जरुरत होती है। इन्हें द्वितीय कक्षा तक पढाया जा सकता है। ये बालक सुरक्षित वातावरण में काम करना चाहता है। स्वंय की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हैं।
3. **अभिरक्षणीय (Custodial)-** ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 34 से कम होती है। ऐसे अधिकांश बालकों में बहु विकलांगता के शिकार होते हैं। वे अपने आवश्यकता को पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं एवं पूर्णत: दूसरे पर निर्भर होते हैं। वाक्य एवं भाषाई विकास अत्यल्प होता है , वे बातचीत के दौरान एकल शब्द का प्रयोग करते हैं। इन बालकों को खाने पीने, कपड़े पहनने, व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने और यहाँ तक की सामाजिक आर्थिक समायोजन के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. मानसिक मन्दता क्या है ?
2. मानसिक मन्दता के कौन –कौन प्रकार हैं ?
3. मानसिक मन्दता को परिभाषित कीजिये .
4. शैक्षिक रूप से मानसिक मन्दता को कितने भागों में बाँटा गया है ?

4.7.4 अधिगम अक्षम बालक

अधिगम अक्षम बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान होती है लेकिन इन बालकों को पढ़ने, लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। **किर्क** महोदय के अनुसार:- "अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक्, भाषा, पठन, लेखन

या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरूद्ध विकास है जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति या अनुदेशन कारक के कारण।"

अधिगम अक्षम बालक इनकी विशेषताओं के आधार पर चार प्रकार के होते हैं:-

(i) डिस्लेक्सिया (Dyslexia)-

(ii) डिस्ग्राफिया (Dysgraphia)

(iii) डिस्कैलकुलिया (Dyscalculia)

(iv) डिस्प्रैक्सिया (Dyspraxia)

अभ्यास प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता को परिभाषित कीजिये?

2. अधिगम अक्षम बालक के कितने प्रकार हैं ?

4.7.5 प्रतिभाशाली बालक

वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो अथवा ऐसा बालक अपने आयु के बालकों से साधारण या विशेष योग्यता में श्रेष्ठ हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में आता है। कालसनिक के अनुसार- "वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण नया योगदान कर सकें।"

4.7.6 बहु विकलांग बालक

बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता से है। उदाहरण स्वरूप जब बालक में मानसिक मंदता के साथ-साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांग बालक नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है।

दृष्टिबाधिता + श्रवण बाधिता + मानसिक मंदता

श्रवण बाधिता + दृष्टि बाधिता

दृष्टि बाधिता + अस्थि विकलांगता इत्यादि।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित कीजिये .
2. बहु विकलांगता से आप क्या समझते हैं .

4.7.7 चलन नि:शक्त (Loco-Motor Disability)

चलन नि:शक्त बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियाँ (Bones), जोड़ (Joints) और मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं. ऐसे बालकों को सामान्यत: अस्थि विकलांग या

शारीरिक विकलांग बालक भी कहा जाता है. ऐसे बालकों को चलने फिरने के लिए कृत्रिम हाथ पैर अथवा बैशाखी, कैलीपर्स, विशेष जूते व्हील चेयर अन्य सहायक उपकरणों की जरुरत होती है. क्रो एवं क्रो के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम बालकों से अभिप्राय वैसे बालकों से जिनकी मांसपेशियों में इतनी विकृत्ति आ जाये जिसके कारण उसके अंगों का घूमना कठिन हो जाय. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बाधा उत्पन्न हो. साथ ही साथ शारीरिक कार्यक्षमताएँ सीमित हो जायें. यह नि:शक्तता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है. शारीरिक अंगों में असामान्यता या गामक क्रिया अथवा मुद्रा जिसमें गति की अवस्था हो, उनमें किसी प्रकार की कमी या उन्हें करने में किसी प्रकार की बाधा हो तो उसे चलन नि:शक्तता कहते हैं. वैधानिक तौर पर वैसे बालकों को अस्थि विकलांग कहा जाता है जो गंभीर रूप अस्थि विकलांग हैं, और यह विकलांगता उनके शैक्षिक प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है.
इस प्रकार के विकलांगता में सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, में रूदण्डीय द्विशाखी, संधिशोध इत्यादि से प्रभावित बालक आते हैं।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार – " चलन नि:शक्तता से हड्डियों, जोड़ो या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो.

("Locomotor disability means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy."
-Person With Disability Act 1995)

चलन नि:शक्तता के प्रकार –

हल्लहन एवं कौफमैन ने चलन नि:शक्तता को कारणों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया है –

a. न्यूरोलाजिकल इम्पेयरमेंट (Neurological Impairment)
b. मांसपेशीय – कंकाल अक्षमता (Musculo Skeleton Impairment)
c. जन्मजात आंगिक विकृति (Congenital Malformation)

न्यूरोलाजिकल इम्पेयरमेंट (Neurological Impairment) - केन्द्रीय तंत्रिका के विभिन्न भागों – मष्तिष्क और सुषुम्ना नाडी (Spinal Cord) के क्षतिग्रस्त हो जाने से बच्चों में कई तरह की शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है इस विकृति को न्यूरोलाजिकल अक्षमता के नाम से जानते हैं . इन अक्षमताओं के प्रकार इस प्रकार है –

सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)

मेंरुदण्ड द्विशाखी (Spina Bifida)

सुषुम्ना नाड़ी अपकार (Spinal Cord Injury)

पोलियो (Poliomyelitis)

मांसपेशीय– कंकाल अक्षमता (Musculo Skeleton Impairment)- मांसपेशीय अथवा अस्थि में विकृति आ जाने अथवा कोई रोग हो जाने के कारण भी कई बच्चे शारीरिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं . इसमें बच्चों के हाथ, पैर, जोड़ अथवा मेंरुदण्ड की गतिविधियाँ प्रभावित होती है . इसके अंतर्गत निम्न विकलांगता आती है –

मांसपेशीय अपकर्ष (Muscular Dystrophy)

संधिशोथ (Arthritis)

पार्वफिरा (Clubfoot)

अभ्यास प्रश्न

1. चलन नि:शक्त को परिभाषित कीजिये.
2. हल्लहन एवं कौफमैन ने चलन नि:शक्त के कितने श्रेणियों में विभक्त किया हैं ?
3. न्यूरोलाजिकल इम्पेयरमेंट क्या है ?

4.7.8 आटिज्म (Autism)

आटिज्म एक प्रकार की जटिल मानसिक दशा अथवा विकासात्मक विकृत्ति है जिसके शिकार ढाई से तीन साल के बच्चे होते हैं इससे पीड़ित बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है साथ ही साथ उनका सामाजिक एवं भाषाई कौशल विकास नहीं हो पाता है. ऐसे बच्चे अपने हम उम्र के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है. वह हमेंशा अपने आप में लीन रहने लगता है, इसलिए इस विकृति को 'स्वलीनता' या 'स्वपरायणता' भी कहा जाता है. सर्वप्रथम लिओ कैनेर ने वर्ष १९४३ में स्वपरायणता प्रभावित व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न की व्याख्या की थी. उन्होंने ने अपने अध्ययन में पाया की इससे प्रभावित व्यक्तियों में अकेलापन, भाषाई विकास में कमी, रटंत प्रवृति और लोगों के साथ मेंल मिलाप की भावना का अभाव पाया जाता हैं. लेकिन इन सबसे अलग स्वपरायणता प्रभावित कुछ लोगो में यादाश्त क्षमता एवं गणितीय कौशल अत्यधिक पाया जाता है.

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अनुसार – 'स्वपरायणता' से तात्पर्य विषम कौशल विकास की वह अवस्था अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के सम्प्रेषण और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है जो आवृति मूलक और संस्कारिक व्यवहार से परिलक्षित होती है.

('Autism' means a condition of uneven skill development primarily affecting the communication and social abilities of a person, marked by repetitive and ritualistic behavior.- The National Trust Act 1999)

अभ्यास प्रश्न

1. स्वपरायणता को परिभाषित कीजिये .

4.7.9 प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)

प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक विकासात्मक विकलांगता है जो किसी भी बालकों को जन्म के पूर्व, जन्म के समय या जन्म के कुछ दिनों तक लगने वाले चोट या अन्य दुर्घटनाओं का परिणाम होता है . इस दुर्घटना या चोट के कारण बालक के मस्तिष्क प्रभावित होती है जिसका परिणाम होता है की मष्तिष्क के जिस भाग में चोट लगती उस भाग से सम्बंधित अंग से मष्तिष्क का नियंत्रण या तो कम हो जाता है या बिलकुल समाप्त हो जाता है. यह अलग – अलग बालकों को अलग- अलग तरह से प्रभावित करता है. यदि किसी भी बालक में इसका प्रभाव कम रहता है तो वे बालक कुछ कठिनाई के साथ अपना सभी कार्य करने में सफल रहता है जैसे इस तरह के बालकों में खड़े होने या चलने में असंतुलन बनी रहती है. यदि किसी बालक में इसका प्रभाव अधिक होता है तो वे किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में असमर्थ रहते हैं, इन्हें दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जरूरत होती है|

प्रमस्तिष्क पक्षाघात प्रत्येक देश में या हरेक तरह के परिवार में पाया जाता| इसका वितरण प्रत्येक 500 जीवित बच्चे में से एक बच्चा इससे प्रभावित होता है| इससे प्रभावित बालकों को थेरेपी, विशिष्ट शिक्षा या तकनिकी के द्वारा मुख्य धारा में सम्मलित किया जा सकता है|

प्रमस्तिष्क पक्षाघात के प्रकार

प्रमस्तिष्क पक्षाघात से प्रभावित बालकों को शारीरिक गति करने में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है| यह प्रभाव बालक के मष्तिष्क को चोट किस भाग को प्रभावित किया इस पर निर्भर करता है| प्रमस्तिष्क पक्षाघात को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है|

i. शरीर के प्रभावित अंग के आधार पर
ii. माँसपेशी में गति के आधार पर

शरीर के प्रभावित अंग के आधार पर

शरीर के प्रभावित अंग के आधार पर प्रमस्तिष्क पक्षाघात को 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो इस प्रकार से है -

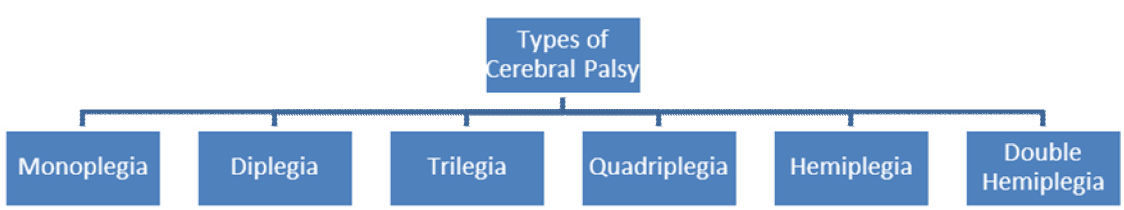

a. **मोनोप्लेजिया (Monoplegia)**- इस तरह के प्रमस्तिष्क पक्षाघात में बालक के कोई एक अंग प्रभावित होता है. जैसे इससे प्रभावित बालकों में कोई एक हाथ या कोई एक पैर प्रभावित होता है|
b. **डाप्लेजिया (Diplegia)** – इसमें बालकों का हाथ से अधिक पैर प्रभावित होता है|
c. **ट्र रीलेजिया (Trilegia)** – इससे प्रभावित बालकों को कोई तीन अंग से कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है|
d. **चतुरांगघात (Quadriplegia)** – इससे प्रभावित बालकों का सम्पूर्ण शरीर प्रभावित रहता है जिससे कोई कार्य को सम्पादित करने में कठिनाई होती है| इसमें बालक के मुँह के मांसपेशी भी प्रभावित रहती है जिसके कारण बोलने एवं खाने में कठिनाई होती है|
e. **हेमीप्लेजिया (Hemiplegia)** – इसके अन्तर्गत शरीर का कोई एक भाग प्रभावित हो जाता है|
f. **द्वि हेमिप्लेजिया (Double Hemiplegia)** – इसमें बालक का सम्पूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है| बालक का हाथ पैर की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित रहता है| कुछ बालकों में बोलने एवं खाने की भी समस्या देखने को मिलता है|

माँसपेशी में गति के आधार पर

माँसपेशी में गति के आधार पर प्रमस्तिष्क पक्षाघात को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है –

Type	Affected Area	Muscle Tone	Muscle Type	Movements
Spasticity	Motor Cortex	High	Tight/Stiff	Rigid/Scissoring of hands and legs
Athetosis	Basal Ganglia	Fluctuating	Jerky Movement	Slow writhing movement
Ataxia	Cerebelum	low	Sharky at distal ends	Lack of Coordination and balance

अभ्यास प्रश्न

1. मोनोप्लेजिया क्या है ?
2. द्वि हेमिप्लेजिया क्या है ?

4.8 सारांश

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं। जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु तथा समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक की विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते हैं कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है।

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमें इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं।

मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों या असाधारण बालकों के कई प्रकार बताये हैं। हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980)के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-

i. प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. अधिगम असमर्थ बालक
iv. व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
v. संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
vi. श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
vii. दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
viii. शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
ix. गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं:-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि।"

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार- मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बुद्धि की अपसमान्यता अभिलक्षित होती है।

अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरूद्ध विकास है जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति या अनुदेशन कारक के कारण।

बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता से है। उदाहरण स्वरूप जब बालक में मानसिक मंदता के साथ-साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांग बालक नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है।

स्वपरायणता से तात्पर्य विषम कौशल विकास की वह अवस्था अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के सम्प्रेषण और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है जो आवृति मूलक और संस्कारिक व्यवहार से परिलक्षित होती है|

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार – " चलन नि:शक्तता से हड्डियों, जोड़ो या मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो|

4.9 अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालक से आप क्या समझाते हैं? विशिष्ट बालको के प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें।
2. विशिष्ट बालकों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से आप क्या समझाते है? विवेचना कीजिये।
3. विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं ?

4. मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
5. दृष्टि अक्षमता का क्या अर्थ है? इसके विधिक एवं शैक्षिक परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिये।
6. श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
7. अधिगम अक्षम से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
8. प्रमस्तिष्क पक्षाघात को परिभाषित करें ? एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें .

4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
- भार्गव एम.(2००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
- Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
- Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
- A guidebook for Teachers' on how to implement inclusive education in the regular class (1999). Beyond Toknism, National Trust Act.

इकाई - 5

विशिष्ट बालकों की पहचान

(Identifying Special Needs)

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 विशिष्ट बालकों की विशेषताएँ
5.4 मानसिक मंद बालक की विशेषताएँ
5.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान
5.6 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार एवं परीक्षण टूल्स
5.7 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स
5.8 आटिज्मसे प्रभावित बालकों की विशेषता
5.9 आटिज्मसे प्रभावित बालकों की स्क्रीनिंग एवं पहचान
5.10 दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताएँ
5.11 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान
5.12 श्रवण अक्षम बालक की विशेषताएँ
5.13 श्रवणबाधिता की पहचान
5.14 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएँ
5.15 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान
5.16 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके
5.17 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें
5.18 प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ
5.19 अस्थि नि:शक्त बालकों की पहचान
5.20 सारांश
5.21 शब्दाबली
5.22 अभ्यास प्रश्न

5.23 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.1 प्रस्तावना

प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है फिर भी जब आप "विशिष्ट बालक" शब्द से मुखातिब होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो उसके बारे में बात की जा रही है। "विशिष्ट बालक" की ये विशेषताएँ सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएँ हो सकती हैं, जिसमें बालक भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे- बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन-क्रिया अक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवण-ह्रास, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से कुसमयोजित अथवा समस्यात्मक बालक आदि। प्रस्तुत अध्याय में विशिष्ट बालकों की पहचान के विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करेंगे।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप -

- विशिष्ट बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- मानसिक मंद बालकों की स्क्रीनिंग एवं पहचान कर सकेंगे।
- मानसिक मंद बालकों के लिए परिक्षण टूल्स का वर्णन कर सकेंगे।
- मानसिक मंद बालकों के लिए परिक्षण के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।
- दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- दृष्टि अक्षम बालकों का पहचान कर सकेंगे कर सकेंगे।
- श्रवण बाधित बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- श्रवण बाधित बालकों का पहचान कर सकेंगे कर सकेंगे।
- भाषा दोष से ग्रसित बालकों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान कर सकेंगे।
- ऑटिज्म से ग्रसित बालकों की पहचान कर सकेंगे।
- चलन नि:शक्त बालकों की पहचान कर सकेंगे।

5.3 विशिष्ट बालकों की विशेषताएँ

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमें इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

- विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

5.4 मानसिक मंद बालक की विशेषताएँ

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में महत्त्वपूर्ण कमी से है जो बालक में जीवन पर्यंत पाया जाता हे। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है परंतु अधिकांष बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। सौम्य (Mild) मानसिक मंदता वाले अधिकांष बालकों की प्रायः तब तक वह पहचान नहीं हो पाती जब तक के स्कूल जाने नहीं लगते। सर्वाधिक मानसिक मंदता युक्त बालक (लगभभग 85%) सौम्य मानसिक मंदता से ग्रसित पाए जाते हैं। इन्हें प्रायः संप्रेषण कौशल , स्व-सहायता कौशल अथवा छठी-सातवी कक्षा तक के शैक्षणिक व्यवहार में ज्यादा समस्या नहीं आती। मध्य श्रेणी (Moderate) की मानसिक मंदता वाले बालक प्रायः विकासात्मक मील के पत्थर

(Developments Mile Stores) को देर से प्राप्त कर पाते हैं साथ ही उनमें प्री-स्कूल के समय में भी उम्र के उपयुक्त व्यवहारों का देर से विकास होता है। ये जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी आयु और उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है और कई बार स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्रायः जन्म से ही या उसके कुछ दिनों बाद हो जाया करती है। इनमें से अधिकांष बालकों में केंद्रिय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) की गंभीर विकृति पाई जाती है। हालांकि बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर एवं अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है परंतु विभिन्न कार्यात्मक (Functional) कौशलों की कमी भी स्पष्ट होती है।

सामान्यतः मानसिक मंदता युक्त बालक निम्नलिखित विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं:

1. शारीरिक विशेषताएं

i. अधो-सामान्य शारीरिक विकास।
ii. शारीरिक विकृतियां।
iii. स्थूल गामक (Gross Motor) और सूक्ष्म गामक कौशल (Fine Motor) आयु के अनुपयुक्त।
iv. आँखों और हाथों में समन्वय का अभाव।

2. मानसिक विशेषताएं

i. अधो औसत बुद्धि लब्धि (70 से कम)।
ii. किसी कार्य में रुचि का अभाव।
iii. कभी-कभी आक्रामकता एवं अकेले रहना।
iv. अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई।
v. सोचने की सीमित क्षमता।
vi. कमजोर स्मृति
vii. कमजोर ध्यान केंद्रित क्षमता
viii. कमजोर आत्मविष्वास एवं आत्म सम्मान।
ix. सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता।
x. सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई।
xi. रूपए पैसे के लेन-देन में समस्या।
xii. भाषा (अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य) संबंधी समस्या।

3. मनसिक मंदता ग्रस्त बालकों की सामाजिक विशेषताएं:

i. समाजिक समायोजन क्षमता अनुपयुक्त
ii. सहपाठियों एवं शिक्षकों से अंतर्संबंध बनाने में कठिनाई
iii. कभी-कभी दूसरों एवं स्वयं को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार

iv. सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव
v. शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव
vi. अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव

4. भावात्मक विशेषताएं

i. भावात्मक असंतुलन एवं अस्थिरता।
ii. पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति।
iii. भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई।
iv. कई बार मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां यथा फिट्स, अवसाद आदि।

अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षणीय मानसिकता मंदता (Educable Mental Retardation) की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
2. मानसिक मंदता का नवीनतम वर्गीकरण आवश्यक सहायता पर आधारित है। (सत्य/असत्य)
3. अति गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है। (सत्य/असत्य)
4. प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
5. मानसिक मंदता का शैक्षणिक वर्गीकरण शैक्षणिक पूर्वापेक्षा पर आधारित है। (सत्य/असत्य)
6. गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से 35 होती है। (सत्य/असत्य)
7. देर से प्रतिक्रिया मानसिक मंदता का एक प्रमुख लक्षण है। (सत्य/असत्य)
8. मानसिक मंदता युक्त बालकों में कमजोर स्मृति की कोई समस्या नहीं होती।। (सत्य/असत्य
9. मानसिक मंदता युक्त बालकों की तार्किक क्षमता कम होती है। (सत्य/असत्य)
10. मानसिक मंदता वाले बालकों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। (सत्य/असत्य)

5.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता अनेकों कारणों से हो सकती है। गर्भाधान से लेकर विकासात्मक अवस्था (18 वर्ष) तक असंख्य ऐसे कारक हैं जो मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी है। स्क्रीनिंग का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति/बालक में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की संभावना दिखती है और तब उसके निदान हेतु आगे के परीक्षण किए जाते हैं यूँ तो मानसिक मंदता की पहचान हेतु बहुत सारे चिकित्सकीय उपकरण यथा अल्ट्रासोनोग्राफी, अमीनोसिनटेसिस, फीटोस्कोपी, इलेक्ट्रो कार्डियोंग्राम (ECG), इको-काडियोग्राम, मैग्नेटिक रेनोनेंस इमेंजिंग (MRI) आदि उपलब्ध है, परंतु वर्तमान इकाई में हम सिर्फ उन स्क्रीनिंग टूल का अध्ययन करेंगे जो बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन करके मानसिक मंदता की संभावनाओं और उनके निदान में अत्यंत सहयोगी है। पहचान (Identification) स्क्रीनिंग का परिणाम है। भारत में मानसिक मंदता की पहचान के लिए राष्ट्रीय

मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) सिकंदराबाद ने कई जाँच सूचियाँ बनाई है जिसके आधार पर मानसिक मंदता का आगे का परीक्षण, उसकी गंभीरता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जन्म के बाद से, पूरी विकासात्मक अवधि के दौरान, एक बालक एक निश्चित समय पर कुछ क्रियाएँ आरंभ कर देता है, जिन्हें विकास के मील के पत्थर कहते हैं। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारण के लिए आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक बच्चा विभिन्न मील वे पत्थर किस उम्र विशेष में सीख जाता है।

विकास के मील के पत्थर (**Developmental Milestones**)

विकास के सामान्य मील पत्थर

क्र.सं.	अवस्था	आयु
1.	किसी को देखकर मुस्कुराता है।	4 माह
2.	सिर सीधा रखता है।	4 माह
3.	मुँह में वस्तुएँ डालता है।	4 माह
4.	पेट के बल करवट लेकर आ जाता है	6 माह
5.	चीजें पकड़ने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है	7 माह
6.	अन्ना, अम्मा, दादा बोलता है।	7 माह
7.	सहारे के बिना बैठता है।	8 माह
8.	नाम बोलने पर समझता है	10 माह
9.	घुटनों के बल खिसकता है।	10 माह
10.	किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होता है।	10 माह
11.	अँगूठे और तर्जनी से वस्तु पकड़ता है।	10 माह
12.	सहारे के बिना खड़ा होता है।	10 माह
13.	अम्मा, अक्का, अत्ता को पहचान कर उन्हें बुलाता है।	15 माह
14.	सहारे के बिना चलता है।	15 माह
15.	अपना नाम बोलता है।	18 माह
16.	ग्लास से स्वयं पीता है।	21 माह

17.	नाम लेने पर शरीर के अंगों के बारे में बताता है	24 माह
18.	शौचादि की आवश्यकताओं को बताता है।	24 माह
19	छोट-छोटे वाक्य बोलता है।	30 माह
20.	कपड़ों के बटन खोल लेता है।	36 माह
21.	सीधे सादे प्रश्नों के अर्थपूर्ण मौखिक उत्तर देता है।	36 माह
22.	छोटे और बड़े में अन्तर करता है।	36 माह
23.	लड़के या लड़की को पहचानता है।	36 माह
24.	कपड़ों के बटन लगा लेता है।	40 माह
25.	बालों में कंघी कर लेता है।	48 माह

5.6 स्क्रीनिंग एवं पहचान टूल्स

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण विकासात्मक अनुसूची है। अधोलिखित जांच सूची राष्टीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग मानसिक मंदता के वर्तमान कार्यात्मक स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। यह 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के निर्धारण के लिए उपयोगी है।

निर्धारण जांच सूची

आयु वर्ग 0-6 माह

1. क्या बच्चा दूसरों को देखकर मुस्काराता है? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चा अपना सिर सीधे खड़ा रहता है जब पेट के बल लिटाया जा है। (हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चा ता-ता-ता, न, न, न जैसी ध्वनियां निकालता है? (हाँ /नहीं)
4. क्या बच्चा पेट के बल लुढ़क सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 7-12 माह

5. क्या नाम पुकारने पर बच्चा अनुक्रिया व्यक्त करता है? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चा बिना सहायता के बैठ सकता है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चा पेट के बल रेंगता है? (हाँ /नहीं)
8. क्या बच्चा किसी वस्तु को पकड़ कर खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)

9. क्या बच्चा अपने अंगूठे और तर्जनी से किसी वस्तु को उठा सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 1-2 वर्ष

10. क्या बच्चा बिना सहायता के खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)
11. क्या बच्चा अम्मा, अत्ता, टा-टा बोलता है? (हाँ /नहीं)
12. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के चल सकता है? (हाँ /नहीं)
13. क्या बच्चा स्वयं ही किसी गिलास या कप में से पेय पदार्थ पी सकता है? (हा/नहीं)
14. क्या बच्चा, जब कहा जाएँ तब, अपने शरीर के अंग दिखाता है? (हाँ /नहीं)
15. क्या वह याद दिलाए जाने पर अन्य व्यक्तियों का अभिवादन करता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 2-3 वर्ष

16. क्या बच्चा अपने दोनों पैरों से एक साथ कूद सकता है? (हाँ /नहीं)
17. क्या बच्चा सरल प्रष्नों का मौखिक उत्तर दे सकता है? (हाँ /नहीं)
18. क्या बच्चा पेंसिल सही ढंग से पकड़ सकता है? (हाँ /नहीं)
19. क्या बच्चा अपनी शौचादि संबंधी आवश्यक ताओं को बता सकता है? (हाँ /नहीं)
20. क्या बच्चा अपना नाम बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
21. क्या बच्चा 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
22. क्या बच्चा रंगों की पहचान कर सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 3-4 वर्ष

23. क्या बच्चा अपने दांतों पर ब्रश कर सकता है? (हाँ /नहीं)
24. क्या बच्चा अपने पहने हुए कपड़े उतार सकता है? (हाँ /नहीं)
25. क्या बच्चा वस्तुओं के उपयोग के आधार पर वस्तु को इंगित कर सकता है? (हाँ /नहीं)
26. क्या बच्चा स्वयं खाना खा सकता है? (हाँ /नहीं)
27. क्या बच्चा छोटी आकार की वस्तुओं में से बड़ी वस्तुओं की पहचान कर सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 4-5 वर्ष

28. क्या बच्चा गोल, सीधी या तिरछी लकीरें नकल करके खींच सकता है? (हाँ /नहीं)
29. क्या बच्चा अपने कपड़ों के बटन बंद कर सकता है? (हाँ /नहीं)
30. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने बालों में कंघी कर सकता है? (हाँ /नहीं)
31. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने चेहरा धो सकता है? (हाँ /नहीं)
32. क्या बच्चा नियतकालिक कार्य कर सकता है? (हाँ /नहीं)
33. क्या बच्चा 10 तक गिनती बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
34. क्या बच्चा वस्तु को दिखाने पर उसका रंग बता सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 5-6 वर्ष

35. क्या बच्चा दो असंबंधित अनुदेषों को समझ सकता है? (हाँ /नहीं)
36. क्या बच्चा सप्ताह के दिन के नाम अनुक्रम से बता सकता है? (हाँ /नहीं)
37. क्या बच्चा सरल शब्दों को समझ सकता है? (हाँ /नहीं)
38. क्या बच्चा 10 तक सही गिनती गिन सकता है? (हाँ /नहीं)
39. क्या बच्चा एक-एक पैर रखकर सीढ़ी चढ़ सकता है? (हाँ /नहीं)

यदि किसी बच्चो में 1-11 तक में दी गई मदों में से किसी एक मद का विलम्ब से होना पाया जाता है और यदि बच्चे को दौरे पड़ते हैं या शारीरिक असमर्थता है तो मानसिक रूप से मंद होने का संदेह हो सकता है।

जांच अनुसूची सं.1 (3 वर्ष से कम)

क्रम सं.	मद	सामान्य आयु वर्ग	अवस्था में विलम्ब यदि निम्न माह तक अपेक्षित कार्य न कर सके
1	नाम/आवाज लेकर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दिखाता है।	1-3 माह	चौथे माह
2	किसी को देखकर मुस्कराता है।	1-4 माह	छठे माह
3	धीरे-धीरे सिर को संभालता है।	2-6 माह	छठे माह
4	सहारे के बिना बैठता है।	5-10 माह	बारहवें माह
5	सहारे के बिना खड़ा होता है।	9-18 माह	अठारहवें
6	ठीक से चलता है।	10-20 माह	बीसवें माह
7	2-3 शब्दों के वाक्य बोलता है।	16-30 माह	तीसरे वर्ष
8	स्वयं खाता पीता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
9	अपना नाम बोलता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
10	शौचादि पर नियंत्रण रख सकता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष

11	साधारण खतरों से बचता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष
12	अन्य कारण दौरे पड़ते हैं।	हाँ	नहीं
13	शारीरिक असमर्थकता होती है।	हाँ	नहीं

जांच सूची सं.2 (3 से 6 वर्ष)

निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें।

1. दूसरे बच्चों की तुलना में क्या बच्चे ने बैठना, खड़ा होना या चलना अपेक्षाकृत अत्यधिक देर से शुरू किया? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चे को सुनने में कोई कठिनाई होती हुई दिखाई पड़ती है?(हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चे को देखने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)
4. जब आप बच्चे को कुछ करने के लिए कहते तो क्या उसे आपकी बात समझने में परेशानी होती है? (हाँ /नहीं)
5. क्या बच्चे के अंगों में कमजोरी और/या एंठन है और/या अपनी बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चे को कभी कभार दौरा पड़ता है? उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चे को अपनी आयु के अन्य बच्चों की तरह कुछ सीखने में कठिनाई आती है? (हाँ /नहीं)
8. क्या बच्चा कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है? (शब्दों में स्वयं समझ नहीं सकता/कोई स्पष्ट (सार्थक) शब्दों को बोल नहीं सकता) (हाँ /नहीं)
9. क्या बच्चे के बोलने का ढंग सामान्य बच्चों से किसी रूप में भिन्न है (अपने परिवार के सिवाय लोगों द्वारा कही गई बात को स्पष्ट समझ नहीं पाता है?) (हाँ /नहीं)
10. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा, उदासीन या मंदबुद्धि पड़ता है? (हाँ /नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी मद का उत्तर हाँ है तो मानसिक रूप में मंद का अनुमान लगाया जा सकता है।

जांच सूची3 (7 वर्ष और उससे अधिक)

1. क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना या चलना अत्यधिक देर से शुरू किया है? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चा खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने जैसे अपने काम नहीं कर सकता है? (हाँ /नहीं)

3. क्या बच्चे को समझने में कठिनाई होती है जब आप कहते हैं कि यह करो या वह करो? (हाँ /नहीं)
4. क्या बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं है? (हाँ /नहीं)
5. क्या बच्चे को पूछे बिना स्पष्ट करने में कठिनाई होती है जो कुछ भी उसने सुना या देखा हो? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चे के अंग कमजोर हैं और/या ऐंठन है और/या अपने बाजू को घुमान फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चे में कभी कभार दौरे पड़ते हैं, उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ /नहीं)
8. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ, उदासीन या मंदबुद्धि दिखाई पड़ता है? (हाँ /नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी भी एक मद का उत्तर हाँ हो तो मानसिक रूप से मंदन का संदेह करें।

टिप्पणी

जांच अनुसूची सं. 2 और 3 में ऐसे अधिकांश प्रश्न हैं जिनमें अधिक जानकारी शामिल है अर्थात् ऐसे बच्चों की पहचान की जा सकती है जिनमें शारीरिक मंदन न हों केवल श्रवण दोष या शारीरिक विकलांगता या मिरगी हो। इन दो जांच अनुसूचियों से प्रत्येक मानसिक रूप से मंद बच्चे की शीघ्र पहचान सुनिश्चित रूप से की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. बच्चा नाम पुकारे जाने पर 1-3 महीने में प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। (सत्य/असत्य)
2. बच्चा 2-3 वर्ष में अपना नाम बोलना आरंभ कर देता है। (सत्य/असत्य)
3. बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में शौचादि पर नियंत्रण करने लगता है। (सत्य/असत्य)
4. बच्चा 1 माह की आयु से सिर को संभालना शुरू कर देता है। (सत्य/असत्य)
5. 4 वर्ष वें एक बच्चे को कही गई बात समझने में कठिनाई होती है। बच्चे में मानसिक मंदता की संभावना है। (सत्य/असत्य)
6. बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ा दिखाई देता है। बच्चे में मानसिक मंदता की कोई संभावना नहीं है। (सत्य/असत्य)
7. बच्चा चौथे माह तक भी अपनी आवाज सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देना। उसमें मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)
8. बच्चा 18 माह तक बिना सहारे के नहीं बैठ पा रहा है। उसमें मानसिक मंदता की संभावना हो सकती है।(सत्य/असत्य)
9. पांच वर्ष के बच्चे की आवाज स्पष्ट नहीं है और कभी-कभी उग्र हो उठता है। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है।(सत्य/असत्य)

10. बच्चे ने विकास के मील के पत्थर देर से प्राप्त किए है। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)

5.7 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार एवं परीक्षण टूल्स

परीक्षण (Assessment)

साधारण शब्दों में परीक्षण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनायें एकत्रित करके अनका विश्लेषण करना।

वैलेस एवं लारेसन (1982) के अनुसार, 'परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित सूचनायें एकत्र करना, उन्हें संग्रहित करना एवं उनका विश्लेषण करना शामिल है ताकि उसके लिए शैक्षिक, निर्देश नात्मक, अथवा प्रषासनिक निर्णय लिये जा सकें।

उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर परीक्षण से संबंधित निम्नांकित तथ्य सामने आते है।

i. परीक्षण एक प्रक्रिया है।
ii. परीक्षण की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के बारे सूचनायें एकत्र करके, उसे संग्रहित करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है।
iii. सूचनाओं का विश्लेषण करके उन पर आधारित जानकारी का प्रयोग संदर्भित व्यक्ति से संबंधित शैक्षिणिक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय लिया जा सके।

वस्तुतः 'परीक्षण' एक विस्तृत पद है जिसमें विभिन्न प्रकार एवं माध्यमों से किसी व्यक्ति के बारे में सूचनायें एकत्र की जाती हैं। सूचनाऐं संग्रहित एकत्र करने की तकनीकों में निम्नांकित सम्मिलित है।

i. बच्चे का परोक्ष एवं प्रत्यक्ष जाँच।
ii. बच्चे के शिक्षक /अभिभावकों से साक्षात्कार।
iii. विभिन्न प्रकार की 'प्रक्षेप्य' (Projective) एवं और अप्रक्षेप्य परीक्षण।

मानसिक मंदता के परीक्षण का उद्देश्य **(Purpose of Assessment)**

सामान्यता मानसिक मंदता ध् बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में परीक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैरू

i. मानसिक मंदता की प्रारंभिक जाँच एवं पहचान।
ii. शैक्षणिक कार्यक्रम एवं रणनीतियों के पूर्वनिर्धारण हेतु।
iii. मानसिक मंदतायुक्त बालक के वर्तमान निष्पादन स्तर एवं शैक्षणिक आवश्यक ता का पूर्व निर्धारण।
iv. वर्गीकरण एवं शैक्षिक नियोजन के निर्धारण के लिए।
v. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के विकास के लिए।
vi. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) की प्रभाविता का सर्वाधिक मुल्यांकन करने के लिए।

परीक्षण के प्रकार (Types of Assessment)

परीक्षण विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते है यथा मानकीकरण (Standardization) के आधार पर मानकीकृत परीक्षण प्रकार हो सकते है। इसी प्रकार, यदि हम परीक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो उसके अनुवार परीक्षण के निम्नांकित प्रकार हो सकते है।

i. शैक्षिक परीक्षण।
ii. मनावैज्ञानिक परीक्षण।
iii. चिकित्सकीय परीक्षण।
iv. पाठ्यक्रम आधारित परीक्षण।
v. कार्यात्मक परीक्षण।

लेखक आपसे आशा करता है कि आप परीक्षण एवं परीक्षणों के प्रकार के बारे में अन्य इकाइयों में यथास्थान पढ़ चुके होंगे।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि परीक्षणः

i. बिने कीमत परीक्षण इंटलिजेंस डॉ.वी के भाटिया, 1955 इससें पाँच उप टेस्टः
ii. ब्लॉक डिजाइन टेस्ट
iii. एलेक्जेन्डर पास एलाग टेस्ट
iv. इमिडियेट मेंमरी टेस्ट
v. पिक्चर कंस्ट्रकशन टेस्ट

भारतीय परिप्रेक्ष्य में

i. VSMS: विनलैंड सोशल मैचुरिटि स्केल
ii. ABS: एडेप्टिव विहैविर स्केल

अभ्यास प्रश्न

1 मानसिक मंदता के परीक्षण का क्या उद्देश्य है ?

2 परिक्षण कितने प्रकार के होते हैं ?

3 भारत के परिपेक्ष्य में बुद्धि परिक्षण कौन –कौन हैं ?

5.8 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स

बौद्धिक अक्षमता/मानसिक मंदता युक्त बालकों के परीक्षण एवं उनके लिए कार्यक्रम बनाने के लिए यूं बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रायः निम्नांकित टूल प्रयोग में लाए जा रहे हैं:

i. MDPS: मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम
ii. FACP: फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग

iii. BASIC MR: विहैविरल असेसमेंट स्वेल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन विद मेंटल रिटार्डेशन

1. **मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम (MDPS)**- मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रो. पी. जयचंद्रन एवं वी. बिमला द्वारा 1968 में विकसित किया गया एक बहुतायत से प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण एवं कार्यक्रम विकास का टूल है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुल 360 आइटम हैं जो बच्चें के विकास के आरोही क्रम में रखे गए हैं। यह परीक्षण 18 क्षेत्रों (क्वउंपदे) में बांटा है और प्रत्येक क्षेत्र में20 आइटम रखे गए हैं प्रत्येक क्षेत्रों में सभी आइटमों को सरल से कठिन क्रियाओं की ओर सजाया गया है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम के अट्ठारह क्षेत्र निम्नलिखित है:

i. स्थूल गामक कौशल	
ii. सूक्ष्म गामक कौशल	गामक कौशल
iii. भोजन संबंधित क्रियायें	
iv. कपड़े पहनना	
v. सजना संवरना	स्व सहायता/व्यक्तिगत कौशल
vi. शौच क्रिया	
vii. ग्रहणशील भाषा	
viii. अभिव्यक्ति की भाषा	भाषा/संप्रेषण कौशल
ix. सामाजिक कौशल	
x. कार्यात्मक पठन	
xi. कार्यात्मक लेखन	
xii. संख्या संबंधित कौशल	कार्यात्मक शैक्षणिक क्रियायें
xiii. पैसा संबद्ध कौशल	
xiv. समय संबद्ध कौशल	
xv. घरेलू व्यवहार	
xvi. समुदायिक संपर्क	
xvii. मनोरंजनात्मक कौशल	मनोंरंजनात्मक क्रियायें
xviii. व्यावसायिक कौशल	

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की विशेषतायें

1. निरीक्षणीय एवं मापनीय शब्दों में लिखित।
2. अलग निर्मित 18 क्षेत्र जो बच्चे का वर्त्तमान स्तर निर्धारित करने में वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हैं।
3. सभी आइटम सकारात्मक आकलन करने के लिए सकारात्मक भाषा में लिखे गये हैं अर्थात् सभी आइटम में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चा कया और किस कठिनाई स्तर तक करता है। बच्चा क्या नहीं कर सकता इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

4. प्रत्येक क्षेत्र में समान संख्या में आइटम रखे गये हैं।
5. सभी आइटम सरलता से कठिन के क्रम में सजाये गये हैं।
6. वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित अंकन प्रणाली जो बच्चे के क्रमिक विकास का सरल वर्णन करता है।

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की सीमायें

1. यह टूल काफी पुराना हो चुका है, परंतु इसमें समानुकूल परिवर्तन नहीं आये हैं।
2. टूल की अंकन पद्धति सिमित है जो हाँ या ना पर आधारित है।
3. टूल का प्रयोग करने में।

अंकन प्रारूप (Progress Record)-मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में अंकन का एक प्रारूप होता है जिसमें बच्चे के निष्पादन का अन्तरालिक अंकन होता (1 तिमाही, 2 मिमाही या तिमाही) तथा इसे परिवार को तथा अन्य को बताया जा सकता है जो विद्यार्थी के शिक्षा से जुड़े हुए हैं। परीक्षण पर अगर विद्यार्थी क्रिया का निष्पादन नहीं करता है इसको 'A' अंकित करते हैं। स्केल में रंगीन कोड भरने की व्यवस्था भी है। जिसमें 'A' को नीला तथा 'B' को लाल से भरते हैं। प्रत्येक तिमाही में प्रगति के आधार पर लाल को नीले रंग से ढंका जा सकता हैं टूल में एकमेंनुअल है समूहीकरण तथा कार्यक्रम बनाने में सहायक होता है। यह विशेष शिक्षक के लिए अन्तरालिक परीक्षण तथा IEP कार्य योजना के लिए लाभप्रद है।

2. **फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (FACP) -**फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर फॉर प्रोग्रामिंग, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकदराबाद द्वारा विकसित एक कार्यक्रम निर्माण एवं असेसमेंट उपकरण है, जो मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के परीक्षण एवं कार्यक्रम निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह चेकलिस्ट सामान्यीकरण के सिद्धांत (Principle of Normalization) पर आधारित है। यह चेकलिस्ट मानसिक मंद बालकों (3-18 वर्ष) के लिए विशेष रूप से, निर्मित है जो उनकी योग्यता और उनकी आयु दोनों को ध्यान में रखते हुए, उनके विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाने का विकल्प प्रस्तुत करता है।

   एफ.ए.सी.पी. के अनुसार मानसिक मंदता युक्त बालकों वीक्षमता और उनकी उम्र के अनुरूप उनकी कक्षा का चयन: एफ.ए.सी.पी. कुल सात खण्डों में बंटा है प्रत्येक खण्ड बच्चे की आयु और योग्यता के अनुरूप उसे किसी एक कक्षा में नियोजित करने का सुझाव देते हैं। ये सात खण्ड और उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:

   प्रत्येक खण्डों को जांच क्षेत्रों में बांटा गया है। संदर्भित क्षेत्र हैं:

   1. व्यक्तिगत क्रियाएँ
   2. समाजिक क्रियाएँ
   3. शैक्षणिक क्रियाएँ

4. व्यावसायिक क्रियाएँ
5. मनोरंजनात्मक क्रियाएँ

जैसा कि आपने ऊपर देखा कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के सात खण्ड, निम्नांकित सात कक्षाओं में मानसिक मंद बालकों को उनकी योग्यता एवं आयु के अनुसार उन्हें नियोजित करता है।

i. पूर्व प्राथमिक: यह बच्चे का प्रवेष स्तर है, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चे रखते जाते हैं। इस चेकलिस्ट पर परीक्षण करके उपरोक्त आयुवर्ग के बच्चों का समूहीकरण किया जाता है।
ii. प्राथमिक स्तर: प्राथमिक स्तर दो भागों में बंटा है-प्राथमिक 1 एवं प्राथमिक 2

प्राथमिक-1:वे विद्यार्थी जो 80% पूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त कर लेते हैं उनको प्राथमिक-1 स्तर में उन्नति दी जाती है तथा विद्यार्थी जो इस स्तर में आते हैं उनकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है। कुछ विद्यार्थी पास होने का मापदण्ड प्राप्त करने के लिए एक वर्ष और इस स्तर में रह सकते हैं। (जैसे एक विद्यार्थी 7 वर्ष का है प्राथमिक जांच तालिक में मूल्यांकन करने पर 60% उपलब्धि की है वह उसी कक्षा में अधिक समय के लिए रह सकता है उसके बाद यह देखा जाएँगा कि वह होने वाला मानदण्ड प्राप्त करता है या नहीं/सफलता)

प्राथमिक-2: विद्यार्थी जो 8 वर्ष की आयु के बाद भी प्राथमिक स्तर की जांच तालिका में 80% प्राप्त नहीं करते हैं उनको प्राथमिक-2 में विस्थापित कर दिया जाता है। संभवत ये बच्चे अल्प कार्यात्मक योग्यता वाले होते हैं। इस समूह में 8-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं तथा इनको माध्यमिक स्तर में कक्षोन्नति दी जा सकती है यदि वे 14 वर्ष से पहले 80% अंक प्राप्त कर पाते हैं। अगर 15 वर्ष की आयु में भी 80% से कम हासिल करते हैं तब उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में स्थानांतरित किया जाता है।

माध्यमिक समूह: इस समूह में 11-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं। यह मिश्रित समूह है (जिसमें प्राथमिक-1 तथा 2 दोनों से बच्चे आते हैं) कक्षा में 80% उपलब्धि प्राप्त करने पर विद्यार्थी को पूर्व व्यवसायिक-1 में कक्षोन्नति दी जाती है तथा जो बच्चे 80% कम हासिल करते हैं उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में विस्थापित कर दिए जाते हैं।

पूर्व व्यवसायिक-1 तथा 2: दोनों ही समूहों में विद्यार्थी आयु 15-18 वर्ष के बीच होती हैं। प्रशिक्षण केंद्र बिंदु विद्यार्थियों को मूलभूत कार्य कौषलों तथा धरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना हैं। इस प्रकार जांच तालिका में आने वाले मुख्य विषय व्यवसायिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र है।

अभ्यास प्रश्न

1. मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है ?
2. फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग किस सिद्धांत पर आधारित है ?

5.8 आटिज्म से प्रभावित बालकों की विशेषता

आटिज्म एक प्रकार की जटिल मानसिक दशा अथवा विकासात्मक विकृत्ति है जिसके शिकार ढाई से तीन साल के बच्चे होते हैं इससे पीड़ित बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है साथ ही साथ उनका सामाजिक एवं भाषाई कौशल विकास नहीं हो पाता है. ऐसे बच्चे अपने हम उम्र के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है. आटिज्म से प्रभावित बालकों की विशेषताओं को निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है-

a. संचार से सम्बंधित समस्या

i. भाषा सीखने में देरी।
ii. किसी के द्वारा कोई प्रश्न करने पर उसी प्रश्न को दुहराना. जैसे कोई व्यक्ति बालक से प्रश्न करता है " तुम्हारा नाम क्या है" तो बालक भी उसी प्रश्न को दुहराता है, तुम्हारा नाम क्या है"।
iii. भाषा का अर्थ पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता है।
iv. किसी एक ही गीत, शब्द एवं कविता को बार-बार दुहराता रहता है ।
v. लगातार बातचीत करने में अक्षम होता है।

b. समाजीकरण में समस्या

i. ये बालक अकेले खेलने में ज्यादा आनंद महसूस करता है. अपने हमउम्र बालकों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता है ऐसे बालक या तो अपने से बड़े उम्र के बालकों के साथ दोस्ती करना पसंद करता है या अपने से कम उम्र के बालकों के साथ दोस्ती करता है.
ii. ये बालक किसी से आँख में आँख मिला (Eye Contact) कर बात नहीं करता
iii. ये बालक किसी से अपनी खुशी या दुःख नही बताता (share) है।
iv. दोस्त बनाने में कोई रूचि नहीं लेता है|

c. असामान्य व्यवहार

i. किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है|
ii. ऐसे बालकों को गतिशील वस्तु या घूर्णन करता हुआ वस्तु बहुत आकर्षित करता है|
iii. ये बालक बिना कोई कारण के कभी कभी मुस्कुराता रहता है या बहुत तनाव ग्रस्त हो जाता है|
iv. ऐसे बालक ठंढ, गर्मी या दर्द से कम संवेदनशील रहते हैं|
v. ऐसे बालक किसी आवाज से या तो कम संवेदनशील रहते हैं या तो बहुत अधिक संवेदनशील रहते हैं|

अभ्यास प्रश्न

1. आटिज्म बालक के संचार क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

2. आटिज्म बालक के समाजीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

5.9 आटिज्मसे प्रभावित बालकों का स्क्रीनिंग एवं पहचान

आटिज्म से प्रभावित बालकों का अक्षमता निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण विकासात्मक अनुसूची (M-CHAT) है। इसका प्रयोग 16 से 30 महीने तक की आयु के बच्चों के निर्धारण के लिए उपयोगी है।

1. क्या बालक इस उम्र में अपने घुटना पर उछालता कूदता है? – हाँ/नहीं
2. क्या बालक अपने हमउम्र के बालकों के साथ खेलने में रूचि लेता है ? – हाँ /नहीं
3. क्या बालक सीढ़ी का प्रयोग कर ऊपर चढ़ता है ? हाँ /नहीं
4. क्या बालक फोन से बात करने में बहाना बनता है ? हाँ/नहीं
5. क्या बालक किसी बस्तु को दिखने में प्रत्येक क्षण तर्जनी अंगुली का प्रयोग करता है ? हाँ/नहीं
6. क्या बालक अपनी रूचि की वस्तु को दिखने के लिए तर्जनी अँगुली का प्रयोग करता है ? हाँ/नहीं
7. क्या बालक किसी छोटे खिलौना से बिना गिराए या बिना मुँह लिए खेल पाता है ? हाँ/नहीं
8. क्या बालक किसी बस्तु को दिखाने के लिए उठा कर लता है ? हाँ/नहीं
9. क्या बालक किसी व्यक्ति के साथ आँख में आँख मिलाकर 2 से तीन सेकेण्ड तक बात कर पाता है? हाँ/नहीं
10. क्या बालक सामान्य आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहता है ? हाँ/नहीं
11. क्या बालक किसी को देख कर या मुस्कुराने पर मुस्कुराता है ? हाँ/ नहीं
12. क्या बालक किसी व्यक्ति का अनुकरण करता है ? हाँ/नहीं
13. क्या बालक नाम से बुलाने पर कोई उतर देता है ? हाँ/नहीं
14. क्या बालक घर में रखे किसी खिलौना को दिखाने पर उसको देख पाता है ? हाँ/नहीं
15. क्या बालक चल पाता है ? हाँ/ नहीं
16. क्या बालक अपने अँगुली से अपने चेहरा के सामने में असामान्य व्यवहार करता है ? हाँ/नहीं
17. क्या बालक अपने क्रिया कलाप द्वारा दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है ? हाँ/नहीं
18. क्या बालक किसी व्यक्ति निर्देश को उचित प्रकार से समझ पाता है ? हाँ/नहीं
19. क्या बालक बिना कोई बस्तु रहे गौर से देखता है या विना कोई कारण बहुत प्रसन्न होता है ? हाँ/नहीं

5.10 दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताएँ

सामान्य शब्दों में ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थता/दृष्टिबाधिता कहलाती है। दृष्टि की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आता है दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का मौजूद होना। इस क्षति के कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है।

दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

1. बार-बार आँखों का मलना।
2. आँखों से पानी आना।
3. आँखों में जलन रहना।
4. आँखे लाल रहना।
5. धुंधला दिखाई देना।
6. आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना।
7. आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना।
8. आँखों से कीचड निकलना।
9. श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पड़ने में कठिनाई महसूस करना।
10. श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना।
11. एक ही वस्तु के दो-दो रूप दिखाई पड़ना।
12. एक आँख मूंद कर चलना/ देखना।
13. चलते समय अन्य वस्तुओं से टकराना या लुढ़ते चलना।
14. पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आँख के नजदीक लाकर देखना।
15. जल्दी-जल्दी पलकें झपकाना।
16. आँख की पुतलियों को घुमाने में कठिनाई होना।
17. ऐंची दृष्टि से देखना।
18. पढ़ने के क्रम में अक्सर आँखें इधर-उधर घुमाना।
19. वर्ग में पठन-पाठन के समय सिरदर्द की शिकायत करना।
20. दूर रखी वस्तुओं को देखते समय सिर को आगे -पीछे घुमाना।
21. पढ़ते-लिखते वक्त त्योरियां चढ़ना।
22. आँख एवं हाथों के बीच उचित ताल-मेंल कमजोर होना।

5.11 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान

जन्म से दृष्टिहीनता की स्थिति सामान्यतः एक वर्ष की आयु के अन्दर ही पहचाना जा सकता है। यह माता-पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों के लिए स्वाभाविक होता है क्योंकि इस स्थिति में नवजात

शिशु उनकी तरफ देखता नही है या हिलती हुई वस्तुओं या अन्य वस्तुएं जो बच्चों को आकर्षित करती है उनके लिए वो किसी प्रकार की किसी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नही करता। बच्चे में अल्पदृष्टि या आंशिक दृष्टि की पहचान से पूर्णतः दृष्टि अभाव से कठिन होता है। प्रायः इन बच्चों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक कि ये विद्यालय जाना प्रारम्भ नहीं करते। कई बार इन बच्चों की दृष्टि सम्बन्धी समस्या की पहचान जब तक ये कक्षा 3 या कक्षा 4 में नहीं जाते, जब छापा के अक्षर तथा चित्र छोटे हो जाते हैं तब तक नहीं हो पाता।

दृष्टिबाधिता के औपचारिक पहचान के लिए नेत्र विशेषज्ञ (Ophthalmologist)की आवश्यकता होती है जो कि विविध परिक्षणों के माध्यम से पहचान करता है। जैसे स्नेलेन चार्ट डेनेवर आई परिक्षण इत्यादि प्रयोग में लाये जाते हैं। जोकि दृष्टितीक्ष्णता का मापन करते हैं। छोटे बच्चों तथा अनपढ़ लोगों के लिए (Snellen Illiterate) का प्रयोग होता है यह लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रयोग होना प्रारम्भ होता है। (Denver Eye Screen Test) उपकरण और अधिक छोटे बच्चों (6 माह तक की उम्र वाले) के नेत्र परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। छोटे बच्चों की नेत्र क्षमता के आंकलन में प्रमुख समस्या यह आती है कि दृष्टिबाधित बच्चों को यह पता नहीं होता कि देखने का तात्पर्य क्या है? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में वे नही जानते कि जो वह देख रहे है वे ठीक हैं या नही है तथा जो दूसरे सामान्य आँख वाले देख रहे हैं उससे भिन्न है या वैसा ही है। माता-पिता तथा प्रारम्भिक विद्यालयी जीवन के अध्यापक की भूमिका इनके शीघ्र पहचान में अति महत्त्वपूर्ण होती है।

माता-पिता तथा अध्यापक द्वारा अल्पदृष्टि वाले बच्चों या अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चों की पहचान इनके आँखों की वाह्य आकृति, आँखों के प्रयोग के साथ संलग्न शिकायते तथा उनके देखने सम्बन्धी व्यवहारों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। मात्र व्यवहार के आधार पर इनके पहचान सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया जा सकता। व्यवहार के साथ आँखों की वाह्य आकृति तथा उनकी दृष्टि सम्बन्धी शिकायतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अवशिष्ट अथवा शेष दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए Jangira, N.K., Ahuja,A., Sharma, I. (1992) ने एक चेकलिस्ट (Chicklist) तैयार किया है जो कि निम्नवत् है-

अवशिष्ट दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए जाँच आख्या

(Check List for Identifying School going children with remaining sight)

A. आँखो की वाह्य आकृति (Appearance of the eyes)

1. आँखों का सीधा नही दिखना विशेषकर जब बच्चा थका हुआ हो। हाँ/नहीं
2. आँखों या आँखों की पुतलियों का लाल होना। हाँ/नही
3. आँखों में पानी आना। हाँ/नही
4. बार-बार बिलनी/गुहेरियों (Sties) का होना। हाँ/नही

5. आँखो का स्थिर गति में होना (Eyes in constant motion) हाँ/नही
6. बार-बार आँखों को रगड़ना। हाँ/नही

B. आँखों के प्रयोग के साथ जुडी शिकायतें (Complaints associated with the use of eyes) सिरदर्द

1. उल्टी महसूस होना या आने की शिकायत। हाँ/नही
2. आँखों में जलन या खुजली। हाँ/नही
3. किसी भी सकय धुंधला दिखाई देना । हाँ/नही
4. शब्दों या पक्तियों का एक साथ चलना या एक साथ जुडना प्रतीत होना। हाँ/नही
5. नजदीक के कार्य के बाद आँखों में दर्द होना। हाँ/नही

C. दिखाई पडने वाला आचरण (Seeing Behaviour)

1. क्या पढ़ते समय बच्चे का शरीर..................... है। हाँ/नही
2. क्या बच्चा किताब या मेंज के नजदीक सिर रखता है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
3. क्या बच्चा भौंहें चढ़ाता (Frown) है
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
4. क्या बच्चा अत्यधिक पलकें झपकाता है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
5. क्या बच्चे का बार-बार मन नही लगता (Inattentive) /ध्यान हट जाता है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
6. क्या बच्चा अपने स्थान से भटक जाता है या लाइन खो जाती है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
7. क्या बच्चा पढने के दौरान आँखों के बजाय सिर या किताब को घुमाता है।
8. क्या बच्चा थक जाता है।
   i. (अ) लिखने के दौरान हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ने के दौरान हाँ/नही
9. क्या बच्चा पढ़ते समय अपनी ऊँगली का प्रयोग लाइन के ऊपर आँखों के निर्देश्न के लिए करता है। हाँ/नही
10. क्या बच्चा पढ़ते समय एक आँख बंद करता है या ढककर देखता है। हाँ/नही
11. 'क्या बच्चे को पुस्तक में समान वस्तुओं या आकृतियों को पहचानने में समस्या होती है। हाँ/नही

12. 'क्या बच्चे को पुस्तक में पाठ का शीर्षक या मोटी छपाई वाली पंक्तियों को पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ/नही
13. क्या बच्चा श्यामपट् से सुचनाएं लेने में असमर्थ है यदि अध्यापक लिखते समय बिना बोले लिखते हैं। हाँ/नही
14. क्या बच्चा श्यामपट् को स्पष्टता से देखने के लिए अध्यापक से अपने स्थान परिवर्तन के लिए निवेदन करता है। हाँ/नही
15. बच्चे का नाम अध्यापक या सहपाठियों द्वारा बुलाये जाने पर, उस दिशा की ओर देखता है। हाँ/नही
16. 'क्या बच्चा क़क्षा में खिड़की के पास बैठने से बचना चाहता है। हाँ/नही
17. 'क्या बच्चें को खेलने के दौरान अपने दोस्तों के स्थान पहचानने में समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ/नही
18. क्या बच्चा चमकीले प्रकाश में घुमने में संकोच करता है। हाँ/नही

निर्देश-यदि आप वाह्य आकृति तथा आँखों के प्रयोग के साथ जुडी हुई शिकायतों तथा ' चिन्ह लगे हुई ग्यारह व्यवहारों में किसी पाँच को एक साथ 'हाँ' में पाते हैं तो बच्चे को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके/उसकी दृष्टि के क्रियात्मक की औपचारिक आँकलन की आवश्यकता है।

(राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समाज द्वारा शंकर (2009) में उद्धृत) (National Society of the Prevention of Blindness) न चक्षुदोष से पीड़ित लोगों की व्यवहारिक पहचान के लिए एक सूची तैयार की है जो निम्नलिखित है-

i. ये बच्चे धुंधलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं और आंखों को बहुत अधिक रगड़ते हैं। इनकी भौंहें चढ़ी रहती हैं।
ii. ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय कठिनाई होती है तथा ऐसे कार्य करते समय इन्हें भी कठिनाई की अनुभूति होती है। इन्हें अच्छी तरह देखने की अवश्यकता होती है।
iii. ऐसे बच्चे एक आँख को ढक लेते हैं या बन्द कर लेते हैं, तथा नजदीक व दूर की वस्तुओं या पदार्थों को देखते समय या तो वे अपने सिर को झुका लेते हैं या आगे की ओर बढ़ा लेते हैं।
iv. ये बच्चे आँखों को मुलमुलाते (Blinks) रहते हैं। ये प्रायः चिल्लाते हैं और चिड़चिडापन भी रखते हैं, जब भी इन्हें कोई ऐसा कार्य भी करना पड़ता है, जिसमें अच्दी तरह देखने की आवश्यकता पड़ती है।
v. ये बच्चे अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों से ठोकर खाकर लड़खड़ा जाते हैं।
vi. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे किताब या छोटे पदार्थों को आँख के बहुत नजदीक लाकर पकड़ते हैं तथा देखने का प्रयास करते हैं।

vii. ऐसे बच्चे खेल-खेलने या उसमें भाग लेने में असमर्थ रहते हैं, जिन्हें कुछ दूर तक देखने की आवश्यकता होती है।

viii. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे तीव्र प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश के प्रति तीव्र संवेदशील रहते हैं।

ix. ऐसे बच्चे की पलके (Eye-Lids) लाल, उभरी हुई मोटी या फूली हुई होती है। इनकी आँखों से अक्सर पानी गिरता रहता है।

x. ऐसे बच्चे प्रायः यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ठीक से देखने में कठिनाई होती है। ये सिर दर्द या चक्कर का भी अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों के नजदीक, जब कोई कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें किसी वस्तु के दो चित्र (Bouble Vision) दिखायी देता है।

अभ्यास प्रश्न

1. दृष्टि बाधित बालकों के व्यवहार से सम्बंधित किन्ही पांच विशेषताओं को लिखें ?
2. 6 माह से कम के बालकों के लिए आँख जाँच के लिए कौन उपकरण प्रयोग में लाया जाता है ?

5.12 श्रवण अक्षम बालक की विशेषताएँ

i. **स्मृतिः-** भाषा विकास में समस्या उत्पन्न होती है साथ ही चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को प्लान बनाकर निर्देश दिया जाता है साथ ही चित्रों के माध्यम से याद कराया जाता है। ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से या लिखकर मार्गदर्शित करना चाहिए।

ii. **वार्तालाप में समस्याः-** शिक्षकों की बात समझने या उनसे वार्तालाप में तथा सहपाठियों से वार्तालाप में समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप हो। इन बच्चो को अधिक से अधिक सूचनाये तथा जानकारियाँ दृष्टि के माध्यम से देनी चाहिए तथा लिखित जानकारी देनी चाहिए। सहपाठियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों केा ज्यादा से ज्यादा ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रवण बाधित बोलने के लिए प्रेरित हो सके।

iii. **भाषा विकासः-** भाषा एवं वाणी विकास की योग्यता श्रवणबाधित बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित होती है। सघन एवं विस्तृत प्रशिक्षण की अनउपलब्धता की स्थिति में इनका भाषा विकास नहीं किया जा सकता। भाषा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि किस उम्र में श्रवण बाधिता आयी। वो बच्चें जो जन्म से ही पूरी तरह से श्रवण क्षति ग्रस्त होते है उनमें भाषा का विकास न के बराबर होता है। प्रभावशाली और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा में समस्या उत्पन्न होती है। शब्दकोष और भाषा संबंधी नियमों से देर से परिचित होते है। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में इस प्रकार के माहौल को बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा भाषा को सीखने का मौका मिले, शब्दकोष में बढोतरी हो तथा विचारों को व्यक्त कर सके।

iv. **शैक्षिक कमीः-** श्रवणबाधिता से ग्रसित बच्चें का विकास देर से होता है। वे पढ़ने, लिखने तथा गणितीय कौशल से देर से परिचित होते है। गणितीय जोड़, घटाव में परेशानी होती है। समस्या प्रधान सवालों को हल करने में दिक्कत होती है। स्वयं से अपने विचार व्यक्त करने में या लिखने में परेशानी

होती है। याद करने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समस्या प्रधान सवालों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए बढिया रणनीति बनानी चाहिए। लिखने के लिए ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढने के लिए जोर देना चाहिए।बच्चों को समूह में लिखने और पढने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक को भी ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करना चाहिए।

v. **सामाजिक व्यवहारों का आदान प्रदान:-** कक्षा में बच्चों के साथ जुड़ने में मेंल मिलाप में समस्या आती है। सहपाठी भी उन्हें अपने जैसा न पाकर उनसे जुड़ नहीं पाते। श्रवणबाधित व्यक्ति अपने मनोभावों को भी सही प्रकार से दर्शा नहीं पाता। इस प्रकार के बच्चों को सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। समूह में कार्य करने के लिए जोर देना चाहिए। साथ ही सहपाठियों को भी इन बच्चों को सहयोग देने तथा ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण रखने तथा स्वयं को व्यवस्थित रखने के तरीकों से परिचित कराना चाहिए।

i. **बौद्धिक योग्यता**:- सामान्यतः यह माना जाता है कि इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है परन्तु ऐसा नहीं है। इनकी बौद्धिक क्षमता भी सामान्य बच्चों जैसे ही बौद्धिक परीक्षणों में प्राप्तांकों में लगभग समान वितरण का प्रर्दशन करते है। यह जरूर है कि श्रवणबाधित बच्चों की उपलब्धि मौखिक बौद्धिक परीक्षणों की अपेक्षा अमौखिक बौद्धिक परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते है क्योंकि इसमें उनकी उपलब्धि भाषा से प्रभावित नहीं होती है।

अभ्यास प्रश्न

1. श्रवणबाधित बच्चों की सबसे प्रमुख समस्या________________ की है।
2. सामान्यतः श्रवणबाधित बच्चों की शैक्षिक________________ सामान्य से कम होती है।
3. श्रवण बाधित बच्चें ________________ बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा ________________ बुद्धि परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन करते है।
    i. ओर ध्यान देना।

5.13 श्रवणबाधिता की पहचान

श्रवणबाधिता की पहचान का महत्त्व

1. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से सही व्यवस्था की शुरूआत करने में आसानी होती है जिससे विकलांगता किस स्तर की है उसकी जानकारी होती है साथ ही उस विकलांगता को दूर करने या कम करने के उपाय खोजने में आसानी होती है।
2. शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप से भाषा के विकास के क्रान्तिक काल 0-3 वर्ष का सही उपयोग किया जा सकता है।
3. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से भाषा विकास में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। भाषा विकास में आने वाली बाधाओं को ज्ञात कर उन बाधाओं को दूर करना, साथ ही

विभिनन तरीकों को अपनाना जिससे भाषा विकास तेज हो सके तथा बोलने की, वर्तालाप करने की दक्षता विकसित हो सके।

4. यदि श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान हो जाती है जो ये वर्तालाप विकास या भाषा विकास में सहयोगी होती है जिससे व्यक्ति का सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है।
5. हमारे देश में हर साल 21 हजार बच्चे श्रवणबाधित पैदा होते हैं। श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से श्रवणबाधिता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी साथ ही इस विकलांगता पर हर साल खर्च होने वाले वित्तीय बोझ में भी कमी आयेगी।

श्रवणबाधिता की पहचान सामान्यतः माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवणबाधिता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं-

1. **कान की बाह्य आकृति के आधार पर -** बाह्य कान का जन्म से बना न होना। इसको 'एट्रीशिया' भी कहते हैं। बच्चे की कान की बनावट दोषपूर्ण होना। बच्चे के कान का बहने के आधार पर श्रवण बाधिता की पहचान किया जा सकता हैं।
2. **व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर -**
   i. कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना।
   ii. बहुत जोर से बोलना।
   iii. बात सुनते हुए आंखों पर समय से अधिक निर्भर होना।
   iv. बात करते समय वक्ता के चेहरे पर अधिक ध्यान देना।
   v. बात करते समय समझने में दिक्कत महसूस होना।
   vi. इशारों का अधिक प्रयोग करनाद्य
   vii. बोली अस्पष्ट होना।
   viii. बच्चे कम या बिल्कुल ही न बोल पाना ।
   ix. नाम पुकारने जाने पर उस ओर न मुड़ना।
   x. वर्तालाप करने में शर्म महसूस करना।
   xi. पीछे से आवाज देने पर मुड़कर न देखना।
   xii. टेलीवीजन या रेडियो की आवाज तेज करके सुनना।
   xiii. वर्तालाप के दौरान कही गई बात को दोहराने का अनुरोध करना।

अभ्यास प्रश्न

1. एट्रीशिया क्या है ?
2. श्रवण बाधित बालकों की पहचान का आधार क्या है ?
3. ब्यवहार के आधार पर श्रवण बाधित बालकों की पहचान कैसे किया जा सकता है ?

5.14 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएँ

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

i. संवाद सम्प्रेषण में कठिनाई महसूस होना।
ii. आवाज में मधुरता का आभाव होना।
iii. शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलना।
iv. बोलते वक्त अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ना, घटाना अथवा बदल देना।
v. बोलते-बोलते चुप हो जाना।
vi. बोली में लय और क्रम का अभाव होना।
vii. उच्चारण विकारग्रस्त होना।
viii. वाक्-प्रवाह विकार ग्रस्त होना।
ix. आवाज विकारग्रस्त होना।
x. हकलाहट का शिकार होना।
xi. श्रवण दोष पीड़ित होना।
xii. नाक से बोलना।
xiii. आवाज कर्कश होना।
xiv. फुसफुसाहट के साथ बोलना।
xv. बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझाने में असमर्थ होना।

5.15 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान

यह हमने जाना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के समुचित विकास से समाज के विकास को बल मिल सकता है। इन बच्चों का समाज में उनकी क्षमता के अनुरूप योगदान प्राप्त किया जा सके इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाय तथा उनके लिए विशेष शिक्षा तथा संवधन की व्यवस्था की जाय।

पहचान के संकेतक

कुछ बच्चे कम उम्र में ही उच्च क्षमता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसी एक व्यक्ति के स्तर की क्षमता स्थायी नहीं होती है, समय के साथ इनका विकास भी संभव है। किसी विशेष स्तर/स्टेज पर एक बच्चे द्वारा प्रदर्शित उच्च क्षमता दूसरे बच्चे द्वारा अलग स्तर/स्टेज पर पदर्शित हो सकती है। शिक्षक तथा माता-पिता द्वारा किया गया अवलोकन और अनौपचारिक आकलन विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों के मामले में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च क्षमता सम्बन्धी विशेषता किसी भी उम्र में प्रदर्शित हो सकती है।कुछ सुविधाएँ और अभिवृति विकास के चरण मेंपहचान के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकतीं हैं। निम्नांकित सूची विद्यालय में प्रदर्शित किये जाने वाले संकेत (छात्रों की जरूरतों के कुछ उदाहरण) को

बताती हैं, जिससे प्रतिभावान बच्चे की पहचान में सहायता मिल सकती है। यह समझाना जरुरी है कि ये संकेत मात्र है, निश्चित साधन नहीं हैं।

प्रारंभिक वर्षों में	प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर
जल्दबाजी या मेंधा	प्रक्रिया को पूरा करने में कम चरणों की आवश्यकता	प्रश्न नियम / अधिकार
अनियमित विकास	तेज गति से कार्य करने में आनंद	गैर-अनुरूपता
ज्यादा कठिन या आसन कार्य को पार पाना	अल्प अनुदेशन की आवश्यकता	उच्च क्षमता/निम्न अभिप्रेरण
खुद के विस्तारित कार्य को स्वयं करने की इच्छा	स्वतंत्र अध्ययन के प्रति रुझान	न्याय की गहरी समझ की इच्छा
रचनात्मकता का प्रदर्शन	अमूर्त क्रियाओं का निष्पादन	विस्तारित चिंतन
आसानी से बोर	अप्रतिबंधित स्थिति को पसंद करना	वाक्-पटुतामें माहिर
अच्छा मौखिक तर्क शक्ति	विफलता सिखाने की जरुरत	बढ़ता आत्मविश्वास
जल्दी से सिखने के बजाय संवर्धन पर बल	अनेक रचनात्मक मौकों का प्रतिवादी	रूचि के लिए आजीवन उत्साह का विकास
उम्र से अधिक सोच का प्रदर्शन	कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता	बौधिक उत्सुकता स्टैंड्स आउट
भावनात्मक समझ का शैक्षणिक कार्य से पीछे होना	सहायक वातावरण में आत्मसम्मान को विकसित करने की जरूरत	एकाग्रता व् सहनशीलता की असाधारण शक्ति
समझ और प्रावधान की पहचान	बौद्धिक स्तर कैसा भी हो वास्तविक उम्र का याद रहना	समान क्षमता के छात्रो के साथ काम करने की जरूरत (स्कूल या बहार)

5.16 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके

प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए विधिवत अवलोकन तथा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख तरीके निम्नांकित हैं, जिससे हम प्रतिभाशाली बच्चों के योग्यताओं की पहचान कर सकते है:

a) शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा नाम-निर्देशन/ शिक्षक निर्णय
b) सहकर्मी नामांकन/सहपाठी निर्णय
c) उपलब्धि परीक्षण/पाठ्यक्रम की क्षमता
d) जाँच सूची
e) बच्चों के काम का आकलन
f) पैतृक जानकारी
g) बच्चों का युवा/लोगों के साथ चर्चाएँ
h) विधिवत अवलोकन
i) बुद्धि परीक्षण
j) विशिष्ट योग्यता परीक्षण
k) व्यक्तित्व परीक्षण
l) रूचि परिक्षण

5.17 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें

- बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने के क्रम में शिक्षकों या पेशेवरों को किसी एक कारक के बजाय प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए।
- व्यक्तिगत आकलन और पर्यवेक्षण सामान्यतः उस समय विशेष में बच्चे की स्थिति को बताती हैं जबकि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए लम्बे समय में तथ्यों को संग्रह करने की आवश्यकता होती है।
- यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन जब हम चाहें तब कर ही दें।
- प्रतिभाशाली बच्चों में भी विकलांगता हो सकती है। इसलिए प्रतिभा को शारीरिक या मानसिक क्षमता से अलग कर के देखा जाना चाहिए।
- शिक्षकों तथा पेशेवर कर्मी में निहित सांस्कृतिक और अन्य पूर्वाग्रह बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने की क्रिया में बाधक हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में बच्चों को उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने से हतोत्साहित किया जा सकता है।

- प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान मुश्किल हो जाती है जहाँ उनके द्वारा प्रदर्शित लक्षण सूक्ष्म या गौण होते हैं। ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सभी युवा प्रतिभाशाली बच्चे पठन क्रिया या गणित में अच्छे हों।
- युवा प्रतिभाशाली बच्चों को उनके प्रतिभाशाली क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर या समर्थन की कमी भी पहचान में बाधक हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बच्चे सामायतः आलसी होते हैं. (सही/गलत)
2. प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान करते समय किसी एक कारक से भी उसकी पहचान पक्की हो जाती है. (सही/गलत)
3. यह आवश्यक नहीं कि हर प्रतिभाशाली बच्चा गणित में निपुण हो. (सही/गलत)
4. बुद्धि परीक्षण भी प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान का एक साधन है. (सही/गलत)

5.17 प्रतिभाशालीबच्चों की विशेषताएँ

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस क्रम में यह अति आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बच्चों विशेषताओं को जाना जाय। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:

- इनमें मानसिक क्रियाओं (जैसे अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण, कल्पना, तर्क, चिन्तन, निर्णय व स्मरण करने) की योग्यता अधिक तीव्र होती है।
- ये बहुत चौकस तथा अत्यंत जिज्ञासु होते है।
- इनमें लम्बी ध्यान अवधि की क्षमता होती है।
- ये बढ़िया तर्क कौशल में निपुण होते है।
- अमूर्तअवधारणाऔर संश्लेषण की शक्तियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं।
- ये जल्दी और आसानी से विचारों, वस्तुओं या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
- व्यापक और मूल सोच के साथ-साथ धाराप्रवाह व् लचीला सोच का विद्धमान होना।
- समस्या को सुलझाने का कौशल काफी विकसित होता है।
- जल्दी और कम अभ्यास या दोहराव के साथ सीखते हैं।
- असामान्य और/या उज्ज्वल कल्पना का होना।
- ये कठिन विषयों में अधिक रूचि लेते हैं।
- इनकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास तीव्र गति से होता है।

- इनका शब्द भण्डार अधिक व्यापक होता हैं।
- इनकी विद्यालयी उपलब्धि अधिक हो सकती है।

उपरोक्त वर्णित विशेषताएँ प्रतिभाशाली बालकों की सामूहिक विशेषताएँ हैं। यह बिलकुल आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक में ये सभी विशेषताएँ पायी ही जाएं।परन्तु यह कहा जा सकता है कि किसी प्रतिभाशाली बालक में इनमें से अधिकतर विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बच्चे मानसिक क्रियाओं की योग्यता _________ होती है।
2. प्रतिभाशाली बच्चे _________ से विचारों, वस्तुओं, या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
3. समस्या को सुलझाने का कौशल प्रतिभाशालीबच्चों में _________ होता है।

5.18 चलन नि:शक्त बालकों का स्क्रीनिंग एवं पहचान

चलन नि:शक्त बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियाँ (Bones), जोड़ (Joints) और मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं. ऐसे बालकों को सामान्यत: अस्थि विकलांग या शारीरिक विकलांग बालक भी कहा जाता है. ऐसे बालकों को चलने फिरने के लिए कृत्रिम हाथ पैर अथवा बैशाखी, कैलीपर्स, विशेष जूते व्हील चेयर अन्य सहायक उपकरणों की जरुरत होती है.यह एक ऐसी विकलांगता होती है जिसको पहचान करने के लिए कोई उपकरण या प्रश्नावली की जरुरत नहीं होती है. इस विकलांगता को ऑब्जरवेशन (निरिक्षण) के द्वारा पहचान किया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति में निम्न विशेषताएँ पाई जाती है तो उस व्यक्ति को चलन नि:शक्त व्यक्तियों के श्रेणी में रखा जा सकता है–

1. गर्दन, हाथ, पैर, अँगुली, कमर इत्यादि में जन्मजात या जन्म के बाद होने बाले विकृति।
2. चलने, बैठने और खड़ा होने में कठिनाई|
3. किसी बस्तु को उठाने, उठा कर कुछ देर यथा स्थिति बनाये रखने में कठिनाई|
4. शरीर के किसी भाग को गतिशीलता लाने या प्रयोग करने में कठिनाई|
5. कलम से लिखने या उठाने में कठिनाई|
6. चलने के लिए छड़ी का प्रयोग करता हो|
7. चलते समय झटका महसूस होना|
8. शारीरिक समायोजन की कमी|
9. शरीर में कपकपाहट
10. जोड़ का दर्द|
11. शरीर का कोई भाग कट जाना|

5.20 सारांश

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमें इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं।

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में महत्त्वपूर्ण कमी से है जो बालक में जीवन पर्यंत पाया जाता हे। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है परंतु अधिकांष बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। मानसिक मंद बालक सामान्य बालक से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विशेषताओं में अलग दिखाई देता है|

परीक्षण विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते है यथा मानकीकरण (Standardization) के आधार पर मानकीकृत परीक्षण प्रकार हो सकते है। इसी प्रकार, यदि हम परीक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो उसके अनुवार परीक्षण के निम्नांकित प्रकार हो सकते है।

i. शैक्षिक परीक्षण
ii. मनावैज्ञानिक परीक्षण
iii. चिकित्सकीय परीक्षण
iv. पाठ्यक्रम आधारित परीक्षण
v. कार्यात्मक परीक्षण

आटिज्म एक प्रकार की जटिल मानसिक दशा अथवा विकासात्मक विकृत्ति है जिसके शिकार ढाई से तीन साल के बच्चे होते हैं इससे पीड़ित बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है साथ ही साथ उनका सामाजिक एवं भाषाई कौशल विकास नहीं हो पाता है| ऐसे बच्चे अपने हम उम्र के बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है|

सामान्य शब्दों में ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थता/दृष्टिबाधिता कहलाती है। दृष्टि की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आता है दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का मौजूद होना। इस क्षति के कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है। इन बालकों की भी अनेक विशेषताएँ पाई

जाती है| एवं इनकी पहचान तीन रूपों से की जा सकती है- आँख की बाह्यआकृति, आँख के प्रयोग से सम्बंधित शिकायत, बालक के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार से|

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस क्रम में यह अति आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बच्चों विशेषताओं को जाना जाय। प्रतिभाशाली बालकों की कई विशेषता देखने को मिलता है जैसे ये बालक किसी समस्या को जल्दी समाधान, नए वातावरण में समायोजन इत्यादि इनकी विशेषताएँ होती है|

चलन नि:शक्त बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियाँ (Bones), जोड़ (Joints) और मांसपेशियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं| ऐसे बालकों को सामान्यत: अस्थि विकलांग या शारीरिक विकलांग बालक भी कहा जाता है| ऐसे बालकों को चलने फिरने के लिए कृत्रिम हाथ पैर अथवा बैशाखी, कैलीपर्स, विशेष जूते, व्हील चेयर अन्य सहायक उपकरणों की जरुरत होती है|

5.21 शब्दावली

- **मानसिक मन्दता**- मानसिक मन्दता का तात्पर्य महत्त्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत से है जिसके परिणाम स्वरुप/ जिसके साथ-साथ अनुकुलानी व्यवहार में कमी पाई जाती है और इसका प्रारंभ विकासात्मक अवस्था में होता है|
- **सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया**- से तात्पर्य विकसित और क्षेत्र/देश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाये गए मानकीकृत सामान्य बौद्धिक परिक्षण किये जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है|
- **अनुकूली व्यवहार** – वह स्तर है जिसपर कोई विशेष आत्म-निर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है|
- **शैक्षिक स्थापन**- उपलब्ध विकल्पों का सही चुनाव कर उन्हें उस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित करना है|
- **अवशिष्ट**- शेष बची हुई|
- **संज्ञानात्मक-** ज्ञानार्जन की मानसिक क्रिया या प्रक्रिया तथा ज्ञानेन्द्रियों, अनुभवों तथा विचारों के माध्यम से समझ|

5.22 अभ्यास प्रश्न

1. मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए उसके पहचान प्रक्रिया का वर्णन करें?
2. परिक्षण के उद्देश्य एवं मानसिक मंद बालकों के लिए परिक्षण टूल्स के प्रकारों का वर्णन करें

3 . आटिज्म से आप क्या समझते हैं ? आटिज्म से प्रभावित बालकों की विशेषता एवं इन बालको की पहचान प्रक्रिया का वर्णन करें ?
4 . दृष्टि बाधित बालक कौन होता है ? इनके विशेषताओं का वर्णन करें साथ ही पहचान प्रक्रिया का वर्णन करें ?
5 . श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिये| श्रवण बाधित बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें ?
6. प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए उसके पहचान प्रक्रिया का वर्णन करें?

5.23 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
- भार्गव एम.(2००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
- Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
- Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
- A guidebook for Teachers' on how to implement inclusive education in the regular class (1999). Beyond Toknism, National Trust Act.
- Mangal S. K. (2009), Educating Exeptional Children An Introduction to Special Education, New Delhi, PHI Learning Private Limited.
- Schwartz, I.S. and Allen, K.E. (1996), The Exeptional Child Inclusion in Early Childhood Education (3rd Edition), Demar Publishers.
- Tuttle & Tuttle, N (1996), Self Estern And Adjusting With Blindness (2nd Ed.) Springfield, IL: Charles-C Thomas.
- एस. के मंगल, (2007), विशिष्ट बालक, PHI पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
- Source: http://rehabcouncil.nic.in/pdf/idnt_ass_dis.pdf)
- http://www.dbpeds.org/media/mchat)

इकाई -6

विशेष शैक्षिक जरूरतों को संबोधित

(Addressing Special Educational Needs)

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 विशिष्ट शिक्षा का अर्थ
6.4 विशिष्ट शिक्षा का विकास
6.5 विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र
6.6 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
6.7 विशिष्ट शिक्षा के लाभ
6.8 विशिष्ट शिक्षा से हानि
6.9 एकीकृत शिक्षा का अर्थ
6.10 एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ
6.11 एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति
6.12 एकीकृत शिक्षा के प्रारूप
6.13 एकीकृत शिक्षा का लाभ
6.14 एकीकृत शिक्षा का हानि
6.15 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा
6.16 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
6.17 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त
6.18 शिक्षा में समावेशन के संघटक
6.19 समावेशित शिक्षा के लाभ
6.20 समावेशित शिक्षा से होने वाली हानि
6.21 समावेशी सूचकांक
6.22 सोपानी व्यवस्था (Cascade System)

6.23 सारांश

6.24 शब्दावली

6.25 अभ्यास प्रश्न

6.26 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशेष आवशयकता वाले बालकों की शिक्षा के लिए कई मॉडलों का प्रयोग किया जाता रहा है| प्रारंभ में ऐसे बालकों की शिक्षा विशेष शिक्षा के अन्तर्गत दी जाती थी| विशेष शिक्षा के बाद ऐसे बालकों के शिक्षा के लिए समेंकित (एकीकृत) शिक्षा का प्रयोग किया जाने लगा| वर्तमान समय में ऐसे बालकों के के शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा का प्रयोग ज्यादा उचित प्रतीत होता है|

प्रस्तुत इकाई में आप विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, विकास, लाभ, हानि, एकीकृत शिक्षा का अर्थ, विकास, प्रकृति, लाभ, हानि, समावेशित शिक्षा का अर्थ, सिद्धांत, लाभ, हानि का अध्ययन करेंगे|

6.2. उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप –

- विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे।
- विशिष्ट शिक्षा के विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे ।
- विशिष्ट शिक्षा के विकास का वर्णन कर सकेंगे ।
- विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे।
- विशिष्ट शिक्षा के लाभों का वर्णन कर सकेंगे ।
- विशिष्ट शिक्षा से होने वाले हानियों का वर्णन कर सकेंगे ।
- विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकताओं का वर्णन कर सकेंगे ।
- एकीकृत शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे।
- एकीकृत शिक्षा के प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे ।
- एकीकृत शिक्षा के प्रारूप का वर्णन कर सकेंगे ।
- एकीकृत शिक्षा से होने वाले लाभों का वर्णन कर सकेंगे ।
- एकीकृत शिक्षा से होने वाले हानियों का वर्णन कर सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा के सिद्धांतो का वर्णन कर सकेंगे।

- समावेशित शिक्षा से होने वाले लाभों का वर्णन कर सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा से होने वाले हानियों का वर्णन कर सकेंगे।

6.3. विशिष्ट शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा (Special Education) शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक और समाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक (Children with special needs) भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते। अत: इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए, विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अत: कहा जा सकता है कि "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।" अत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा की विशिष्ट शिक्षा कहते हैं।

परिभाषाएँ (Definitions)

विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध विशिष्टबालकों के शिक्षा एवं उनके समस्याओं से है। इस तरह कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बालकों के शिक्षा से संबंध समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ शिक्षाशास्त्रियों द्वारा विशिष्ट शिक्षा की दी गई परिभाषाओं को इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं-

किर्क के अनुसार (1962):- " **'विशिष्ट शिक्षा'** शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चोंके लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता।"

हल्लहन और कॉफमैन के अनुसार:- "विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किये गये साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।"

विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार:- "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें वर्ग कक्ष अनुदेशन गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल है"

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें विशेष शिक्षा (विशिष्ट शिक्षा) का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं:-

1. विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों जैसे- दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है।
2. विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे- ब्रेल, एवेकस, Sign Language, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।
4. यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है न कि सामान्य बालकों के लिए।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित कीजिये ।

6.4. विशिष्ट शिक्षा का विकास

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य-

i. पश्चमी देशों में प्राग एतिहासिक काल में विकलांग बच्चों को जन्म के समय अथवा शैशववस्था में मार दिया जाता था । इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12 वी शताब्दी में सबसे पहले विशिष्ट बालकों के लिए कानून का निर्माण किया था ।
ii. सोलहवीं शताब्दी के प्रारंम्भ में पश्चमी देशों में बधिरों के नियमित शिक्षक प्रशिक्षण के जरिये विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई ।
iii. 1555 ई० में स्पेन के महात्मा पेड्रो पाँस डी लियोन ने पहली बार श्रवण वधितों के लिए शिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए ।
iv. पैब्लो बोनेट ने वर्ष 1620 ई० में बधिरों के शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होने हस्त मैनुअल अल्फबेट का विकास किया ।
v. 1680 ई० में जार्ज डालगार्णो ने ' मूक और बधिर लोगों के अध्यापक' नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होने बधिरों की शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला गया ।
vi. थॉमस ब्रेड बूड ने 1767 ई० में श्रवण वाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में की ।
vii. दृष्टि बधितों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की शुरुआत वेलेंटाएन हौवे के द्वारा फ्रांसमें किया गया ।

viii. फ्रांसीसी चिकित्सक जिन मार्क इटार्ड ने 1800 ई० में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा की शुरुआत की।

ix. 1975 ई० में अमेरिका में 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम' या लोक कानून पास हुआ। इस अधिनियम के तहत तीन से इक्कीस वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं युवाओं को नि: शुल्क समान एवं समुचित शिक्षा मुहैया करना अनिवार्य कर दिया।

x. 1990 ई० में इंडिभिजुअल्स विथ डिसएविलिटीज एड्युकेशन एक्ट (IDEA) अमेरिका में बना।

भारतीय परिपेक्ष्य

संवैधानिक प्रावधान –

i. अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।

ii. अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है।

iii. अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि राज्य कानूनन निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

कोठारी आयोग

i. कोठारी आयोग के अनुसार एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों कि आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए उसे तैयार करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों कि शिक्षा सामान्य प्रणाली का ही एक अविच्छिन अंग हो। अंतर केवल बच्चे को पढ़ने कि विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा।

ii. कोठारी आयोग कि अनुशंसा के आधार पर 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया।

iii. 1975 ई० में कल्याण मंत्रालय नें "विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना " कि शुरुआत की।

iv. वर्ष 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आई०ई० डी० सी० योजना में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के नि: शक्त युवाओं को शामिल करके " नि:शक्त बच्चों और युवाओं के लिए समवेशी शिक्षा " योजना का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाय।" इस नीति के तहत विकलांग बच्चों कि शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गए।

1. जहां तक भी व्यावहारिक है कर्मेन्द्रिय दोषों और मामूली नि:शक्तता ग्रस्त बच्चों कि शिक्षा दूसरे बच्चों के साथ होगी।

2. गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जहां तक संभव हो, जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों से युक्त विशेष विद्यालयों कि व्यवस्था कि जाय।
3. गंभीर बच्चों की विशेष कठिनाइयों का सामना करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्य क्रमों को नई दिशा दी जाएँगी।

सर्व शिक्षा अभियान

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में किया गयाथा । सर्वशिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सर्वजनिकरण की केंद्र प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा,शतप्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर प्राप्त करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय,'बैक टू स्कूल' शिविर आदि उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा था।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 (Person with Disability Act, 1995)- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय – 5 में विकलांग बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है । इस अधिनियम के धारा (क) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बालकों को 18 वर्ष कि आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। वे विकलांग बालकों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे। उसके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा कि आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिनसे देश के किसी भाग में रह रहे विकलांग बालकों की ऐसी विद्यालयों में पहुँच हो।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999)- (National Trust Act- 1999)- राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य विकलांग व्यतियों के परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को परिवार में रख सकें। न्यास विकलांग व्यक्तियों और उसके परिवारों को राहत एवं कई अन्य तरह के सेवाएँ प्रदान करती है। ये सेवाएँ संस्थानिक देख रेख एवं घरों के जरिये मुहैया कराई जाती है।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकास का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में करें।
2. भारतीय परिपेक्ष्य में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकासों का वर्णन करें।

6.5 विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र

विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तिव से संबंधित विभिन्नसमस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंर्तगत विशिष्ट बालकों के पहचान उनकी शिक्षा,

निर्देशन, निदान उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया जाता है।

1. **पहचान (Identification):-** विशिष्ट बालकों की पहचान करना विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विषयवस्तु है। इसके अन्तर्गत दृष्टिवाधित श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, बुद्धिमान बालकों की पहचान इनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यद्यपि इन बालकों को पहचान करने के लिए अलग-अलग तरह के यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टि बाधित बालकों को पहचान करने के लिए स्नैलेन चार्ट, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियोमीटर, मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है।
   दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा:- दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक भी दो प्रकार के होते हैं- पूर्ण दृष्टिबाधित एवं अलप दृष्टि वाले बालक। विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएॅ जैसे- ब्रेल, एवेकस, ट्रेलर फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के बारे में अध्ययन किया जाता है।
2. **श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा:-** विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक शाखा के जिसके अन्तर्गत श्रवण बाधित बालकों की पहचान, उनके प्रकार, शिक्षा, शिक्षा की विधि श्रवण

बाधिता के कारण उसके परिणाम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनके शिक्षण विधि में ओष्ठ पठन फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग आदि प्रमुख है। विशेष शिक्षा के अन्तर्गत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।

3. **मानसिक मंद बालकों की शिक्षा:-** मानसिक रूप से मंद बालक एक विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। इसके अन्तर्गत वे बालक आते हैं जिनको बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक बाधिता के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इन बालकों की पहचान, मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंद बालकों के प्रकार, उनकी शिक्षा एवं ऐसे बालकों की समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट शिक्षा में किया जाता है।
4. **अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा:-** अधिगम अक्षम वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि अन्य सामान्य बालकों के समान होती है। लेकिन ऐसे बालकों को पढ़ने-लिखने, गणितीय क्रियाओं में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से अलग होता है। विशिष्ट शिक्षा के अन्तर्गत ऐसे बालकों की समस्या एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।
5. **बहुविकलांग बालकों की शिक्षा:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा वैसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बहुविकलांग होते हैं। बहुविकलांग वैसे बालक होते हैं, जो एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियाँ होती है।
6. **व्यवहार का अध्ययन:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के आधार पर इनके शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है।
7. **व्यक्तित्व विकास का अध्ययन:-** इसके अन्तर्गत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिव विकास की प्रक्रिया, निर्धारक एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन किया जाता है।
8. **मापन एवं मूल्यांकन:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोड़ डालते हैं। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरूचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप किया जाय तथा उसकी उपलब्धियों का सही-सही मूल्यांकन किया जाय। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल डाला जाता है, ताकि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद हो सके।
9. **निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य:-** विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है। विशिष्ट बालकों को निर्देशन तीन स्तर पर दिये जाते हैं- वैयक्तिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। विशिष्ट शिक्षक इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार

अनुकूलन समायोजन में मदद करता है। इतना ही नहीं विशिष्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षक विशिष्ट बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं।

10. **सीखने की परिस्थिति:-** मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की परिस्थिति बालकों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करता है। इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति (Attitude), वर्ग या कक्षा की परिस्थिति, विद्यालय की सांवेगिक आवोहवा आदि को महत्त्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। जब सीखने की परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बालकों की मनोवृत्ति अनुकूल होती है, वर्ग में विशिष्ट बालकों को बैठने की आरामदेह जगह होती है, कमरा साफ सुथरा होता है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी होती है, व विद्यालय में अधिक कोलाहल नहीं होता है तो शिक्षा अधिक लाभप्रद एवं अर्थपूर्ण होती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में इस तथ्य का भी पता लगाना है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है।
11. **उपचार:-** विशिष्ट बालकों को समय-समय पर अनेक तरह के स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों में ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, हियरिंग एवं इयर मोल्ड टैक्नीशियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैविलिटेशन साइकोलाजिस्ट हैं । इन सभी विशेषज्ञों का कार्य विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
12. **पुनर्वास:-** विशिष्ट शिक्षा का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक, व्यावसायिक, मानसिक रूप से पुनर्वासित करना है। पुनर्वास से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, सांवेगिक, बौद्धिक, मनोचिकित्सकीय अथवा समाजिक क्षेत्र में जिसमें भी सम्बद्ध विकलांगता के कारण, व्यक्ति विकलांगता के कारण पिछड़ा हो तो पुनर्वास प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम स्तर को प्राप्त कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का वर्णन करें।

6.8. विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Needs of Special Education)

i. विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक के ही तरह इन बालकों के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।
ii. यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है।
iii. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है।

iv. विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।

v. विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है। इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन करते हैं।

vi. जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

vii. प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपने गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है ऐसी परिस्थिति में इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है जिससे प्रतिभाशाली बालकों को उचित दिशा निर्देशन दिया जाय।

viii. विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों के अपेक्षा संवेदनशील होता है। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

ix. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्थि चिकित्सक तथा शिक्षाविद् विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक है।

x. विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे- अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण समय-समय पर आवश्यक होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवायें अति आवश्यक है।

xi. अत: विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा क्यों आवश्यक है? वर्णन करें।

6.9. विशिष्ट शिक्षा के लाभ

i. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है।
ii. विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।
iii. विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालकों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है।
iv. इसमें बालकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
v. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपने गति से आगे बढ़ता है इसलिए उनका आत्म विश्वास काफी ऊँचा रहता है।
vi. विशिष्ट विद्यालय की भौतिक वातावरण इन बच्चों के आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है जिससे इनको कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
vii. विशिष्ट विद्यालय में इन बच्चों को शिक्षण के लिए सभी सामग्री उपलब्ध होता है जिससे शिक्षक भी सुगमता से शिक्षण कार्य करते हैं।
viii. विशिष्ट शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे शिक्षक एवं अपने साथियों से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं तो वे अपने आपको योग्य महसूस करना शुरू कर देते हैं।
ix. विशेष शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होते हैं।

6.10 एकीकृत शिक्षा का अर्थ

एकीकृत अथवा 'इनटिग्रेट' का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही 'एकीकृत शिक्षा' कहलाता है।

एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। विकलांग बच्चे अलग कक्षा में तो शिक्षा ग्रहण करते हैं परन्तु कक्षा के बाहर दूसरे कार्य सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा जोकि विशेष शिक्षा के रूप में होता था, को हटाकर उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना है।

वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गयी है तथा अब समावेशित शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको आप आगे के इकाई में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

6.11. एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ

जैसा कि आप जानते होंगे कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई। विशेष विद्यालय विकलांग बच्चों के घर से दूर होते थे जहाँ ये बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे।समय के साथ-साथ इस बात की चर्चा होने लगी कि विकलांग बच्चे सर्वप्रथम बच्चे हैं, उसके बाद उनकी विकलांगता आती है। अतः उनको भी दूसरे सामान्य बच्चों जैसा घर के पास सामान्य विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। इसी सोच ने एकीकृत शिक्षा को जन्म दिया।

भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गयी ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' (इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन) जिसको संक्षेप में आइ.ई.डी.सी. योजना भी कहते हैं, से हुई। (शर्मा, 2004)।

आई.ई.डी.सी. योजना कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गयी थी जबकि सामान्य विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होते हैं अतः इस योजना को सही ढंग से लागू करने में परेशानी होती थी। जब 1981 में (इस वर्ष को संयुकत राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था) इस योजना का मूल्यांकन किया गया तो कुछ कमियों को देखते हुए इसे 1982-83 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया।

सन् 1992 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत उस विद्यालय को जो विकलांग बच्चों के एकीकरण में सम्मिलित थे उनको 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की बात कही गयी। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाने लगी। (शर्मा, 2005)

भारत सरकार के इन सब प्रयासों से ही एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार की गयी। आई.ई.डी.सी. योजना की यह एक महत्त्वपूर्ण देन है कि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाने लगी।

अभ्यास प्रश्न

1. एकीकृत का अर्थ होता है ______________।
2. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत ______________ पढ़ाया जाता है।
3. भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् ______________ में हुआ था।

6.12. एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति

एकीकृत शिक्षा की प्रकृति मुख्यतः मानव जाति के विकास पर, विद्यार्थी में समाज के अनुकूल तथा सामाजिक जीवन में भागीदारी की योग्यताओं का विकास करने पर फोकस करती हैं। ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी को बुद्धिमान बनाती है, तथा जीवन की शिक्षा विद्यार्थी में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करती है। (मंग)। एकीकृत शिक्षा चार प्रकार के सीखने के सिद्धान्त पर फोकस करती है, जो हैं

1. जानने के लिए सीखना
2. करने के लिए सीखना
3. एक साथ रहने के लिए सीखना
4. पूरे शिक्षा के एकीकरण के लिए सीखना।

उपर्युक्त चार प्रकार के सीखने का मूल है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक सिद्धान्त एवं आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। (मंग)।

6.13. एकीकृत शिक्षा के प्रारूप

एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन करने के बाद अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया क्या है अर्थात एकीकृत शिक्षा कैसे दी जाती है। एकीकृत शिक्षा के लिए प्रक्रिया को हम इसके विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से समझ सकते हैं।

इस खण्ड में हम एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करेंगे; जो हैं :

1. संसाधन कक्ष प्रारूप (रिर्सोस रूप मॉडल)
2. परिश्रमी अध्यापक प्रारूप (इटिनेरेन्ट टीचर मॉडल)
3. संयुक्त प्रारूप (कम्बाइंड मॉडल)
4. गुच्छित अथवा समूह प्रारूप (कल्सटर मॉडल)
5. सहयोगी प्रारूप (को-ऑपरेटिव मॉडल)
6. द्विशिक्षण प्रारूप (ड्यूल टीचिंग मॉडल)
7. बहुकौशल शिक्षण प्रारूप (मल्टी-स्किल्ड टीचिंग मॉडल)

1. **संसाधन कक्ष प्रारूप:** एकीकृत शिक्षा योजना के इस प्रारूप में समान्य विद्यालय में एक विशेष कक्ष होता है, जिसे 'संसाधन कक्ष' (रिर्सोस रूम') कहते हैं। इस कक्ष में विकलांग विद्यार्थियों के विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष सामग्री उपलब्ध होती है। विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था इस कक्ष में की जाती है। इस कक्ष का पूरा दायित्व विशेष अध्यापक पर होता है, जिसे इस कक्ष के नाम के आधार पर 'संसाधन शिक्षक' (रिर्सोस टीचर) कहा जाता है।विकलांग विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अपनी आयु के समकक्ष विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये विद्यार्थी आवश्यकतानुसार सीमित

समय के लिए संसाधन कक्ष में आकर संसाधन अध्यापक से विशेष प्रशिक्षण लेते हैं जैसे - ब्रेल लेखन, पठन, संवेदन, प्रशिक्षण, (सेन्सरी ट्रेनिंग), अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता (ओरिएन्टेशन एवं मोबिलिटी) इत्यादि।

2. **परिश्रमी अध्यापक प्रारूप:** यदि विकलांग विद्यार्थियों की संख्या बिखरा हुआ हो अर्थात एक सामान्य स्कूल में एक या दो बच्चे हो दूसरे व तीसरे स्कूल में भी वही स्थिति हो तो उस अवस्था में संसाधन कक्ष योजना उचित नहीं होती। दूरी के कारण माता-पिता अपने विकलांग बच्चे को संसाधन कक्ष वाले सामान्य विद्यालय में भर्ती नहीं करा पाते। आने जाने की असुविधा के कारण माता-पिता निकट के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में परिश्रमी अध्यापक योजना अधिक होती है।परिश्रमी अध्यापक योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चे घर के पास सामान्य विद्यालय में दाखिला लेते हैं तथा परिश्रमी अध्यापक जो कि एक विशेष अध्यापक होता अलग-अलग विद्यालयों में जाकर इन बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देता है। परिश्रमी अध्यापक के पास एक संसाधन किट होता है जिसमें इन बच्चों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु विशेष सामग्री होती है, जैसे - ब्रेल उपकरण, टेलरफ्रेम, श्रव्य सामग्री इत्यादि।
3. **संयुक्त प्रारूप:**इस योजना के अन्तर्गत कई योजनाओं अथवा प्रारूपों का वर्णन होता है अथवा एक विशेष अध्यापक की सेवाएं कई योजनाओं के लिए भी ली जाती हैं। किसी भी शहर/कस्बे के कुछ विद्यालय संसाधन कक्ष के आधार पर विकलांग बच्चों को शिक्षा देते हैं तथा कुछ बच्चों को परिश्रमी प्रारूप के आधार पर। यदि संसाधन कक्ष वाले विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो इस स्थिति में संयुक्त प्रारूप उपयुक्त होता है।

   यह योजना बहुत लचीली है, इस योजना में एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में एक संसाधन कक्ष योजना के आधार पर विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अथवा शिक्षा देता है, वहीं दूर विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विकलांग विद्यार्थियों को परिश्रमी शिक्षा योजना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। संसाधन कक्ष योजना व परिश्रमी अध्यापक का योग होने के कारण इसे संयुक्त प्रारूप कहा जाता है।
4. **गुच्छित अथवा समूह प्रारूप:** पहाड़ी स्थानों पर परिवहन के साधन उपलब्ध होने पर भी थोड़ी दूरी को तय करने में काफी समय लग जाता है, दुर्गम स्थान पर तो ये साधन उपलब्ध भी नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए गुच्छित अथवा समूह योजना/प्रारूप उपयुक्त होता है।

   इस योजना के अन्तर्गत एक मुख्य संसाधन केन्द्र होता है, जिसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र अपने समूह के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत अधिकतम 8 विकलांग विद्यार्थी होते हैं। मुख्य संसाधन केन्द्र अपने अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों के अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है व उनके द्वारा शैक्षिक

प्रशिक्षण दिए जाने वाले विकलांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराता है।

5. **सहयोगी प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत सहयोग के आधार पर विशेष विद्यालयों को एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षण प्रदान किया जाता है, इसी करण इसे सहयोगी प्रारूप/योजना कहते हैं।

   इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय के अन्दर ही एक विशेष इकाई (सेल) होती है। इस कइाई में आवश्यकतानुसार कमरे होते हैं, जिसमें विकलांग बच्चे मुख्य रूप से इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। केवल कुछ विषयों के लिए इन विद्यार्थियों को इनकी आयु के समकक्ष कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। विशेष इकाई इन विद्यार्थियों का मुख्य कक्ष होता है, जहाँ उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. **द्विशिक्षण प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य अध्यापक ही विशेष अध्यापक की भी भूमिका निभाते हैं, इसी कारण इस प्रारूप अथवा योजना को द्विशिक्षण प्रारूप कहा जाता है।गाँवों में जहाँ आवागमन के साधन अच्छे नहीं होते हैं तथा विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ सामान्य अध्यापक को ही कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करके विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। यह योजना तब तक की जाती है जब तक विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम हो। जब भी विद्यार्थियों की संख्या 8 तक हो जाये तो एक संसाधन अध्यापक की नियुक्ति कर इन बच्चों की शिक्षा संसाधन कक्ष प्रारूप के अन्तर्गत होती है।

7. **बहुकौशल शिक्षण प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाता है।

   एक ही विद्यालय में दो से अधिक विकलांगता से प्रभावित विद्यार्थी शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष शिक्षक को इन विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षा देने में कुशल होना चाहिए, इसलिए इनको बहुकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि इस प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा अच्छी प्रकार हो सके, यही इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य है।

   एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सुगम बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, ताकि किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चे चाहे वो गाँव, पहाड़ी क्षेत्र या शहर में रहते हों शिक्षा से वंचित ना रह सकें तथा अपने घर के पास के ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके।

6.14 एकीकृत शिक्षा का लाभ

एकीकृत शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया एवं क्षेत्र की चर्चा करने के बाद हम इस खण्ड में इसके महत्त्व की चर्चा मुख्यतः विकलांग बच्चे एवं उनके माता-पिता के संदर्भ में करेंगे।

विकलांग बच्चों के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा की शुरुआत ने विकलांग बच्चों की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पहले जहाँ इन बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय में होता था जो समाज से दूर होता था, तथा विकलांग बच्चे अपने माता-पिता तथा भाई-बहन से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वहीं एकीकृत शिक्षा के प्रारम्भ होने से ये बच्चे अपने परिवार के साथ रहकर शिक्षा लेना शुरु कर दिया। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का महत्त्व हम निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं।

i. एकीकृत शिक्षा, परम्परागत विशेष शिक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विकलांग बच्चों के लिए यह वातावरण रोचक होता है तथा उनके सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
ii. विकलांग बच्चों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
iii. विकलांग बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
iv. एकीकृत शिक्षा में आकर विकलांग बच्चों को अपने विकलांगता की चिंता कम होजाती है तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
v. एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थी जब सामान्य विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं तो वे अपने आपको भी सामान्य बच्चों के जैसा समझने लगते हैं जो उनके स्वाभीमान को बढ़ाता है।
vi. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से संप्रेषण कौशल एवं समाज में रहन-सहन के गुण सीखते हैं।
vii. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के अवांछनीय व्यवहारों में कमी आती है, तथा सामान्य बच्चों का अनुकरण करके वांछनीय व्यवहार सीख जाते हैं।
viii. एकीकृत शिक्षा में रहकर विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से सम्पर्क करके भविष्य में करने वाले कोर्सों एवं नौकरी का भी चुनाव करते हैं।

उपर्युक्त बातों की चर्चा करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा इन्हें अलगाव (विशेष विद्यालय) से हटाकर सामान्य विद्यालय में लाती है जिससे इनको सामान्य बच्चों के साथ सम्पर्क रहता है। इस सम्पर्क की वजह से इनमें बहुत सारे अच्छे गुणों का विकास होता है।

विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है, जैसे-

i. एकीकृत शिक्षा की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चों से हमेंशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है।

ii. विकलांग बच्चों के भी माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अपने समकक्ष सामान्य बच्चों के साथ पढ़े व खेलें, एकीकृत शिक्षा की वजह से यह संभव हो पाता है।

iii. जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो उनके माता-पिता को उनकी विकलांगता का ज्यादा एहसास नहीं होता है, तथा वे अपने बच्चे की चिंता छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान देने लगते हैं।

iv. एकीकृत शिक्षा की वजह से विकलांग बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों के अधिकारों तथा उन्हें प्राप्त होने वाले सुविधाओं को जानने में आसानी होती है।

v. एकीकृत शिक्षा के संसाधन कक्ष में विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के परम्परागत एवं आधुनिक उपकरणों को देखकर माता-पिता घर पर भी अपने बच्चों के लिए कुछ उपकरण लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिलती है।

vi. एकीकृत शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने विकलांग बच्चे में कहाँ कमी है, इस बात को माता-पिता को समझने में आसानी होती है तथा वे उसको दूर या कम करने का प्रयास करते हैं।

जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास एवं स्वाभीमान बढ़ने लगता है। जब माता-पिता अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में अपने बच्चे की प्रति चिंता कम होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों एवं उनके माता-पिता के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. संसाधन कक्ष प्रारूप एवं परिश्रमी प्रारूप में क्या अंतर है ?
2. समेंकित शिक्षा का विकलांग बालकों के लिए क्या लाभ है ?
3. समेंकित शिक्षा का विकलांग बालकों के माता पिता के लिए क्या लाभ है ?

6.14 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की शुरुआत इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएँ, रुचि, योग्यता और आवश्यकता होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ कैसे हुआ था तथा इसका अर्थ क्या है?

समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब जून, 1994 में सलमानका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा ‘‘विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलनः सुलभता और समता’’ का आयोजन हुआ।

इस सम्मेलन में 92 देशों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रूचियाँ, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए''।

इस सम्मेलन के बाद ही विभिन्न देशों ने बच्चों की आवश्यकताओं, रूचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया, शिक्षा में यही परिवर्तन समावेशित शिक्षा के रूप में प्रचलित हुआ।

समावेशित शिक्षा का अर्थ

सलमानका सम्मेलन (1994) के अनुसार समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है:-

''.................... बच्चों के उनके शारीरिक, बुद्धिमता, सामाजिक, भावनात्मकता, भाषायी या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिये बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है विकलांग और प्रतिभावान बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गाँव या बंजारे से बच्चे, भाषीय प्रजातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से बच्चे तथा दूसरे अलाभांवित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे।'' **(सलमानका कथन, 1994, पैराग्राफ 3)**

मानव विकास संसाधन मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम (2003) के अनुसार, ''समावेशित शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले, बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्वविद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख (पढ़) सकें।''

एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समावेशित शिक्षा से तात्पर्य केवल विकलांग बच्चों को ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि सभी बच्चे जो विभिन्न वर्ग एवं योग्यता के हैं को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. सलमान का सम्मेलन सन् .... में हुआ था।
2. सलमान का सम्मेलन....................................द्वारा आयोजित किया गया था।

6.15 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व

आजकल प्रत्येक जगह समावेशित शिक्षा की ही चर्चा होती है, अतः यह जानने कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर क्यों समावेशित शिक्षा जरूरी है? तथा इसका महत्त्व क्या है? इस खण्ड के अंतर्गत हम समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व की चर्चा करेंगे।

समावेशित शिक्षा क्यों?

अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्त्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात् कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकतायें थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि समावेशित शिक्षा इसलिए आवश्यक है:-

i. क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो कैसी भी आवश्यकता वाले हों, एक ही समाज में रहना है। अतः शुरु से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
ii. क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं, जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं, अतः एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़ता है, जो कि उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।

समावेशित शिक्षा का महत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है, ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। यह बात तो सिद्ध है कि जिस राष्ट्र के ज्यादातर लोग पढ़े-लिखें है, वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है, तथा जिस राष्ट्र के कम लोग शिक्षित हैं, वह राष्ट्र गरीब है।

अतः समावेशित शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशित शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर उस राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।

समावेशित शिक्षा का दूसरा महत्त्व यह कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगें तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियाँ एवं क्षमताएँ जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रुढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेंशा देनी चाहिए।(सत्य/असत्य)
2. समावेशित शिक्षा राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है।(सत्य/असत्य)

6.16 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त

समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व जानने के बाद हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि समावेशित शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है एवं इसके सिद्धान्त क्या हैं?

समावेशित शिक्षा का दर्शन

समावेशित शिक्षा का मूल दर्शन है कि 'बच्चे जो एक साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर जीना सीखते हैं।'

समावेशित शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों को सम्मान एवं महत्त्व देनी चाहिए। समावेशित शिक्षा मानवाधिकार शिक्षा को दर्शाता है। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है जहाँ सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जायेंगे तो भविष्य में एक साथ रहकर जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

समावेशित शिक्षा का सिद्धान्त

समावेशित शिक्षा का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त समावेशित शिक्षा का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
ii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग में सभी कार्यकर्ताओं की साझेदारी।
iii. समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।
iv. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी रखना।
v. प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे, चयन करे व जिम्मेदारी ले। दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अर्न्तक्रिया करे व शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक, आंतरिक व अंतैयक्त्वि गतिविधियों में भाग ले।

अभ्यास प्रश्न

1. बच्चे जो साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर......... सीखते हैं।
2. समावेशित शिक्षा का एक सिद्धान्त यह है कि .... भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।

6.17 शिक्षा में समावेशन के संघटक

जैसा कि आप जानते हैं संघटक से तात्पर्य होता है किसी वस्तु का मूल भाग; जैसे किसी स्कूल के संघटक की बात करें तो वे संघटक हो सकते हैं- कमरा, श्यामपट, कुर्सी, मेंज, छात्र, शिक्षक इत्यादि। इस खण्ड में हम पढ़ेंगें कि शिक्षा में समावेशन या समावेशित शिक्षा के संघटक क्या हैं?

शिक्षा में समावेशन के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं:

1. **उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ**- समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकतानुसार सहायता एवं सेवाएँ होती हैं, ये सहायता बच्चों को स्वयं मिलती हैं ना कि बच्चे को सहायता के लिए कहीं जाना पड़ता है।
2. **सक्रिय भागीदारी**- समावेशित शिक्षा में सभी कार्य इस प्रकार बनाये गए होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
3. **उद्देश्य-** समावेशित शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम से ही पढ़ाना होता है, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है।
4. **बच्चों के लिए कक्षाएँ तैयार रहती हैं**- समावेशित शिक्षा में कक्षाएँ बच्चों की आवश्यकतानुसार रूपान्तरित होती हैं, जिससे बच्चे के समावेशन में आसानी हो। समावेशन के लिए बच्चों में कोई पूर्वापेक्षा की जरूरत नहीं होती है।
5. **सहयोग एवं टीम योजना-** समावेशित शिक्षा में सहयोग एवं टीम योजना एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य अध्यापक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, स्टाफ के लोग इत्यादि को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेशन सही रूप से होता है।

शिक्षा में समावेशन के उपर्युक्त कुछ संघटक जानने के बाद हम कह सकते हैं कि समावेशन एक प्रक्रिया है ना कि घटना, अर्थात समावेशन के लिए लगातार कार्य चलता रहता है ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई एक कार्य हो गया तो वह स्कूल समावेशित शिक्षा के लिए हमेंशा के लिए योग्य हो गया। जब दूसरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेने आयेगा तब उस बच्चे की आवश्यकतानुसार स्कूल में दुबारा परिवर्तन करने पड़ेंगे।

अभ्यास प्रश्न

शिक्षा में समावेशन के संघटक नहीं हैः

अ) उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ ब) सक्रिय भागीदारी

स) सहयोग एवं टीम योजना द) विशेष शिक्षा

6.18 समावेशित शिक्षा के लाभ

समावेशित शिक्षा का अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता, सिद्धान्त एवं संघटक जानने के बाद अब हम इसके लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशित शिक्षा जो आज इतना प्रचलित शब्द है, इसके क्या लाभ हैं, तथा इससे लाभांवित होने वाले कौन लोग हैं?

समावेशित शिक्षा से मुख्यतः चार लोग प्रभावित होते हैं, वे हैं:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
ii. सामान्य बच्चे
iii. सामान्य शिक्षक
iv. माता-पिता

अतः हम इन्हीं चारों को समावेशित शिक्षा से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ

- जब एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय के कक्षा में रखा जाता है तो, उस विद्यार्थी को अपने प्रति बहुत सारे साकारात्मक बातें आती हैं। विशिष्ट रूप से यह परम्परागत विशेष शिक्षा के कक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह वातावरण प्रायः सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
(रेशलन फॉर एण्ड बेनफिट्स आफ इन्क्लूशन, 2004)
- शोध बताते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनको समावेशित शिक्षा में रखा गया है। वे अनुदेशात्मक समय में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और शैक्षिक क्रियाओं में ज्यादा प्रदर्शन कर पाते हैं। (सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थीयों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो कि विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
- समावेशित शिक्षा में आकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को व्यक्ति के रूप में ज्यादा अभिज्ञ रखते हैं, तथा लेबलिंग (वर्गीकरण) की चिंता कम हो जाती है।
- समावेशित शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे सामान्य विद्यार्थी एवं शिक्षक से संपर्क स्थापित करना शुरु करते हैं तो वे अपने आप को योग्य महसूस करना शुरु कर देते हैं।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, जो अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ बाँट कर आनन्द प्राप्त करता है। जबकि यही अनुभव उसे विशेष विद्यालय में अच्छे नहीं लगते थे।
- शोध यह भी दर्शाते हैं कि समावेशित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानक टेस्ट स्कोर, पढ़ने की क्षमता और ग्रेड को बढ़ाता है।(सेलेन्ड, 2001)
- समावेशित शिक्षा में रहकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक योग्यता सीखते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनिय व्यवहार विकसित होते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये अविष्कारों, तकनीकियों और सामान्य ज्ञान से अवगत होते हैं।
- जीवन में आगे क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, इत्यादि बातें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से चर्चा करके निश्चित कर सकते हैं।

सामान्य बच्चों के लिए लाभः

- समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने व उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाता है। सामान्य बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता, तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकतायें एवं उनसे किस प्रकार व्यवहार किया जाय समझने लगते हैं।
  (सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्पर्क में आने से सामान्य बच्चे यह सीख जाते हैं कि बौधिक, शारीरिक एवं भावानात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। जिससे उन्हें भविष्य में ऐसे लोगों से सम्पर्क बनाने में आसानी होगी।(वूड, 1993)
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी समाज की विविधताओं को कक्षा में एक छोटे पैमाने पर देखने लगते हैं, जिससे भविष्य में समाज में ऐसे लोगों की सहन एवं सम्मान करने का अनुभव हो जाता है। (बेनफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर ऑल, 1999)
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को अच्छी तरह जान-पहचान जाते हैं, जिससे उनके मन में ऐसे बच्चों के प्रति बना डर व भ्रम टूट जाता है तथा वे ऐसे बच्चों का धीरे-धीरे सम्मान करने लगते हैं।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के कमियों की तरफ संवेदना विकसित करना शुरु कर देते हैं, और इनकी तरफ सहानुभूति रखने वाले कौशल विकसित करते हैं। ये दोनो कौशल सामान्य बच्चे के भावी जीवन में हर पग पर काम आते हैं।

- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी कुछ महत्त्वपूर्ण कौशलों को सीखते हैं जो कि उनके व्यवस्क जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं, ये कौशल हैं:-
  नेतृत्व, एक दूसरे की सहायता करना एवं पढ़ाने की योग्यता, परामर्शदाता, सिखाना, अधिकारिता तथा स्वाभीमान को बढ़ाना। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरुम फॉर आल, 1999)
- समावेशित शिक्षा में सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है, ताकि अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सके तथा सहायता कर सके। इससे सामान्य बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है जो उसके खुद के लिए बहुत लाभदायक है।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के साथ रहने के अनुभव के आधार पर समाज एवं स्कूल के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उत्तरदायित्व को संभालते हुए सामान्य बच्चे व्यवस्क होकर समाज के उत्तरदायित्वों को संभालने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
- समावेशित शिक्षा के सामान्य बच्चों में सकारात्मक सोच, अनुकरणीय व्यवहार, स्वीकृति, धैर्य, सहन एवं मित्रता आदि कौशलों का विकास होता है। (रेशनल फॉर एण्ड बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसन, 2004)

सामान्य शिक्षक के लिए लाभ:

समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षक यह स्वीकार करने लगते हैं कि सभी विद्यार्थीयों में कुछ ना कुछ गुण होता है और यह गुण मिलकर एक अच्छे कक्षा के निर्माण में सहायक होता है, तथा शिक्षक को कक्षा प्रबन्ध में आसानी होती है। (बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)

i. समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षकों में यह जानकारी उत्पन्न होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तथा कैसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग व्यवहार, करके एक अच्छा कक्षीय वातावरण बनाये।
ii. समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नये शैक्षिक तकनीक सीखता है, जो उसके कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है।
iii. समावेशित शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए परम्परागत शैक्षिक प्रणालियों (जैसे व्याख्यान विधि, नोट लिखना) का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है, अतः सामान्य शिक्षक अपने पराम्परागत शैक्षिक प्रणाली को छोड़कर रचनात्मक तथा नये शैक्षिक प्रणाली से अपने कक्षा में पढ़ाता है, जिससे उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं।
iv. समावेशित शिक्षा सामान्य शिक्षक को सामूहिक कार्य कौशल विकसित करने का मौका देती है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)
v. सामान्य शिक्षक समावेशित शिक्षा के कारण विभिन्न प्रकार के प्रफेशनल (व्यवसायी) जैसे - मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक आदि से मिलता है, जिससे उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है।

vi. सामान्य शिक्षक जो समावेशित शिक्षा अथवा समावेशित स्कूल में कार्य करते हैं उनमें समस्या समाधान कौशल, समस्या को अलग तरह से सोचने की तथा मनोबल बढ़ाने की कौशल का होना पाया जाता है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)
vii. सामान्य शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुदेशन का महत्त्व समावेशित शिक्षा में रहकर पता चलता है।
viii. समोवशित शिक्षा में कार्य करने वाला शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को समझकर उसे अपने दूसरे साथियों के साथ बाँटता है जिससे ऐसे बच्चों के प्रति फैली गलत धारणाएं कम हो जाती हैं।
ix. सामान्य शिक्षक विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के सम्पर्क में रहता है, जिसका प्रभाव समाज पर भी पढ़ता है। समाज में भी वह किसी के साथ आसानी पूर्वक रह सकता है।

माता-पिता के लिए लाभ

i. माता-पिता अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को घर के पास के स्कूल में दाखिला मिलने से उनसे हमेंशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है, जो विशेष शिक्षा के अन्तर्गत नहीं होता था।
(फोरेस्ट, एम. एण्ड पेयरप्वांट, जे., 2004)
ii. सभी माता-पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को उसके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाय। समावेशित कक्षा में अपने बच्चे को इस प्रकार देखकर उन्हें सपने पूरे होने जैसा लगता है।
iii. जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य जीवन व्यतित करने लगते हैं तो उनके माता-पिता अपना ध्यान दूसरे कामों में भी लगा लेते हैं, तथा समावेशित शिक्षा के कारण उन्हें यह अहसास होने लगता है कि उनका बच्चा भी सामान्य बच्चों जैसा ही है।
iv. समावेशित शिक्षा की वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता में अपने बच्चों के अधिकारों को समझने में आसानी होती है।
v. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिये जा रहे सुविधाओं का भी ज्ञान माता-पिता को समावेशित शिक्षा के द्वारा होता है।
vi. समावेशित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को देखकर माता-पिता कुछ उपकरण खरीद कर घर पर भी लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है।
vii. समावेशित शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे सामान्य बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने बच्चे में कहाँ कमी है, ये बात माता-पिता आसानी से समझ जाते हैं, तथा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
viii. विद्यालय में जब शिक्षक और माता-पिता के बीच मीटिंग होती है तब उस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता-पिता उसी कक्षा के सामान्य बच्चे के माता-पिता से मिलकर

उसके द्वारा बच्चे के विकास के लिए किये गये कार्यों को समझकर अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भी वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उसमें भी वैसे ही विकास हो जैसे सामान्य बच्चे में है।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशित शिक्षा से लाभांवित नही होते हैं:

   अ. सामान्य बच्चे　　ब. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

   स. शिक्षक　　द. इनमें से कोई नहीं

2. समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ

   अ. लड़ते हैं　　ब. मिलते नहीं है

   स. मित्र बनाते हैं　　द. बात नहीं करते हैं

3. समावेशित शिक्षा में सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को

   अ. हमेंशा डाँटता है　　ब. अलग रखता है

   ब. ध्यान नहीं देता है　　द. सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर रखता है

6.19 समावेशी सूचकांक

समावेशी सूचकांक से तात्पर्य कुछ सामग्रियों के एक समूहसे होता है जो किसी विद्यालय को समावेशन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय के समग्र एवं समेंकित विकास पर बल देता है । यह विद्यालय के संसाधन विकास एवं संस्था के कर्मचारी और छात्रों के उच्च संप्राप्ति के लिए प्रोत्साहन करती है।
किसी भी संस्था को समग्र एवं समेंकित विकास के लिए निम्न सूचकांक का प्रयोग किया जा सकता है-

- विद्यालय के संस्कृति, कार्य नीति, कार्यप्रणाली को मूल्यांकन के लिएस्व समीक्षा उपागम का चयन एवं समय- समय पर उपयुक्त क्षेत्रों के विकास में बाधक तत्वों की पहचान।
- विद्यालय के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रों का चयन एवं इसके विकास का मूल्यांकन।
- समवेशिक सूचकांक को किसी विद्यालय के कार्य संस्कृति, नीति एवं कार्यप्रणाली के विकास के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग करना।

6.20 समावेशी सूचकांक के आयाम

समवेशिक सूचकांक के सम्पूर्ण सामग्रियों को तीन आयामों में संगठित किया जा सकता है। जो इस प्रकार है –

A. समवेशिक संस्कृति का निर्माण (Creating inclusive culture)

B. समवेशिक नीति का निर्माण (Producing inclusive policy)

C. समवेशिक कार्य प्रणाली का विकास (Envolving inclusive practices)

A. समवेशिक संस्कृति के निर्माण (Creating inclusive culture) के लिए सूचकांक का आयाम–

A.1. भवन सूचकांक

A.1.1. प्रत्येक व्यक्तियों(विकलांग) के सुविधाओं को ध्यान में रख कर भवन निर्माण

A.1.2. छात्र आपस में एक दूसरे की सहायता करे

A.1.3. कर्मचारियों में सहयोग की भावना

A.1.4. छात्रों एवं कर्मचरियों के मध्य सम्मान की भावना

A.1.5. कर्मचारियों एवं अभिभावकों के मध्य सहयोग की भावना

A.1.6. कर्मचारी एवं प्रबंधनमें सहयोग की भावना

A.1.7. विद्यालय में प्रत्येक स्थानीय निकाय का सहयोग

A.2. समवेशिक मूल्य निर्माण सूचकांक

A.2.1. प्रत्येक छात्रों से उच्च मूल्य की अपेक्षा

A.2.2. कर्मचारी, प्रबंधन, छात्र एवं अभिभावकों के मध्य समावेशन की दर्शन पर विचार

A.2.3. प्रत्येक छात्रों को समान रूप से सम्मान

A.2.4. कर्मचारी एवं छात्रों में परस्पर मानवीय सम्बन्ध

A.2.5. कर्मचारी को चाहिये अधिगम में आने वाले अवरोध का पहचान करें एवं विद्यालय के प्रत्येक आयाम के विकास में भागीदारी

A.2.6. विद्यालय के वातावरण में भेदभाव में कमी

B. समवेशिक नीति के निर्माण (Creating inclusive policies) के लिए सूचकांक का आयाम –

B.1. सभी के लिए विद्यालय का विकास

B.1.1. कर्मचारी के नियुक्ति एवं पदोन्नति प्रक्रिया न्याय संगत रूप से

B.1.2. सभी कर्मचारियों में नए कर्मचारी के प्रति सहयोग की भावना

B.1.3. विद्यालय को कोशिश करनी चाहिये कि आसपास के सभी बालकों का नामांकन हों

B.1.4. विद्यालय भवन सभी व्यक्तियों के प्रयोग के लिए अभिगम्य हो

B.1.5. सभी छात्रों में नए छात्रों के प्रति सहयोग की भावना

B.2. विविधता के लिए सहायता संगठित करना

B.2.1 सभी तरह के सहयोग का समन्वयन

B.2.2. कर्मचारी विकासात्मक क्रियाकलाप कर्मचारी को छात्रों में विविधता लाने में मदद करता है.

B.2.3. विशिष्ट शिक्षा नीति समवेशिक शिक्षा नीति है

B.2.4. विशिष्ट शिक्षा कार्य प्रणाली की आचार सहिंता का अधिगम के अवरोध को कम करने में प्रयोग

B.2.5. उपस्थिति में होने वाले अवरोध को कम करना

C. समवेशिक कार्य प्रणाली विकास (Creating inclusive policies) के लिए सूचकांक का आयाम–

C.1.1. सभी छात्रों के क्षमता के अनुसार शिक्षण का नियोजन

C.1.2. सभी छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास

C.1.3. पाठ्यक्रम का बिभिन्न अंतरों के आधार पर विकास

C.1.4. छात्रों का अधिगम में सक्रियता के साथ सहयोग

C.1.5. छात्रों में सहयोग पूर्वक अधिगम

C.1.6. मूल्यांकन सभी छात्रों के उपलब्धि संप्राप्ति में सहयोगी

C.1.7. वर्ग अनुशासन आपसी सम्मान पर आधारित

C.1.8. सभी छात्रों का वाह्य क्रिया कलाप में सक्रिय भागीदारी

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशी सूचकांक क्या है ?
2. समावेशी सूचकांक को कितने आयामों में विभक्त किया गया है ?

6.21 सोपानी व्यवस्था (Cascade System)

सोपानी व्यवस्था विकलांग बालकों के शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विकलांगताकी गंभीरता को ध्यान में रख शिक्षा की व्यवस्था की जाती हैं। यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस बालक में विकलांगता की गंभीरता जितनी कम होगी उस बालक को मुख्यधारा में उतनी ही आसानी समायोजित किया जा सकता है।

सोपानी व्यवस्था का सोपानी प्रदर्शन –

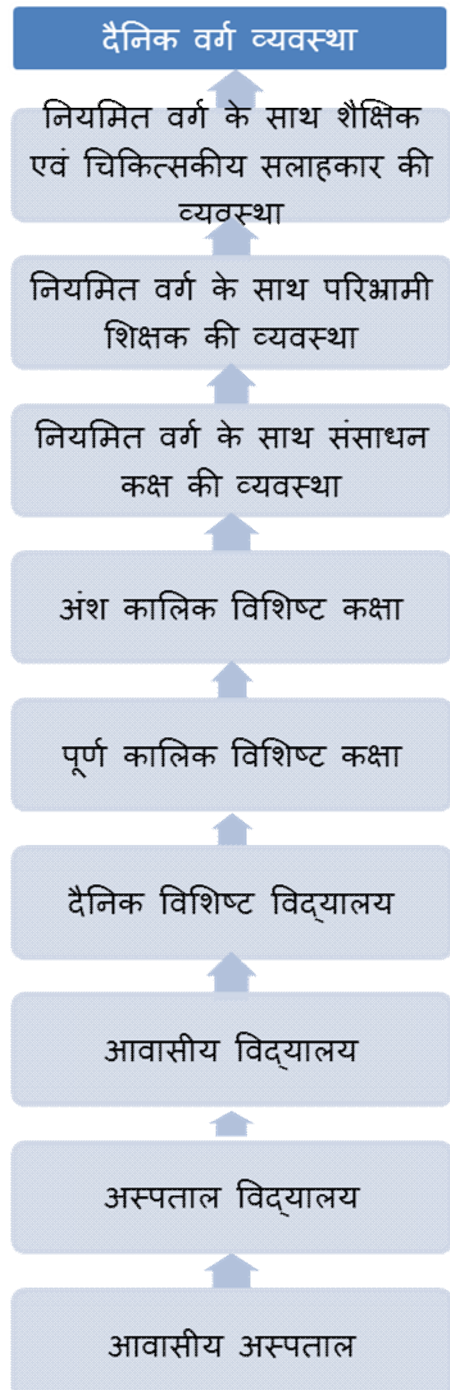
दैनिक वर्ग व्यवस्था
नियमित वर्ग के साथ शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सलाहकार की व्यवस्था
नियमित वर्ग के साथ परिभ्रामी शिक्षक की व्यवस्था
नियमित वर्ग के साथ संसाधन कक्ष की व्यवस्था
अंश कालिक विशिष्ट कक्षा
पूर्ण कालिक विशिष्ट कक्षा
दैनिक विशिष्ट विद्यालय
आवासीय विद्यालय
अस्पताल विद्यालय
आवासीय अस्पताल

6.22 सारांश

विशिष्ट शिक्षा (Special Education) शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक और समाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक (Children with special needs) भी कहा जाता है।

विशिष्ट शिक्षा के लाभ

i. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है।
ii. विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।
iii. विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालकों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है।
iv. इसमें बालकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
v. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपने गति से आगे बढ़ता है इसलिए उनका आत्म विश्वास काफी ऊँचा रहता है।

एकीकृत अथवा 'इनटिग्रेट' का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही 'एकीकृत शिक्षा' कहलाता है।एकीकृत शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया एवं क्षेत्र की चर्चा करने के बाद हम इस खण्ड में इसके महत्त्व की चर्चा मुख्यतः विकलांग बच्चे एवं उनके माता-पिता के संदर्भ में किया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा की शुरुआत ने विकलांग बच्चों की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पहले जहाँ इन बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय में होता था जो समाज से दूर होता था, तथा विकलांग बच्चे अपने माता-पिता तथा भाई-बहन से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वहीं एकीकृत शिक्षा के प्रारम्भ होने से ये बच्चे अपने परिवार के साथ रहकर शिक्षा लेना शुरु कर दिया।

विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है, जैसे-

i. एकीकृत शिक्षा की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चों से हमेंशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है।

ii. विकलांग बच्चों के भी माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अपने समकक्ष सामान्य बच्चों के साथ पढ़े व खेलें, एकीकृत शिक्षा की वजह से यह संभव हो पाता है।

iii. जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो उनके माता-पिता को उनकी विकलांगता का ज्यादा एहसास नहीं होता है, तथा वे अपने बच्चे की चिंता छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान देने लगते हैं।

iv. एकीकृत शिक्षा की वजह से विकलांग बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों के अधिकारों तथा उन्हें प्राप्त होने वाले सुविधाओं को जानने में आसानी होती है।

v. एकीकृत शिक्षा के संसाधन कक्ष में विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के परम्परागत एवं आधुनिक उपकरणों को देखकर माता-पिता घर पर भी अपने बच्चों के लिए कुछ उपकरण लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिलती है ।

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की शुरुआत इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएँ, रुचि, योग्यता और आवश्यकता होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं।

समावेशित शिक्षा से मुख्यतः चार लोग प्रभावित होते हैं, वे हैं:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
ii. सामान्य बच्चे
iii. सामान्य शिक्षक
iv. माता-पिता

6.24 शब्दावली

- **विशिष्ट शिक्षा** – विकलांग बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था
- **समेंकित शिक्षा** – विकलांग बालकों का सामान्य बालकों के साथ शिक्षा व्यवस्था.

6.25 अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं ? विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करें .
2. विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पर संक्षेप में लेख लिखें.
3. एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं? एकीकृत शिक्षा के महत्त्व को विस्तार पूर्वक लिखें.
4. एकीकृत शिक्षा के प्रारूपों का वर्णन करते हुए बताएं की आपको कौन सा प्रारूप सबसे योग्य लगा और क्यों .

5. समावेशी सूचकांक से आप क्या समझते हैं ? इसके विभिन्न आयामों का विस्तार से चर्चा करें.

6.26 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Panda, K.C. (1997), “Education of Exceptional Children, Vikas Publication, New Delhi.
- Govind Rao, L. (2007) “Perspective on Special Education”, Nilkamal Publication, Hyderabad.
- Mukhopadyay, S. & Mani M.N.G (2002), “Education Of Children With Special Needs, Oxford University Press, New delhi.
- Das, M. (2007). Education of Exceptional Children, Atlantic Publishers, New Delhi.
- Halhan, D.P. & Caughman J.M. (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education. Alin & Becken, Boston.
- Punani, B. & Nandani, R. (1993), Integrated Education, B.P.A. Ahemedabad.
- M.H.R.D. (1992), Scheme of Integrated Education for the Disabled children. M.H.R.D. New Delhi.

इकाई - 7

विद्यालय को समावेशित विद्यालय बनाने में बाधाएँ/ चुनौतियाँ

(Challenges or Problems in Preparing School as Inclusive School)

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 समावेशित शिक्षा : अर्थ एवं परिभाषा

7.4 समावेशित विद्यालय

7.5 विद्यालय को समावेशितविद्यालय बनाने की चुनौतियाँ

7.6 विद्यालय को समावेशित विद्यालय बनाने हेतु सुझाव

7.7 सारांश

7.8 शब्दावली

7.9 अभ्यास

7.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

पिछली इकाई में आपने पढ़ा कीविशेष शिक्षा प्रदान करने के विविध प्रतिमान कौन-कौन से हैं तथा इनकी विशेषताएँ एवं सीमायें क्या हैं ? आप जानते हैं कि वर्तमान में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षा के विकल्प में विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय तथा समावेशित विद्यालय हैं। समावेशन के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों का अनुसरण करते हुए भारत में भी तमाम प्रयास किये जा रहे हैं क्यूंकि समावेशित विद्यालय को सभी को शिक्षा प्रदान करने के एक मात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा हैं। समावेशित विद्यालय एक आदर्श स्थिति हैं जिसको सृजित करना एक बहुत बड़ी चुनौती हैं।

परन्तु इसका सृजन सभी को शिक्षा उपलब्ध करने के दृष्टि से ही नहीं अपितु समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक हैं।

इस इकाई में हम समावेशित शिक्षा तथा समावेशित विद्यालय का अर्थ क्या हैं , समावेशित विद्यालय के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं तथा विस्तार पूर्वक यह भी चर्चा करेंगे की विद्यालय को समावेशित बनाने हेतु क्या क्या कदम उठाये जाने चाहिए ।।

7.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- शिक्षा में समावेशन की अवधारणा बता सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे ।
- समावेशित विद्यालय की विशेषताओ को बता सकेंगे ।
- समावेशित शिक्षा को विद्यालय स्तर पर लागू करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा को विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु उपायों की चर्चा कर सकेंगे।
- समावेशित शिक्षा के मुद्दों की पहचान कर सकेंगे।

7.3 समावेशी शिक्षा: अर्थएवंपरिभाषा

समावेशित शिक्षा का संप्रत्य सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा केा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु आया क्योकिं समाज के किसी भी वर्ग जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं को छोडकर इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती । इस अवधारणा की शुरुआत इस आधार पर हुई कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न हैं तथा प्रत्येक बच्चे अपनी विशेषताएँ, रुचियाँ, योग्यताए तथा आवश्यकताएँ होती है जिसका सम्मान होना चाहिए। बच्चों के शिक्षा के लिए क्षमतागत विभेदीकरण किसी भी आधार पर तर्कसंगतनहींहै।समावेशीशिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली हैं जो सभी विद्यार्थियों का स्वागत एक सामान्य कक्षा के अंतर्गत करती हैं । यह विविध बौद्धिक क्षमताओं और वैयक्तिक भिन्नताओं की अवधारणा परआधारितहै। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विद्यालय के पुननिर्माण की वह प्रक्रिया जो सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराये। यह प्रणाली विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्म निर्भर बनने का मौका प्रदान करती हैं ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। यह बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय,

लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न न देखकर एक स्वत्रंत अधिगमकर्त्ता के रूप में देखती हैं तथा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती । समावेशन के दर्शन का आधार प्रत्येक बच्चोंका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके क्षमताओं पर आधारित न हो। समावेशित शिक्षा से आशय सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि यह उन सभी बच्चो को समाहित करता हैं जो किसी ना किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए है।

समावेशित शिक्षा की परिभाषाए

सलमानका सम्मेलन (1994) के अनुसार समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है''..................... बच्चों के उनके शारीरिक, बुद्धिमता, सामाजिक, भावनात्मकता, भाषायी या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिये बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है विकलांग और प्रतिभावान बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गाँव या बंजारे से बच्चे, भाषीय प्रजातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से बच्चे तथा दूसरे अलाभांवित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे।''

रायनडक एवं अल्पर (Ryndak and Alper,1996) के अनुसार समावेशी शिक्षा में हिस्सा लेने से विकलांग छात्र जीवनपर्यन्त विविध एकीकृत कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहेगें इस बात की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है यह वैयक्तिक भिन्नताओं तथा विविध बौद्धिक क्षमताओं के सम्प्रत्यय पर आधारित है।

यूनेस्को (2001) के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो;

i. यह विश्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
ii. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
iii. जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।
iv. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
v. एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीको का एक भाग है।

मानव विकास संसाधन मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम (2003) के अनुसार, ''समावेशित शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले, बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व-विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख (पढ़) सकें।''

***(एन.सी.एफ.,2005)* के अनुसार** *'समावेशन' शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।*

मित्तल (2006) के अनुसार समावेशित शिक्षा ''बालकों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं (सीखने की गति एवं विधि में अन्तर को ध्यान में रखते हुए) की पहचान करती है तथा उनकी ओर जबावदेही सुनिश्चित करती है''।

स्मिथ, पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) **के अनुसार** ''समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था एवं अभ्यास से सम्बन्धित है, जो सभी बालकों (उनकी क्षमता स्तर से हटकर) को समान शैक्षिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करने के लिए स्वत: प्रयास करती है '' ।

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता हैं की समावेशन एक प्रकिया हैं विद्यालय पुनर्निर्माण की जिसमें सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान शैक्षणिक और सामाजिक अवसर उपलब्ध हो । यह प्रत्येक विद्यार्थी की वैयक्तिक विभिन्नताओं को धयान में रख कर उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, पृष्ठभूमि का सम्मान करता हैं ।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा मानवाधिकार आधारित शिक्षा है। (सत्य/ असत्य)
2. समावेशनएकशैक्षिकअभ्यासकेसाथ-साथएकदर्शनभीहै (सत्य /असत्य)
3. समावेशन का दायरा औपचारिक शिक्षा तक हैं। (सत्य/असत्य)
4. समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभप्रद है। (सत्य/ असत्य)

7.4 समावेशी विद्यालय

सामान्य शब्दों में समावेशित विद्यालय वह विद्यालय हैं जो समावेशित शिक्षा के सिद्धान्तो पर कार्य करता हो । यह एक ऐसी व्यवस्था है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषायी, लिंगात्मक या अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करने का प्रयास करती है समावेशी शिक्षा में, सभी प्रकार के बच्चे एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सम्मिलित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी भी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं यह उस विद्यालय की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये तथा विद्यालय के सभी, घटकों, शैक्षिक ढाँचों, प्रणालियों, पाठ्यचर्या तथा पद्धतियों को सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार करती है इस स्वीकृति के साथ

की सभी बच्चे सीख सकते हैं। यदि कोई बच्चा नही सीख पा रहा है तो कमी उस बच्चे में नही, शिक्षा व्यवस्था के किसी न किसी घटक में है। यह व्यवस्था सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर तैयार करती है बच्चों की उनके सीखने की विधियों तथा गतियों में आपसी भिन्नता होने के बावजूद भी। समावेशी विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी अधिगम पर जोर देती है तथा इसमें कार्य करने वाले शिक्षकों सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति चाहे वो सकलांग हो या विकलांग के लिए तत्पर रहते हैं। **झा(Jha) (2002)** के अनुसार ''समावेशी शिक्षा विद्यालय को इस बात के लिए सही प्रकार से तैयार करती है ताकि वह निकट के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दे सके। यह स्कूल को समाज के अधिक निकट जाती है। सभी बच्चों को सीखने की विधियों और गति में आपसी भिन्नता के बाद भी समावेशित शिक्षा सीखने के एक समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है। यह विविधताओ और सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परम्परागत स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का स्वागत करती है। इस प्रकार समावेशन को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में सभी शिक्षार्थियों की स्वीकृति के रूप में भी स्पष्ट किया जाता है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों को एक ही परिवेश में शिक्षा प्रदान किया जाएँ और उनकी शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएँ। समावेशित विद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- समावेशित विद्यालय सभी विद्यार्थियों को स्वीकार करते हैं बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थी इसमें प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं
- समावेशित विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकतानुसार सहायता एवं सेवाएँ होती हैं, ये सहायता बच्चों को स्वयं मिलती हैं ना कि बच्चे को सहायता के लिए कहीं जाना पड़ता है।
- समावेशित विद्यालय में सभी कार्य इस प्रकार आयोजित होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
- समावेशित विद्यालय के उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम से ही पढ़ाना होता है, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है।
- समावेशित विद्यालय में कक्षाएँ बच्चों की आवश्यकतानुसार अनुकूलित की जाती हैं जिससे सभी बच्चे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
- समावेशित विद्यालय का वातावरण बाधारहित होना चाहिए। जिससे कि सभी बच्चो की विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकें।
- समावेशित विद्यालय को सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए सहयोग एवं टीम योजना की आवश्यकता होती है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य अध्यापक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक,

डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, स्टाफ के लोग इत्यादि को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेशन सही रूप से संभव है।

अत: यह कहा जा सकता हैं की समावेशन एक वृहद प्रक्रिया है ना कि कोई घटना, अर्थात समावेशन के लिए लगातार कार्य चलता रहना चाहिए ऐसा नहीं कि स्कूल में किसी चीज का प्रबंध हो जाने के पश्चात वह विद्यालय समावेशित शिक्षा प्रदान करने के लिए हमेंशा के लिए योग्य हो गया। जब दूसरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा उस विद्यालय में प्रवेश लेने आयेगा तब उस बच्चे की आवश्यकतानुसार पुन: परिवर्तन करने पड़ेंगे।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशी विद्यालय ....विद्यार्थियों का स्वागत करता हैं।
2. सामान्य शिक्षक को विशेषज्ञ शिक्षक के साथ........................ बनाकर कार्य करना चाहिए।
3. समावेशित विद्यालय का वातावरण..................... होना चाहिए।
4. समावेशी शिक्षा यह विश्वास करती हैं की यदि विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा हैं तो कोई ना कोई कमी ....में हैं

7.5 विद्यालय को समावेशितविद्यालय बनाने की चुनौतियाँ

भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक चुनौती है अर्थात अभी भी समाज का एक सार्थक वर्ग शिक्षा से वंचित हैं।जबकि शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। । निःशक्तजनों के शिक्षा और पुनर्वास में समावेशी शिक्षा की शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक बहस का मुद्दा हैं। यह एक चिंतनीय विषय है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की ज्यादातर आबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अधिक अवसरों की सृजन कर शिक्षा समाजिक समावेशन के लिए एक बुनियादी तंत्र है। विद्यालय में समावेशित शिक्षा इस लिए भी आवश्यक हैं कि भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है। समावेशन एक सिद्धांत के रूप में खूब सराहा जा रहा हैं विविध नीतियों तथा अधिनियमों चाहें राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय इसको अनुमोदित करती हैं तथा इसकी आवश्यकता पर बल देती हैं। परन्तु क्रियान्वयन स्तर पर बहुत कुछ किया जाना शेष हैं। यह अभी भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। तथा चुनौतियाँ अनेक हैं मिट्चेल Mitchell (2008) के अनुसार समावेशित शिक्षा के क्रियान्वयन अनगिनत कारकों से प्रभावित होता हैं और ये कारक हैं : " बड़ीं कक्षाए, विकलांगता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियां, परीक्षा उन्मुखी शिक्षा

व्यवस्था, सहायक सेवाओं की कमी , कठोर शिक्षण विधियाँ , चिकित्सीय प्रतिमान से वर्चस्व का आकलन, अभिभावकों की सहभागिता में कमी , और कुछ देशों में स्पष्ट नीतियों की कमी का होना" इसी प्रकार ब्राद्शाव तथा मांदिया Bradshaw and Mandia (2006) के अनुसार समावेशन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों में सम्मिलित हैं " अत्यधिक भीड़ वाली कक्षाएं , पूर्व-तैयार शिक्षण सामग्रियों की कमी , कठोर समय सारिणी , बैठक तथा योजना के लिए अपर्याप्त समय और अपर्याप्त विशेषज्ञ सहयोग" हमैदी, तोमिदी एवं रेयुएस **Hamaidi, Tomidi and Reyues(2012)** ने सही उदधृत किया हैं की समावेशी दर्शन आशा और सकारात्मक मूल्यों को इंगित करता हैं किन्तु सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष दूरी समाप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता हैं। इस दूरी को समाप्त करने के लिए तत्काल एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता हैं जिसे समावेशी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जा सके। समावेशी विद्यालय के निर्माण में निम्न बाधाए हैं :

- **रूढ़िवादी मनोवृत्ति**- विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामान्य लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति (जैसे- विकलांगता पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम हैं , इन्द्रियों के अभाव में ये कुछ नहीं कर सकते , ये परिवार या समाज पर बोझ इत्यादि) की वजह से भी इनके समावेशन में समस्या आती है। अभी भी समाज के लोगों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विकलांग बच्चों के प्रति गलत धारणा बनी हुई जो समावेशित शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अवरोध है।समावेशित शिक्षा में सबसे प्रमुख मुद्दा है समाज के लोगों की नकारात्मक मनोवृत्ति। नकारात्मक मनोवृत्ति जो कि समाज के सांस्कृतिक धारणा में गहराई तक समाहित है, उसको परिवर्तित करना एक मुश्किल कार्य है।नकारत्मक अभिवृति सभी प्रकार की बाधाओं का आधार हैं । इसको परिवर्तित किये बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ये विद्यार्थी अपने आप को अपेक्षित महसूस करते है। अतः सफल समावेशन के लिए समाज का धनात्मक दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है।
- **विद्यालयों की नीतियों संबंधित बाधाएं:** यह समावेशित शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा हैं । समावेशित शिक्षा सभी के लिए उपयुक्त शिक्षा की बात एक जैसी व्यवस्था के अंतर्गत करता हैं परन्तु नीतिगत समस्या यह हैं की सामान्य शिक्षा मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत तथा विशेष शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता हैं । इस प्रकार की भेदभावपूर्ण शैक्षिक नीतियों के मौजूदगी में समावेशी विद्यालय का निर्माण नहीं किया सकता । विकलांगता के लिए विशेष नीति अथवा विकलांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा नीति का नितांत अभाव हैं। वर्तमान नीतियों विकलांगता के चिकित्सकीय उपागम पर अधारित होना एक बाधा हैं । तमाम नीतियों के बावजूद उनका उपयुक्त अनुपालन न हो पाना भी समस्या हैं । सामान्यतः समावेशित शिक्षा की नीतियॉ उन लोगों द्वारा बनायी जाती है जो लोग न तो विशेष आवश्यकता वाले

विद्यार्थियों की आवश्यकता को और न ही समावेशन शिक्षा के सम्प्रत्य को समझते है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सम्यक भागीदारी नहीं हो पाती।

- **शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का सीमित होना या कोई पहुँच ना होना -** शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांगता के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता हैं जिससे कि वो अपना सामंजस्य आसानी से बना सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से अक्षमता के अनुरूप कौशलों को सही उम्र में सीखाया जा सकता हैं जिससे की सामान्य बच्चो के साथ सामान्य कक्षाओ में इनका समावेशन आसानी पूर्वक किया जा सकता हैं।
- **स्कूल का बजट कम/ वित्तिय समस्या होने के कारण सुविधाओं का अभाव:** समावेशित शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में पर्याप्त संसाधन एवं धन की आवश्यकता है। सामान्य स्कूलों को समावेशित स्कूल बनाने में अधिक धन की जरूरत है,जिसके कारण समावेशित शिक्षा लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तथा साथ ही यह भी आवश्यक हैं उपलब्ध धन का सम्यक तरीके से उपयोग हो।
- **बाधायुक्तवातावरण :** समावेशित शिक्षा के लिए विद्यालयीवातावरण का बाधामुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी आस-पास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सकें। बाधामुक्त वातावरण द्वारा ही कक्षा तथा अन्य सेवाओं तक ये विद्यार्थी अपनी पहुँच सुनिश्चित कर उनका उपयोग कर सकेंगे। विद्यालय परिसर में कक्षा, कार्यालय, शौचालय तथा अन्यविद्यालयीसंरचनाये सभी बाधा रहित होनी चाहिए। कक्षा का वतावरण सभी विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए जिससे की किसी प्रकार की भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों को के लिए सहज हो । एक समावेशित विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहितसभीविद्यार्थियों के आवश्यकताएँ व भिन्नता का सम्मान समावेशी शिक्षा का आधार है।अत: प्रभावकारी समावेशन के लिए य़ह आवश्यक है कि विद्यालय का हर प्रकार का वातावरण इनभिन्नताओंकासम्मानकरें। भौतिक बाधा के कारण बहुत से अधिगम संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच नहीं हो पाती है। ये वातावरणीय बाधा जैसे- दरवाजा, सीढियाँ, रैम्प, सांकेतिक चिह्न, सांकेतिक भाषा अनुवादक इत्यादि।
- **अपर्याप्त संसाधन-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामान्य विद्यालय में समावेशन में संसाधन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी अनुपलब्धता समावेशन में बहुत बड़ी बाधा बनती है। जैसे- ज्यादातर विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकतानुसार वस्तुएं नहीं पायी जाती हैं, इनके लिए भवनों की सुगम्यता नहीं होती है, विशेष अध्यापक नहीं होते हैं, इत्यादि संसाधनों की कमी सफल समावेशन में बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिसके कारण अभी भी शिक्षा विशेष

आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अप्राप्य या दुर्गम हैं । अतः इनके समावेशन के लिए इन संसाधनों का होना आवश्यक है।

- **विद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी**-अन्य कारक जो की समावेशन को व्यवहारित करने में बाधक हैं वह हैं विद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षित न होना। समावेशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता हैं यदि अध्यापको के समावेशन सम्बंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएँ। सामान्य विद्यालय के ज्यादातर शिक्षको एवं कर्मचारियों को विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन एवं इसको सामान्य विद्यालय में कैसे लागू किया जाएँ, इसका प्रशिक्षण उनको नहीं होता है। **मेरेड्डी एण्ड नारायण (Myreddi & Narayan, 2000)** के अनुसार भारत में ज्यादातर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता अध्ययन पर एक इकाई भी नहीं होती है, तथा जिस विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा के कुछ भाग को सम्मिलित किया गया है वहाँ शिक्षक को एकीकृत वातावरण में प्रयाप्त रूप से काम करने में प्रशिक्षित कराने में असफल होते हैं। अर्थात इन शिक्षकों को सैद्धान्तिक ज्ञान देकर छोड़ दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। अतः विकलांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में समावेशन के लिए विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
- **पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का अनुकूलन न होना** :पाठ्यक्रम ही वह साधन हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सकती हैं अत: पाठ्यक्रम तक सभी विद्यार्थियों के लिए सुगम्य होना चाहिए । परन्तु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रविधियां सिर्फ सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली हैं जिससे की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में कठिनाई होती हैं।समावेशितकक्षामेंविशेष बच्चों हेतुअनुदेशनकोप्रभावकारीबनानेकेलिएपाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का अनुकूलन न होना एक बहुत बड़ी बाधा हैं। जैसा की एन.सी.एफ. (2005) में भी उद्धरित हैं *सामान्यतः विद्यालय कुछ गिने-चुने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन के अवसर देते रहते हैं। यद्यपि इन बच्चों को तो इससे फायदा होता है परन्तु अन्य बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं। प्रशंसा हेतु श्रेष्ठता एवं योग्यता को आधार बनाने में प्रत्यक्षतः कोई बुराई भी नहीं दिखाई देती है परन्तु अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए। इन बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और इन विशिष्ट क्षमताओं की भी तारीफ होनी चाहिए । यह सम्भव है कि इन बच्चों को अपना काम पूरा करने/प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त समय या मदद की जरूरत होगी। इसके लिए अपेक्षित धैर्य समावेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।* परन्तु समावेशी शिक्षण प्रविधियों, पाठ्यक्रम तथा अन्य विद्यालयी क्रियाओं में उचित अनुकूलन का शिक्षकों को अपूर्ण ज्ञान होने के कारण शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में असमर्थ हैं।
- **सहपाठी अस्वीकार्यता :** समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सहपाठियों के साथ सामंजस्य होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कई बार विशेष आवश्यकता वाले बच्चें अपनी विशेष

शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझा जाने लगते है, और विद्यार्थी सहपाठी अस्वीकार्यता का शिकार हो जाता है। जब तक सभी बच्चे कक्षा में स्वीकार्य नहीं होंगे तब तक अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की कक्षा में सहपाठियों के मध्य स्वीकार्य बढ़ाने के लिए सभी विद्यार्थियों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जागरुक बनाने हेतु पहल किया जाना चाहिए तथा 'सहपाठी शिक्षण ' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

- **मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा की अनुपलब्धता :**भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के पूर्णतया लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण विद्यालय में मार्गदर्शन एवं परामर्श सुविधा का उपलब्ध न होना भी है| जिसके कारण विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन नहीं हो पाता है| अतः समावेशी शिक्षा देने के तरीकों में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि से अंत तक सुप्रशिक्षित, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए|

समाज में व्याप्त यही सब मुद्दे समावेशित शिक्षा के सफल संचालन में बाधा हैं, अतः इनको दूर करना अति आवश्यक है। एक स्वस्थ्य समावेशन की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है**,** जब तक कि समावेशी विचारधारा को सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति न हो। उपर्युक्त बाधाओं का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में बहुत सारी बाधाएं हैं | बहुत सी योजनाएं एवं अधिनियम तथा अन्य प्रयास इन बच्चों के समावेशन के लिए किया जा रहा हैं परन्तु अभी समावेशन को क्रियान्वित करने के लिए इमानदार प्रयास की नितांत आवश्यकता हैं |

अभ्यास प्रश्न

1. समाज से संबंधित मुद्दे समावेशित शिक्षा में कोई मायने नहीं रखते हैं।(सत्य/असत्य)
2. शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का सीमित होना समावेशित शिक्षा के लिए बाधक नहीं है।(सत्य/असत्य)
3. समावेशित शिक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है।(सत्य/असत्य)
4. अक्षमता के प्रति समाज में जागरुकता फैलाने का कार्य किया जाना चाहिए। (सत्य/असत्य)

7.6 विद्यालय को समावेशित विद्यालय बनाने के उपाय

सफल समावेशित विद्यालय के निर्माण के लिए कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं हैं | समावेशन सृजित करना एक गत्यात्मक प्रक्रिया हैं जो की एक वृहद दर्शन जो की जाति, लिंग, वर्ग, धर्म, आय, शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, पर आधारित हैं | और एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया के

पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। तथा हर स्तर पर प्रयास की आवश्यकता हैं निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो की समावेशित विद्यालय के निर्माण में सहायक हो सकते हैं |

- **सामाजिक स्वीकृति की भावना का विकास** - मनोवृत्ति विश्वास पर आधारित होता है, इनको बदला तभी जा सकता है जब कोई नयी सूचना समाज के लोगों को बताया जाय; जैसे- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के समावेशित शिक्षा में सफलता की कहानी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कुछ माता-पिता अपने बच्चों को समावेशित शिक्षा में दाखिला करने से डरते हैं कि वहाँ पर उनके बच्चे का सही ढंग से देखभाल नहीं होगा। उनका मानना है कि विशेष स्कूल ही उनके बच्चों के लिए उचित है। उनके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया चाहिए जिसमे इस बात के लिए जागरूक किया जाय की समावेशित शिक्षा सभी के लिए लाभकारी हैं और बिना इसके समावेशी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता |
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़ो को सुनिश्चित करना** - शिक्षा और पुनर्वास से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पृथक का यह एक मुख्य कारण है सही और विश्वसनीय आंकड़ों की अनुपलब्धता | विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विभिन्न आवश्यकता वाले लोगों के शिक्षा स्तर और नामांकन के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं| जिससे इनकी आवश्यकताओं के बारे में सही सही आकलन नहीं हो पता |इसलिए इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनके नामांकन और शैक्षिक स्तर से जुड़े आंकड़ों का संग्रहण विश्वसनीय और सही तौर पर किया जा सके| इन आंकड़ो के माध्यम से लक्ष्य समूह की ज़रूरतों के अनुसार सहायक सेवाओं व सुविधाओं का विकास किया जा सकता है जो की समावेशी विद्यालय के निर्माण की आधार भूत आवश्यकता हैं |
- **समावेशन की नीति लागू करना :** समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय की सभी गतिविधियों में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए |विद्यालयों को ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहाँ बच्चों को जीवन के लिए तैयार किया जाये | *समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाएँ कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें। (एन.*सी.एफ., 2005)| समावेशी दर्शन एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता रखता है जिसमें कर्तव्यनिष्ठ प्रयासों की आवश्यकता होती है| यह आवश्यक है की नीति निर्माणकर्ता तथा

क्रियान्वयनकर्ता निष्ठावान प्रयासों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नीतियों को लागू करने के इच्छुक हों|

- **बाधा रहित वातावरण का सृजन** : स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, पृष्ठभूमि के प्रति आदर रखकर ही समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय को तैयार किया जा सकता हैं |विद्यालय का सम्यक वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा हीं योगदान रखता है| बिना इसके विद्यालय में समावेशी माहौल बनाना थोड़ा कठिन होगा| वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सकें। यदि विद्यालय का वातावरण बच्चे के लिए असहज, असुरक्षित, अपमानित करने वाला, हीनता भाव पैदा करने वाला है तो बच्चा स्वयं विद्यालय नहीं जाना चाहता | वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा देखने में आता है। अतः स्वयं को विद्यालय में मिसफिट मानकर ये बच्चे बहिष्करण की प्रक्रिया अपना लेते हैं। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें।
- **शिक्षको में सकारात्मक दृष्टिकोण का सृजन एवं तैयारी** : दृष्टिकोण ब्यक्ति के विश्वास या ब्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करती हैं जो की सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं जब तक शिक्षको का समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशन से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा | समावेशन को सफल बिना शिक्षको के सकारात्मक दृष्टिकोण के नहीं बनाया जा सकता हैं | इस सन्दर्भ में अलाहबबी Alahababi(2009) कहते हैं की "समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शिक्षक अधिगम आवश्यकताओं की विविधता वाले विद्यार्थियों के साथ काम करने के तरीकों को और अधिक आसानी से बदलने तथा अनुकूलन के लिए तैयार रहता हैं | समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए कक्षाध्यापक की विशेष विद्यार्थियों तथा समावेशन के प्रति अभिवृत्ति गहरा प्रभाव डालती है। विविध अनुसन्धानों के अनुसार समावेशित शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षाध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि है क्यूंकि वे ही सामान्य कक्षा अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होतें हैं। समावेशित शिक्षा में कार्य करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाना चाहिए :
  - कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करना।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन तथा वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण सम्बन्धी विशेष दल में सक्रिय प्रतिभाग करना |
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना|
- विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावकों से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करना तथा उनका मार्गदर्शन करना|
- वैयक्तिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए विविध क्रियाओं एवं अनुदेशन में आवश्यक अनुकूलन करना |
- विकलांगता सम्बन्धी सरकारी योजनाओं, अधिनियमों की जानकारी रखना, तथा उनके लाभ को विशेष विद्यार्थियों तथा उनके परिवार वालों तक पहुचाने में मदद करना |
- कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान अवसरों सृजन करना तथा उन्हें प्रदान करना |
- अनुदेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना |
- अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे कि सामान्य बच्चों में सहपाठी स्वीकार्यता की भावना को बढ़ाया जा सके |

- **विभिन्न पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन में अनुकूलन:** वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कठोरता हैं विशेषकर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन के सन्दर्भ में | विद्यालय समावेशी शिक्षा लागू करने का आशय हैं कि विद्यालयी सभी विद्यालयी घटकों का निर्माण विद्यार्थियों की अभिवृतियों, मनोवृतियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं के अनुकूल किया जाएँ| पाठ्यक्रम में विभिन्नता हो तथा वह पर्याप्त लचीला हो ताकि उसे छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा रुचियों के अनुकूल किया जा सके, छात्रों में विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं का विकास हो सके | विद्यालयी पाठ्यचर्या विद्यालय अनुभवों एवं जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रही है। विद्यालयी अनुभवों एवं जीवन के बीच अन्तराल बढ़ने पर बच्चे के बहिष्करण की संभावना बढ़ जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बच्चों के स्तर, समस्याओं, रूचि, स्थिति, परिवेश, वातावरण आदि को ध्यान रखकर यदि पाठ्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों को तैयार किया जाएँ तो निश्चित रूप से समावेशन को सफल बनाया जा सकता हैं |

- **संसाधन केन्द्रों की स्थापना** – सभी बच्चे समावेशित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सके इसके लिए आवश्यक हैं की उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर विविध संसाधन एवं विभिन्न विशिष्टीकरण के विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध हो | जो की अपनी सेवाएँ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों, उनके परिवार जनों तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित लोगों को दे सकें | अत: प्रत्येक जिले में संसाधन केन्दों की स्थापना की जानी चाहिए जो की शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को भी सहायक सेवाओं से अवगत कराये और आवश्यक प्रशिक्षण व उपयोगी ज्ञान

प्रदान करने का कार्य भी करें| साथ ही पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शिक्षकों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन करें|

- **विविध विशेषज्ञों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करना** : समावेशी शिक्षा की सफलता एवं प्रभाविकता बच्चें के अभिभावक, कक्षाध्यापक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट इत्यादि अन्य विशेषज्ञों तथा इनके पारस्पिरिक सहयोग पर निर्भर करती है। स्कूलों में स्पीच थेरेपिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शक, विशेष शिक्षाविद आदि उपलब्ध हों. स्कूलों में बच्चों के संवाद संवर्धन से संबंधित सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो.उदाहरणस्वरुप एक तरफ कक्षाध्यापक सभी बालकों के पाठ्यक्रम अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ विशेष शिक्षक की भूमिका विशेष विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है। तथा अन्य विशेषज्ञ उनकी अन्य आवश्यकताओं का आकलन करते हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं यह एक टीम कार्य हैं | विद्यालय की विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं के साथ छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के रूप में समावेशी शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन हम इन चुनौतियों का मुकाबला शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के सहयोग, माता पिता के प्रयास और समुदाय से मिलकर करने से किया जा सकता हैं |

- **विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाएँ:** समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों के ज्ञान एवं कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें समुदायों और कार्यस्थलों में योगदान करने के लिए तैयार करना हैं | विशेष बच्चे भी उसी समुदाय के हिस्सा हैं जिसके की अन्य बच्चे | वो समुदाय पर तथा समुदाय उन पर आश्रित हैं | समावेशी शिक्षा हेतु यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाएँ ताकि वहाँ छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले| जिससे उनमे सफल एवं योग्यतम सामजिक जीवन यापन करने की क्षमता का विकास हो सकें| इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय-समय पर विद्यालयों में वाद-विवाद, खेल-कूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं , जिसमे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले ,का आयोजन किया जाना चाहिए|

- **विद्यालयी शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग:** समावेशी शिक्षा शिक्षण की अपेक्षा अधिगम पर अधिक जोर देती है तथा बालक के व्यवहार में अपेक्षित अनुकूलतम व्यवहारगत परिवर्तन कर सभी विद्यार्थियों की अन्तनिर्हित क्षमताओं का विकास करने में सहायता करती हैं | समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षा में नई तकनीकियाँ सहायक हो सकती हैं इसके साथ ही विकलांगता विशेष के लिए भी तमाम तकनीकियाँ विकसित हैं जिनकी उपलब्धता आवश्यक हैं | सहायक तकनीकि विकलांगता की स्थिति को विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों में कुछ हद तक सीमित करने का कार्य करती है| विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का विकास होने से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के दैनिक शैक्षिक व गमन सम्बन्धी विभिन्न अवरोधों का निवारण किया गया है| और जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार आया है और भी अधिक आ सकता है|

मोटरयुक्त व्हील चेयर, ज़ॉस (JAWS), श्रवण यंत्र, श्रवणबधितों के लिए विशेष टेलीफ़ोन व सम्प्रेषण यंत्र , बड़ी स्क्रीन के मॉनिटर और आवर्धक, ब्रेल पठन यंत्र, छोटे अनुशीर्षक यंत्र, आदि| ये तकनीकियाँ आवश्यक रूप से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालयों में समावेशित करने में सहायक होंगी|

- **मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था को सुनिश्चित करना** :- भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के पूर्णतया लागू न होने के कई कारणों में से एक कारण विद्यालय में मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्यवस्था का न होना भी है| इसके अभाव में विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण नहीं हो पाता है| अतः समावेशी शिक्षा देने के तरीकों में यह भी होना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों हेतु आदि से अंत तक सुप्रशिक्षित , योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए|

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट हैं कि समावेशन की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना आसान कार्य नहीं हैं | बहुत सारे बाहय तथा आंतरिक कारक हैं जो कि समावेशन को क्रियान्वित करने को प्रभावित करते हैं |अतः सफल समावेशन के लिए हैं कि स्पष्ट दिशा निर्देशन प्रदान करने वाली नीतियों के साथ प्रतिब्धता की आवश्यकता हैं |

अभ्यास प्रश्न

1. समाज की मनोवृति से संबंधित मुद्दे समावेशित शिक्षा में कोई मायने नहीं रखते हैं। (सत्य/असत्य)
2. समावेशी शिक्षा शिक्षण की अपेक्षा अधिगम पर अधिक जोर देती है |(सत्य/असत्य)
3. समावेशित विद्यालय में सहपाठी स्वीकार्यता में सामान्य शिक्षक की अहम् भूमिका है। (सत्य/असत्य)
4. समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षा में नई तकनीकियाँ सहायक हो सकती हैं (सत्य/असत्य)
5. समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। (सत्य/असत्य)

7.7 सारांश

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आप जान चुके हैं कि समावेशी शिक्षा का सम्बन्ध एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था से है जहाँ सभी बच्चे बिना किसी भेद भाव के एक समान वातावरण में पठन-पाठन करते हैं | समावेशी विद्यालय प्रत्येक बच्चे को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, शारीरिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य एवं उसके अधिगम के तौर तरीकों के सन्दर्भ में समझने का प्रयास करता हैं तथा उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करता हैं। यह विद्यालयों की पुनर्निर्माण निर्माण से सम्बंधित हैं

जिसे सभी को शिक्षा प्रदान करने के एक मात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा हैं परन्तु आज भी यह समावेशी शिक्षा उस मुकाम पर नहीं पहुँची है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए| समावेशी शिक्षा की आदर्श स्थिति तक पहुचने में अनेकों बाधाएंहैं जिनमे से प्रमुख हैं रूढ़िवादी मनोवृत्ति, विद्यालयों की नीतियों संबंधित बाधाएं, शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का सीमित होना या कोई पहुँच ना होना ,स्कूल का बजट कम/ वित्तिय समस्या होने के कारण सुविधाओं का अभाव, बाधायुक्त वातावरण ,अपर्याप्त संसाधन, विद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण मे कमी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन पद्धतियों का अनुकूलन न होना,सहपाठी अस्वीकार्यता ,मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधा की अनुपलब्धता | अंत में आपने इन चुनौतियों का सामना करने के उपायों - सामाजिक स्वीकृति की भावना का विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़ो को सुनिश्चित करना ,समावेशन की नीति लागू करना ,बाधा रहित वातावरण का सृजन ,शिक्षको में सकारात्मक दृष्टिकोण का सृजन एवं तैयारी विभिन्न पाठ्यक्रमों**,** शिक्षण विधियों एवं मूल्याकन में अनुकूलन, संसाधन केन्द्रों की स्थापना , विविध विशेषज्ञों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करना विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाएँ विद्यालयी शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग कर , मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इत्यादि के बारे में जाना |

7.8 शब्दावली

- **मनोवृत्ति:** मन में किसी वस्तु /घटना/ संप्रत्यय के प्रति विचार | यह विचार नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी हो सकता है।
- **विशेष विद्यालय:** जहाँ एक प्रकार के वर्ग विशेष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्धयन करते हैं हैं, जैसे - दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय, मानसिक मंद बच्चों के लिए विशेष विद्यालय इत्यादि। सामान्यत: ये आवासीय होते हैं |
- **संसाधन केन्द्र:** ऐसा स्थान जहाँ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो |

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य
2. सत्य
3. असत्य
4. सत्य
5. सभी
6. समन्वय
7. बाधा रहित
8. शिक्षा व्यवस्था

9. असत्य
10. असत्य
11. सत्य
12. सत्य
13. असत्य
14. सत्य
15. सत्य
16. सत्य
17. सत्य

7.9 अभ्यास प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताए| समावेशी विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये |
2. समावेशी विद्यालय में शिक्षक की भूमिका के बारे विस्तार से लिखें।
3. भारत में समावेशी शिक्षा एक चुनौती हैं ? सविस्तार लिखें|
4. समावेशी विद्यालय के निर्माण के उपायों का विश्लेषण कीजिये |

7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Alahbabi, .A.(2009) .k-12 special and general education teachers' attitudes toward the inclusion of students with special needs in general education classes in the united Arab emirates (UAE) *International journal of special education*. 24(2), pp.

- Bradshaw, L. and Mundia, L.(2006). Attitudes to and Concerns about Inclusive Education: Bruneian In-service and P-service Teachers. *International Journal of Special Education***.** 21(1), PP.35-41.

- Hamaidi, D. , Homidi, M. & Reyes, L.V. (2012) International Views Of Inclusive Education: A Comparative Study Of Early Childhood Educator's Perceptions In Jordan, United Arab Emirates, And The United States Of America, *International Journal Of Special Education*, Vol 27, No: 2, 2012, pp.94-101

- Jha, M.M. (2002), School without Walls: Inclusive Education for all. Oxford. Heirimann.

- Mittal, S. R. (2006). Integrated and Inclusive education. New Delhi: Rehabilitation Council of India
- Mitchell, D.(2008). What Really Works in Special and Inclusive Education:Using Evidence-based Teaching Strategies**.** London and New York: Rutledge, Taylor and Francis Group.
- Myreddi, B. & Narayan, J. (2000), Preparation of Special Education Teachers : Present Status and Future Trends, Asia Pecific Disability Rehabilitation Journal
- NCERT (2005). National Curriculum Framework,. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
- Ryndak, O.L. & Alpes, S.K. (1996) Curriculum content for students with moderal and severe. Disabilities in inclusive settings. Boston Allyar & Bacon.
- Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
- UNESCO (2001), Understanding and Responding to Childs Need in Inclusive Classroom, Published by UNESCO.

सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

- Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
- Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional Children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
- Moore, L. O.(2009) Inclusive Strategies for Young Children (2nd Ed) A Resource Guide for Teachers, Child Care Providers, and Parents, New Delhi, Sage .
- Karten T. J. (2009), Inclusive Strategies That Work for Adolescent Learners!, New Delhi, Sage

- Karten, T. J.(2010), Inclusive Strategies That Work! Research-Based Methods for the Classroom, New Delhi, Sage
- Ysseldyke, J. E. and Algozzine,B.(1998)*Special Education: A practical approach for teachers.* Delhi:Nice Printing Press.

-

इकाई – 8

शून्य अस्वीकृति हेतु समावेशी विद्यालयों की चुनौतियां, बाधा मुक्त वातावरण, संसाधनों की सरंचना,सहायक सामग्री, अनुकूलन,संसाधन कक्ष , सामाजिक और सामुदायिक जागरूकता तथा सामुदायिक- व अभिभावकों की सहभागिता

Addressing Challenges Towards Creating an Inclusive School Zero Rejection, Barrier Free Environment, Ease to Access of Infrastructure, Assistive Device, Teaching Learning Materials as per needs of Students, Adaptation, Resource Room, Social and Community Awareness, Involving Parents and Community Leaders

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 शून्य अस्वीकृति
8.3 बाधारहित वातावरण
8.4 विकलांग बालकों के आवश्यकतानुसार शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण
8.5 पाठ्यक्रम का अनुकूलन
8.6 सहायक उपकरण

8.7 संसाधन कक्ष
8.8 समाज एवं सामुदायिक जागरूकता
8.9 माता-पिता एवं समाज की सहभागिता
8.10 सारांश
8.11 शब्दाबली
8.12 अभ्यास प्रश्न
8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.1 प्रस्तावना

समावेशित शिक्षा एक नया प्रत्यय है, इस प्रत्यय की शुरुवात इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएं, रुचि, योग्यता और आवश्यकता होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों की कमजोरियों, उसके मजबूत पक्षों एवं उसकी क्षमताओं को एक ही में विकास करना है। यह विस्तृत व्यूह रचना का एक भाग है। पाठ्यक्रम के द्वारा समाज का उत्थान किया जा सकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार के बालकों को रोका नहीं जाता है। इस पाठ में आप सामवेशिक शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न संप्रत्यय का अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप –

- शून्य अस्वीकृति के अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- बाधारहित वातावरण के अवधारणा को समझ सकेंगे।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारह्ति वातावरण बनाने हेतु कार्यनीतियाँ को समझ सकेंगे।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन के सिद्धांत को समझ सकेंगे।
- संसाधन कक्ष के अर्थ को समझ सकेंगे।
- संसाधन कक्ष की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- विकलांगों के लिए उपयुक्त उपकरणों को जान सकेंगे।

8.3 शून्य अस्वीकृति

शून्य अस्वीकृति एक शैक्षिक दर्शन है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विशिष्ट बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वकालत की गयी है। इस तरह के विचार सबसे पहले individual with disability act (IDEA) मेंकिया गया था। आइडिया के छ: सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत शून्य अस्वीकृति से सम्बंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का यह मौलिक अधिकार है कि उसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएँ। यदि कोई बालक विकलांग भी है तो उन्हें भी शिक्षा से वंचित

नहीं किया जा सकता है, विकलांगता के आधार पर कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को नामांकन करने या शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता है भले ही विकलांगता की मात्रा कितनी भी गंभीर क्यों न हो।

8.4 बाधा मुक्त वातावरण

बाधा मुक्त वातवरण एक ऐसा वातावरण होता है। जो विकलांग व्यक्तियों को भवनों एवं कार्यशाला के भीतर सुरक्षित और सुविधा जनक तरीके से सुविधाओं को प्रयोग करने में समर्थ बनाता है। बाधामुक्त वातावरण का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जो व्यक्तियों के स्वतंत्र कार्यों में सहायता करता है ताकि वे प्रत्येक दिन के कार्यकलापों में बिना किसी की सहायता से भाग ले सकें। इसलिए सार्वजनिक प्रयोग के लिए भवन/ स्थान/ परिवहन प्रणाली को अधिकतम संभव सीमा तक बाधामुक्त बनाया जाना चाहिये।

इस हेतु केन्द्रीय सरकार एवं सभी राज्य सरकारों की यह उत्तरदायित्व है कि सभी सरकारी कार्यालय के भवन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के भवन एवं उनके पास ऑफिस एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के भवनों में रैम्प के साथ बाधारहित वातावरण के अन्य अवयव उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण बनाने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनायी जानी चाहिये –

1. सार्वजनिक भवन (समारोह या मनोरंजन सम्बन्धी) सड़कों, सब –वे और पगडंडी , बस स्टाप/ अड्डों सहित परिवहन सुविधाओं, परिवहन माध्यमों, खेल का मैदान, खुली जगह आदि को सुगम्य बनाया जाना चाहिये।
2. सभी सार्वजनिक समारोहों में संकेत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
3. बाधामुक्त भवनों के निर्माण से सम्बंधित मुद्दों को समल्लित करने के लिए वास्तुकारों एवं सिविल इंजीनियरों की पाठ्यचर्चा को संशोधित किया जाना चाहिये। सरकारी वास्तुकारों एवं इंजीनियरों से सम्बंधित इन विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के लिए व्यापक भवन उपविधियों और स्थान मानकों को पूर्णरूप से अपनाया जाना चाहिये। प्रदेश के सभी (म्युनिसिपल) नगर पालिका निकायों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपविधियों और स्थान मानकों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिये। इस प्राधिकार की उत्तरदायित्व होगी की सार्वजनिक प्रयोग के बनाये गए भवन बाधामुक्त हो।
5. राज्य परिवहन उपक्रम को अपने वाहनों में विकलांग हितैषी सुविधायें सुनिश्चित करनी चाहिये।
6. सार्वजनिक उपयोग के शौचालयों और जनसुविधा केन्द्रों को बाधामुक्त बनाया जाना चाहिये तथा उनमें विकलांगजन की सहूलियत के लिए एक अंश अलग से बनाया जाना चाहिये।
7. केंद्रीय सरकार एवं सभी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिये की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के आद्योगिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और जन सुविधाओं में कर्मचारियों के लिए विकलांग हितैषी कार्यस्थल हों।

8. विकलांग व्यक्तियों की सुविधा की दृष्टि से, सार्वजनिक उपयोग के सभी भवनों की लेखा परीक्षा की जानी चाहिये।
9. बैकिंग प्रणाली को विकलांग व्यक्तियों के अधिकाधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
10. विकलांग व्यक्तियों की सम्प्रेषण जरूरतों को सूचना सेवा और सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्य बनाकर पूरा किया जाना चाहिये।
11. दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के लिए सूचना प्रदान करने हेतु ब्रेल, टेप सेवा, बड़ी प्रिंट, और अन्य उचित प्रद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न

1. शून्य अस्वीकृति से आप क्या समझते हैं ?
2. बाधा रहित वातावरण से आप क्या समझते हैं ?
3. विकलांग बालकों के बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिए आप क्या उपाय करेंगे ?

8.5 विकलांग व्यक्तियों के आवश्यकता अनुसार शिक्षण - अधिगम सामग्री का निर्माण

पाठ्यक्रम का पारंपरिक दृष्टिकोण संकुचित था। इसे शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी समझे जाने वाली कुछ विषयों तक सीमित माना जाता था। इसके विपरीत पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा बहुत व्यापक है। वर्तमान काल में इसके अंतर्गत उन समस्त संगठित तथा असंगठित क्रियाओं एवं अनुभवों को रखा जाता है जिन्हें छात्र विद्यालय के परिसर और अपनी कक्षाओं में सिखते एवं प्राप्त करते हैं।
प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नीति तथा नीतियाँ निर्धारित करता है। इन नीतियों के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों के पूर्ति का माध्यम बनता है। पाठ्यक्रम निर्माण का काम काफी मुश्किल भरा होता है। इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति या समिति को अनेक सिद्धांतो तथा कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए कुछ सिद्धांतो की चर्चा संक्षेप की जा रही है।

1. **दार्शनिक सिद्धांत** – प्रत्येक समाज या राष्ट्र का एक विशिष्ट चरित्र होता है जो उनके दर्शन का प्रतिबिम्ब बनता है। दर्शन के अन्तर्गत सम्बद्ध समाज के नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक मूल्य, उच्च मानवीय गुण जैसे सच्चाई, न्यायप्रियता व सहृश्नुता के प्रति आस्था और राजनैतिक तथा आर्थिक विश्वास एवं विचार सम्मलित हैं। इस समिश्रण में विभिन्न विचार, जीवन मूल्य तथा प्रेरक विश्वास घनिष्ट रूप से घुले मिले रहते हैं। किस राष्ट्र में इनमें से किन अथवा किस आयाम पर कितना बल दिया जाता है। इसे समझने के लिए गहन अध्ययन तथा विश्लेषण की जरुरत पड़ती है।
   दर्शन शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है और उद्देश्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम माध्यम बनता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश के पाठ्यक्रम में अंतर पाया जाता है।

वर्तमान भारतीय परिवेश में धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि पर सहमति है साथ ही साथ अब महिलाओं के अधिकार तथा विकलांगों के अधिकारों के प्रति सहमति बनती है।

2. **समाजशास्त्रीय सिद्धान्त** – समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की धरोहर को एक पीढ़ी से दुसरे पीढ़ी तक पहुचाया जा सकता है। स्वाधीनता पूर्व डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गठित शिक्षा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अपने पूर्वजों के विश्वास तथा मूल्यों के जीवित रखने और अगली पीढ़ी तक पहुचने के लिए शिक्षा सश्क्त माध्यम है।
संस्कृति में समाज विशेष की सम्पूर्ण शैली सम्मलित होती है। समाजशास्त्री संस्कृतिको व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और इनमें मानव निर्मित तथा उनके द्वारा सीखी गयी प्रत्येक वस्तु तथा रीति रिवाज को सम्मलित करते हैं। सांस्कृतिक सम्प्रेषण समाज को आवश्यक उथल-पुथल से बचाता है तथा उसे प्रगति के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की संस्कृति में क्षेत्रीय तथा जातीय आधार पर उप संस्कृतियाँ अथवा संस्कृति की उपधाराएं स्पष्ट रूप से दिखाई दती है। एक सीमा तक वे स्वयं को मुख्य संस्कृति का अवांछनीय अंग बना लेती है तो अपने कुछ आयामों को स्पष्ट रूप से पृथक भी रखती है। भारतीय संस्कृति इसका एक अनोखा उदहारण है।
सम्पूर्ण संस्कृति को अगली पीढ़ियों तक पहुचाना कठिन होता है इसलिए उसके श्रेष्ट तथा चयनित अंशों को विद्यालय पाठ्यक्रम के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। यही कारण है की स्कूल पाठ्यक्रम में समाज के प्रसिद्ध त्योहारों, रीति रिवाजों और अग्रणीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक नेताओं के विचारों और जीवन मूल्यों से सम्बद्ध सामग्री शामिल की जाती है। अत: पाठ्यक्रम निर्माण में सामाजिक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण होता है।

3. **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त** – बीसवीं शताव्दी के उतरार्द्ध में शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान का तेजी से विकास हुआ जो अब मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं के रूप में विकसित हो चुकी है। साथ ही यह भी अनुभव किया जाने लगा कि बालों को सिखाते समय न केवल शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतो तथा तकनीकों का भी अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करना आवश्यक है। बालकों को किस आयु में क्या सिखाया जाय तथा चयनित सामग्री को किस क्रम तथा कैसी भाषा में सजोया जाय ताकि बालकों के संबध समूह को सिखने में सरलता हो और अधिकतम लाभ हो सके, इसके लिए भी मनोविज्ञान की तकनीकों एवं सिद्धांतो का उपयोग जरुरी है। मनोविज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुति के साथ- साथ उसके समय निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होता है। बालकों को की एकाग्रता सम्बन्धी सीमाओं को समझ कर विद्यालय में कलांशों की अवधि निश्चित की जाती है।

4. **शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत** – स्वयं शिक्षाशास्त्र के सिद्धांतो तथा तकनीकों पर बीसवीं शताब्दी में काफी शोध किया गया है। बालकों के अधिगम के सरल एवं सफल बनाने के लिए शैक्षिक तथा शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत को ध्यान में रखना पाठ्यक्रम के निर्माण में अनिवार्य है। उदाहरण के लिए किसी सामग्री को भाषण विधि से भी पढाया जा सकता है और कहानी विधि से भी।परन्तु यह सामग्री दूसरी या तीसरी कक्षा के बालकों को पढाई जानी हो तो इसकी प्रस्तुति में कहानी विधि को अपनाना अधिक श्रेयष्कर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हम किस स्तर पर कौन सी विधि

अपनाएँ इसके लिए शिक्षा शास्त्र हमारी मदद करता है। अत: इस सिद्धांत को ध्यम में रखना अत्यंत आवश्यक है।

8.6 पाठ्यक्रम का अनुकूलन

वर्तमान में पाठ्यक्रम का निर्माण सामान्य बालकों को ध्यम में रखकर के बनाये जाते है। फलत: इनमें ऐसे अनेक तत्व अथवा अंश होते हैं जो विकलांग बालकों को समान शैक्षिक अनुभव देने में बाधक बन जाते हैं। पाठ्यक्रम में ऐसे बाधक तत्वों/ अंशों को विकलांगों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। इसके कुछ नियम है। इसी को पाठ्यक्रम के अनुकूलन के सिद्धांत कहा जाता है–

1. **प्रतिस्थापन (Substitution)** – प्राथमिक स्तर पाठ्क्रम में दृष्टि मूलक विचारों की भरमार होती है। इन्हें दृष्टि बाधा के सीमओं के कारण ऐसे बालकों के लिए समझना कठिन हो जाता है। उनके लिए संशोधन से समझना भी जब कठिन हो जय तो प्रतिस्थापन की सहायता लेनी पड़ती है। इसका अभिप्राय है की पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ के स्थान पर विकलांग बालकों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो यथा संभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ जैसा हो तथा उसके जैसे अथवा उससे मिलते जुलते अनुभव दे सके।
2. **रूपांतरण (Modification)** – पाठ में छोटे –मोटे संशोधन करना रूपांतरण कहलाता है। जैसे पाठ में कई बार लिखा रहता है – "ऊपर दिए चित्रों को देखकर बताओ कि इसमे कुछ व्यक्ति या पशु काया कर रहे हैं। इस तरह के उदाहरण विशेषकर दृष्टि बाधित बालकों के लिए भ्रामक शव्द लगता है। इस वाक्य को उन छात्रों के लिए संशोधित किया जा सकता है अथवा चित्र को वर्णन किया जा सकता है। यह रूपांतरण का उदाहरण होगा।
3. **हटाना (Omission)** –इसका अभिप्राय यह है कि जब प्रतिस्थापन रूपांतरण अथवा द्विगुणित में से किसी भी नियम का प्रयोग संभव नहीं हो तो उस पाठ को छोड़ देना। प्राथमिक स्तर पर कभी कभी इसका आवस्यकता पर जाती है।
4. **द्विगुणित (Duplication)** – द्विगुणित नियम का अभिप्राय द्विगुणन तक सीमित नहीं है। अनेक बार छापी हुई पाठ्य सामग्री के स्थान पर ब्रेल अथवा दिर्घाक्षर (Large Print) सामग्री विकलांगो के लिए सुलभ नहीं होती तो उस इस्थिति में अध्यापक में अध्यापक को उस पाठ्य सामग्री की ब्रेल या अथवा दिर्घाक्षर प्रतियाँ स्वय बनानी पड़ती है अथवा वह किसी और व्यक्ति की सहायता से बनवाता है। यह द्विगुणन का उदहारण होगा।

अभ्यास प्रश्न

1. पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?
2. पाठ्यक्रम अनुकूलन के महत्वपूर्ण सिद्धांतो का वर्णन करें।

8.7 संसाधन कक्ष

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है। विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है।

8.7.1 संसाधन कक्ष- अर्थ व आवश्यकता

संसाधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- सं+साधन। सं का अर्थ है सहित और साधन का अर्थ है सामग्री, अर्थात वह कक्ष जो सामग्री सहित हो। अर्थात वह कक्ष जहां विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष सामग्री हो, जिनके द्वारा विशिष्ट बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसे "संपूरक कक्ष" भी कहा जाता है, अर्थात वह कक्ष जो विशिष्ट बालकों के लिए पूरक के रूप में कार्य करे।

सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत संसाधन कक्ष प्रारूप में संसाधन कक्ष विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री रखी जाती है। विकलांग बालकों में दृष्टि एवं श्रवण क्षमता कम होने के कारण उन्हें अन्य संवेदों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके प्रशिक्षण के लिए उचित सामाग्री संसाधन कक्ष में रखी जाती है। इस कक्ष में विशिष्ट बालक प्रतिदिन संसाधन शिक्षक के पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। यह प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से विकलांग बालकों को उपलब्ध कराया जाता है।

8.7.2 संसाधन कक्ष की संरचना

संसाधन कक्ष का निर्माण विशिष्ट बालकों की विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवाश्यकता को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये इस प्रकार हैं :

1. संसाधन कक्ष की संरचना के समय विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों की समूहों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। यह कक्ष विद्यालय का कोई भी कक्ष हो सकता है, परन्तु प्रयास किया जाता है कि विद्यालय में ऐसे कक्ष को बनाया जाय, जो विद्यालय भवन के मध्य में हो जहाँ से पानी एवं शौच की सुविधाएँ बहुत दूर नहीं हो।
2. यह शांति पूर्ण स्थान पर स्थापित हो तो ज्यादा उचित होगा, चूँकि दृष्टिबाधा , श्रवण बाधा, एवं मानसिक मंद बालकों के प्रशिक्षण में शांत माहौल होना आवश्यक है इसलिए शोर वाले जगह से बचना चाहिये।
3. संसाधन कक्ष भूमितल/निचली मंजिल (Ground Floor) पर होना चाहिये और उस तक पहुचने वाला रास्ता सरल एवं सुगम होना चाहिये। इस मार्ग पर खतरनाक अवरोध नहीं होना चाहिये।
4. इस कक्ष में प्रकाश की प्रयाप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

5. संसाधन कक्ष में विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के अनुसार कुर्सी, मेज व सामग्री रखने हेतु अलमारी, सहायक सामग्री, उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिये।

8.7.3 संसाधन कक्ष के कार्य

संसाधन कक्ष का मुख्य कार्य विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। यह वह कक्ष हैं जहाँ जमा पाठ्यक्रम क्रियाएं सिखाई जाती है व उन्हें विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण एवं अभ्यास दिया जाता है, इस कक्ष में अनुस्थितिज्ञान, चलिष्णुता, ब्रेल पठन व लेखन संकेत भाषा, ओष्ट पठन इत्यादि की प्रशिक्षण दिया जाता है।

संसाधन कक्ष का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बालकों में उन दक्षताओं अथवा कुशलताओं को विकसित करना है, जिसके द्वारा कक्षा में उसकी भागीदारी समान ढंग से हो सके। वे भी सामान्य छात्रों के भांति शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें, जिसके आधार पर मल्यांकन द्वारा उन्हें अग्रिम कक्षा में भेजा जा सके। ये दक्षताएं निम्न प्रकार से हैं :

1. ब्रेल पठन व लेखन सीखना
2. संवेदन प्रशिक्षण
3. अनुस्थिति ज्ञान व चलिष्णुता प्रशिक्षण
4. श्रवणबाधित बालकों को संकेत भाषा की प्रशिक्षण देना
5. सम्पूर्ण सम्प्रेषण (Total Communication) की प्रशिक्षण देना
6. विशेष उपकरणों का प्रयोग।
7. टंकण सीखना
8. ध्वन्यंकित पुस्तकें उपलब्ध कराना
9. रीडर की सुविधाएँ उपलब्ध कराना
10. आर्थिक सुविधा का वितरण
11. विशिष्ट बालकों की पहचान करना
12. विशिष्ट बालकों की मूल्यांकन करना

अभ्यास प्रश्न

1. संसाधन कक्ष से आप क्या समझाते हैं ?
2. संसाधन कक्ष का निर्माण आप कैसे करेंगे ?

8.8 उपकरण

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुरूप समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना तथा व्यक्ति का सर्वांगीन विकास करना है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी ज्ञानेन्द्रियों के आभाव में शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य होता है, किन्तु यदि ऐसी दशा में कुछ विशेष क्रियाओं या क्रिया विधि का उपयोग किया जाय तो यह कार्य सुगम हो सकता है।

विकलांगता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों का एक या एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियाँ या शरीर का कोई एक अंग सामान्य बालकों के जैसे कार्य करने में असमर्थ होता है। किन्तु कुछ विशेष साधनों तथा क्रियाओं का प्रयोग करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये उपकरण या साधन तथा क्रियाएं विभिन्न विषयों का ज्ञान देने में सहायक होते हैं विशिष्ट बालकों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कुछ उपकरणों या साधनों का उपयोग किया जाता है। जो इस प्रकार है :-

i. **ब्रेल** स्लेट (Braille Slate) – ब्रेल लेखन हेतु ब्रेल स्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रेल लेखन के लिए खांचे बने होते हैं। जिनसे एक नुकीलि पिन अर्थात स्टाईलस की सहायता से दवाकर ब्रेल की विन्दु उभारे जाते हैं। यह आरंभिक अवस्था में पढ़ना लिखना सिखाने का एक सशक्त माध्यम है, जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है। ब्रेल स्लेट दो प्रकार की होती है। पहली लकड़ी से निर्मित तथा दूसरी प्लास्टिक से निर्मित होती हैं।
ii. **ब्रेलर (Brailler)-** ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिन्दुओं को उभारे जा सकते हैं ।इस मशीन में ब्रेल के 6 बिन्दुओं के लिए 6 बटन होते हैं, जिसमें बटनों को एक साथ दवाया जाता है। ब्रेलर से ब्रेल लिखते समय क्या लिखा गया है, उसे साथ ही साथ पढ़ा भी जा सकता है।ब्रेलर की सहायता से बहुत तेजी से ब्रेल लिखी जा सकती है।
iii. **पाकेट फ्रेम (pocketframe)-** यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है।
iv. **टेलर फ्रेम (Tailor Frame)-** यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं। जैसा की नाम से विदित है इसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता है, जिसके अन्दर अलुमिनियम का एक चादर लगी होती है। इस चादर में अष्टकोणीय छिद्र बने होते हैं इन छिद्रों में विशिष्ट प्रकार से बने टेप्स को अलग अलग प्रकार से लगाकर संख्याएं, विभिन्न चिन्हों, और प्रतीकों को लिखा जाता है। टेलर फ्रेम टाईप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला अंकगणितीय टाईप्स एवं दूसरा बीजगणित टाईप्स।
v. **अबेकस (abacus)-** अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया। अबेकस आयताकार होता है, जिसमें लम्बत रूप से लोहे की 13 या 14 मोटे तार होती है जिसमे मोती पिरोये होते हैं तथा एक तार में पांच मोती होते हैं। क्रेंनमर ने दृष्टिबाधितों के लिए अबेकस प्रयोग हेतु कुछ परिवर्तन किये।
vi. **ज्यामितीय किट-** यह उपकरण रेखागणित में उपयोगी होता है।
vii. **इलेक्ट्रोनिक नोट टेकर** – यह एक कम क्षमता वाला कम्प्युटर होता है। इसका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है। साधारणत: इस उपकरण में एक ब्रेलर की तरह 7 कुंजियाँ लगी होती है जिसका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है।
viii. **टाकिंग कैलकुलेटर-** इसकी सहायता से पूर्ण अंधे बच्चे गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो बटन दबाये जाते है, वही अंक सुनाई देती है।

ix. **लेजर छड़ी (LaserCane)-** यह लंबी छड़ी जैसा ही साधन है। इससे इंफ्रारेड प्रकाश की तीन किरणें निकलती है। एक ऊपर, एक नीचे और एक सीधे दिशा में निकलता है। प्रकाश की ये किरणें जब किसी बस्तु से टकराती है तो वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है और इसी ध्वनि की आवाज से दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे सचेत हो जाते है।

x. **श्रवण यंत्र (Hearingaids)-** श्रवण वाधित बालकों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण की आवाज को ग्रहण कर उसे कई गुणा बढ़ा कर सीधे कान में पहुंचाता है। इसकी सहायता से कम सुनने बाला बच्चा भी उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है।

xi. **बैसाखी(Crunch)-** कमजोर पैरों वाले बच्चों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैसाखी बच्चों को सहायता प्रदान करती है ।

xii. **कैलीपर्स (Callipers)-** यह जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है, जो कमजोर पैरों को सहारा प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त विभिन्न उपकरणों का नाम लिखें ?

8.9 समाज एवं सामुदायिक जागरूकता

सभी प्रकार के बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए उचित सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। प्रायः यह देखा गया हैं कि विकलांगता के प्रति हमारे समाज में नकारात्मक अभिवृतियॉ उनके विद्यालय प्रवेश एवं समाज के मुख्यधारा में लाने में प्रमुख बाधायें है, परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को समाज में कई कठिनाई एवं विद्यालय में प्रवेश लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी यह सोच होती है कि विकलांग बच्चे उनके विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगें। सामान्य बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी एवं साथ ही अध्यापकों की जिम्मेदारी भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाएँगी। दूसरे शब्दों में सामान्य विद्यालय विकलांग बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते अक्सर देखने में आता हैं कि वे विकलांग विद्यार्थियों की क्षमताओ से अपरिचित रहने के कारण उनकी विकलांगता को अधिक ऑकते है। यदि वे विकलांग बच्चों की क्षमताओं से परिचित हों तो बिना किसी समस्या के इन बच्चों की विशेष आवश्यकता के आधार पर अपने विद्यालय में परिवर्तन लाते हुए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराकर अपने विद्यालय को आर्दश विद्यालय के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। समावेशी विद्यालय में बच्चों में परस्पर सहयोग एवं सहभागिता की भावनाओं का विकास होता है। अपने विकलांग सहपाठी का सहयोग करते हुए, ऊॅच-नीच भूलकर समान अवसरों का लाभ उठाते हुए उनकी क्षमताओं से परिचित होते हैं। विकलांग विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं एवं विशेष उपकरणों से परिचित हो जाते हैं। समाज एवं समुदाय का सहयोग इस अधिगम को और अधिक सुचारू एवं क्रमबद्ध बना सकता है। इस संदर्भ में विकलांगता के प्रति समाज में जागरूकता एवं समावेशी शिक्षा के सफल नियोजन के लिए निम्न उपाय आवश्यक है:-

1. **प्रशासनिक अधिकारियों हेतु परिचयात्मक (Introductory) कार्यक्रम:-**

विकलांग के प्रति नकारात्मक अभिवृतियों का प्रमुख कारण विकलांग व्यक्तिओं की क्षमताओं से अनभिज्ञ रहना है, अतः आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी क्षमताओं के साथ-साथ उनकी विशेष आवश्यकता ओं से भी परिचित कराया जाय। विकलांगता व्यक्ति के सोचने की शक्ति को इतना प्रभावित नहीं करती कि वह शिक्षा प्राप्त करने योग्य ही न रहे। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलन कर उन्हे सामान्य विद्यार्थियों की भांति ही शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हेलन केलर, सूरदास, मिल्टन जैसे अनेकों उदाहरण अतीत में देखे जा सकते हैं। विकलांग व्यक्ति को दया की नहीं समानता की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा से सम्बन्धित सभी मुद्दों (Issues) से उन्हें परिचित कराना चाहिए। समावेशी शिक्षा योजना (Inclusive Education Scheme) आदि की जानकारी भी उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि वे विकलांग बच्चे के उचित शिक्षार्थी उचित वातावरण व सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करा सकें।

2. **दृश्य-श्रव्य (Audio Visual) सामग्री द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों व विद्यार्थियों हेतु संवेदीकरण (Sensitization) कार्यक्रम का आयोजन:-**

जिस विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा लागू की जा रही हो, सर्वप्रथम वहॉ उचित वातावरण हेतु सभी शिक्षक, गैर शिक्षाकर्मियों व सामान्य विद्यार्थियों की तैयारी अति आवश्यक है। प्रायः उनकी अभिवृतियाँ नकारात्मक होती है, अतः आवश्यकता है कि इस दिशा में सक्रिय कदम उठाए जायें। दृश्य -श्रब्य सामग्री विकलांग व्यक्ति की क्षमताओं से परिचित कराने का सशक्त माध्यम है। विभिन्न राष्ट्रीय विकलांग संस्थान् सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मुख्य आयुक्त (निःशक्त जन), भारत सरकार तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा दृष्य-श्रव्य सामग्री विकसित की गई है। उनको विद्यालय में उपलब्ध कराकर विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में उसका उपयोग करना चाहिए।

3. **विकलांग बालकों की खोज हेतु संवेदीकरण शिविर का उपयोग:-**

विकलांग बालकों की खोज एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रायः माता-पिता बच्चों की विकलांगता को स्वीकार न कर तो विभिन्न चिकित्सकों के चक्कर में पड़े रहते हैं अथवा स्वयं ही विकलांगता को समस्या मानकर हीन भावना से ग्रसित रहते है। अपने पूर्व जन्मों की सजा मानकर विकलांगता को किसी से बताते हुए भी घबराते हैं, विद्यालय भेजना तो बहुत ही दूर की बात है। अतः समाज को झकझोरने के लिए संवेदीकरण शिविर का आयोजन आवश्यक है ताकि विकलांग बच्चों की खोज हो सके, जिससे कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित न रह सके।

4. **संसाधन कक्ष व संसाधन सामग्री विद्यालय के लिए उपलब्ध कराना-**

प्रशासनिक उपायों में आवश्यक हैं कि विद्यालय में संसाधन कक्ष उपलब्ध कराया जाय। यह विद्यालय का कोई भी कक्ष या कमरा हो सकता है। आवश्यक है कि विकलांग विद्यार्थियों के

लिए यह सुविधाजनक स्थिति में हो, केन्द्र में स्थित हो तो उत्तम होगा। ऐसे कक्ष के उपलब्ध न होने की स्थिति में कक्ष का निर्माण कराना आवश्यक हो जाता है। भवन का प्रत्येक कक्ष विकलांग विद्यार्थियों की पहुँच में होना चाहिए, जिसमें तिपहिया साइकिल (Tricycle) वाले विद्यार्थी एवं दृष्टिहीन विद्यार्थी बिना किसी समस्या के स्वतंत्र रूप से आ - जा सकें। विकलांग विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन कक्ष में संसाधन सामग्री, भी उपलब्ध कराना प्रशासन का उत्तरदायित्व है। दृष्टिहीन विधार्थियों के लिए ब्रेल सामग्री, स्पर्शीय सामग्री व पुस्तकें संसाधन कक्ष में होनी चाहिए, वही श्रवण विकलांग विद्यार्थियों हेतु दृश्य सामग्री, श्रवण सहायक यंत्र (Hearing Aids), इत्यादि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।

5. **विकलांग बच्चों हेतु आकलन दल (Assessment Team) का नियोजन-**

प्रत्येक विकलांग बच्चा स्वयं में एक इकाई है उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि आकलन दल उसका आकलन (Assessment) कर उसके विद्यालय प्रवेश के लिए निर्देश दे। विद्यालय प्रवेश नियम विकलांग बच्चों के लिए लचीले होने चाहिए। प्रवेश के समय लिया गया गलत निर्णय उसके भावी जीवन के लिए घातक हो सकता है।

7. **विकलांग विद्यार्थियों हेतु सह-चिकित्सकीय अधिकारियों (Medical Officers) को सेवाओं को उपलब्ध कराना-**

विकलांग विद्यार्थियों की प्रायः अनेक आवश्यकतायें होती है, जिनकी पूर्ति के लिए सह-चिकित्सकीय सेवाओं को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। यही नहीं सामान्य विद्यार्थियों में प्रायः छिपी हुई विकलांगतायें होती है, जैसे अधिगम विकलांगता अथवा श्रवण विकलांगता सह-चिकित्सकीय अधिकारियों द्वारा ऐसे बच्चों की खोज कर अविलम्ब चिकित्सीय लाभ पहुंचाकर उनके विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सकती है।

8.10 माता – पिता एवं समाज की सहभागिता

समावेशित शिक्षा में माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घर बालकों के लिए प्रथम पाठशाला होती है। शोध के द्वारा पाता चला है कि प्रारंभ के 6 वर्ष इतने महत्वपूर्ण हैं कि 90 से 95 प्रतिशत तक बौद्धिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। विकलांगता के सन्दर्भ में तो माता पिता व अभिभावक की अहम् भूमिका होती है। विकलांग वालकों को न तो तिरस्कृत करना चाहिये और न ही अति संरक्षण देना चाहिये।

विकलांग बालक तो इससे अनभिज्ञ रहता है की वे सामान्य बालक से अलग है। इस बात का ध्यान तो तो उसके परिवार के सद्श्य माता – पिता, अभिभावक, भाई बहन पड़ोसी दिलाते हैं कि उनका जीवन अति कठिन है, क्योंकि वह सामान्य बालक तरह कार्य नहीं कर सकता है। उनकी चिंता विशिष्ट बालकों को सोचने पर विवश करती है कि वह अन्य व्यक्तियों, माता –पिता, भाई – बहन से भिन्न है जोकि उनके लिए चिंता का विषय है। उनका कोमल मन व बुद्धि कुछ भी समझ पाने में असमर्थ होती है। माता-पिता विभिन्न चिकित्सकों के पास चक्कर इस आशा में लगाते है कि उनका बच्चा दृष्टिहीन नहीं हो सकता। इस प्रकार दर दर की ठोकरें खाते हुए उनके माता पिता उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षो को व्यर्थ में ही गवां देते हैं। परिणामस्वरूप विकलांग बच्चे केजीवन के प्रारंभिक वर्ष कुछ सिखने की अपेक्षा इसी संघर्ष

में गुजर जाते हैं। यदि माता पिता शिक्षित हैं तो वे उन्हें समयानुसार विशेष शिक्षा व विशिष्ट विद्यालय की जानकारी मिल जाती है तो बच्चे की शिक्षा उचित समय पर प्रारंभ हो जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की सुविधाओं में बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को विशिष्ट बालकों के शिक्षा प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र में भेजना आवश्यक हो जाता है। बालकों में अच्छी आदतों का विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विशिष्ट बालकों को अन्य सामान्य बच्चो के समान ही इन आदतों से परिचित कराकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिये ताकि उनमें अच्छी आदतों का विकास हो सके। अत: विकलांग बालकों को विद्यालय प्रवेश से पूर्व दैनिक क्रिया कौशल में निपुण होना आवश्यक है जिसके विकास में माता-पिता का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

विशिष्ट बालकों के समायोजन एवं विकास में समाज एवं सहपाठियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे न केवल ऐसे बालकों को समाज, कक्षा एवं विद्यालय में स्वस्थ प्रोत्साहन प्रदान करने वाले वातावरण का निर्माण करते है, बल्कि समकक्ष होने के कारण उसके स्वप्रत्यय के विकास में भी महत्व भूमिका निभाते हैं। समाज एवं विद्यालय का वातावरण सौहाद्रपूर्ण होने से विकलांग बच्चे का प्रयेक अनुभव सुखद होता है। आज के समय शोध द्वारा सिद्ध हो गया है कि बच्चे विद्यालय एवं समाज में अनुकरण कर के ज्यादा सिखते हैं।

समावेशी शिक्षा में नियमित अध्यापकों की सक्रिय भूमिका होती है। उन्हें विशेष विद्यार्थी के संदर्भ में विशेष अध्यापक के सम्पर्क में रहना होता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाए जाने वाले विषय को आत्मसात कर सके न कि उसमें आने वाली समस्याओं से अकेला जूझता रहे। दृष्टिहीन विद्यार्थी को कक्षा में अन्य सामान्य विद्यार्थियों की भांति समान रूप से सम्मिलित होना चाहिए। सर्वप्रथम कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो, जहॉ किसी भी विद्यार्थी के साथ विकलांगता के कारण भेद न किया जाएँ। जहाँ तक सम्भव हो सके नियमित अध्यापक द्वारा कक्षा में चलने वाली प्रत्येक क्रिया में विकलांग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उसके बैठने का स्थान इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे आने-जाने की असुविधा न हो व बाहर का शोर भी उसे प्रभावित न करता हो। नियमित अध्यापक को कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं से परिचित होना चाहिए। उसके प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की भी जानकारी उसे होनी चाहिए। उसकी उपलब्धि का आकलन कैसा होगा? उसकी मूलभूत समस्याएँ अथवा कठिनाइयाँ क्या हो सकती हैं? ये अनेक प्रश्न नियमित अध्यापक को परेशान कर सकते हैं। उसे विशेष अध्यापक से इन पर चर्चा कर लेनी चाहिए अथवा इन बच्चों से सम्बन्धित साहित्य अथवा सामग्री विशेष-अध्यापक से प्राप्त कर पढ़ लेनी चाहिए, जिससे उसके पूर्वाग्रह समाप्त हो जाएँ।

नियमित अध्यापक को विकलांग विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की जानकारी के साथ-साथ इन बच्चों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली द्वि-आयामी और त्रि-आयामी स्पर्शीय सामग्री व स्पर्शीय मॉडल आवश्यकतानुसार कक्षा में उपलब्ध कराने चाहिए, जिनके माध्यम से विकलांग के साथ-साथ दृष्टिवान विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे।

विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते समय विकलांग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अध्यापक को विशिष्ट अध्यापक से परामर्श लेना चाहिए, ताकि विकलांग विद्यार्थी अर्थपूर्ण

क्रिया कर अपने अधिगम को स्थायी बना सके व साथ-साथ सामूहिक क्रिया में अपनी बराबर की भांगीदारी सुनिश्चित कर सके। ये अनुभव उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे व परिणामस्वरूप उसमें स्वस्थ स्वप्रत्यय का विकास भी होगा।

इस प्रकार इक्कीसवीं शताब्दी समावेशित शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर दृष्टिवान व दृष्टिहीन की दूरी पाटने की दिशा में कृतसंकल्प है। विश्व भर में समवेशी शिक्षा के लिए प्रयास जारी हैं। आदर्श समाज में सभी की भागीदारी होनी आवश्यक है। विकलांगता के आधार पर विभेद करना मानव अधिकारों का हनन है, अतः आवश्यकता है कि विद्यालय की समावेशी शिक्षा के आधार पर समावेशित समाज का निर्माण किया जाएँ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव अधिकारों का लाभ उठाकर समाज, देश व विश्व निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग बालकों के सम्पूर्ण विकास के लिए माता-पिता की सहभागिता आवश्यक है। क्यों ?

8.11 सारांश

शून्य अस्वीकृति एक शैक्षिक दर्शन है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विशिष्ट बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वकालत की गयी है। इस तरह के विचार सबसे पहले individual with disability act (IDEA) मेंकिया गया था। आइडिया के छ: सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांतशून्य अस्वीकृति से सम्बंधित है।

बाधा मुक्त वातवरण एक ऐसा वातावरण होता है। जो विकलांग व्यक्तियों को भवनों एवं कार्यशाला के भीतर सुरक्षित और सुविधा जनक तरीके से सुविधाओं को प्रयोग करने में समर्थ बनाता है। बाधामुक्त वातावरण का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है कि जो व्यक्तियों के स्वतंत्र कार्यों में सहायता करता है ताकि वे प्रत्येक दिन के कार्यकलापों में बिना किसी की सहायता से भाग ले सकें। इसलिए सार्वजनिक प्रयोग के लिए भवन/ स्थान/ परिवहन प्रणाली को अधिकतम संभव सीमा तक बाधामुक्त बनाया जाना चाहिये।

पाठ्यक्रम का पारंपरिक दृष्टिकोण संकुचित था। इसे शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी समझे जाने वाली कुछ विषयों तक सीमित माना जाता था। इसके विपरीत पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा बहुत व्यापक है। वर्तमान काल में इसके अंतर्गत उन समस्त संगठित तथा असंगठित क्रियाओं एवं अनुभवों को रखा जाता है जिन्हें छात्र विद्यालय के परिसर और अपनी कक्षाओं में सिखते एवं प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नीति तथा नीतियाँ निर्धारित करता है। इन नीतियों के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों के पूर्ति का माध्यम बनता है। पाठ्यक्रम निर्माण का काम काफी मुश्किल भरा होता है। इस काम के लिए नियुक्त व्यक्ति या समिति को अनेक सिद्धांतो तथा कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है।

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है।

विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को उनकी क्षमता व योग्यता के अनुरूप समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाना तथा व्यक्ति का सर्वांगीन विकास करना है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञानेन्द्रियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी ज्ञानेन्द्रियों के आभाव में शिक्षा प्रदान करना एक कठिन कार्य होता है, किन्तु यदि ऐसी दशा में कुछ विशेष क्रियाओं या क्रिया विधि का उपयोग किया जाय तो यह कार्य सुगम हो सकता है।

विकलांगता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों का एक या एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियाँ या शरीर का कोई एक अंग सामान्य बालकों के जैसे कार्य करने में असमर्थ होता है। किन्तु कुछ विशेष साधनों तथा क्रियाओं का प्रयोग करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये उपकरण या साधन तथा क्रियाएं विभिन्न विषयों का ज्ञान देने में सहायक होते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कुछ उपकरणों या साधनों का उपयोग किया जाता है।

समावेशित शिक्षा में माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घर बालकों के लिए प्रथम पाठशाला होती है। शोध के द्वारा पाता चला है कि प्रारंभ के 6 वर्ष इतने महत्वपूर्ण हैं कि 90 से 95 प्रतिशत तक बौद्धिक विकास इस अवस्था में हो जाता है। विकलांगता के सन्दर्भ में तो माता पिता व अभिभावक की अहम् भूमिका होती है। विकलांग वालकों को न तो तिरस्कृत करना चाहिये और न ही अति संरक्षण देना चाहिये।

8.12 शब्दाबली

- **समावेशित शिक्षा:** सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक साथ शिक्षा।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चे:** वे बच्चे जिनकी आवश्यकतायें सामान्य बच्चों से अलग हों जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे इत्यादि।

8.12 अभ्यास प्रश्न

1. शून्य अस्वीकृति क्या है ? बाधारहित वातावरण निर्माण के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे ?
2. संसाधन कक्ष से आप क्या समझते हैं ? संसाधन कक्ष का निर्माण आप कैसे करेंगे ?
3. समाज में विकलांगता के प्रति जागरूकता के लिए आप क्या कार्यनीति अपनाएंगे ?

8.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजीव के.(२००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना।
- भार्गव एम.(२००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.

- Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- A guidebook for Teachers' on how to implement inclusive education in the regular class (1999). Beyond Toknism, National Trust Act.
- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला. ऑल इंडिया कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ दी ब्लाइंड
- www.idea.ed.gov
- www.education.com

इकाई – 9

समावेशी विद्यालय की चुनौतियों का समाधान

(Addressing Challenges of Inclusive)

9.1 प्रस्तावना

9.2 विशिष्ट बालकों के शिक्षण कार्य में माता पिता की भूमिका

9.3 रैगिंग

9.4 सहकारी अधिगम (Collaborative Learning)

9.5 कक्षा कक्ष में सहयोगी अधिगम का बढ़ावा

9.8 सारांश

9.9 अभ्यास प्रश्न

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.1 प्रस्तावना

यह दु:खद सत्य है कि आज़ादी के छ: दशक बाद भी भारत में विद्यालयीन शिक्षा का स्वरूप सुनिश्चित नहीं हो सका है और इतनी विसंगतियां उजागर हो रही हैं कि व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। शिक्षा पर हावी होते व्यावसायिक दृष्टिकोण ने विद्यालयीन शिक्षा में भेद-भाव की खाई को भी गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार शिक्षा की बदहाली से अवगत है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रखण्ड स्तर पर छ: हजार मॉडल स्कूल खोलने की योजना को स्वीकृति दी है और इसके लिए पर्याप्त राशि आबंटित की है। राज्य सरकारें इन विद्यालयों के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्धा करायेंगी। छठी से बारहवीं कक्षा तक संचालित इन विद्यालयों में शिक्षा का माधयम राज्य-सरकारें तय करेंगी पर अंग्रेजी बोलने और पढ़ने पर बल दिया जाएगा। इनका स्तर केंद्रीय विद्यालय के बराबर होगा। इनमें विद्यार्थी और शिक्षकों का प्रतिशत आदर्श होगा तथा नये प्रकार के पाठयक्रम सहित सभी तकनीकी सुविधाएं सुलभ होंगी।

प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार के इस क़दम से कितने प्रतिशत बच्चे लाभान्वित होंगे और क्या पूरे देश के बच्चों को ऐसे आदर्श विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है ? मुट्ठी भर सम्प्रभुओं के बच्चे तो आरंभ से ही महंगे आदर्श विद्यालयों में पढ़ते आ रहे हैं। समस्या तो जन सामान्य की है, जो सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा त्रस्त हैं। देश भर के शासकीय विद्यालय संसाधानों की कमी से जूझ रहे हैं। मधय प्रदेश में 2 प्रतिशत विद्यालय शिक्षकविहीन है, 32 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अकेले सतना जिले के ही 222 विद्यालयों में एक ही शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। 5 प्रतिशत से

अधिक विद्यालयों में प्रति एक सौ विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। ऐसे में बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक समान स्कूल प्रणाली लागू नहीं की गयी है। बच्चों को पाठयक्रम में क्या, कैसे, कितना और क्यों पढ़ाया जाये ? यह भी तय नहीं हो पा रहा है। अकेले मधय प्रदेश की ही बात करें, तो जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ महीनों में ही इस संदर्भ में कई अजीबो-गरीब बयान राजनेताओं और नौकरशाह की ओर से प्रकाश में आए हैं। उदाहरणार्थ-'जिले में एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग प्रोजेक्ट लागू करने की तैयारी', 'खुलेंगे सेटेलाइट स्कूल', हाईटेक उपकरणों से होगी अब क्लासरूम में पढ़ाई', 'फ़िल्म से सिखाएंगे गणित,' 'स्कूली पाठयक्रम में जोड़ा जाये-'जैव विविधाता संरक्षण', अगले सत्र से शुरू हो जाएगा योग पाठयक्रम' 'सी.बी.एस.ई. स्कूलों में खुलेंगे हेल्थ क्लब', दो घंटे पहले लगेगी रिमेडियल क्लास, 'खूब खेलो खेल-तब भी नहीं होंगे फेल', 'जब तक होंगे फेल, तब तक होगी परीक्षा'-आदि-आदि। इन बयानों/घोषणाओं पर ग़ौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार शिक्षा के स्वरूप को लेकर कितनी भ्रमित है ?

दरअसल यहां के राजनेता और नौकरशाह जब विदेश-यात्रा पर जाते हैं तो वहां की जो बात उन्हें भाती है, उसे यहाँ लौटकर लागू करने के स्पप्न देखने लग जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, जहाँ आज तक बिजली नहीं है। 42,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। यहाँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सन् 2000-01 में 10 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़कर चले जाते थे, वर्ष 2006 में यह संख्या 20प्रतिशत हो गयी। यूनीसेफ की एक रपट के अनुसार, भारत में स्कूल जाने वाले 40 प्रतिशत बच्चों का वज़न अस्वाभाविक रूप से कम है और 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर सरकारी विद्यालयों तक पोषण-आहार का प्रबंधा होने के बावजूद कुपोषण की भयानक स्थिति उजागर हुई है तो यह यक्ष प्रश्न उपस्थित होता है कि करोड़ों रुपयों का पोषण-आहार कौन हज़म कर गया ? बाल संजीवनी अभियान के अनुसार 47प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा 60 प्रतिशत है। आंकड़ा कुछ भी हो, यह तो सच है कि बच्चे पोषण-आहार से वंचित किये जा रहे हैं।

ग़ौरतलब है कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 17 ज़िलों में 59012 बाल मजदूर हैं जिनमें से 19072 बच्चे ही पढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार इंडस योजना के तहत पांच जिलों के 73119 मजदूरों में से 28184 बाल मजदूर ही नामांकित बताये जा रहे हैं। बाल मजदूरों की शिक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों की वास्तविकता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि बैतूल में पांच हजार से भी अधिक बाल श्रमिक हैं कितु उनकी शिक्षा के लिए कोई प्रबंधा नहीं है। विस्थापन के कारण शिक्षा से वंचित या विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के संबंधा में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया, न उनके लिए कोई योजना तैयार की गयी है। नर्मदा घाटी के विस्थापित परिवारों के हज़ारों बच्चे और पालपुर कूनों के विस्थापित 27 गांवों के बच्चे अब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। यह भी विडंबना है कि प्रदेश के विद्यालयों में आज भी भेदभाव जैसी बुराई व्याप्त है। होशंगाबाद के निकट रानी पिपरिया के सपेरा समुदाय के किसी भी

बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता। इसी तरह सागर के ग्राम पथरिया में बेड़नी समुदाय की लड़कियों को इसलिए अपमानित होना पड़ता है कि उनके समाज की महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। पारदी समुदाय को तो समाज ने अपराधी ही मान लिया है इसलिए उनके बच्चों से भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। ऐसे में, प्रारंभिक शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित बच्चों का भविष्य क्या होगा? देश की उन्नति में उनकी क्या भूमिका होगी ? यह चिंता का विषय है।

वर्तमान तकनीकी संचार-युग में वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी संसाधानों सहित गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने वाले निजी संस्थानों की भरमार है, जहां प्राथमिक कक्षाओं का वार्षिक शुल्क लाखों में वसूला जाता है। यह ज्वलंत प्रश्न है कि निजी संस्थाओं को पनपने का अवसर किसने दिया? यदि सरकारें शासकीय विद्यालयों की गुणवत्ता बनाये रखने पर धयान देतीं तो आज उनकी दुर्दशा पर आंसू नहीं बहाने पड़ते। पहले शहरों में इक्के-दुक्के कॉन्वेंट स्कूल खुले जिनके परिणाम उत्साहवर्ध्दक थे, परंतु महंगे होने के कारण उन तक सिर्फ़ एक वर्ग विशेष की पहुंच थी। बाद में तो निजी विद्यालयों की बाढ़-सी आ गयी, तब भी सरकार ने इसे रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी इसीलिए उनकी संख्या शासकीय विद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक है। यह भी कटु सत्य है कि विगत चार-पांच वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या दोगुनी हो गयी है तथापि योग्य शिक्षकों का घोर अभाव है। इसलिए कि उक्त संस्थान सिर्फ प्रमाणपत्र बेच रहे हैं, हकीकत में कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इसे धयान में रखते हुए कड़े क़दम उठाने चाहिए। शिक्षा की नींव मज़बूत करने के लिए शिक्षकों का संवेदनशील, सृजनधार्मी, योग्य, प्रतिभा-संपन्न और प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि भारत के सभी बच्चों को सचमुच अच्छा इंसान-अच्छा नागरिक बनाना है तो सर्वप्रथम उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर धयान देना होगा और बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक स्तर पर समान शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी। निजी एवं सरकारी विद्यालयों के बीच की गहरी खाई को पाटना होगा। मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। जैसे-

1. समान स्कूल पध्दति लागू की जाये।
2. प्राथमिक शिक्षा का माधयम बच्चों की सुविधानुसार क्षेत्रीय भाषा ही हो, इस बात का विशेष धयान रखा जाए। अंग्रेजी का अधययन विषय के रूप में हो, न कि शिक्षा के माधयम के रूप में।
3. बहु कक्षा- शिक्षण की परंपरा समाप्त कर प्रत्येक विद्यालय में समुचित संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किये जायें। चूंकि बी.एड्-एम.एड् की फर्जी उपाधि प्राप्त करने वालों की भरमार है अत: पदस्थापना हेतु इन्हें आरंभिक दो वर्षों तक सामान्य वृत्ति (वेतन नहीं) देकर योग्यता का परीक्षण किया जाये। तदुपरांत संतोषजनक परिणाम आने पर इनकी सेवा नियमित की जाये।
4. 'मधयान्ह भोजन' वितरण का भार शिक्षकों पर न डाला जाये। एक स्वतंत्र समिति इस दायित्व को वहन करे जो विद्यालय में सिर्फ इसी कार्य के लिए पदस्थ और जवाबदेह हो।
5. शिक्षकों से गैर शिक्षकीय काम लेना बंद किया जाये ताकि वे ईमानदारी से सिर्फ़ अधयापन करके उत्कृष्ट परिणाम दे सके।

6. निजी विद्यालय खोलने पर कुकुरमुत्ते की तरह शासकीय विद्यालय खोलने की बजाय तहसील एवं ज़िला स्तर पर सर्वसुविधायुक्त आवासीय विद्यालय खोले जायें। जहाँ विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए और शिक्षकों को भी सुविधाएं प्राप्त हों।

8. जब तक देश के सभी सरकारी विद्यालयों को आवश्यक संसाधान सुलभ न करा दिये जायें, तब तक कोई अन्य विद्यालय न खोला जाये।

9. वैश्विक मानदंडों पर खरा उतरने की दृष्टि से पाठयक्रम का स्वरूप निर्धरण न किया जाए अपितु भारतीय संस्कृति के अनुरूप बच्चों के विकास को धयान में रखते हुए पाठयक्रम तैयार करवाये जाएँ।

10. राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह नियम अनिवार्य किया जाए कि वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ायें। इस नियम-पालन की बाधयता से सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का निश्चित रूप से काया-कल्प हो सकेगा।

निस्संदेह विद्यालयीन शिक्षा की चुनौतियों पर विजय पाना आसान नहीं है। यदि सरकार ईमानदारी और निष्ठापूर्वक प्रयास करेगी, तभी सफलता मिलेगी। विडंबना यह है कि भारतीय राजनेता और नौकरशाह यह नहीं जानते कि अपने देश की मिट्टी में कैसे और कौन-सी फसल बोयी जानी चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी होगी। वे देशी ज़मीन पर विदेशी फ़सल उगाने के लिए व्याकुल हैं। समस्या की जड़ यही है। यदि भारत को मज़बूत बनाना है तो यहाँ के नौनिहालों को अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा और संस्कार देकर समझदार बनाना होगा। तभी आगे चलकर वे स्वयं अपनी राह चुनने में समर्थ होंगे और देश की उन्नति में योगदान कर सकेंगे।

9.2 विशिष्ट बालकों के शिक्षण कार्य में माता-पिता की भूमिका

किसी भी बच्चे के जीवन में सामान्य बच्चे जैसे ही होती है। विशिष्ट बालकों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में उसका परिवार विशेषकर माता-पिता सबसे स्थायी तथा प्रभावी निकाय है विशिष्ट बालकों के देखरेख व प्रशिक्षण में उनकी भूमिका निम्नलिखित है-

1. माता-पिता द्वारा सबसे अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा बच्चे की स्वीकार करना है। उनके द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे का स्वीकार किया जाना संसार में समानता के अवसर प्राप्त करने का पहला कदम है। कोई भी अधिनियम प्रावधान तथा योजना इनका पुनर्वास नहीं कर सकती यदि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति को अपने घर में समान अवसर नहीं प्राप्त है। अतः माता-पिता द्वारा बच्चे का स्वीकार किया जाना तथा बच्चे एवं स्वयं के मनः स्थिति को सकारात्मकता प्रदान करना उनका प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

2. घर के वातावरण को दृष्टिबाधित बच्चे के अनुकूल अर्थात बाधारहित बनाना जिससे कि चलिष्णुता का अवसर उन्हें अपने घर से ही मिलना प्रारम्भ हो जाए।

3. इन बच्चों के अनुरूप खिलौनों तथा उपकरणों को इनके लिए उपलब्ध कराना। परिवार के सदस्य दैनिक क्रिया कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

4. माता-पिता की बच्चे के शिक्षण-प्रशिक्षण में विद्यालय तथा अध्यापकों का सहयोग करना चाहिए।

5. माता-पिता को दृष्टिबाधित तथा दृष्टवान दोनों बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को अतिसंरक्षण न दें यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई उत्पन्न करेगा तथा उसके दृष्टवान भाई-बहन भी उसे असहाय व अनुपयोगी मानने लगेंगे।

6. दृष्टिबाधित बच्चे को प्रारम्भ से ही वास्तविक अनुभव देने का प्रायास करें तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे संग्रहालय, डाकघर, उद्यान, दुकान इत्यादि ले जाना चाहिए इससे उनमें सही प्रत्यय के साथ भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी।

7. दृष्टिबाधित बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी रियासतों, प्रावधानों, तथा अधिकारों की जानकारी रखें, उनके प्रति सजग रहें परन्तु सारी जिम्मेदारी सरकार की है तथा सब कुछ निःशुल्क हो इसकी अपेक्षा न करें।

8. बच्चे के अन्दर सकारात्मक आत्मप्रत्यय और सामाजिक प्रत्यय कर-कर उसे स्वयं वो जैसे है वैसा स्वीकार करने के लिए उत्साहित करें।

9. बच्चे से माता-पिता की अपेक्षाएं एवं उम्मीदें वास्तविक होनी चाहिए। ना ही उनकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा रखें ना तो कम की।

10. वर्तमान में दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण हेतु बहुत सारे केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अभिभावकों तथा देख रेख करने वालों (Caregivers) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस प्रकार के पूरा पाठ्यक्रमों को करने के पश्चात् अधिक दक्षता तथा व्यवस्थित ढंग से उनकी देखरेख की जा सकती है।

11. अभिभावक-शिक्षक संघ में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए।

12. दृष्टिबाधित बचचों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में समावेशी विद्यालय की भूमिका-

वर्तमान में समावेशी विद्यालय को सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है शिक्षा से वंचित वर्ग को भी शिक्षा व्यवस्था में शमिल करने का एक मात्र उपाय समावेशी शिक्षा है। इस व्यवस्था को विद्यालय सतर पर सफल बनाने में विद्यालय की प्रमुख भूमिका है। दृष्टिबाधिता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण प्रधानाचार्य को इन विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश देने से मना नही करना चाहिए। इनकी क्षमताओं से परिचित होकर या ऑकलन कर इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालय में अनुकूलन कर परिवर्तन लाते हुए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यालय प्रशासन का सहयोग इनके अधिगम को सुचारू बनाएगा। समावेशित शिक्षा को विद्यालय में लागू करने हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

i. विद्यालयी परिवेश में अनुकूलन-परिवेश में इन विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलन में भौतिक मनोसामाजिक के साथ सांगवेगिक परिवेश के अनुकूलन को भी उचित स्थान मिलना चाहिए जिसका विवरण निम्नवत् है।

भौतिक परिवेश का अनुकूलन-

- वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए रस्सी या रेलिंग का प्रयोग करें जिससे की इनके आवागमन को आसान किया जा सके, तथा शारीरिक शिक्षा या सृजनात्मक गतिविधियों हेतु अन्य वातावरणीय अनुकूलन जैसे खेल के मैदान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अल्पदृष्टि वाले बच्चों की सुविधा के लिए सीढ़ियों तथा रेलिंग के आरम्भ व अन्त में रंग विभेद किया जा सकता है।
- कक्षा-कक्ष तथा विद्यालय के अन्य स्थानों पर सूचनाओं को ब्रेल में या बोलते हुए उपकरणों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में स्थान भेद के लिए विविध प्रकार के फर्श/टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विद्यालय का वातावरण बाधा रहित तथा सम्भावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरन्तर सचेत रहना चाहिए।

मनो सामाजिक एवं सांवेगिक परिवेश का अनुकूलन -

- सभी योजनाओं में दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए।
- जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
- बच्चों को उनकी क्षमता को पहचानने में सहायता की जानी चाहिए तथा सकारात्मक पक्ष के साथ ही सीमाओं को भी स्वीकार करना सीखाया जाना चाहिए।
- बच्चे तनाव मुक्त रहें इसके लिए विविध क्रियाओं जैसे व्यायाम, योग, ध्यान, संगीत इत्यादि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
- सर्वप्रथम दृष्टिबाधित बच्चे को एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करें जिसमें क्षमताएं तथा अक्षमताएं दोनों है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए उन बच्चों को सवीकार करने में प्रतिमान होगा।
- विद्यार्थी मे उनकी अभिरूचियों को पहचाने तथा उसे विकसित करने में सहायता की जानी चाहिए।
- विद्यार्थी के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।
- स्वस्थ स्व-प्रत्यय विकास में विद्यार्थी की सहायताकी जानी चाहिए।

- सामाजिक कौशलों के विकास की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों को स्वतन्त्र शिक्षार्थी बनने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का परिचय किसी अन्य विद्यार्थी जैसे ही कराएं?
- सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए।
- दृष्टिक्षम से सम्बन्धित विषयों पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों के बीच चर्चा करने तथा सीखने की आज्ञा दी जानी चाहिए।

ii. दृष्टिबाधित बच्चों हेतु कक्षा व्यवस्थापन अनुकूलन-कुछ कक्षा Accommodations दृष्टिबाधित विद्ंयार्थियों के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे-

- कक्षा की भौतिक (Layout) तथा दूसरी distinguishing features इन विद्यार्थियों को समावेशित शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है।
- कक्षा में उनके बैठने का स्थान ऐसी जगह हों जहाँ से वह अपनी अवशिष्ट दृष्टि तथा श्रचण क्षमता का पूरा प्रयोग कर सके प्रायः इन्हें कक्षा केन्द्र में आगे की सीट के बैठाना इनके लिए लाभकारी होता है।
- पर्याप्त प्रकाश की उपलग्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- भली-भांति सुनने में विक्षोभों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- कुर्सी मेजों (Furniture) उपकरणों तथा अनुदेशनात्मक सामग्रियों के निर्धारित रखने का स्थान सुनिश्चित करने सभी खतरनाक तथा चोट पहुँचाने वाली वस्तुओं को बच्चों के सम्पर्क से दूर रखना चाहिये।
- अपरिचित मेजों, कुर्सियों तथा दूसरे फर्नीचर के इस्तेमाल करते समय सहायता की जानी चाहिए।
- कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करें जिससे उनके द्वारा प्रयोगित उपकरणों जैसे-ब्रेलर, कम्प्यूटर, टेप रिकार्डर, बड़े छापे के अक्षर की पुस्तकें इत्यादि रखी जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को इन्हें ऐसे स्थान पर बैठाये जिससे प्रकाश का स्रोत सीधे इनकी आँखों पर ना पडे या परावर्तित प्रकाश की चमक से उन्हें कोई असुविधा ना हो।
- कक्षा-कक्ष का रंग सफेद अथवा बहुत हल्के रंग का होना चाहिए। अलमारी दरवाजे या खिडकियों इत्यादि से प्रकाश टकराकर चमक उत्पन्न न करे इसके लिए इन पर रंगीन कागज लगाया जाना चाहिए।

iii. अनुदेशनात्मक तथा पाठ्यचर्यात्मक अनुकूलन-

- विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए।

- विद्यार्थियों को उनके नाम से बुलाया जाना चाहिए।
- श्यामपट्ट पर जो भी लिखते हैं शिक्षक को उसे पढ़कर बताना चाहिए।
- पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों में अपेक्षित अनुकूलन करना चाहिए।
- नियमित अन्तराल पर विश्राम (Breaks) लें दृष्टिबाधित बच्चे चूंकि नोट लेने में या अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग में अधिक थकते हैं।
- वर्णात्मक मौखिक अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित अनुकूलन होना चाहिए। प्रश्नों के उत्त्र देने हेतु बहु-विधि व्यवस्था, जैसे टेपरिकार्डर, टाइपराइटर, ब्रेलर/बेलस्लेट, श्रुतिलेखक इत्यादि विकल्पों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त तरीके का चुनावकर सकें। नियमानुसार अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए मोटे/बडे छापे के अक्षरों वाले प्रश्नपत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
- व्याख्यात्मक शब्द जैसे आगे, पीछे, सीधे इत्यादि का प्रयोग इन बच्चों के शरीर के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।
- अधिगम कराते समय विभिन्न अनुदेशों को मौखिक तथा स्पर्शीय माध्यम में परिवर्तित करना चाहिए एवं दृष्टि की अवशेष मात्रा को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।
- दृष्टिवान बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चों की विभिन्न क्रियाकलापों में सहायता करें।
- अधिगम कराते समय शुरूआत सरल से करें और धीरे-धीरे जटिलता की ओर जाना चाहिए।
- दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- स्पर्शीय अधिगम के लिए विविध अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए।
- देखों (See, Look and Watch) जैसे शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है।
- कक्षा में प्रवेश करते तथा छोड़ते समय या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पास जाते समय हमेशा सूचित करना/बताना चाहिए।
- कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए।
- शिक्षण में वैयक्तिकरण, स्थूलता एवं अनुभवों की एकरूपता के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

9.3 रैगिंग

क्या है रैगिंग

रैगिंग को आमतौर पर पुराने छात्रों द्वारा कॉलेज लाइफ में नए छात्रों के स्वागत का दोस्ताना तरीका माना जाता है। एक रूप में इसे नए छात्रों और पुराने छात्रों के बीच की दूरियों को पाटने का प्रयास भी माना जाता है, जो नए छात्रों को अपने वरिष्ठों (सीनियर्स) के साथ घुलने-मिलने और संवाद कायम करने का मौका देता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में सामने आए कई मामलों ने इसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के माध्यम के रूप में कुख्यात कर दिया है।

कॉलेज के पहले दिन

अच्छे मिजाज और खुले दिमाग के साथ कॉलेज में पहले दिन की शुरुआत करें। अगर वरिष्ठ आपसे कोई मजाकिया या दिमागी सवाल पूछें, आपको कोई सामूहिक काम सौंपें, नाचने या गाने को कहें, तो उनकी बातों को सहजता से मान लें। इनमें से कई चीजें आपके लिए सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण होंगी, लेकिन इनसे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह आपके लिए एक अनुभव जैसा होगा, जो आपको सिखाएगा कि नई तरह की चुनौतियों के दबाव से कैसे निपटा जाता है। कुछ वरिष्ठ आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, जो आपके सामने अपनी वरिष्ठता जताने की कोशिश करेंगे, ऐसी स्थिति का सहज रहते हुए अपने विवेक के सहारे सामना करें। इस दौरान अगर आपको महसूस हो कि वह (वरिष्ठ छात्र) मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं तो तत्काल वहां से हट जाएं।

एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी कार्य को करने के लिए कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता है। इसी तरह किसी की बात पसंद न आने पर आपको उस जगह से जाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर करता है, तो चुप मत रहिए, तत्काल अपने कॉलेज प्रशासन को अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत कीजिए। हर कॉलेज के परिसर में एक एंटी-रैगिंग स्क्वाड होता है, जो गलत ढंग से छात्रों के साथ की जाने वाली रैगिंग पर नजर रखने और दोषियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में आप कॉलेज प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर भी मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।

रैगिंग से बचने के कुछ तरीके

- अगर कोई आपके साथ मारपीट करता है, तो खुद मारपीट में उलझने की बजाए इस स्थिति से खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करें। फिर कॉलेज के शिक्षकों या प्रशासनिक अधिकारियों को घटना के बारे में सूचित करके मदद मांगें।
- सभी के साथ सहज व्यवहार करें और खुद को कहीं से भी डरा हुआ या अजनबी महसूस न होने दें। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आप खुद को अतिआत्मविश्वासी और ज्यादा तेज भी न दिखाएं।

- कॉलेज में किसी परिचित (दोस्त, रिश्तेदार या कोई करीबी व्यक्ति) को तलाशने की कोशिश करें, जो कॉलेज के माहौल में ढलने में आपकी मदद कर सके।
- लोगों और अपने सहपाठियों के साथ बात करने में सावधानी बरतें। कोई ऐसी बात न करें, जो तार्किक रूप से गलत हो मसलन किसी शहर, धर्म या जाति आदि से संबंधित लोगों को तुच्छ बताना। इसी तरह बातचीत के क्रम में शब्दों के इस्तेमाल पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि बिना किसी दुर्भावना के कही गई सामान्य से सामान्य बात को भी लोगों द्वारा तोड़-मरोड़कर गलत अर्थों में पेश किया जा सकता है। अगर कभी गलती से आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाएं, तो लोगों के बीच आपसी संवाद को बढ़कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करें।
- दाखिला लेने से पहले कॉलेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। अगर उसमें रैगिंग से जुड़े मामलों की ज्यादा संख्या के बारे में पता चले, तो किसी और कॉलेज में प्रवेश लेने के विकल्प के बारे में भी सोचें।

रैगिंग होने पर क्या करें

- अपने अभिभावकों को सूचित करें। यह मत सोचें कि जो हुआ वह चलता रहता है और उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
- कॉलेज में शिकायत करें ।
- अपने दोस्तों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताएं ।
- खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं ।

9.4 सहकारी अधिगम (Collaborative Learning)

सहकारी अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया या अधिगम व्यूह रचना से है जिसमें छात्रों को स्वंय से ही एक समूह के अंतर्गत सहकारी पद्धति का अनुसरण करते हुए अधिगम अर्जन करना होता है. सहकारी अधिगम को एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक कक्षा के छात्र अपने आप को छोटे- छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी ढंग से परस्पर मिलजुलकर विषय विशेष से सम्बंधित पाठ्य सामग्री के अधिगम अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं.

सहकारी अधिगम की विशेषताएँ

सहकारी अधिगम उपागम से जुडी हुई मुलभुत विशेषताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है –

1. सहकारी अधिगम प्रणाली शिक्षण अधिगम को विषय एवं अध्यापक केन्द्रित बनाने की अपेक्षा छात्र केन्द्रित बनाने पर ही जोर डालती है.
2. यह विद्यार्थी से पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है.

3. यह इस बात पर विश्वास करती है कि छात्र तभी अच्छी तरह सीख सकते हैं जबकि उन्हें स्पर्धा रहित, चिंता मुक्त, सहयोगी वातावरण में सिखने के स्वतंत्र और सहयोगपूर्ण अधिगम अवसरों की प्राप्ति होती है. जहाँ एक दुसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने की या अपनी सम्मानजनक स्थिति की रक्षा करने की ही चिंता सताती रहे वहाँ अच्छी तरह अधिगम नहीं हो सकता.

4. यह कक्षा शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि की अपेक्षा छात्रों क बीच एक स्वस्थ्य एवं सार्थक अंत:क्रिया के द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देने का समर्थन करती है.

5. इसका विश्वास है की सही और वास्तविक अधिगम अपने पूर्ण रूप से तभी संभव है जबकि वह समूह के अन्तर्गत सहयोगपूर्ण ढंग से मिलजुलकर अर्जित किया जाय. अकेले अकेले व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा पर टिका हुआ अधिगम अर्जन कभी भी प्रभावपूर्ण एवं सार्थक नहीं हो सकता.

6. व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग किये जाने वाले व्यक्तिगत प्रयत्नों की अपेक्षा मिलजुलकर सह्करितापूर्ण ढंग से किये जाने वाले सामूहिक प्रयत्नों को अधिगम अर्जन के दृष्टि से यह पूरी तरह प्राथमिकता देना चाहती है.

7. इसकी यह मान्यता है कि छात्रों की उपलब्धियों तथा निष्पतियों का मूल्यांकन उस रूप में ही ठीक तरह संभव है जबकि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तथा निष्पतियों का मूल्यांकन के स्थान पर पुरे समूह की उपलब्धियों तथा निष्पतियों का मूल्यांकन किया जाय.

8. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को मिलजुलकर सहकारी ढंग से काम करने का मौका दिया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से उन्हें भविष्य में एक सहयोगी तथा उत्तरदायी सामजिक जीवन जीने के लिए उचित रूप से तैयार किया जा सकता है.

9.5 कक्षा कक्ष में सहकारी अधिगम का बढ़ावा

परंपरागत कक्षाकक्ष शिक्षण के स्थान पर सहकारी अधिगम व्यवस्था के स्थान पर सहकारी अधिगम व्यवस्था को अपनाना एक जटिल कार्य होता है. सहकारी अधिगम के लिए कई प्रक्रियाओं या अधिगम मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है जो इस प्रकार है-

1. सबसे पहले विषय वस्तु के पाठ्यक्रम की किसी एक इकाई को कुछ सार्थक खण्डों या उप इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिये और कक्षा के सभी छात्रों को अलग –अलग समूहों में विभक्त कर देना चाहिये. अब इन सभी टीमों या समूहों में पूर्व विभक्त उप इकाइयाँ में अर्जित अधिगम अनुभवों की

9.8 सारांश

किसी भी बच्चे के जीवन में सामान्य बच्चे जैसे ही होती है। विशिष्ट बालकों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में उसका परिवार विशेषकर माता-पिता सबसे स्थायी तथा प्रभावी निकाय है विशिष्ट बालकों के देखरेख व प्रशिक्षण में उनकी भूमिका निम्नलिखित है-

1. माता-पिता द्वारा सबसे अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा बच्चे की स्वीकार करना है। उनके द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे का स्वीकार किया जाना संसार में समानता के अवसर प्राप्त करने का पहला कदम है। कोई भी अधिनियम प्रावधान तथा योजना इनका पुनर्वास नहीं कर सकती यदि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति को अपने घर में समान अवसर नहीं प्राप्त है। अतः माता-पिता द्वारा बच्चे का स्वीकार किया जाना तथा बच्चे एवं स्वयं के मनः स्थिति को सकारात्मकता प्रदान करना उनका प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

2. घर के वातावरण को दृष्टिबाधित बच्चे के अनुकूल अर्थात बाधारहित बनाना जिससे कि चलिष्णुता का अवसर उन्हें अपने घर से ही मिलना प्रारम्भ हो जाए।

3. इन बच्चों के अनुरूप खिलौनों तथा उपकरणों को इनके लिए उपलब्ध कराना। परिवार के सदस्य दैनिक क्रिया कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

4. माता-पिता की बच्चे के शिक्षण-प्रशिक्षण में विद्यालय तथा अध्यापकों का सहयोग करना चाहिए।

5. माता-पिता को दृष्टिबाधित तथा दृष्टवान दोनों बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को अतिसंरक्षण न दें यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई उत्पन्न करेगा तथा उसके दृष्टवान भाई-बहन भ्ज्ञी उसे असहाय व अनुपयोगी मानने लगेंगे।

6. दृष्टिबाधित बच्चे को प्रारम्भ से ही वास्तविक अनुभव देने का प्रायास करें तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे संग्रहालय, डाकघर, उद्यान, दुकान इत्यादि ले जाना चाहिए इससे उनमें सही प्रत्यय के साथ भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी।

7. दृष्टिबाधित बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी रिआयतों, प्रावधानों, तथा अधिकारों की जानकारी रखें, उनके प्रति सजग रहें परन्तु सारी जिम्मेदारी सरकार की है तथा सब कुछ निःशुल्क हो इसकी अपेक्षा न करें।

8. यह दुःखद सत्य है कि आज़ादी के छः दशक बाद भी भारत में विद्यालयीन शिक्षा का स्वरूप सुनिश्चित नहीं हो सका है और इतनी विसंगतियां उजागर हो रही हैं कि व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। शिक्षा पर हावी होते व्यावसायिक दृष्टिकोण ने विद्यालयीन शिक्षा में भेद-भाव की खाई को भी गहरा कर दिया है। केंद्र सरकार शिक्षा की बदहाली से अवगत है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रखण्ड स्तर पर छः हजार मॉडल स्कूल खोलने की योजना को स्वीकृति दी है और इसके लिए पर्याप्त राशि आबंटित की है। राज्य सरकारें इन विद्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्धा करायेंगी। छठी से बारहवीं कक्षा तक संचालित इन विद्यालयों में शिक्षा का माधयम राज्य-सरकारें तय करेंगी पर अंग्रेजी बोलने और पढ़ने पर बल दिया जाएगा। इनका स्तर केंद्रीय विद्यालय के बराबर होगा। इनमें विद्यार्थी और शिक्षकों का प्रतिशत आदर्श होगा तथा नये प्रकार के पाठयक्रम सहित सभी तकनीकी सुविधाएं सुलभ होंगी।

9. प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार के इस क़दम से कितने प्रतिशत बच्चे लाभान्वित होंगे और क्या पूरे देश के बच्चों को ऐसे आदर्श विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है ? मुट्ठी भर सम्प्रभुओं के बच्चे तो आरंभ से ही महंगे आदर्श विद्यालयों में पढ़ते आ रहे हैं। समस्या तो जन सामान्य की है, जो सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा त्रस्त हैं। देश भर के शासकीय विद्यालय संसाधानों की कमी से जूझ रहे हैं। मधय प्रदेश में 2 प्रतिशत विद्यालय शिक्षकविहीन है, 32 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अकेले सतना जिले के ही 222 विद्यालयों में एक ही शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। 5 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में प्रति एक सौ विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। ऐसे में बच्चों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

सहकारी अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया या अधिगम व्यूह रचना से है जिसमें छात्रों को स्वंय से ही एक समूह के अंतर्गत सहकारी पद्धति का अनुसरण करते हुए अधिगम अर्जन करना होता है. सहकारी अधिगम को एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक कक्षा के छात्र अपने आप को छोटे- छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी ढंग से परस्पर मिलजुलकर विषय विशेष से सम्बंधित पाठ्य सामग्री के अधिगम अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं।

9.9 अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालकों के शिक्षण कार्य में माता पिता की भूमिका क्या है।
2 रैगिंग से आप क्या समझते है। समझाइए
3 सहकारी अधिगम (Collaborative Learning) क्या है।
4 कक्षा कक्ष में सहयोगी अधिगम का बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। लिखिए

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजीव के.(२००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
- भार्गव एम.(२००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
- पाठक पी० डी० एवं त्यागी जी० एस० (2010). सफल शिक्षण कला, अग्रवाल पव्लिकेसन, आगरा.
- कुलश्रेष्ठ एस० पी० (1982). शैक्षिक तकनिकी एवं इसके मूल आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
- अग्रवाल जे० सी० (2009)- शैक्षिक तकनिकी एवं प्रबंध के आधार, अग्रवाल पव्लिकेसन, आगरा.
- जुल्का अनीता (2001) कमजोर दृष्टि वाले बच्चे, एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली

- मंगल एस० के० एवं मंगल उमा (2013) शिक्षा तकनीकी, PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- A guidebook for Teachers' on how to implement inclusive education in the regular class (1999). Beyond Toknism, National Trust Act.

इकाई – 10

समावेशी का प्रबंधन
(Inclusive management)

इकाई की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 विद्यालय प्रबंधन
10.4 विद्यालय संसाधन कक्ष का प्रबन्धन
10.5 समवेशिक कक्षा – कक्ष का प्रबंधन
10.6 शिक्षण नीतियाँ
10.7 विशिष्ट बालकों की आवश्यकता
10.8 वैयक्तिक शैक्षिक योजना
10.9 समूह शिक्षण
10.10 पठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम
10.11 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए अनुकूलन
10.12 विशिष्ट बालकों के समावेशन में शिक्षक की भूमिका
10.13 सारांश
10.14 शब्दावली
10.15 अभ्यास प्रश्न
10.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.1 प्रस्तावना

शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, इसे दूसरे शब्दों में हम समावेशित शिक्षा भी कहते हैं।समावेशित शिक्षा के बारे में आप पहले भी पढ़ व सुन चुके होंगे। इस पाठ में आप समवेशिक विद्यालय एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे।

10.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप –

- विद्यालय प्रबंधन के अर्थ बता सकेंगे।
- विद्यालय के संसाधन कक्ष प्रबंधन को बता सकेंगे।
- समवेशिक कक्षा कक्ष को प्रबंधन कर सकेंगे।

- शैक्षिक नीति का वर्णन कर सकेंगे।
- वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार कर सकेंगे।
- समूह शिक्षण नीति का वर्णन कर सकेंगे।
- पाठ्य सहगामी शैक्षिक क्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे।
- समावेशन में शिक्षकों के महत्व का वर्णन कर सकेंगे।

10.3 विद्यालय प्रबन्धन

शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धन की अवधारणा व्यवसाय तथा उद्योग के क्षेत्रों से ली गयी है। शैक्षिक प्रबन्धन अथवा शिक्षा में प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी प्रस्थितियां निर्मित की जाती है जिनमें मानवीय स्रोत अपनी योग्यता तथा क्षमता का पूरा-पूरा प्रदर्शन कर सके। शिक्षा में प्रबंधन शिक्षा का गतिशील अंग है। शैक्षिक दर्शन शिक्षा के लक्ष्य इंगित करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन के सिद्धांत स्थिर करता है। शैक्षिक प्रबन्धन सम्बंधित बातों को कार्यरूप में परिणत करता है।**जेम्स एल०लुंडी०** के अनुसार "प्रबन्धन का मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दुसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित किया जाता है।" इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निधारित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए मानवीय क्रियाओं को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित किया जाता है।
विद्यालय प्रबंधन के मुख्य कार्य-

1. नियोजन (Planning)
2. बजटिंग (Budgeting)
3. नियंत्रण (Controlling)
4. नियुक्तिकरण (Staffing)
5. निर्देशन (Directing)
6. समन्वय (co-ordinating)
7. उत्प्रेरण (Motivating)
8. संगठन (Organising)

10.3.1 विद्यालय प्रबन्धन के उद्देश्य

प्रत्येक शिक्षा के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था है। अत: इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिये। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था एवं भ्रान्ति फ़ैल जाने की संभावना बनी रहती है। एक प्रभावशाली प्रबंधन विद्यालय में उचित व्यवस्था करता है। यह उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पर, उचित समय में उचित ढंग से रखता है।
विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. **शिक्षाविदों द्वारा बनाये गए लक्ष्यों की निष्ठांपूर्वक पूर्ति** लोकतंत्र में शिक्षा को प्रजातान्त्रिक आदर्शों की शर्त पूरी करनी होती है। शैक्षिक प्रबंध को सामाजिक कूटनीतिज्ञता के रूप में लेना चाहिये। शैक्षिक प्रबंधन को क्रिया विधिमूलक में नहीं लेना चाहिये।
2. **मिल-जुलकर रहने की कला सीखना**- विद्यालय जीवन को इस प्रकार संगठित करना है कि जिससे बच्चे एक साथ रहने की कला को ग्रहण करने की कला को ग्रहण करने को तैयार हो सके। विद्यालय का अपना सामुदायिक जीवन होता है जिससे एक उत्तम नागरिकता के प्रशिक्षण के क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।
3. **विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन** – शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों एव् मंतव्यों को परिपक्व रूप देने के लिए आवश्यक है कि विविध योजनाओं तथा प्रक्रियाओं का संचालन इस ढंग से किया जाता है कि उचित व्यक्ति को सुयोग्य एवं समुचित स्थान मिल सके ताकि कार्य समयानुसार होता रहे।
4. **विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता** – विद्यालय प्रबंध में सहयोग की भावना का अपना ही स्थान है। मानवीय स्तर पर शिक्षा प्रबंध का सम्बन्ध बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों, नियुक्तिकर्ता तथा समाज से होता है। संसाधनों के स्तर पर इसका सम्बन्ध सामग्री एवं उसके उपयोग से होता है। साथ ही सिद्धांतो, परम्पराओं, नियमों, कानून आदि से भी इसका नाता ज़ुरा हुआ रहता है।
5. **विद्यालय को सामुदायिक केंद्र रूप में बनाना**- विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम रखें जायें जिनके द्वारा छात्र तथा अभिभावक यह अनुभव करे की विद्यालय उनका है। विद्यालय समाज-सेवा का केंद्र है।
6. **शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा अनुसन्धान के लिए समुचित व्यवस्था करना**- वर्तमान युग में समाज की प्रगतिशीलता उतरोत्तर विकसित हो रही है। प्रबंधकों का कर्तव्य है की शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नविन विचारों धारणाओं एवं प्रयोगों को ध्यान में रखे। विद्यालय की विशेष परिस्थिति के अनुसार उनकी उपयोगिता को परखें तथा समयानुकूल परिवर्तन करके लाभ उठायें। शिक्षा सम्बन्धी प्रक्रियाओं के समय समय पर संशोधन होने के साथ साथ यदि समीक्षा भी होती रहे तो श्रेयस्कर होगा।

10.3.2 विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र

विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसके प्रबंध के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती है जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विद्यालय प्रबंध विद्यालय प्रणाली के सभी संबंधों से सम्बंधित है। जैसे प्रधान और छात्रों का सम्बन्ध, छात्र एवं अध्यापक वर्ग का सम्बन्ध, विद्यालय एवं समाज का सम्बन्ध, निम्न कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का सम्बन्ध। इससे निम्नलिखित कार्य सम्बंधित है-

1. विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण।
2. अध्यापक वर्ग के कार्यों में समन्वय।

3. विद्यार्थी का वर्गीकरण तथा समूहीकरण।
4. पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रम का कार्मिक संगठन।
5. पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन।
6. विभिन्न सेवाएँ, जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंध।
7. विद्यालय में अनुशासन बनाये रखना।
8. स्वछता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना।
9. विद्यालय के कार्यालय की देखभाल।
10. विद्यालय का बजट बनाना।
11. गृह, विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय।
12. विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रमों में लगाना।
13. छात्रों को मिलकर काम करने की कला के प्रशिक्षण की सुविधा।
14. छात्रों के उपलब्धि का मूल्यांकन।
15. अध्यापकों में कार्य विभाजन इस प्रकार करना की जिससे प्रत्येक अध्यापक अधिकतम दक्षता प्राप्त कर सके।
16. विद्यालय के नीतियों के अन्तर्गत अध्यापकों को अपने कर्तव्यों के पालन में अधिक स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए प्रात्साहित करना।
17. शिक्षा को सहकारी उद्योग बनाना जिसमें अध्यापक एवं छात्र दोनों भाग लें।

10.3.3 प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत

1. **आधारभूत प्रदर्शन-** विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को शिक्षा एवं विद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट हो। सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक को यह स्पष्ट कर दिया जाय जिससे कोई भी संदेह में न रहे कि विद्यालय क्या करना चाहता है या क्या प्राप्त करना चाहता है।
2. **प्रजातान्त्रिक प्रबंधन** – एक दक्षतापूर्ण प्रबंधन को प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध के सिद्धांतो पर आधरित होना चाहिये।
3. **आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण**– इसका यह आशय है कि विद्यालय रिकार्ड को सही से रखा जाय उन्हें हर प्रकार पूर्ण और शुद्ध होना चाहिये। इस दिशा में कोई कमी सारे संगठन की योजना को उलट सकती है।
4. **पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना** – छात्र विभिन्न प्रकार की रूचि योग्यता और सुझाव प्रदर्शित करते हैं। अत: पाठ्यक्रम भी विविध एवं लोचदार होना चाहिये।
5. **अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर** – अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिये। अत्यधिक अनुरूपता अध्यापक वर्ग का यंत्रीकरण कर देती है तथा पहल शक्ति उत्साह और प्रयोग करने जैसी आवश्यक विकासशील शक्तियों को हानि पहुँचाता है।
6. **समन्वय** – कार्यक्रम का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि सभी कर्मचारी एक समन्वित अंग की तरह कार्य करे।

7. **उत्तरदायित्वों में सहभागिता होना** – अध्यापक वर्ग का पूर्ण सहयोग सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधान नीतियों के निर्माण एवं उनके परिचालन हेतु अध्यापक वर्ग को भी उनमें सम्मलित करें।
8. **विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग** – विद्यालय सामग्री से हमारा आशय भवन अध्यापक, एवं छात्रों से विद्यालय के अध्यापक वर्ग के कार्य विभाजन का बँटवारा अध्यापकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाय। एक अच्छी समय सारणी, प्रधानाध्यापक को विद्यालय भवन का उत्तम उपयोग करने में सहायक होती है।

अभ्यास प्रश्न

1. विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ?

2. विद्यालय प्रबंधन के सिद्धान्त क्या है ?

10.4 विद्यालय संसाधन कक्ष का प्रबन्धन

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है । विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है ।

10.4.1 संसाधन कक्ष की संरचना

संसाधन कक्ष का निर्माण विशिष्ट बालकों की विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवाश्यकता को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये इस प्रकार हैं :

संसाधन कक्ष की संरचना के समय विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों की समूहों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। यह कक्ष विद्यालय का कोई भी कक्ष हो सकता है, परन्तु प्रयास किया जाता है कि विद्यालय में ऐसे कक्ष को बनाया जाय, जो विद्यालय भवन के मध्य में हो जहाँ से पानी एवं शौच की सुविधाएँ बहुत दूर नहीं हो।

यह शांति पूर्ण स्थान पर स्थापित हो तो ज्यादा उचित होगा, चूँकि दृष्टिबाधा , श्रवण बाधा, एवं मानसिक मंद बालकों के प्रशिक्षण में शांत माहौल होना आवश्यक है इसलिए शोर वाले जगह से बचना चाहिये।

संसाधन कक्ष भूमितल/निचली मंजिल (Ground Floor) पर होना चाहिये और उस तक पहुचने वाला रास्ता सरल एवं सुगम होना चाहिये। इस मार्ग पर खतरनाक अवरोध नहीं होना चाहिये।

इस कक्ष में प्रकाश की प्रयाप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

संसाधन कक्ष में विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के अनुसार कुर्सी, मेज व सामग्री रखने हेतु अलमारी, सहायक सामग्री, उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिये।

10.4.2 संसाधन कक्ष में रखे जाने वाले उपकरण

संसाधन कक्ष एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ विकलांग बालकों को जमा पाठ्यक्रम की क्रियाएँ सिखाई जाती है। अत: संसाधन कक्ष में जमा पाठ्यक्रम से संबंधित साधन व सामग्री उपलब्ध होती है। संसाधन कक्ष वह कक्ष है जो विकलांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। संसाधन कक्ष में निम्न सामग्री का होना आवश्यक है :

- ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, ब्रेल कागज
- पाठ्यक्रम के आधार पर ब्रेल पुस्तक
- सांकेतिक भाषा से सम्बंधित पुस्तक
- सांकेतिक भाषा से सम्बंधित चार्ट
- गणित शिक्षण सामग्री, गणित किट
- अबेकस
- टेलर फ्रेम व टाईप्स
- ब्रेल तथा सामान्य टाईप राईटर,
- संवेदी प्रशिक्षण उपकरण
- ध्वन्यंकित उपकरण व टेपरेकार्डर
- चलिष्णुता हेतु सामग्री
- भूगोल व विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री जैसे विभिन्न स्पेर्शीय नक्शे व विज्ञान के स्पर्शीय चित्र एवं माडल।
- बैठने हेतु मेज व कुर्सी
- बैशाखी, कृत्रिम अंग
- कैलिपर्स, गैलिस
- प्रोस्थेटिक अंग
- विशेष जूते
- रूपांतरित सहायक उपकरण
- तिपहिया साईकिल
- खपची
- फिंगर स्पेलिंग वर्णमाला
- कम्प्यूटर

अभ्यास प्रश्न

1. संसाधन कक्ष प्रबंध से आप क्या समझते हैं ?
2. संसाधन कक्ष प्रबंधन में किन – किन बातों पर ध्यान रखना चाहिये।

10.5 समवेशिक कक्षा – कक्ष का प्रबंधन

जब किस विशिष्ट बालकों पहचान हो जाता है तो उसके लिए कुछ विशेष परामर्श आवश्यक हो जाता है। सामान्य कक्षा अध्यापक तथा विशेष अध्यापक दोनों को मिलकर ऐसे बालकों के अधिकतम विकास में सहायता की आवश्यकता होती है। इन बालकों की अध्यापन विधि, भौतिक परिस्थितियों में कुछ अनुकुलाताएँ अपनानी होती है। विकलांग बालकों के शिक्षण प्रक्रिया में माता – पिता, कक्षा के अन्य बच्चों को भी सहायता देनी चाहिये।उन्हें मिलजुलकर इस कार्यक्रम में भागीदार बनना होगा ताकि विकलांग बालकों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। कक्षा प्रबंधन में भौतिक वातावरण तथा अध्यापन विधि में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अच्छी कक्षा व्यवस्था से तनाव तथा असमंजस को कम करने में सहायता मिलती है।

10.5.1 कक्षा -कक्ष के भौतिक वातावरण का प्रबंधन

विशिष्ट बालकों को सबसे बड़ी समस्या कक्षा कक्ष के भौतिक संरचना से समायोजन में होती है। ऐसे बालकों को कक्षा कक्ष के वातावरण में घूमना फिरना सीखना आवश्यक हो जाता है जहाँ पर कक्षा कक्ष का निर्माण उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार नहीं बना होता है। यद्यपि हानिकारक, असुरक्षित वस्तुएँ हटाई जा सकती है। बालकों को जहाँ कहीं वह चाहे अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना चाहिये। उसे विद्यालय के वातावरण का अच्छी तरह से पाता होना चाहिये।

संवेदनात्मक जागरूकता का प्रशिक्षण जहाँ तक कमजोर दृष्टि वाला बच्चा आवाज को सुन कर समझ सकता है वहाँ तक स्पर्श संकेत त्रिविमीय खाका से समझना उसके स्वतंत्र विचरण में सहायताकरता है। एक विशेष अध्यापक इन कौशलों को प्राप्त करने में बालकों को सहायता कर सकता है। एक विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में सम्मलित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:

- विशिष्ट बालकों को अत्यधिक सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चे को विद्यालय के यथा संभव कार्य कलापों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिये किन्तु इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाय कि बच्चे को कोई खतरा न हो।
- बच्चे को पहली पंक्ति, बीच की सीट या खिड़की अथवा प्रकाश के निकट जहाँ भी वह चाहता है, बैठने की अनुमति दी जानी चाहिये। जब भी आवश्यक हो उसे ब्लैक बोर्ड के पास आने से नहीं रोकना चाहिये।
- सभी सतहों पर सामने से चमक या रौशनी को रोकना चाहिये।

- कक्षा कक्ष का रंग हल्का होना चाहिये। डेस्क के ऊपरी भाग पर अधिक पालिश होने और चमकदार पालिश होने के कारण आँखों पर चमक पड़ती है। यदि अलमारियों पर शीशे के दरवाजे लगे हुए हैं जिससे प्रकाश परावर्तित होता है तो उन पर रंगीन डिजायन वाला कागज चिपकाया जा सकता है।
- सीढियों के ऊपरी भाग पर विपरीत रंग का पेंट होना चाहिये या रंगीन धारियाँ होना चाहिये ताकि कमजोर दृष्टि वाले बच्चों को सीढियों की आसानी से पहचान हो सके।

10.5.2 अध्यापन विधि में प्रबन्धन

विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओ के कारण निम्नलिखित शैक्षिक अनुकूलन की आवश्यकता होगी :

- अध्यापक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय बोलकर लिखना चाहिये ताकि कमजोर दृष्टि वाला/ दृष्टिहीन बालक सुनकर सूचना प्राप्त कर सके।
- विशिष्ट बालकों को ब्लैक बोर्ड से नक़ल करते समय अतिरिक्त समय देना चाहिये।
- बड़े मुद्रण वाली नक्शों से नक्शे भरने में सहायता मिलती है।
- कार्य को छोटे छोटे अवधियों में बांटकर नियोजित किया जाय ताकि बालकों को थकान कम से कम हो सके ।
- यदि उत्तर लिखने में समस्या आती है तो बालक उत्तर को मौखिक या टेप रेकार्डर से दे सकता है।
- ऐसे बालकों के साथियों को कमजोर दृष्टि वाले बालक के विशिष्ट आवश्यकता के बारे में जानकारी देनी चाहिये और जब भी आवश्यकता हो तो उन्हें ऐसे बलकों को सहायता करनी चाहिये।
- बालक के सफलता के क्षेत्र को उजागर करनी चाहिये। यह उसके आत्मबल के लिए आवश्यक है।
- ऐसे बालकों के परीक्षा में कोई समय सीमा नहीं होना चाहिये।
- श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा में सांकेतिक भाषा का व्यवस्था करनी चाहिये।
- मूल्यांकन में व्याकरणीय गलतियों को ध्यान नहीं देना चाहिये।
- कोलाहल से दूर बैठना चाहिये
- बहार से आने वाली आवाज एवं शोर को कम करने का प्रयास करना
- शब्दों का उच्चारण जोर से एवं स्पष्ट रूप से करना
- यथा संभव बच्चे की ओर मुख कर के पढाना
- शारीरिक असमर्थता के कारण जमीं पर बैठ सकने बाले छात्रों के लिए कुर्सी की व्यवस्था करनी चाहिये।
- अस्थि विकलांगता की स्थिति में बालकों को अपने सीट पर बैठे बैठे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।

- प्रारंभिक अवस्था में कृत्रिम अंग जैसे वैशाखी, सुनने देखने के यंत्र जल्दी-जल्दी बदलने की जरुरत होती है अत: इसे सही समय पर बदलने चाहिये।

अभ्यास प्रश्न

1. कक्षा – कक्ष प्रबंधन से आप क्या हैं ?

10.6 शिक्षण नीतियाँ

शिक्षण नीतियाँ दो शब्दों से बनकर बना है – शिक्षण और नीतियाँ, शिक्षण एक अंत: क्रियात्मक प्रक्रिया है, जो कक्षागत परस्थितियों में वांछित उद्देश्यों के प्राप्त करने छात्र और शिक्षकों के द्वारा सम्पन्न की जाती है। नीतियाँ योजना नीति चतुराई तथा कौशल की ओर संकेत करती है। नीतियों से अभिप्राय ऐसी कौशल पूर्ण व्यवस्था से है, जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है।

स्टोन्स तथा मॉरिस के अनुसार के अनुसार- "शिक्षण नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें वांछित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्दश्यों के रूप में सम्मिलित होती है साथ ही इसमें युक्तियों की योजनाएँ भी तैयार की जाती है।"

शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ही शिक्षक कक्षा के लिए प्रयोग हेतु उपयुक्त शिक्षण नीतियों का चयन कर लेता है। शिक्षण नीतियों में अनेक कारक होते हैं जो सम्मिलित रूप से शिक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाने का प्रयास करते है और शिक्षण की प्रभावशीलता बनाते हैं।

10.6.1 शिक्षण नीतियों की विशेषता -

1. शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण कार्यो के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती है।
2. यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं
3. ये व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है
4. ये कार्य विश्लेषण और उसकी संरचना में महत्वपूर्ण है
5. ये शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत तथा तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है।
6. ये शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध तथा सार्थक बनती है।

10.6.2 शिक्षण नीतियाँ के प्रकार

1. **व्याख्यान नीति** – व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है। किन्तु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यावहारिक ज्ञान नहीं दी जा सकती है। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके हैं।
2. **प्रदर्शन नीति** – शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफी महत्व है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ इस विधि द्वारा

इसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ते समय प्रयोग करता है एवं छात्र प्रयोग प्रदर्शन का प्रयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएँ भी छात्र के सामने रखते हैं।

3. **अन्वेषण नीति** – इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सिखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है।जो उचित समय पर गलतियाँ सुधारने में मदद करता हैं। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं वैसे-वैसे ही उन्हें नविन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति में छात्र एक अन्वेषण कर्ता का काम करता है।
4. **समस्या समाधान नीति** – समस्या समाधान नीति का जन्म प्रयोजन वाद का जन्म हुआ। इसमें छात्र अपने पाठ से सम्बंधित समस्याएँ छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रूचि और क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षण नीति के विशेषताओं का वर्णन करें।
2. विभिन्नशिक्षण नीतियों का वर्णन करें।

10.7 विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ

विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से विचलन की वजह से कई प्रकार की समस्याए आ जाती हैं जिससे इन बालकों का समायोजन एवम् शिक्षा प्रभावित होती है। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों से विचलन कई समस्याओं को जन्म देता है जैसे: अवधान क्षमता, स्मृति, भाषा विकास, समायोजन क्षमता, व्यवहार कुशलता, अपने वातवरण में उन्मुक्त विचरणशीलता आदि। इन बालकों की समस्याएँ इनकी विचलन की दिशा व मात्रा पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार की विशिष्टता में बालकों की समस्याओं में विविधता पाई जाती है। कई बालक दृष्टि बाधित होते हुए भी सामान्य आवगमन में कठिनाई महसूस नहीं करते। वहीँ कुछ बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण एवम् व्यवहार भी दोयम दर्जे का रहा है। आज भी जागरूकता की कमी एवम् अनभिज्ञता के कारण लोग विशिष्ट बालकों को समझने में अक्षम हैं। ये समस्याएं निःसंदेह बालकों की विशिष्ट क्षमता या अक्षमता के कारण ही जन्म लेती हैं और इन समस्याओं के कारण ही ऐसे बालको की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं यही कारण है की आधुनिक शब्दावली व दर्शन के अनुसार इन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जा रहा है।विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवम् आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें उनके विचलन की दिशा व मात्रा के अनुसार ही चर्चा करनी होगी।

10.7.1 प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताएं

प्रतिभाशाली बालकों के शारीरिक विकास के अनुसार इन बालको को नए एवं अधिक चुनौतीपूर्ण खेलों में शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य नियमित खेलों में भी नियमों में परिवर्तन करके उन्हें आकर्षक बनाने की जरूरत होती है।

इन बालकों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। नए शिक्षण व्यूह आदि की सहायता से कक्षाओं को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाना होता है। इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण की आवश्यकता होती है। विस एवं गालाघर (Weiss & Gallaghar, 1982) ने पाठ्यचर्या के समृद्धिकरण हेतु सात प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया है-

- कक्षा का समृद्धिकरण
- सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम
- संसाधन कक्ष
- सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम
- स्वाध्याय कार्यक्रम
- विशिष्ट कक्षा
- विशेष विद्यालय

उपर्युक्त वर्णित सभी व्यवस्थाये कोई भी समुदाय नहीं कर सकता किन्तु अपनी क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ज्यादातर व्यवस्थाये करने की जरूरत है।
प्रतिभाशाली बालकों की क्षमताओं का सही एवं न्यायसंगत उपयोगकर बालक का सर्वांगीण विकास के लिए बालक को एक शैक्षिक सत्र में एक से अधिक कक्षा प्रोन्नति का प्रावधान किया जाना चाहिए।
प्रतिभाशाली बालकों के समाज में सही समायोजन हेतु उचित परामर्श एवं निर्देशन की जरूरत होती है। साथ ही इन बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को भी परामर्श एवं निर्देशन दिया जाना चाहिए।
नैतिक समस्याओं को दूर करने हेतु बालकों को समाज की जरूरतों से परिचय करना चाहिए तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना चाहिए। जिससे बालक में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भान हो सके। समाज में कुछ नैतिक समस्याओं को हल करने वाली समितियों का सदस्य बनाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं का संक्षिप्त वर्णन करें।

10.7.2 मानसिक मंद बालक की आवश्यकताएँ

मानसिक मंद बालक की संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बुद्धि-लब्धि स्थाई समस्या है जिससे जनित आवश्यकताओं- अवधान क्षमता का विकास, स्मृति का विकास, भाषा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में विकास करना मानसिक मंद बालकों की मुख्य संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं।

अवधान क्षमता का विकास:

मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता कम होती है जिससे वे जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इनके अनुदेशन हेतु जटिल प्रक्रियाओं को सरल प्रक्रियाओं में तोड़ लेना

चाहिए। अमूर्त चिन्तनों को मूर्त रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। चूँकि इन बालकों का अवधान प्रसार भी कम होता है इसलिए पाठ्यसामग्री या अनुदेशों को छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी रूचि के अनुरूप सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेल-खेल में, आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बालक की अवधान क्षमता का विकास हो सके।

स्मृति विकास:

स्मृति के विकास हेतु इन बालको को अधिगम नीतियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समन्वय नियंत्रण प्रक्रियाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ इन बालकों को अपनी सामान्य बातों को याद रखने हेतु दैनंदिकी लेखन आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए।

भाषा विकास:

भाषा विकास के लिए ऐसे बालकों को अधिक से अधिक अन्तः क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए। नियमित शब्दों का उच्चारण अभ्यास करना चाहिए तथा उनके सहपाठियों के साथ खेलने-कूदने एवं बात-चीत करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। इन बालकों के अंतर्मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं तथा वे अभिव्यक्त भी करना चाहते है। परन्तु भाषा विकास कम होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है।

शैक्षिक उपलब्धि:

मानसिक मंद बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बढाने के लिए बालकों का मूल्यांकन उनके सीखने के स्तर एवं मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। ऐसे बालकों की मूल्यांकन प्रक्रिया मौखिक एवं छोटे-छोटे क्रियाकलापों पर आधारित होनी चाहिए। बालकों के स्वामित्व स्तर के मूल्यांकन की बजाय उनके सीखने की मात्रा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं:

मानसिक मंद बालकों में आत्म संप्रत्यय की कमी पाई जाती है। बालक ऐसे में सहयोग की अपेक्षा करता है। खेल कूद के लिए विश्वसनीय मित्र की आवश्यकता होती है। जिससे खुलकर वह अपनी बातों को साझा कर सके। अन्य बालकों से मित्रवत व्यवहार की अपेक्षा करता है। ऐसे बालकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। अन्य जटिल कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरण प्रदान करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. मानसिक मंद बालकों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।

10.7.3 दृष्टि-अक्षम बालक की आवश्यकताएँ

दृष्टि अक्षम बालकों में अपने वातावरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दृष्टि की कमी के कारण बालकों का अनुभव सिमट जाता है। ऐसे में सामान्य वातावरण में बालक की कठिनाइयाँ अधिक हो जाती हैं। बालक की कठिनाइयों के कारण सामान्य बालकों की तुलना में बालक की आवश्यकताए भिन्न हो जाती हैं। बालक की मुख्यतः चार आवश्यकताएं निम्नवत इस प्रकार हैं-

- ब्रेल
- शेष दृष्टि का प्रयोग
- श्रवण कौशल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण

प्रथम तीन आवश्यकताए प्रत्यक्ष रूप से बालक के शिक्षा से सम्बंधित हैं जबकि अंतिम आवश्यकता दैनिक जीवन से जुड़ी है।

ब्रेल(Braille):

उन्नीसवीं शताब्दी में फ्रांस लुई ब्रेल ने दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के बुनियादी लेखन व्यवस्था का प्रतिपादन किया। लुई ब्रेल ने एक फ्रांसीसी अधिकारी चार्ल्स बार्बिअर द्वारा रात्रि के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विकसित १२-बिंदु पद्धति का संशोधन कर ६- बिंदु पद्धति का प्रतिपादन किया जोकि दृष्टि अक्षमों की शिक्षा व्यवस्था तथा संप्रत्यय को चमत्कारिक रूप से बदल दिया।

ब्रेल लिपि 2x3 के आयताकार कोष्ठ (सारणिक रूप) में उभरी हुई आकृति होती है जिसमे विभिन्न क्रमचयों एवं संचयों के अनुसार विश्व की अधिकतम भाषाओं को उनकी ध्वनि के आधार पर कूट किया गया है। ब्रेल को मुख्यतः दो ग्रेड में विकसित किया गया है। ग्रेड-I सीखने में आसान व शुरुआत करने के लिए उपयुक्त है। जबकि ग्रेड-II पढने व लिखने में कम समय एवं कम जगह लेने के कारण अधिक लोकप्रिय है।

दृष्टि अक्षम बालकों को ब्रेल का प्रशिक्षण सामान्य बालकों को मुद्रित लिपि सीखाने की अपेक्षाकृत अधिक कठिन एवं श्रमसाध्य है। ब्रेल पढ़ने में स्मृति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ब्रेल मुद्रित सामग्री से बहुत अधिक स्थान घेरती है जिसका पठन दृष्टि अक्षम बालक दोनों हांथों की सहायता से करते हैं। एक समय में पूरे वाक्य का प्रत्यक्षण करने में भी कठिनाई होती है। अर्थात मुद्रित लिपि को पढ़ने में अधिक समय भी लगता है। सभी मुद्रित सामग्री का ब्रेल में प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता। ब्रेल में मुद्रित पुस्तकें भी भारी-भरकम होती है जिससे इनका रख-रखाव भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सभी सीमाओं के बाद भी अभी विकासशील राष्ट्रों में ब्रेल एक अहम माध्यम है जिससे दृष्टि अक्षम बालक अपने शैक्षिक आवश्यकतों की पूर्ति कर रहे हैं जबकि अब प्रौद्योगिकी के विकास से कई उपकरण व यन्त्र विकसित हो चुके हैं तथा दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं जो दृष्टि अक्षम बालकों के शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन स्तर को समृद्ध कर रहे हैं। दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार ब्रेल या अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

शेष दृष्टि का प्रयोग(Use of Residual Vision):

ज्यादातर दृष्टि अक्षम बालकों में उपयोग करने योग्य दृष्टि शेष होती है। ब्रेल लेखन व पठन की दुरुहता को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टि अक्षम बालक को अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग कर मुद्रित सामग्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हैनिनेन (१९७५) का विश्वास है कि अधिकतर दृष्टि अक्षम बालकों को मुद्रित

सामग्री पढ़ना चाहिए क्योंकि मुद्रित सामग्री को पढ़ने की गति अधिक होती है, मुद्रित सामग्री में चित्र और आरेख को प्रदर्शित करने की अधिक अभियोग्यता तथा अधिक सामग्रियों का समावेश होता है।
कई वर्षों से दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि का प्रयोगकर मुद्रित सामग्री को पढ़ने एवं अन्य कार्य करने से रोका जाता रहा है। इस मुद्दे पर बहुत सारी भ्रान्तियाँ रहीं हैं । इनमें से मुख्य भ्रान्तियाँ अग्रलिखित हैं-

i. पुस्तकों को आँखों के नजदीक रखकर पढ़ने से आखों को क्षति पहुंचती है
ii. अधिक क्षमता के लेंस आखों को क्षति पहुंचाते हैं, तथा
iii. शेष दृष्टि का अधिक प्रयोग आँखों को क्षति पहुंचाता है।

एक समय ऐसा भी था जब अल्प-दृष्टि अक्षम बालकों की कक्षाओं को 'दृष्टि संरक्षण' कक्षाएं कहा जाता था जिसमें उनकी आँखों को क्षति से बचाने हेतु बची हुयी या शेष दृष्टि का प्रयोग नहीं होने दिया जाता था। अब यह चिन्हित किया जा चुका है कि कुछ स्थितियों में ही यह सत्य है। वास्तव में यह पाया गया है कि शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग से बालकों को और अधिक सहायता मिलती है।
इसप्रकार से दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग कर मुद्रित सामगी से अधिक लाभ लेने में मदद करने हेतु अग्रलिखित दो विधियाँ हैं-
बड़े अक्षरों में मुद्रण: सामान्यतः मुद्रित पुस्तकें 10 पॉइंट मापनी में मुद्रित होती हैं किन्तु दृष्टि अक्षम बालकों हेतु 18 पॉइंट या 30 पॉइंट मापनी में मुद्रण की आवश्यकता होती है। बड़े अक्षरों के चलते पुस्तकें अधिक मोटी हो जाती हैं जिससे इनका रख-रखाव अधिक महंगा एवं श्रमसाध्य हो जाता है। इसके बावजूद कुछ प्रकाशक अब बड़े अक्षरों में मुद्रित पुस्तकें मुद्रित करने लगे हैं।
आवर्धक लेंसों का प्रयोग: सामान्य पुस्तकों को भी आवर्धक लेंसों की सहायता से दृष्टि अक्षम बालक पढ़ सकता है। इसके लिए हाथ से प्रयोग में आने वाले आवर्धक लेंसों के आलावा निकट परिपथ दूरदर्शन(CCTV) का प्रयोग प्रचलन में है।

श्रवण कौशल(Listening Skill):

दृष्टि अक्षम बालकों के लिए श्रवण कौशल की महत्ता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। अपने वातावरण से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए दृष्टि पर अधिक विश्वास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बालक का एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना हैकि दृष्टि अक्षम बालकों में श्रवण कौशल स्वतः ही विकसित हो जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दृष्टि अक्षम बालकों में ऐसी कोई दैवीय चमत्कार से दृष्टि की क्षतिपूर्ति हेतु अवधान क्षमता का विकास नहीं होता है। अधिकतर बालकों को श्रवण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब पाठ्यक्रम में श्रवण कौशल के प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों एवं कार्यक्रमों की विभिन्नता है।
अब श्रवण कौशल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योकि ध्वनी प्रौद्योगिकी के विकास से आज रिकार्डेड सामग्री आदि का उपयोग अधिक प्रचलन में है। इसकी इतनी अधिक महत्ता के साथ कुछ सीमायें भी हैं : बालक केवल रिकार्डेड सामग्री पर अधिक विश्वास करता है तथा अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग भी नहीं कर पाता है।

अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण (Orientation and Mobility Training):

बालक की विकलांगता की तीव्रता उसकी चलिष्णुता पर निर्भर करती है। चलिष्णुता ही सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अधिक जिम्मेदार घटक है। बालक की चलिष्णुता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण प्राप्त बालक अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सक्षम हो जाता है तथा फलस्वरूप उसकी अनुभव की विभिन्नता एवं प्रसार भी बढ़ जाता है जिससे बालक का अधिगम समृद्ध होता है। सामान्यतया चलिष्णुता का प्रशिक्षण देने की चार प्रमुख विधियाँ हैं:

- मानव निर्देशक (Human Guides)
- निर्देशक श्वान (Guide Dogs)
- लम्बी छड़ी (The Long Cane)
- इलेक्ट्रोनिक यंत्र (Electronic Devices)

प्रौद्योगिकीय एवं विशिष्ट सहायक सामाग्रियाँ(Technological and Special Aids):

पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विकास के चलते दृष्टि अक्षम बालकों के प्रयोग में आने वाली नवीन इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र प्रचलन में आ गए हैं। इन नवीन यंत्रों के प्रयोग के कौशल हेतु भी दृष्टि अक्षम बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में किस यन्त्र का प्रयोग कैसे किया जाय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक सामान्य परिस्थितियों में अधिक सक्षम हो सकेंगें। इन यंत्रों में आप्टाकान(Optacon), कुर्जवेल पठन मशीन(Kurzwell reading mashine), वर्साब्रेल(VersaBraille), क्रेन्मेर गिनतारा (Cranmer Abacus) महत्वपूर्ण हैं।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं(Administrative Arrangements):

ऐसे बालकों के उचित समायोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रयास की जरूरत है। उपयुक्त शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण सहायक यन्त्र, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु यन्त्र, सामाजिक चेतना जागरण आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रशासं के पूरे सहयोग एवं दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत से प्रयास जारी हैं। जैसे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता, आरक्षण आदि प्रयास सराहनीय हैं। इसके बावजूद अभी एक लम्बी दूरी तय की जानी बाकी है।

अभ्यास प्रश्न

1. दृष्टि अक्षम बालकों की आवश्यकताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

10.7.4 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की आवश्यकताएँ

श्रवण ह्रास वाले बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण स्थापित करने में अक्षमता है। सम्बंधित शिक्षकों के लिए सम्प्रेषण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्प्रेषण की समस्या को दूर करने हेतु इन बालकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषतः दो प्रकार के प्रशिक्षण श्रवण ह्रास व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर पाते हैं- मौखिक प्राविधि तथा शारीरिक प्रविधि। इन

दोनों प्रविधियों को लेकर विशेषज्ञों में विवाद रहा है। किन्तु अब सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम को ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। यहाँ हम सर्वप्रथम मौखिक प्राविधि पर चर्चा करेंगें-

मौखिक प्राविधि(Oral Technique): श्रवण प्रशिक्षण(Auditory Training) तथा वाणीपठन(Speech Reading)

श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training) श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की शेष श्रवण क्षमता को अधिकतम प्रयोग कर अर्थपूर्ण सुचनाये प्राप्त करने की विधि सिखाने का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण से बहुत ही कम बालक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जबकि प्रौद्योगिकी विकास के कारण अब इससे अधिक लाभ लिया जा रहा है।

श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training) के निम्लिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

- ध्वनि जागरूकता का विकास
- वातावरणीय ध्वनियों के मध्य मोटा-मोटी अंतर करने की क्षमता का विकास
- भाषिक-ध्वनियों के मध्य विभेद करने की क्षमता का विकास

वाणी पठन (Speech Reading) के लिए कभी-कभी ओष्ठ पठन (Lip Reading) समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किन्तु उचित नहीं है क्योंकि वाणी पठन (Speech Reading) काफी व्यापक पद है जो पूरे वातावरण को सम्मिलित करते हैं जिससे अधिकाधिक सुचनाये प्राप्त की जा सकती है जबकि ओष्ठ पठन (Lip Reading) मात्र ओष्ठ तक सिमित करता है। वाणी पठन (Speech Reading) श्रवण ह्रास व्यक्तियों को दृश्य सूचनाओं के आधार पर सम्प्रेषण स्थापित करने का प्रशिक्षण है।

वाणी पाठक (Speech Reader) मुख्यतः तीन प्रकार की दृश्य सूचनाओं से लाभ उठा सकते हैं जोकि अग्रलिखित हैं-

- वातावरणीय उद्दीपक
- सूचना से सम्बंधित उद्दीपक जोकि वाणी का हिस्सा नहीं हो
- वाणी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्दीपक

सम्पूर्ण सम्प्रेषण (Total Communication)

1970 से मौखिक प्राविधि अनुदेशन से सम्पूर्ण सम्प्रेषण अनुदेशन निम्नलिखित कारको की वजह से प्रयोग में लाया जाने लगा है जोकि काफी तर्कसंगत है।

- कुछ अध्ययनों में श्रोता माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, लेखन, पठन, तथा सामाजिक परिपक्वता श्रवण बाधित माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों से उत्तम पाई गई।
- मात्र-मौखिक विधि की प्रभाविता के प्रति असंतोष

सांकेतिक प्रणाली(Sign System):

यह प्रणाली शारीरिक प्रविधि का एक प्रकार है जिसका प्रयोग सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम में किया जाता है। इसके अंतर्गत ऊँगली-वर्तनी तथा शाब्दिक कूटों के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित किया जाता है। उँगली-वर्तनी विभिन्न भाषाओँ में विकसित कर ली गयी है तथा श्रवण ह्रास ग्रसित बालकों में सम्प्रेषण स्थापित करने का मुख्य साधन है।

प्रशासनिक व्यवस्था(Administrative Arrangements):

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को उनकी अक्षमता की तीव्रता के अनुसार नियमित विद्यालयों से लेकर विशेष विद्यालायों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बालकों का सही आंकलन नहीं हो पाता जिससे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं हो पाता। कुछ विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एवं समझ भी ऐसे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करने में असफल रहा है। कुछ लोंगो का यह विचार है कि बधिर-संस्कृति में ही बालक ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है तथा मुख्य-धारा इनके लिए संभव नहीं है।

प्रौद्योगिकीय तरक्की (Technological Advances):

प्रौद्योगिकी तरक्की से श्रवण ह्रास के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ तथा श्रवण ह्रास बालकों का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों में यह तरक्की अवलोकित होती है-

- कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन,
- दूरदर्शन,
- दूरभाष, तथा
- श्रवण-यंत्र

कंप्यूटर आधारित अनुदेशन(Computer Assisted Instruction)-

कंप्यूटर की सहायता से शब्द तथा वाणी से युक्त सूचनाओं को अधिक से अधिक दृश्य सुचनाओं में परिवर्तित करके बालको के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेर विकसित हुए है जो वाणी को दृश्य रूप या सांकेतिक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को इस प्रकार के तकनीकी के प्रशिक्षण की जरूरत है।

दूरदर्शन(Television)- दूरदर्शन शिक्षा तथा सूचना प्राप्त करने का का एक सशक्त माध्यम है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को भी इस माध्यम से पूर्ण लाभ मिले इसके लिए अब दूरदर्शन पर समाचार आदि को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रमों में भी लिखित पट्टियां ध्वनि की कमीं को पूरा करती हैं। श्रवण ह्रास बालकों को भी ऐसे कार्यक्रमों से लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है।

दूरभाष(Telephone)-दूर-टंकण-यन्त्र(Teletypewriter i.e. TTY) का विकास श्रवण ह्रास बालकों/व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोकि एक दूरभाष यन्त्र से जुड़ता है तथा एक श्रवण ह्रास व्यक्ति को दुसरे श्रवण ह्रास व्यक्ति से, जो की TTY रखा हो टंकण के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित

करने में सहयोग प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है की यह सामान्य व्यक्ति से सम्प्रेषण में उपयोगी नहीं है। आजकल स्मार्ट फ़ोन आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है।

श्रवण यन्त्र(Hearing Aids)-कई प्रकार के श्रवण यन्त्र श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध है। बालकों को उनकी जरूरतों के अनुसार श्रवण यन्त्र उपलब्ध करने की जरूरत होती है ताकि वे शेष श्रवण क्षमता का प्रयोग कर सकें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के श्रवण यन्त्र आवश्यकता के अनुसार उपयोग किये जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

2. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों के प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यकताओं का उल्लेख करें।

10.8 वैयक्तिक शैक्षिक योजना

वैयक्तिक शैक्षिक योजना (individualized Education Programme) विशिष्ट बालकों के लिए तैयार किया गया लिखित एक शैक्षिक योजना है जिसके अन्तर्गत एक विशिष्ट बालकों के लिए उनकी सभी शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन किया गया होता है। एक बालक जिनकी उम्र 3 वर्ष से लेकर 21 वर्ष है और उनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है तो उनके लिए वैयक्तिक शैक्षिक योजना अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी बालक को जब यह निश्चित हो जाता है कि उन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है तो 30 दिन के अन्दर उनकी वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार हो जाना आवश्यक है। जब बालक की वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार हो जाता है तो जितना जल्दी हो सके उन्हें विशिष्ट शिक्षा देना आरम्भ कर देना चाहिये। किसी भी बालक को जब पहली बार विशिष्ट शिक्षा एवं उनकी अवश्यकता के अनुसार शिक्षा देना शुरु की जाती है तो माता- पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक हो जाती है।

वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार करने वाले समूह :

वैयक्तिक शैक्षिक योजना तैयार करने वाले समूह में निम्न व्यक्तियों का होना आवश्यक है :

- माता-पिता एवं अभिभावक
- बालक के विद्यालय के एक सामान्य शिक्षक
- एक विशिष्ट शिक्षक
- मनोवैज्ञानिक
- चिकित्सक
- समाज सेवी

वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण के चरण

वैयक्तिक शैक्षिक योजना के निर्माण में इसको कई अध्यायों में विभाजन किया जा सकता है जो इस प्रकार है:

अध्याय – 1

इस पाठ में निम्न सूचना होना आवश्यक है –

- बालक का नाम, जन्म तिथि, कक्षा का नाम,
- विशिष्ट शिक्षा देने की समय सीमा
- वार्षिक मूल्यांकन का समय
- वैयक्तिक शैक्षिक योजना बनाने वाले व्यक्तियों का नाम एवं कार्य

अध्याय – 2

- बालक की योग्यता,
- वर्तमान स्थिति,
- कार्यात्मक कौशल
- संचार क्षमता , शारीरिक विकास, भाषा विकास, व्यावसायिक कौशल

अध्याय – 3

- वार्षिक उद्देश्य
- अल्पावधिक उद्देश्य
- दीर्घकालिक उद्देश्य
- उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप से लिखना

अध्याय -4

- विशिष्ट शिक्षा सेवा
- अन्य सम्बंधित सेवा
- शैक्षिक नियोजन इत्यादि

10.9 समूह शिक्षण

समूह शिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न मानसिक योग्यता वाले छात्रों का एक समूह होता है। इन सब छात्रों को एक साथ शिक्षा देना संभव नहीं होता है। अत: समान मानसिक योग्यता वाले छात्रों के उप समूह बना दिए जाते हैं, जिन्हें हम साधारणत: कक्षाएँ कहते हैं। ये कक्षाएँ सामूहिक इकाइयाँ होती है। शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और सभी छात्र को एकसाथ शिक्षा देते हैं। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए एक ही विधि का प्रयोग किया जाता हैं।

10.9.1 समूह शिक्षण के गुण

1. यह विधि छात्रों को सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है।
2. यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनती है।
3. यह विधि छात्रों की तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि मानसिक क्रियाओं, का विकास करती है। क्योकि एक साथ रहने के कारण किसी ण किसी प्रकार का विचार विनिमय होता रहता है।
4. यह विधि छात्रों के भावी जीवन के लिए तैयार करता है क्योकि वे प्रतिदिन कई घंटे तक एक साथ साथ रहकर एक दुसरे के आदतों, विचारों और दृष्टिकोणों से सामजस्य करने का प्रयास करता है।
5. यह विधि छात्रों में नेतृत्व का गुण विकास करती है, क्योकि वे विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, प्रबंध या संचालन करते हैं।
6. यह विधि छात्रों में अनुकरण एवं प्रतियोगिता की आदतों का निर्माण कर के उन्हें अधिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रेरित करती है।

अभ्यास प्रश्न

1. समूह शिक्षण क्या है
2. समूह शिक्षण के गुणों का वर्णन करें।

10.10 पठ्यांतर क्रियाओं के द्वारा शिक्षण एवं अधिगम

शिक्षा का लक्ष्य छात्रों का सर्वांगीन विकास है। छात्रों की सर्वंगीन विकास में पठ्यांतर क्रियाओं का विशेष महत्व है। पठ्यांतर क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना अन्य विषयों का। शिक्षा का लक्ष्य केवल 3 R (Reading, Writing, and Arithmetic) पढ़ना, लिखना, तथा गणित का शिक्षा देना नहीं अपितु Rs (Reading, Writing, Arithmetic, Right, Responsibility, Relationship, Recreation) का शिक्षा देना है। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है, जबकि पाठ्यंतर क्रियाओं का स्कूल में उचित प्रबंध हो। वास्तव में 'जीवन की शिक्षा' देने के लिए तो यह पाठ्यंतर क्रियांएँ पाठ्यक्रम के अन्य विषय से भी महत्वपूर्ण हैं। **डॉ जाकिर हुसैन** के शब्दों में "हमारे सभी विद्यालय कार्य समुदाय होंगे। इन शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के प्रयोग करने, खोज कार्य करने, रहने की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिये, जहाँ कार्य चरित्र का कार्य करेगा, जहाँ रहना जीवन का निर्माण करेगा। सभी स्वस्थ्य कार्यों अच्छे जीवन की तरह वे उन सहयोगी घरों की तरह बन जायेंगे जो अपने आंतरिक स्व अनुशासन, स्व अनुभव, और आपसी सहायता से सहयोग एवं आत्म बल की वृद्धि , उत्तरदायित्वों की स्वीकृति के कार्यों में लगे रहेंगे।" इस प्रकार का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है। जबकि विद्यालय में अनेक पाठ्येतर क्रियाओं के आयोजन का प्रबंध हो।

1. **मूल प्रवृतियों का उन्नयन-** पाठ्यंतर क्रियाओं द्वारा किशोरावस्था की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामूहिक जीवन की मुल्प्रवृति बहुत ही उग्र होती है। छात्र सामूहिक जीवन चाहते हैं। यदि उन्हें उचित सामूहिक जीवन नहीं मिलता है तो वे स्वयं अपनी ही टोली का निर्माण कर लेते हैं। शिक्षकों को चाहिये की वे विभिन्न पाठ्यंतर क्रियाएँ स्वशासन ,

समाज सेवा की संस्थाएं , स्काउटिंग आदि का प्रबंधन करें ताकि जिसके द्वारा छात्रों का मूल प्रवृतियों के उन्नयन में ये पाठ्यंतर क्रियाएँ अति सहायक सिद्ध होती है। ये क्रियाएं मानसिक संतुलन रखने में सहायक सिद्ध होती है।

2. **सामाजिक शिक्षण** – सहपाठीय कार्य 'रहने की कला' में शिक्षण देने में सहायक होते हैं। छात्रों में सहयोग एकता, सहानुभूति के पोषण द्वारा, संघ भावना उत्पन्न होती है। **सेकेंडरी एजुकेसन** कमीशन के अनुसार रहने की कला एक विस्तृत धारणा है। जिसमें सामाजिक जीवन की शिष्टता, शंघिक जीवन में कार्य करने की क्षमता, धैर्य, अच्छा स्वभाव, निष्कपटता, सेवा भावना आदि सम्मिलित होते हैं।
3. **नैतिक प्रशिक्षण**- छात्रों को सामाजिक संपर्क के अवसर मिलते हैं तथा प्रत्येक सदस्य व्यवहारिक ढंगों से परिचित होते हैं और नैतिकता का पाठ पढ़ता है। सद्भावना, सहानुभूति सच्चाई ईमानदारी आदि गुण सहज में ही प्राप्त हो जाता है।
4. **अवकाश के समय का सदुपयोग** – अवकाश की शिक्षा का भी उतना ही महत्व है जितना की कम की शिक्षा का यदि छात्रों में स्कूल में ही विनोद सम्बन्धी रुचियों का विकास किया जज सके तो बहुत ही उत्तम होता है। जीवन को अधिक सुखमय एवं आनदमय बनाने में सहायता मिलता है।
5. **नेतृत्व का प्रशिक्षण** – छात्रों द्वारा बहुत से कार्य आयोजित तथा व्यवस्थित होते हैं। अनेक प्रकार के स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तात्कालिक निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा करते समय छात्रों में नेतृत्व क्व गुणों अर्थात सत्यता, धैर्य, उत्साह, सहिष्णुता, विवेक, ह्रदय की विशालता, ईमानदारी, आत्म निर्भरता, आत्मविश्वास, मौलिकता आदि गुणों का विकास होता है।

अभ्यास प्रश्न

1. पाठ्यंतर क्रिया शिक्षण– अधिगम में किस प्रकार सहायक है?

10.11 विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए अनुकूलन

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना एवं उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में अनुकूलन कर शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा में जब तक विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता को नहीं समझेगें, तब तक हम उनके पाठ्यक्रम को उचित अनुकूलन नहीं कर सकते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालक शिक्षा प्राप्त करते है। उनमें से प्रमुख विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता एवं उनके पाठ्यक्रम में अनुकूलन की चर्चा हम नीचे कर रहे हैः-

4.6.1 मंद बुद्धि बालक (Children with Mental Retardation)- मंद बुद्धि बालकों की पहचान एवं विशेषतायें (Identification and Features of Children with Mental Retardation)

मंद बुद्धि बालकों की पहचान उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। जो निम्न हैः -

1. ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं।
2. ऐसे बालकों अति क्रियाशील या चंचल होते हैं।
3. ऐसे बालकों के मुहँ से हमेंशा लार टपकता रहता है।
4. ऐसे बालकों में सीखने की क्रिया धीमी होती है।
5. ऐसे बालकों में दो अंगो के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। जैसे- लिखने में, पढ़ने में, चलने में इत्यादि में।
6. ऐसे बालकों को कभी-कभी दौरे भी पड़ते हैं।

पाठयक्रम में अनुकूलन

मानसिक मंद बालकों की मुख्य समस्या किसी भी कार्य को समझने में होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए इनके पाठ्यक्रम में कुछ अनुकूलन की आवश्यकता होती जो इस प्रकार है –

- पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्रमश: प्रस्तुत करना चाहिये.
- अनुक्रिया के मध्य में शिक्षक को सहायता देना उचित रहता है.
- अनुक्रिया करते समय बीच – बीच में पुनर्वलन का प्रयोग करते रहना चहिये.
- मानसिक बालकों पर क्रियात्मक पुनर्बलन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए अनुक्रिया के बीच – बीच में क्रियात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिये
- किसी भी कार्य को श्रृंखलाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिये
- किसी भी कार्य को सिखाने के लिए मॉडल शिक्षण का सहारा लेना चाहिये.
- कार्य के बीच – बीच में मौखिक संकेत देते रहना चाहिये

दृष्टिबाधित बालकों के पाठ्यक्रम में अनुकूलन

एक सामान्य बालक सीखने में सबसे ज्यादा प्रयोग दृष्टि का करता है। इसके माध्यम से लगभग 80%अधिगम होती है। आँख मनुष्य की सभी ज्ञानइन्द्रियों में प्रमुख है। इसके न होने से मनुष्य का अधिगम सबसे अधिक प्रभावित होता है। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों की तरह न तो लिख सकता है, न पढ़ सकता है, न चल सकता हैं और न ही कोई क्रियाकलाप कर सकता है। जिसके कारण इन्हें सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

दृष्टिबाधितों को उचित शिक्षा देने के लिए निम्न क्षेत्रों/उपकरणों में अनुकूलन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

(i) **ब्रेल (Braille)**ब्रेल एक प्रकार कीलिपि है, जो विशेष कर दृष्टिबाधितों के लिए है। इसी लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित बालक पढ़ एवं लिख सकते है। इस लिपि की खोज फ्रांस के लुई ब्रेल ने की थी। यह लिपि मुख्यतः छः उभार बिन्दुओं (dots) के माध्यम से लिखी एवं पढ़ी जाती है। इसें हर अक्षर के लिए अलग-अलग उभार बिन्दु होते है। जैसे- 'अ' के लिए केवल 1 नं० की बिन्दु (dot) 'क' (1,3) इत्यादी।

ब्रेल लिपि को दाँए से बाए की ओर लिखी जाती हैं एवं बाँए से दाँए की ओर पढ़ी जाती है। इसे लिखने के लिए ब्रेल स्लेट एवं स्टाइलस का प्रयोग किया जाता है। इन बालकों के सुविधा के दृष्टि से सभी पाठ्यवस्तु को हमें प्रिंट से ब्रेल लिपि में परिवर्तन करनी चाहिये जिससे उसे पढ़ने में आसानी हो सके।

(ii) अबेकस एवं टेलर फ्रेम (Abacus and Taylor Frame)- इन उपकरणों के माध्यम से दृष्टिबाधित बालकों को गणितीय ज्ञान दिया जाता है। अवेकस एक प्रकार का मोतियॉ लगी हुई उपकरण होते हैं। जिससे दृष्टिबाधित बालकों को गिनती करना, साधारण जोड़-घटाव, गुणा एवं भाग सिखाया जाता है। टेलर फ्रेम भी एक प्रकार का गणितीय उपकरण है जो कि अष्टभुज आकार की संरचनाओं का बना होता है। इन अष्टभुज आकार की संरचनाओं में टाइप को डाला जाता है। इन टाइप की दिशा परिर्वतन होने पर अंको का मान बदलता रहता है। टेलर फ्रेम से दृष्टिबाधितों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं बीज गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाता है।

(iii) अनुस्थितिज्ञान एवं चालिष्णुता (Orientation and Mobility)- दृष्टिबाधित बालकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दृष्टिबाधितों को अनुस्थितिज्ञान एवं चालिष्णुता (Orientation and Mobility) का प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुस्थिति ज्ञान का अर्थ होता है, वातावरण में अपने स्थिति का पता लगाना। जब हम कहीं भी जाते है, तो चलने वाले को यह पता होना आवश्यक होता हैं कि हम कहॉ पर स्थित हैं और कहॉ जाना है, इसका पता दृष्टिबाधित बालक अपने अन्य ज्ञानइन्द्रियों को प्रयोग कर लगाता है, जैसे- फूलों के महक से, नाली के गंध से, मंदिर एवं स्कूल की घंटी से, चौराहे पर वाहनों के आवागमन एवं रेड लाईट इत्यादि से, दृष्टिबाधित अपने अनुस्थिति ज्ञान का पता लगाता है।

चलिष्णुता का अर्थ होता है- चलना एक दृष्टिबाधित बालक को चलने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है। जैसे- छड़ी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, अपने साथियों के साथ कैसे चलना चाहिए, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ना चाहिए इत्यादि गतिविधियों का प्रशिक्षण चालिष्णुता के अन्तर्गत दी जाती हैं ताकि दृष्टिबाधित बालक अपने आपको अपने वातावरण के साथ समायोजित कर सकें।

दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ''राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान''(National Institute of Visual Handicapped, Dehradun) द्वारा उपयोगी उपकरणों का निर्माण एवं अनुसंधान कार्य किया जाता है, ताकि दृष्टिबाधितों की समस्याओं का कम किया जा सकें।

उभरा हुआ मानचित्र एवं चार्ट का प्रयोग– चूँकि दृष्टि वाधित बालकों का मुख्य समस्या देखने में होता है इस लिए भौगोलिक एवं वैज्ञानिक चार्ट एवं मानचित्र का प्रयोग उभार कर करना चाहिये।

श्रवण बाधित बालकों की पाठ्यक्रम में अनुकूलता

प्रायः यह देखा गया है कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं अर्थात गूँगे एवं बहरे दोनो होते हैं, परन्तु यह हर स्थिति में संभव नहीं होता है। वे बालक ही गूँगे एवं बहरे (Dumb and Deaf) होते

है, जो जन्म या भाषायी विकास की अवस्था के बाद पूर्व श्रवण बाधित है। और जो बालक भाषायी विकास के बाद श्रवण वाधित होते हैं, वे बोल सकते हैं।

श्रवण बाधितों के लिए मुख्य समस्या सम्प्रेषण (Communication) की होती हैं न सुनने तथा न बोल पाने के कारण ये बालक किसी दूसरें सामान्य बालकों के साथ अपने आपको सम्प्रेषित (Communicate) नहीं कर पाते है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं।

(i) अल्प श्रवणबाधितों को सामान्य कक्षा में पहले बेंच पर बैठा कर शिक्षा दे सकते हैं।

(ii) अल्प एवं मध्यम श्रवण वाधितो को श्रवण यंत्र (Hearing Machine) की सहायता से शिक्षा दिया जा सकता है।

(iii) गंभीर एवं अति गंभीर श्रवण वाधितों को सांकेतिक भाषा (Sign Language), तथा होठों (Lip Reading) के द्वारा शिक्षा दी जाती है।

सांकेतिक भाषा (Sign Language)- इसमें संकेतो के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संम्प्रेषण स्थापित करता है। सांकेतिक भाषा का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। इसे अम्बे चार्ल्स माइकेल के द्वारा अपनाया गया था। सांकेतिक भाषा का प्रयोग विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के पद्धति द्वारा की जाती है। जैसे- अमें रिका में A.S.L (American Sign Language), ब्रिटेन में B.S.L.(British Sign Language), उसी प्रकार भारत में I.S.L (Indian Sign language) का प्रयोग किया जाता है।

होठ पठन (Lip Reading) भी एक प्रकार का संप्रेषण का माध्यम हैं जिसकी सहायता से सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझा जा सकता है।

श्रवण वाधितों के शिक्षा के लिए अली आवर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (Ali Yavar Jung National Institute of Hearing Impairment), मुम्बई द्वारा ऐसे बालकों के नए-नए सांकेतिक भाषाओं एवं क्रिया कलापों का विकास करती है। ताकि श्रवण वाधित बालकों को समाज में समायोजित किया जा सकें।

10.12 विशिष्ट बालकों को प्रभावशाली समावेशन में शिक्षककीभूमिका

किसी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। समावेशी शिक्षा में भी शिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम मानी जाती है। चूकि समावेशन की प्रक्रिया में सामान्य कक्षाध्यापक तथा विशेष आवश्यकताओं की पूति हेतु विशेष अध्यापक की व्यवस्था होती है। अतः हमलोग दोनों की भूमिका को बारी.बारी से जानेंगेः

कक्षाध्यापक की भूमिका

समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए कक्षाध्यापक की विशिष्ट बालकों के प्रति अभिवृत्ति गहरा प्रभाव डालती है। स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) ने कक्षाध्यापक की समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका बतायी है**:**

हॉव्स तथा वेशलिग (1998) (स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 द्वारा उल्लेखित) समावेशित शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षाध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि बताया है, चँकि वे ही सामान्य कक्षा अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होतें हैं। समावेशित शिक्षा में कक्षाध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित है :

- कक्षा में विशिष्ट बालकों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करना
- विशिष्ट बालकों हेतु मूल्यांकन तथा वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण सम्बन्धी विशेष दल का हिस्सा बनना
- विशिष्ट बाधित बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना
- बालक के माता-पिता से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करना उनका मार्गदर्शन करना
- वैयक्तिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना
- विकलांगता सम्बन्धी सरकारी योजनाओं, अधिनियमों की समझ रखना, तथा उनके लाभ को दृष्टिबाधित तक पहुचाने में मदद करना
- कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना
- विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करना
- अनुदेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना
- अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना

विशेष शिक्षक की भूमिका :

विशिष्ट बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के समुचित निष्पादन के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होती है। विशेष शिक्षक विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होतें हैं। इनकी भूमिका विशिष्ट होने के साथ-साथ विस्तृत भी होती है। विशेष शिक्षकों की भूमिका को आप निम्न चित्र द्वारा समझ सकतें है**:**

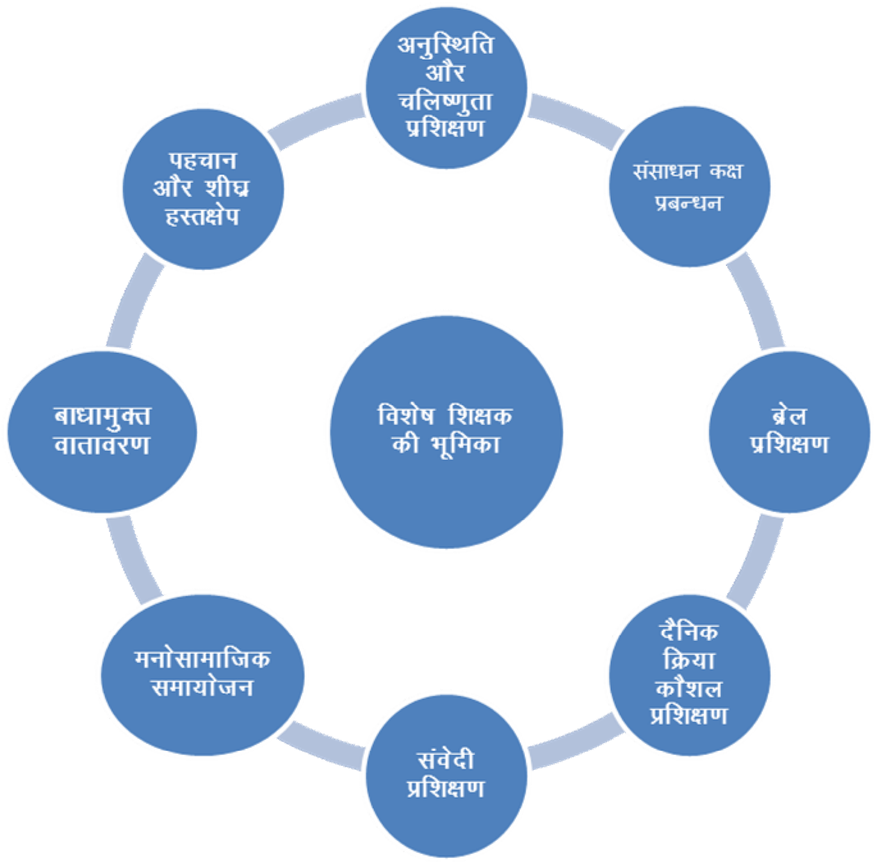

उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित विशेष शिक्षक की भूमिका को समझनें के लिए हम क्रमवार रूप से चर्चा करेंगे **:**

18.5.2.1 ब्रेल प्रशिक्षण

बालकों के लिए ब्रेल शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालक पठन व लेखन का कार्य स्पर्श रूप में करता है। ब्रेल छ**:** उभरी बिन्दुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य़ दाएँ से बाएँ ओर होता है जबकि पठन बाएँ से दाएँ ओर होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने-लिखने में सहायता मिलती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- दृष्टिबाधित बालकों के ब्रेल पठन और लेखन सीखाना
- ब्रेल प्रशिक्षण, ब्रेल-पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय करना
- ब्रेल लेखन हेतु विभिन्न उपकरणों से अवगत कराना
- संकोच ब्रेल तथा नेमेथ कोड (गणित के लिए कोड) से अवगत कराना

पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप

विशिष्ट बालक की यथाशीघ्र पहचान अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी विशिष्ट बालक हेतु समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब-तक नहीं किया जा सकता है जब तक विशिष्टता की पहचान एवं मूल्यांकन न कर ली जाय। पहचानोपरान्त नैदानिक मूल्यांकन एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। यदि दृष्टि क्षति में चिकित्सकीय सुधार सम्भव नही है तो उनके लिए उपयुक्त हस्तक्षेप तैयार करना चाहिए।

यदि माता-पिता बच्चे से अरूचि रखतें हैं अथवा निराश हैं, तो हस्तक्षेप कर उनमें उत्साह भरना चाहिए। उनको संतुष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की अक्षमता तथा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। परिवार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- कक्षा तथा अन्य स्थान पर विशिष्ट बालको को विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचान करना
- लेखन-पठन हेतु उचित माध्यम (ब्रेल एवं प्रिंट) के उचित चुनाव में मदद करना
- चिन्हित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यक शैक्षिक पुर्नवास कार्यक्रम की व्यवस्था करना
- चिन्हित छात्रों के लिए विशेष विशेषज्ञों (चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता) की सलाह लेना
- माता-पिता को उचित परामर्श देना एवं उनकी उपयुक्त सहायता प्राप्त करना

संवेदी प्रशिक्षण

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ उसे अपने वातावरण को स्पष्ट रूप से जानने, समझने और अन्त: क्रिया में सहायक होती हैं। इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त करता है, इसलिए इसे सूचना का द्वार भी कहतें हैं। ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र का और सम्वेदनाओं में दृष्टि का सबसे महतवपूर्ण स्थन है। विभिन्न शोधों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मनुष्य की सुचनाओं और अनुभव का दो-तिहाई से ज्यादा भाग दृष्टि द्वारा अर्जित होती हैं। अत: शिक्षक की यह स्वत: भूमिका है कि वह दृष्टिबाधित

बालकों में अनुभवों के इस अन्तर को कम करने के लिए सभी बची हुई संवेदनाओं (अवशिष्ट दृष्टि सहित) का महत्तम एवं एकीकृत उपयोग हेतु बालकों को उत्प्रेरित तथा मार्गदर्शित करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- स्पर्शी क्षमता को अधिकाधिक विकसित करना
- किसी भी प्रकार की आवाज को स्पष्टता और तत्परता के साथ सुनने का प्रशिक्षण देना
- गंध और स्वाद के माध्यम से वस्तुओं के ज्ञान का प्रशिक्षण देना
- बची हुई दृष्टि के उपयोग का प्रशिक्षण देना
- स्पर्श के माध्यम से छोटा-बड़ा, सख्त मुलायम, ठंडा या गरम, लम्बा-चौड़ा आदि की संकल्पना का निर्माण करना
- पेड़-पौधों, फूल, पत्ते, घास, सब्जी, फल आदि में अन्तर करने और समझने का प्रशिक्षण देना

अनुस्थिति और चलिष्णुता

अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता से तात्पर्य उस कौशल से है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने वातावरण को पहचानते हुए, स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छापूर्वक, एक स्थान से दूसरे इच्छित स्थान तक तक निर्बाध रूप से आने-जाने में सक्षम हो सके। दृष्टि के अभाव में गामकता की क्षतिपूर्ति के लिए दृष्टिबाधित बालकों को अनुस्थिति और चलिष्णुता कौशल का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फलस्वरुप वे चलने-फिरने में स्वतंत्रता का पर्याप्त अनुभव करते हुए निर्भयतापूर्वक एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए इच्छित स्थान तक जा सकेगें। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो दृष्टिबाधित बालक के उत्साह तथा आत्मविश्वास में भी अत्यन्त वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह दृष्टिबाधित बालकों हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- मानसिक मानचित्र के लिए दृष्टिबाधित बालकों को प्रोत्साहित करना
- पहचान चिह्न एवं संकेत का उपयोग करतें हुए चलिष्णुता को प्रभावी बनाना
- दृष्टिवान साथी की सहायता से चलने-फिरने का प्रशिक्षण
- अन्य बालकों को दृष्टिवान साथी की भूमिका के लिए जागरूक तथा प्रशिक्षित करना
- छड़ी के प्रयोग से स्वतंत्रतापूर्वक चलने का प्रशिक्षण देना
- सुरक्षा सम्बन्धी कौशलों में निपुण बनाना
- वस्तुओं की खोज करने की विधि से अवगत कराना

दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण

दैनिक क्रियाओं में दृष्टि की अहम भूमिका होती है। दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण से दृष्टिबाधित बालक दूसरों की सहायता के बिना या कम से सहायता के साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं। जैसे- स्नान, शौच, भोजन करने, बाजार से वस्तओं को खरीदने तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक अपेक्षित की भूमिकाएँ -

- दैनिक क्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र का निर्धारण करना
- न्यूनतम बाहरी सहायता देते हुए और सुरक्षापूर्वक अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने योग्य बनाने का प्रशिक्षण देना

मनोसामाजिक समायोजन

अपने आस-पास के समाज में अपने को पूर्णत: व्यवस्थित कर लेना ही समायोजन है। दृष्टिबाधित बालक को लगता है कि उसे अन्य लोगो से अलग समझा जाता है, क्योंकि वह सभी क्रियाओं में समान रूप से भाग नही ले पाता है। कई बार अपने आप को वह अधूरा समझता है। शिक्षक की स्पष्ट भूमिका है कि वह समाज माता-पिता, बालकों एवं बच्चों के अन्दर एक सकारात्मक नजरिए का का विकास करे ताकि एक पारस्परिक सहयोगी समाज का निर्माण हो सके।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- छात्रों एवं विद्यालय के कर्मचारियों में दृष्टिबाधा और अन्य विकलांगता के प्रति नकारात्मकता को कम करने पर बल देना
- आस-पास के लोगों को दृष्टिबाधा एवं इनके अनुप्रयोगों से परिचित करना।
- विद्यालय प्रबन्धन, छात्राविभावक एवं अन्य छात्रों को दृष्टिबाधा एवं इसके के प्रति जागरूक करना तथा सयहयोगी भावना का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों तथा अविभावकों में आस-पास की क्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों हेतु अनुकुलित खेलों से बालकों से अवगत कराना तथा उन्हें एक साथ समय बीताने के लिए प्रोत्साहित करना

बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता

घर तथा विद्यालयी वातावरण का बाधामुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि दृष्टिबाधित बालक आस-पास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सकें। बाधामुक्त वातावरण द्वारा ही दृष्टिबाधित बालक कक्षा तथा अन्य सेवाओं तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर उनका उपयोग कर सकेंगे।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- कक्षा, कार्यालय, शौचालय तथा अन्य विद्यालयी संरचनाओं में बाधा की पहचान करना
- चिन्हित बाधाओं को दूर करने के उपायों से विद्यालय प्रबन्धन को अवगत कराना
- कक्षा वतावरण को दृष्टिबाधित एवं अन्य बालकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करना

संसाधन कक्ष प्रबन्धन

समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसाधन कक्ष में शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण-अधिगम सामग्री रखी होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर ही होती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का अभिलेख तैयार करना,
- दृष्टिबाधित बालकों को संसाधन कक्ष में सुगमतापूर्वक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना,
- उन्हें आवश्यकतानुसार उपकरणों का प्रशिक्षण देना,
- अल्प दृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की वयवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

श्रवण बाधितार्थ के बारे में सामान्य ज्ञान का विकास और कार्यान्वयन- श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में अध्यापक को श्रवण बाधितार्थ की शैक्षिक परिभाषा,पहचान,विशेषताएं,श्रवण अंग की बुनियादी शारीरिक रचना एवं शरीर विज्ञान तथा श्रव्यतामापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। श्रवण बाधितार्थ की पहचान इसके शुरूआत की उम्र तथा इनके लिए उपलब्ध सेवायें भी महत्वपूर्ण होती है। श्रवण बाधितार्थ विद्यार्थियों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धातों, दर्शनों एवं शिक्षण सूत्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

सक्रिय समावेशनशास्त्री- श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए अध्यापक को मानवाधिकारो, राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

प्रत्यक्ष अनुदेश- समावेशित शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेश प्रदान करने के लिए अध्यापक केा उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाषाई एवं गैर भाषाई सम्प्रेषण घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष सामग्री के स्रोत, प्रत्यक्ष अनुदेशन देने के लिए प्रौद्योगिकी, उपलब्ध सम्प्रेक्षण की प्रणाली तथा अवशिष्ट श्रवण शक्ति के उपयोग का ज्ञान और इनके उचित प्रयोग का कौशल भी अध्यापक में होना चाहिए।

सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन- अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए।श्रवण

बाधित विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य सम्प्रेषण कौशल स्थापित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास सम्भव है।

विद्यार्थियों की निगरानी- समावेशी शिक्षा में सम्मिलित श्रवण बाधित विद्यार्थियों के निष्पक्ष आकलन के सम्बन्ध में नीति नियमों और निर्देशों का ज्ञान होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की शक्तियों और सीमाओं की पहचान के लिए उपयुक्त आकलन उपकरण का प्रबन्ध करना चाहिए।

परामर्श एवं सहयोग- श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में उनके माता-पिता तथा अन्य पेशेवर लोगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अध्यापक को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए तथा सहायता कर्मियों और माता-पिता का सहयोग प्राप्त करने का कौशल भी होना चाहिए।

शिक्षण अधिगम वातावरण का प्रबन्धन- शिक्षण अधिगम वातावरण का सीधा प्रभाव श्रवण बाधित विद्यार्थी के शैक्षिक प्रर्दशन पर पड़ता है। श्रवण बाधिता के प्रभाव के कारण विद्यार्थी शैक्षिक भाषा को आसानी से समझ नहीं पाते है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए बहु इन्द्रीय उपागमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन विद्यार्थियों की भाषा और संज्ञानात्मक विकास हो सके।

श्रवण उपकरणों की निगरानी- श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में ध्वनि प्रवर्धक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते है। इन ध्वनि प्रर्वधक यत्रों की सहायकता से ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों की अवशिष्ट श्रवण शक्ति को उपयोग मे लाया जाता है और ये विद्यार्थी आवाज को सुनने में सक्षम होते है। अतः शिक्षक को ध्वनि प्रवर्धक यंत्रो, कार्य, कार्य- विधि और उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए तथा उनकी निगरानी तथा उचित प्रयोग का कौशल भी होना चाहिए।

वाणी और भाषा प्रशिक्षण का मूंल्याकन- सामान्य बच्चों की भाषा और विकास की प्रक्रिया का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आधार का कार्य करती है। श्रवण संवेदी निवेश के नुकसान का भाषा विकास और उसके अनुभूति पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान शिक्षक को होना ही जरूरी है।

समुदाय में विकलांगता के प्रति जागरुकता लाने एवं विशिष्ट बालकों के समुदाय आधारित पुर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में- शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं। विद्यालयी क्रियाओं से इतर, विशेष ज्ञ शिक्षक की भूमिका मानसिक मंदता के प्रति सामाजिक जागरुकता लाने और मानसिक मंद बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास में भी है। विशेष ज्ञ शिक्षक की यही भूमिका भ्रमणशील शिक्षक की संकल्पना में निहित है जिसमें, विशेष ज्ञ शिक्षक की इतर विद्यालयी भूमिकाओं में समुदाय में जाकर मानसिक मंदता युक्त बालको की पहचान, रेफरल, और उन्हे नियमित विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है। मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों का 'पूर्ण समावेश' तब तक संभव नहीं जब तक कि संपूर्ण समुदाय केा उसके प्रति जागरूक न बनाया जाय। इसके अलावा मानसिक मंदता युक्त बालकों का शिक्षयण प्रशिक्षण तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक उन्हें अनुकुलतम स्तर स्वालम्बी तक न बना दिया जाय। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक समुदाय का जागरूक बनाने में , उा

समुदाय में मानसिक मंदता युक्त बालकों के पुनर्वास हेतु विभिन्न रोजगारों की पहचान करने में स मुदाय में व्याप्त भेद भाव पूर्ण व्यवहार को कम करने में किये जा रहे प्रयासो का नेतृत्व विशेषज्ञ शिक्षक का करना चाहिए।

10.13 सारांश

शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धन की अवधारणा व्यवसाय तथा उद्योग के क्षेत्रों से ली गयी है। शैक्षिक प्रबन्धन अथवा शिक्षा में प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी प्रस्थितियां निर्मित की जाती है जिनमें मानवीय स्रोत अपनी योग्यता तथा क्षमता का पूरा-पूरा प्रदर्शन कर सके। शिक्षा में प्रबंधन शिक्षा का गतिशील अंग है। शैक्षिक दर्शन शिक्षा के लक्ष्य इंगित करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन के सिद्धांत स्थिर करता है। शैक्षिक प्रबन्धन सम्बंधित बातों को कार्यरूप में परिणत करता है।

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है । विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है ।

जब किस विशिष्ट बालकों पहचान हो जाता है तो उसके लिए कुछ विशेष परामर्श आवश्यक हो जाता है। सामान्य कक्षा अध्यापक तथा विशेष अध्यापक दोनों को मिलकर ऐसे बालकों के अधिकतम विकास में सहायता की आवश्यकता होती है। इन बालकों की अध्यापन विधि, भौतिक परिस्थितियों में कुछ अनुकुलाताएँ अपनानी होती है। विकलांग बालकों के शिक्षण प्रक्रिया में माता – पिता, कक्षा के अन्य बच्चों को भी सहायता देनी चाहिये।उन्हें मिलजुलकर इस कार्यक्रम में भागीदार बनना होगा ताकि विकलांग बालकों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। कक्षा प्रबंधन में भौतिक वातावरण तथा अध्यापन विधि में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अच्छी कक्षा व्यवस्था से तनाव तथा असमंजस को कम करने में सहायता मिलती है।

10.14 शब्दाबली

- **समावेशित शिक्षा:** सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक साथ शिक्षा।
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चे:** वे बच्चे जिनकी आवश्यकतायें सामान्य बच्चों से अलग हों जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे इत्यादि।
- **अवांछित व्यवहार:** जो व्यवहार सामाजिक रूप से ठीक नहीं अर्थात जो अच्छा व्यवहार ना हो।
- **अनुकरणीय व्यवहार:** जो व्यवहार इतना अच्छा हो कि उसे दूसरे लोग अनुकरण कर सकें।

- **मनोवृत्ति:** मन में किसी के प्रति विचार रखना यह विचार नकारात्मक भी हो सकता तथा सकारात्मक भी हो सकता है।
- **विशेष विद्यालय:** जहाँ एक प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे - दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय, मानसिक मंद बच्चों के लिए विशेष विद्यालय इत्यादि।

10.15 अभ्यास प्रश्न

1. विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ? विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य एवं क्षेत्रों का वर्णन करें।
2. कक्षा-कक्ष प्रबंधन क्या है ? कक्षा कक्ष में समावेशन के लिए भौतिक एवं शिक्षण विधि में कैसे प्रबंधन करेंगे।
3. शिक्षण नीति क्या है ? विशिष्ट बालकों को समावेशन करने के लिए शिक्षण नीति में कैसे परिवर्तन करेंगे ?
4. एक शिक्षक विशिष्ट बालकों के सामान्य कक्षा कक्ष में समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ? आप अपना मत व्यक्त कीजिये।

10.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
- भार्गव एम.(2००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
- Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
- पाठक पी० डी० एवं त्यागी जी० एस० (2010). सफल शिक्षण कला, अग्रवाल पव्लिकेसन, आगरा.
- कुलश्रेष्ठ एस० पी० (1982). शैक्षिक तकनिकी एवं इसके मूल आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
- अग्रवाल जे० सी० (2009)- शैक्षिक तकनिकी एवं प्रबंध के आधार, अग्रवाल पव्लिकेसन, आगरा.
- जुल्का अनीता (2001) कमजोर दृष्टि वाले बच्चे, एन० सी० ई० आर० टी०, दिल्ली
- मंगल एस० के० एवं मंगल उमा (2013) शिक्षा तकनीकी, PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.
- A guidebook for Teachers' on how to implement inclusive education in the regular class (1999). Beyond Toknism, National Trust Act.
- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला. ऑल इंडिया कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ दी ब्लाइंड

इकाई-11

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभकारी योजनाएँ

(Benefits and Schemes of Children With Special Needs)

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

11.4 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

11.5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

11.6 नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन (एन.एच.एफ़.डी.सी.) के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

11.7 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के लाभकारी योजनाएँ

11.8 सारांश

11.9 अभ्यास प्रश्न

11.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

11.1 प्रस्तावना

अगर हम ऑकडों की दृष्टि से देखे तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निःशक्त व्यक्तियों (विकलांग व्यक्तियों) की जनसंख्या 2,68,10,557 है अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 2.21%है | इनमे से 5-19 वर्ष के उम्र के बच्चों की जनसंख्या 65,71,589 है, इसी उम्र के बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर कौन-कौन सी योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो इनके शिक्षा, रोजगार इत्यादि में लाभकारी हैं|

"विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" या "विभिन्न रुप से समर्थ बच्चे" जिनको "विकलांग बच्चे" (यह नाम अब प्रचलित नहीं है) भी कहा जाता है के बारे में हम विस्तृत रूप से इस खंड (BED-18) की इकाई-4 में पढ़ चुके हैं|

इस खंड की इकाई-3 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के आधिनियमों/ नीतियों के बारे में अध्यन कर चुके हैं, अब हम इन अधिनियमों/नीतियों के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं की चर्चा इस इकाई में करेंगें| इस इकाई में हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर कौन- कौन सी योजनाएँ हैं जो इनके शिक्षा, रोजगार या दूसरे शब्दों इनके "पुनर्वास" में सहायता करती हैं|

11.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप:-

- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं को बता सकेंगे।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं की व्याख्या कर सकेंगे।
- नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन (एन.एच.एफ़.डी.सी.) के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं की सूची तैयार कर सकेंगे।
- राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदत्त अन्य लाभकारी योजनाओं की चर्चा कर सकेंगे|

11.3 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 जिसको सामान्य भाषा में विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम या PWD Act भी कहा जाता है का पूरा नाम – "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" है| यह अधिनियम भारतीय संसद से दिसम्बर, 1995 में पास हुआ था तथा 7 फरवरी, 1996 से लागू हुआ| इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो है:

1. अंधता (Blindness)
2. अल्प दृष्टि (Low Vision)
3. श्रवण बाधा (Hearing Impariment)
4. मानसिक मंदता (Mental Retardation)
5. मानसिक रोग (Mental Illiness)
6. गामक निःशक्तता (Locomotar Disability)
7. कुष्ठ रोग मुक्त (Leprosy Cured)

इस अधिनियम (खंड 2(t)) के अनुसार निःशक्त व्यक्ति (विकलांग व्यक्ति या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति) उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उपरोक्त किसी विकलांगता के कम से कम चालीस प्रतिशत (40%) से ग्रस्त हो, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को अधिनियम में दिए गये सात प्रकार के विकलांगता में से किसी भी एक प्रकार की विकलांगता चालीस प्रतिशत होगी तभी वह इस अधिनियम में दिए गये प्रावधानों/योजनाओं को प्राप्त कर सकता है|

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रमुख लाभकारी योजनाएँ निम्नलिखित है:

1. इस अधिनियम के अध्याय-5 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा सम्बंधित अधिकारों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि:
   - इन बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो|
   - इन बच्चों का नियमित (सामान्य) विद्यालय में दाखिला हो, दाखिले में 3% सीट (स्थान) इन बच्चों के लिए आरक्षित हो|
   - जो बच्चे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी पढाई पूरी नहीं कर पाए हों उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो|
   - इन बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों एवं उपकरणों को निःशुल्क प्रदान किया जाएँ|
   - विद्यालय, कालेज, और प्रशिक्षण संस्थाओ को अवरोध मुक्त बनाया जाएँ|
   - इन बच्चों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण किया जाएँ|
   - सभी शिक्षा संस्थाओं द्वारा पूर्ण दृष्टिबाधित एवं अल्प दृष्टि बच्चों के लिए लेखक (Writer) की व्यवस्था किया जाएँ|
2. इस अधिनियम के अध्याय-6 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों/व्यक्तियों के लिए रोजगार सम्बंधी अधिकारों को वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि:
   - सरकारी नौकरियों में इनके के लिए 3% (तीन प्रतिशत) रिक्तियां आरक्षित हों, ये 3% दृष्टिबाधित (अंधता तथा अल्प दृष्टि), श्रवणबाधित एवं गामक निःशक्त व्यक्तियों के लिए हों (प्रत्येक के लिए 1%). अगर किसी वजह से यह रिक्तियां नहीं भर पायें तो इनको अगले वर्ष के लिए अग्रित किया जाएँ|
   - इनके लिए विशेष रोजगार कार्यालय खोले जाएँ|
   - नौकरी के लिए अधिकतम उम्र में छूट दी जाएँ|
   - इस तरह के व्यक्ति जहाँ रोजगार कर रहे हैं वहाँ के वातावरण को अवरोध मुक्त बनाया जाएँ

3. इस अधिनियम के अध्याय-7 में कहा गया है कि इन व्यक्तियों को रियायती दरों पर घर एवं जमीन आवंटन में प्राथमिकता दी जाएँ|
4. इस अधिनियम के अध्याय-8 में कहा गया है कि इन व्यक्तियों को रोजमर्रा के कार्यों, परिवहन, पर्यावरण एवं सरकारी रोजगार में कोई विभेद ना किया जाएँ|
5. इस अधिनियम के अध्याय-13 में कहा गया है कि सरकार इस प्रकार के अपने कर्मचारियों के लिए बीमा योजना प्रदान करे|

अतः हम कह सकते हैं कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों/ व्यक्तियों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से ये लोग भी अपना जीवन व्यापन समाज में अच्छी प्रकार से कर सकते है|

अभ्यास प्रश्न-1

1. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 कब से लागू हुआ था?
2. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 के अंतर्गत सरकारी नौकरी में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत रिक्त पद आरक्षित करने का प्रावधान है?

11.4 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 जिसका पूर्ण नाम है – "स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999"| यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1999 से लागू हुआ था| जैसा कि आधिनियम के नाम से ही पता चलता है कि यह अधिनियम चार प्रकार के विकलांगताओं के लिए बना है, जो हैं:-

1. स्वलीनता (Autism)
2. प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)
3. मानसिक मंदता (Mental Retardation)
4. बहु-विकलांगता (Multiple Disability)

इस अधिनियम के (खंड 2(j)) अनुसार निःशक्त व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता अथवा किसी स्थिति/या यैसी दो या दो से अधिक निःशक्तता से ग्रस्त है, इसमें गंभीर बहु- विकलांगता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है|

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के प्रमुख लाभकारी योजनाएँ निम्नलिखित है:

इस अधिनियम के तहत समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय न्यास की स्थापना 22 सितंबर, 2000 को स्वायत्त संस्था के रूप में हुआ था| राष्ट्रीय न्यास विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए मुख्यतः आठ योजनाएँ चलाता है, जो है:-

1. **समर्थ**: यह एक केंद्र आधारित योजना है, इस योजना की शुरुआत सन 2005 में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अल्पावधि एवं लम्बे समय तक देखभाल हेतु आवासीय सुविधायें प्रदान करने के लिए की गई थी| इस योजना का मुख्य कार्य राष्ट्रीय न्यास आधिनियम के अंतर्गत आने वाले विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधायें प्रदान करना है| इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शीघ्र हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा या एकीकृत शिक्षा, पूर्व व्यवसायिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सम्बंधी प्रशिक्षण, खेलकूद इत्यादि क्रियायें भी समर्थ केन्द्रों पर होती है|
2. **सहयोगी:** यह पूर्व में चलने वाले देख रेख कर्ता प्रशिक्षण एवं तैनाती योजना का नया एवं पुनर्निर्मित रूप है| विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सहयोग देने वालों के पूल को बनाने, बढावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से "सहयोगी" की अवधारणा वर्ष 2008- 2009 में आस्तित्व में आयी| इसका लक्ष्य समाज के बेरोजगार वर्ग को आजीविका (Career) के अवसर प्रदान करना तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की गतिशीलता में वृद्धि कर उन्हें खुशीयाँ, मुस्कान, अपनी शर्तों पर जीवन जैसे अमूल्य उपहार प्रदान करना है| इस योजना के तहत देखरेख कर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों के द्वारा, प्रशिक्षित किया जाता है तथा इन प्रशिक्षित देखरेख कर्ताओं को देखरेख की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के पास तैनात किया जाता है|
3. **एस्पिरेशन:** एस्पिरेशन (डे केयर सेंटर) योजना मुख्यतः एक शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम है, इसको 6 साल की अवधि के लिए वर्ष 2007-2008 में शुरू किया गया था| इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 0-6 वर्ष आयु समूह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष या मुख्य धारा के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु तत्पर करना ताकि वे भविष्य में स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके, जिसके प्रबंधन के लिए उनके माता- पिता को प्रशिक्षित किया जाता है| इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जांच एवं मूल्याकन, स्कूल पूर्व कौशल, दैनिक जीवन क्रियायों के लिए प्रशिक्षण, माता-पिता एवं परिवार को परामर्श और अभिप्रेरणा इत्यादि क्रियाये भी होती है| अब इस योजना ने अपनी समय अवधी पूरा कर ली है और राष्ट्रीय न्यास का यह प्रयास है कि यह योजना बंद न हो जिससे देश भर में शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं को प्रदान किया जा सके|
4. **निरामय:** यह स्वास्थ्य बीमा योजना है, तथा इसकी शुरुआत वर्ष 2007-2008 में हुई थी| इस अनूठी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एक लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा बिना किसी पूर्व चिकित्सा के प्राप्त की जा सकती है| राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस योजना के लाभ हेतु रू 250/- की साधारण राशि 1500/- रूपये प्रति माह वेतन पाने वालों के लिए एवं रू 500/- की राशि रू 15000/- रूपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वालों के लिए रखी गई है| गरीबी रेखा से नीचे विशेष आवश्यकता व्यक्तियों को इस योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा जिसके लिए उन्हें किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बीपीएल/ आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा|

5. **रिमोट एरिया फंडिंग (सुदूरवर्ती क्षेत्रोँ के लिए निधिकरण):** यह योजना वर्ष 2007-2008 में शुरू हुई थी| इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाले विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु सुदूरवर्ती क्षेत्रोँ में क्रियायों एवं सुविधायों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना| इस योजना के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु गैर-सरकारी संस्था स्थापित करने के लिए वितीय सहायता दी जाती है|
6. **उद्यम प्रभा:** यह योजना वर्ष 2007-2008 में शुरू हुई थी| इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्व-रोजगार या किसी भी प्रकार की आय सृजन हेतु आर्थिक गतिविधियों को प्रलोभन के माध्यम से प्रोत्साहित करना| यह प्रोत्साहन एक लाख रूपये तक की ऋण राशि पर 5 वर्षों के लिए उपलब्ध होता है| प्रोत्साहन की ये दर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के लिए 3 प्रतिशत है| उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे है एक लाख रूपये का ऋण स्व-रोजगार के लिए लेता है तो उसे 5 वर्ष तक रु 5000/- प्रति वर्ष प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा| इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 1000 व्यक्तियों को यह प्रोत्साहन मिलता है|
7. **ज्ञान प्रभा:** यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी, इस योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं व्यक्तियों के कौशलों को बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा के बाद कोई भी उच्च शिक्षा, व्यवसायिक अध्ययन, व्यसायिक प्रशिक्षण इत्यादि करने के लिए प्रोत्साहित करना है| प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय न्यास इन बच्चों को उपरोक्त किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जो 1000/- रूपये प्रति माह है| इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 1000 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति मिलती है|
8. **घरौंदा:** राष्ट्रीयन्यास की स्थापना माता-पिता/ अभिभावकों की इस चिंता के संदर्भ में की गई थी कि जब वे नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों की विशेष जरुरतों का क्या होगा? एक प्रकार से इस विकट समस्या का स्थायी समाधान उपलब्ध करवाने हेतु घरौंदा (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत विशेष आवश्यकता वाले वयस्कों हेतु सामूहिक आवास एवं पुनर्वास गतिविधियाँ) योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी| घरौंदा (सामूहिक आवास योजना) एक किफायती मूल्य पर जीवन भर की देखभाल के लिए समर्थन प्रदान करती है और गरिमा एवं स्वतन्त्रता के साथ जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करती है|

उपरोक्त चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों/ व्यक्तियों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से ये लोग भी अपना जीवन व्यापन समाज में गुणवत्ता पूर्वक कर सकते है |

अभ्यास प्रश्न-2

1. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,1999 के अंतर्गत ....प्रकार की विकलांगताएँ आती है|
2. घरौंदा योजना सन.....................में शुरू हुई थी|

11.5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जिसका पूरा नाम "बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" है, भारतीय संसद से 4 अगस्त, 2009 को पारित हुआ, 26 अगस्त, 2009 को इस अधिनियम पर भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तथा 1 अप्रैल, 2010 से यह लागू हुआ| इस आधिनियम में 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है|

अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में बात करें तो जब यह अधिनियम बना था (सन 2009) तो इनको स्पष्टतया एक अलग वर्ग के रूप में सम्मलित नहीं किया गया था| उस समय खण्ड 2(d) "अलाभकारी समूह के बच्चे" (Child belonging to disadvantaged groups) में कहा गया था कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो किसी दूसरे कारण से अलाभकारी है, को इस खण्ड में सम्मिलित कर सकता है| अर्थात सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से विकलांग बच्चों को अधिनियम के खंड 2(d) में सम्मिलित कर सकता है |

वर्ष 2012 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संसोधन किया गया तथा नया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 19 जून, 2012 को बना| संसोधन के बाद इस अधिनियम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खंड 2(ee) में सम्मलित किया गया है| इस खंड में विकलांग बच्चे (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि, विकलांग बच्चे वे बच्चे हैं जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (विकलांगता अधिनियम, 1995) एवं राष्ट्रीय न्यास आधिनियम, 1999 में सम्मिलित हैं| अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संसोधित), 2012 के अनुसार विकलांग बच्चों से तात्पर्य है वह बच्चे हैं जो अंधता, अल्प दृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक मंदता, मानसिक रोग, गामक निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात (इनमे से किसी एक से) या बहु-विकलांगता से ग्रस्त हो|

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रमुख लाभकारी योजनाएँ निम्नलिखित है:

चूँकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वर्ष 2012 में संसोधन के बाद इस अधिनियम में अलग से परिभाषित किया गया है, अतः इनको भी अब वह सारे अधिकार प्राप्त है जो दूसरे बच्चों के लिए इस अधिनियम में उल्लेखित है| विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रमुख बाते जो इस अधिनियम में कही गयी है वो है:-

- इन बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वही है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय-5 में दिया गया है, अर्थात इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6-18 वर्ष की उम्र तक है|

- बहु-विकलांगताग्रस्त बच्चों एवं अति गंभीर बच्चों को घर पर ही शिक्षा (Home-based education) काप्रावधान है|
- प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाणपत्र या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाय जो उसे जारी किया गया हो| उम्र प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला देने से वंचित नहीं किया जा सकता है|
- ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी, तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाय; बशर्ते कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएँ|
- प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाय, विद्यालय से निकाला नहीं जाय या बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य न की जाएँ|
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाणपत्र दिया जाएँ|
- शिक्षा के गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार हो|
- इन बच्चों के लिए विद्यालय का बुनियादी ढांचा ठीक किया जाएँ|

उपरोक्त चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो संसोधन के बाद वर्ष 2012 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिक लाभकारी हो गया है| यह अधिनियम इन बच्चों के समावेशन एवं शिक्षा के गुणवत्ता में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है|

अभ्यास प्रश्न-3

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संसोधन सन............................में हुआ था|
2. शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस उम्र तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है?

11.6 नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवेलपमेंट कोर्पोरेशन (एन.एच.एफ़.डी.सी.) के अंतर्गत लाभकारी योजनाएँ

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (एन. एच. एफ. डी. सी.) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1997 को की गई थी| यह कम्पनी अधिनियम, 1956, अनुच्छेद-25 के तहत पंजीकृत है, यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया स्वामित्व गैर-लाभ वाली कम्पनी है| कम्पनी निदेशकों के बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नामांकित किये जाते है|

एन. एच. एफ. डी. सी. का मुख्य उद्देश्य है-

- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास क्रियाकलापों तथा स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना;
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए उनके उद्यम कौशल को उन्नत करने के लिए अनुदान देना;
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को व्यवसायिक पुनर्वास/स्व:रोजगार के योग्य बनाने वाली व्यसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना;
- स्वरोजगार में लगे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा तैयार माल के विक्रय के लिए सहायता प्रदानं करना|

एन.एच.एफ़.डी.सी. के प्रमुख लाभकारी योजनाएँ निम्नलिखित है:

यह कम्पनी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आय सृजन हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो हैं:-

1. **माइक्रो (शुक्ष्म) वित्तीय योजना:** अधिकांश विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को लगातार कम राशि के ऋणों की आवश्यकता पड़ती रहती है जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें, अपने मौजूदा रोजगार को बनाये रखे, अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सके तथा अपनी अन्य निजी एवं समाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इन व्यक्तियों को बहुत छोटी- छोटीधनराशियों के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है और वे चाहते हैं कि ऐसे ऋण उनकी अपेक्षा के अनुसार निकटतम स्थानों से मिल सकें। परम्परा रही है कि गरीब व्यक्तियों को ऋण देने का काम निजी साहूकार करते रहे हैं किन्तु ऐसा करना उनके मात्र लक्ष्य को दर्शाता है, गरीबों की मदद न करके उनका शोषण करना। इससे गरीबों की स्थिति में सुधार आने के स्थान पर वे और गरीब बनता जाता है। एक लम्बे समय से, यह महसूस किया जाता रहा है कि ऋण का प्रावधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक है जो सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव एवं विकास ला सकता है। गरीबों को निजी साहूकारों के पंजों से बचाने के लिए उनको छोटे-छोटे ऋणों को मुहैया कराने हेतु राट्रीयकृत बैंकों सहित कई अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन आगे आये हैं। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की ऋण सम्बंधी तथ्यों को दृष्ट्गत रखते हुए एन. एच. एफ. डी. सी. ने सूक्ष्म वित्तीय योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया|

   इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ऋण, तथा व्यक्तिगत (विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति) को अधिकतम 25000/- रूपये का ऋण दिया जाता है| यह ऋण किसी भी वयस्क विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा जिसकी वार्षिक आय शहर एवं गाँव के लिए क्रमशः 2 लाख एवं 1 लाख 60 हजार से कम हो को मिल सकता है| ऋण देने का उद्देश्य विशेष

आवश्यकता वाले व्यक्तियों को आय सृजन सम्बन्धी क्रियाकलापों को आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है| आय सृजन क्रियाकलापों का स्वरुप निम्न प्रकार से है :-

- छोटा व्यवसाय/व्यापार
- सूक्ष्म/कुटीर उद्योग अथवा सेवा क्रियाकलाप
- कारीगर क्रियाकलाप
- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
- परिवहन क्षेत्र क्रियाकलाप

2. **मानसिक मंद व्यक्तियों के माता-पिता के संगठन के लिए योजना :** इस योजना का उद्देश्य मानसिक मंद व्याक्तियों के माता-पिता के संगठनो को ऋण मुहैया कराना है, जिससे मानसिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लाभार्था आय सृजन के क्रियाकलाप स्थापित किया जा सके। इस आय सृजन क्रियाकलाप की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिसमे मानसिक रुप से विकलांग व्यक्ति प्रत्यक्ष रुप से इसमें शामिल होने चाहिए और आय ऐसे व्यक्तियों के बीच बराबर-बराबर बंटनी चाहिए। आय सृजन क्रियाकलाप का प्रबंधन माता-पिता संघ द्वारा किया जायेगा जो अपनी सेवाए स्वैच्छिक रुप से मुहैया कराएँगे। इस योजना के अंतर्गत संगठन को अधिकतम 5 लाख रूपये मिलते हैं, इस योजना के लाभ के लिए सगंठन की निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:

   - संगठन कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होने चाहिए।
   - इसमे न्यूनतम 05 माता-पिताओं की सदस्यता होनी चाहिए।
   - कोई भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी उपक्रम के किसी अन्य वित्तीय संस्थान, बैंको आदि का वित्तीय बकायादार नहीं होना चाहिए।

3. **विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना:** समाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार ने एन. एच. एफ. डी. सी. को शैक्षिक वर्ष 2009-2010 से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) का कार्य सौंपा है | साथ ही शैक्षिक वर्ष 2011-2012 से इसको विशेष आवश्यकता वाले छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) संबंधित कार्य भी दिया गया है| इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

   - **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि):** यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को मिलता है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 में परिभाषित विकलांगताओं में से एक हो तथा जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा इनके परिवार की मासिक आय 15,000/- रूपये से अधिक ना हो| यह उन विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के

लिए है जो माध्यमिक शिक्षा के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई पाठ्यक्रम जैसे- डिप्लोमा स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पी.एच.डी. इत्यादि कर रहे हो| इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार अलग- अलग है, जैसे- डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को जो हास्टल में रहते हैं उनको 700/- रूपये प्रति माह तथा जो हास्टल में नहीं रहते हैं उनको 400/- रूपये प्रति माह दिया जाता है, वहीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडीकल, कृषि, संगीत इत्यादि तथा एम.फिल., एवं पी.एच.डी करने वाले छात्रों को जो हास्टल में रहते हैं उनको 1000/- रूपये प्रति माह तथा जो हास्टल में नहीं रहते हैं उनको 400/- रूपये प्रतिमाह दिया जाता है |

- **छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि):** यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को मिलता है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम,1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आते हैं, तथा इनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से ज्यादा ना हो| इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 2500 विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है जिसमे से 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित है| इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है:
  - सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं में व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा हेतु दिए गये फ़ीस (वापिस ना होने वाले) छात्रों को पूर्ण वापसी दी जाती है|
  - छात्रों को 10 महीने तक केवल एक शैक्षिक वर्ष के लिए रख-रखाव भत्ता दिया जाता है | यह भत्ता स्नातक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए 2500/- रूपये तथा स्नातकोत्तर व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए 3000/- रूपये प्रति माह है|
  - इन छात्रों को कागज, कलम, किताबों इत्यादि के लिए भत्ता दिया जाता है जो स्नातक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए 6000/- रूपये तथा स्नातकोत्तर व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए 10,000/- रूपये प्रति वर्ष है|
  - विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को जीवन में केवल एक बार सहायक सामग्री एवं उपकरण प्रदान किया जाता है| ये उपकरण गामक, दृष्टि एवं सुनने सम्बंधी विकलांग व्यक्तियों को मिलता है| गामक विकलांग छात्रों को 40,000/- रूपये तक का लैपटॉप का प्रावधान है| दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेलर/ब्रेलर टाईपराइटर (10,000/- रूपये तक का), लैपटॉप स्क्रीन पठन साफ्टवेयर के साथ (40,000/- रूपये तक का) तथा लैपटॉप स्क्रीन आवर्धक साफ्टवेयर के साथ (60,000/- रूपये तक का) का प्रावधान है| श्रवण बाधित छात्रों के लिए डिजिटल हियरिंग

एड्स के साथ वार्षिक बटन सेल (50,000/- रूपये + 36,000/- रूपये प्रति वर्ष), सिम कार्ड के साथ सेल फोन (5000/- रूपये तक का), वाई.फाई. सुविधा के साथ लैपटॉप (70,000/- रूपये तक तक) का प्रावधान इया योजना में है|

4. **सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय योजना:** इस योजना का उद्देश्य जरूरत मंद विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रोजगार एवं स्व-रोजगार के लिए स्थाई, विश्वसनीय एवं आधुनिक उपकरणों को खरीदने हेतु रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना है| इस योजना का लाभ उन विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को मिलता है जो किसी संस्था में कार्यरत हों अथवा स्वरोजगार कर रहे हों तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरण अत्यंत आवश्यक हो| एन. एच. एफ. डी. सी. इसके लिए अधिकतम 5 लाख रूपये तक ऋण देता है|
5. **विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए योजना:** इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भारत तथा विदेश में व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए ऋण दिया जाता है| भारत में व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये तथा विदेशों में व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है|
6. **युवा विशेष आवश्यकता वाले व्यवसायियों के लिए योजना:** एन. एच. एफ. डी. सी. ने इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से किया कि विशेष आवश्यकता वाले युवक जो व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, उनकों रियायती दर पर ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाय ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहें| इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख रूपये है|

एन. एच. एफ. डी. सी. की उपर्युक्त वर्णित प्रमुख योजनाओं की चर्चा के बाद हम कह सकते है कि यह कम्पनी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी है, तथा इनको आजीविका के साथ-साथ समाज के दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सहायता प्रदान करती है|

अभ्यास प्रश्न-4

1. एन. एच. एफ. डी. सी. की स्थापना सन............................में हुई थी |
2. एन. एच. एफ. डी. सी. गैर सरकारी संगठन को अधिकतम ....तक का ऋण देता है |

11.7 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के लाभकारी योजनाएँ

केंद्र सरकार द्वारा विशेष आवश्कता वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गये अधिकारों/कानूनों/योजनाओँ जैसे- भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, निःशक्त व्यक्ति आधिनियम 1995, राष्ट्रीय न्यास 1999, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, एन.एच.एफ.डी.सी की योजनाएँ इत्यादि में दिए गए प्रावधानों जैसे- शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत का आरक्षण, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता, स्वरोजगार के लिए

प्रोत्साहन इत्यादि सभी राज्य अपने क्षेत्र में लागू करते हैं| इन अधिकारों/कानूनों/योजनाओँ के अतिरिक्त राज्य परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार इनके के लिए कुछ और योजनाएँ बनाते है| भारत के प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश द्वारा इन व्यक्तियों के लिए बनाये गए योजनाओँ को विस्तृत रूप से समझने के लिए पूरी एक इकाई की जरूरत पढेगी, अतः हम इस खंड के अंतर्गत प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गये प्रमुख योजनाओं की संक्षेप में ही चर्चा करेंगे|

1. **अंडमान एंड निकोबार आईलैंड:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति; मुख्य भू-भाग पर चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायत; स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि|
2. **आंध्र प्रदेश:** छात्रों को छात्रवृत्ति कक्षा-1 से लेकर स्नातकोत्तर तक 35/- रूपये से लेकर 125/- रूपये प्रति माह तक (पाठ्यक्रम के अनुसार); सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; विकलांगता पेंशन 75/- प्रति माह; बेरोजगारी भत्ता 50/- रुपये प्रति माह इत्यादि|
3. **अरुणाचल प्रदेश:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, उन व्यक्तियों के डाक्टरी इलाज की प्रतिपूर्ति जिनके परिवार की मासिक आय 200/- रूपये हो इत्यादि|
4. **असम:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति; 60 वर्ष की महिलायों तथा 65 वर्ष के पुरुषों के लिए 100/- रूपये प्रति महीनें विकलांगता पेंशन; बेरोजगारी भत्ता 50/- रुपये प्रति माह; दुकान आवंटन में 5 प्रतिशत का आरक्षण इत्यादि|
5. **बिहार**: कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 25/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; कर्मचारियों को 50/- प्रति माह परिवहन भत्ता; विकलांगता पेंशन इत्यादि|
6. **चंडीगढ़:** कक्षा 1-12 तक के छात्रों को 50/- रूपये से लेकर 170/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति तथा जो हास्टल में रह रहे हों उनको 240/- रूपये प्रति माह; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के घर के आवंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण; कर्मचारियों को परिवहन भत्ता इत्यादि|
7. **छतीसगढ़:** कक्षा 1-12 तक के छात्रों को 50/- रूपये से लेकर 70/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; विकलांगता पेंशन; सहायक सामग्री खरीदने के लिए क्तिीय सहायता इत्यादि|
8. **दादर एवं नागर हवेली:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 25/- रूपये से लेकर 35/- रूपये तथा कक्षा 9 से आगे के लिए 85/- रूपये से लेकर 170/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; विकलांगता पेंशन 60/- रूपये प्रति माह इत्यादि|
9. **दमन एंड दिउ:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 35/- रूपये से लेकर 40/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; स्वरोजगार के लिए 2500/- रूपये से लेकर 8000/- रूपये तक वित्तीय सहायता इत्यादि|
10. **दिल्ली:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 50/- रूपये से लेकर 70/- रूपये तथा कक्षा 9 तथा आगे की कक्षाओं के लिए 125/- रूपये से लेकर 300/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के

आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; डी.डी.ए. के मकानों के लिए 1 प्रतिशत का आरक्षण; डी.डी.ए. के दुकान के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण; नगर निगम के दुकान के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण; 55 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 200/- रूपये प्रति माह विकलांगता पेंशन; बेरोजगारी भत्ता 50/- रुपये प्रति माह इत्यादि|

11. गोवा: कक्षा 1-12 तक के छात्रों को 55/- रूपये से लेकर 90/- रूपये प्रति माह वजीफ़ा तथा कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों को 130/- रूपये से लेकर 255/- रूपये छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; 60 वर्ष के व्यक्ति को 100/- रूपये प्रति माह विकलांगता पेंशन; योग्यता के आधार पर 100/- रूपये से लेकर 500/- प्रति माह बेरोजगारी भत्ता; स्वरोजगार के लिए 5000/- रूपये से लेकर 15,000/- रूपये तक वित्तीय सहायता इत्यादि|

12. गुजरात: कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 500/- रूपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति; ग्रुप III एवं IV की सरकारी नौकरी के लिए शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; शैक्षिक संस्थाओं में 4 प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान; घर आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण; विकलांगता पेंशन 200/- रूपये प्रति माह; स्वरोजगार के लिए 15,000/- रूपये तक का वित्तीय सहायता इत्यादि|

13. हरियाणा: कक्षा 1-12 तक के छात्रों को 100/- रूपये से लेकर 300/- रूपये तक की छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; घर आवंटन में 1.5 प्रतिशत आरक्षण; विकलांगता पेंशन 100/- रूपये प्रति माह; योग्यता के आधार पर 150/- रूपये से लेकर 250/- रूपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता इत्यादि|

14. हिमाचल प्रदेश: सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट, शैक्षिक संस्थाओं (आई.टी.आई.) में 5 प्रतिशत सीट आरक्षण; विकलांगता पेंशन 60/- रूपये प्रति माह; स्वरोजगार के लिए 5000/- रूपये तक वित्तीय सहायता इत्यादि|

15. जम्मू और कश्मीर: कक्षा 1-8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति; 150/- रूपये प्रति माह वित्तीय सहायता, सहायक सामग्री एवं उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि|

16. झारखंड: कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक रू 50/- से रू 260/- प्रति माह छात्रवृत्ति, विकलांगता पेंशन 400/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

17. कर्नाटक: कक्षा 1 से विश्विद्यालय स्तर तक 25/- रूपये से लेकर 170/- रूपये तक छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; घर आवंटन में 1.5 प्रतिशत आरक्षण; विकलांगता पेंशन 100/- रूपये प्रति माह; स्वरोजगार के लिए 5000/- रूपये तक वित्तीय सहायता इत्यादि|

18. केरल: सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; विकलांगता पेंशन 525/- रूपये प्रति माह जिसकी विकलांगता 40-79 प्रतिशत है तथा 700/- रुपये प्रति माह जिसकी

विकलांगता 80 प्रतिशत या अधिक हो; स्वरोजगार के लिए 2500/- रूपये तक वित्तीय सहायता; नये बिजली कनेक्शन पर 235 यूनिट तक मुफ्त बिजली इत्यादि|

19. **लक्ष्यद्वीप:** सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन 100/- रूपये प्रति माह; रोड टैक्स में छूट इत्यादि|

20. **मध्यप्रदेश:** कक्षा 1 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक 25/- रूपये से लेकर 240/- रूपये तक छात्रवृत्ति;ग्रुप II, III एवं IV की सरकारी नौकरी के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर में 6 प्रतिशत आरक्षण; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; उन आफिसों में जहाँ 500 से ज्यादा कुर्सियां है वहां पर एक कुर्सी बुनने वाला नियुक्त होगा तथा यह पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा; 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन 150/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

21. **महाराष्ट्र:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 30/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष; बेरोजगार युवक जो स्नातक हैं उनको सरकारी आफ़िस में एक महीने में 15 दिन काम करने के लिए भेजा जाता है जहाँ उनको प्रति दिन 4 घंटे काम करने पर 100/- रुपया प्रति दिन दिया जाता है इत्यादि|

22. **मणिपुर:** सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; मानसिक मंद छात्र जो 'बोहल संस्थान' (Bohal Institute of Mentally Retarded) में पढ़ते हैं उनको 300/- प्रति वर्ष छात्रवृत्ति इत्यादि|

23. **मेघालय:** कक्षा 1-12 तक के छात्रों के लिए जो हास्टल में नहीं रहते है उनको 25/- रूपये से लेकर 30/- रूपये तक तथा जो हास्टल में रहते है उनको 45/- रूपये से लेकर 55/- रूपये प्रति माह तक छात्रवृत्ति; अति गम्भीर विकलांगता के केस में परिवहन के लिए 50/- रूपये प्रति माह; 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन 100/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

24. **मिजोरम:** कक्षा 1-12 तक के छात्रों को रूपये 30/- से रूपये 60/- प्रति माह वजीफ़ा; स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता; बुढ़ापे में 100/- प्रति माह पेंशन उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी देखरेख के लिए कोई नजदीकी रिश्तदार ना हो|

25. **नागालैण्ड**: कक्षा 1-8 तक के छात्रों को रूपये 35/- से रूपये 50/- प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट; विकलांगता पेंशन 60/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

26. **उड़ीसा**: कक्षा 1-8 तक के छात्रों को रू.20/- से रू.75/- प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; सरकारी दुकान आवंटन में 10 प्रतिशत का आरक्षण; विकलांगता पेंशन 100/- रूपये प्रति माह; 18 से 60 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों को 75/- रूपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता; दृष्टिबाधित एवं गामक विकलांग व्यक्तियों को 75/- रूपये प्रति माह परिवहन भत्ता इत्यादि|

27. **पुदुच्चेरी** कक्षा 1 से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को रू.5/- से रू.170/- तक की छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को 100/- रूपये प्रति माह विकलांगता पेंशन इत्यादि|

28. **पंजाब:** कक्षा 1-10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 200/- रूपये प्रति माह तथा उससे ऊपर के कक्षाओं के लिए 300/- रूपये प्रति माह; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के आवेदन के अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; कर्मचारी वर्ग की नौकरी के लिए टाईपिंग परीक्षा में छूट; विकलांगता पेंशन 200/- रूपये प्रति माह; स्नातक तथा स्नातकोत्तर किये हुए व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता 200/- रूपये प्रति माह तथा जो स्नातक नहीं किये हैं उनको 150/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

29. **राजस्थान:** कक्षा 1 से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को रू.40/- से रू.170/- तक की छात्रवृत्ति; दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष तथा गामक विकलांगता एवं भाषा दोष व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की छूट; 8 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 100/- रूपये प्रति माह विकलांगता पेंशन; स्नातक किये हुए व्यक्तियों को 150/- रूपये तथा स्नातकोत्तर किये हुए व्यक्तियों को 200/- रूपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता; छात्रों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 प्रतिशत का ग्रेस अंक इत्यादि|

30. **सिक्किम:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को रू.50/- से रू.85/- तक छात्रवृत्ति; विशेष विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को 300/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 500/- प्रति वर्ष यूनिफार्म के लिए; 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को 100/- रूपये प्रति माह विकलांगता पेंशन इत्यादि|

31. **तमिलनाडु:** कक्षा 1 से स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू.500/- से रू.3500/- प्रति वर्ष छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; अति गम्भीर शारीरिक विकलांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों को 1000/- प्रति माह रख-रखाव भत्ता; विकलांगता भत्ता रू.1000/- प्रति माह; बेरोजगारी भत्ता स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को 450/- रूपये इंटरमीडिएट (12) पास व्यक्तियों को 300/- रूपये तथा हाई स्कूल (10) पास व्यक्तियों को 150/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

32. **त्रिपुरा:** कक्षा 1-12 तक के छात्रों को 75/- रूपये से 240/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट; बेरोजगारी भत्ता 30/- रूपये प्रति माह इत्यादि|

33. **उत्तराखंड:** कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक रू.50/- से रू.140/- तक छात्रवृत्ति; विकलांगता पेंशन 400/- रूपये प्रति माह; स्वरोजगार के लिए 20,000/- तक का वित्तीय सहायता इत्यादि|

34. **उत्तर प्रदेश:** कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक के छात्रों को 15/- रूपये से 170/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; रख-रखाव भत्ता 100/- रूपये प्रति माह; सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट; शैक्षिक संस्थाओं में इन छात्रों के दाखिला के लिए अलग- अलग प्रतिशत

सीटें आरक्षित हैं जैसे रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं वहीं डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में 50 प्रतिशत सीटें इन छात्रों के लिए आरक्षित हैं इत्यादि|

35. **पश्चिम बंगाल:** कक्षा 1-8 तक के छात्रों को 60/- रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष; विकलांगता पेंशन 300/- रूपये प्रति माह; कर्मचारीयों को 100/- रूपये प्रति माह परिवहन भत्ता; सरकारी मकान के आवंटन में 1 प्रतिशत का आरक्षण इत्यादि|

(**टिप्पणी:** इस खण्ड में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा वर्णित उपर्युक्त योजनाएँ साईटसेवर्स (गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) द्वारा सन 2011 में किये गये शोध एवं प्रकाशित दस्तावेज़ "Policies and Schemes of Central and State Governments for People with Disability" एवं कुछ प्रमुख वेबसाइटो से उद्धृत की गयी है, चूँकि सरकार समय -समय पर आवश्यकता एवं महंगाई को ध्यान में रखते हुए योजनाओं एवं धनराशि में परिवर्तन लाती रहती है अतः इनमें भी कुछ परिवर्तन होना सम्भव है|)

अभ्यास प्रश्न-5

1. किस विश्वविद्यालय ने दाखिला में 50 प्रतिशत सीट विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आरक्षित कर रखी है?
2. राजस्थान सरकार ने दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र में कितने वर्षों की छूट दे रखी है?

11.8 सारांश

इस इकाई में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गये अधिनियमों एवं योजनाओं से उनके लिए होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की गयी है| सर्वप्रथम हमने निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में इन व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजनाओं जैसे- शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत का आरक्षण, 18 वर्ष की उम्र तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा इत्यादि के बारे में चर्चा की| इसके बाद हमने राष्ट्रीय न्यास द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं जैसे- समर्थ, सहयोगी, निरामय, उद्यम प्रभा, ज्ञान प्रभा, घरौंदा इत्यादि के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा| फिर हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की चर्चा की, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि कैसे शुरुआत में इस अधिनियम में विशेष आवश्कता वाले बच्चों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया था परन्तु इनके आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012 में इसमें संसोधन हुआ तथा इससे होने वाले विभिन्न लाभों को भी जाना|

केंद्र सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गये अधिनियमों के बाद हमने केंद्र सरकार के अधीन नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (एन. एच. एफ. डी. सी.) की

योजनाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, इसके अंतर्गत हमने विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए इस निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे- शुक्ष्म वित्तीय योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, सहायक सामग्री एवं उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि के बारे में चर्चा की| इस इकाई के अंतिम खंड ने हमने पढ़ा कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं के अतिरिक्त और कौन- कौन सी लाभकारी योजनाएँ चला रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रमुख योजनाओं की संक्षेप में चर्चा की|

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1:	1)7 फरवरी, 1996	2) 3 प्रतिशत
अभ्यास प्रश्न-2:	1)4 (चार)	2) सन 2008
अभ्यास प्रश्न-3:	1)सन 2012	2) 18 वर्ष
अभ्यास प्रश्न-4:	1)सन 1997	2) 5 लाख
अभ्यास प्रश्न-5:	1)डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	
	2) 10 वर्ष	

11.9 अभ्यास प्रश्न

1. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी योजनाओं की चर्चा कीजिए
2. राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत चलने वाली किसी चार योजना की व्याख्या कीजिए|
3. शिक्षा का अधिकार, 2009 से विशेष आवश्कता वाले व्यक्तियों को कोई लाभ मिला है? अपने उत्तर को उचित उदारहण के माध्यम से न्याय्योचित कीजिए|
4. एन.एच.एफ़.डी.सी. द्वारा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की दी जाने वाली छात्रवृत्तियों (राष्ट्रीय निधि एवं न्यास निधि) की चर्चा कीजिए
5. अपने राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलने वाले कुछ प्रमुख लाभकारी योजनाएँ को लिखिए

11.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995). नई दिल्ली: भारत सरकार
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999). नई दिल्ली: भारत सरकार|
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009). नई दिल्ली: भारत सरकार

- Policies and Schemes of Central and State Government for People with Disabilities (2011), retrieved from www.sightsaversindia.in on 20/04/2015.

वेबसाइट (इंटरनेट) स्रोत:

- www.nhfdc.nic.in (एन.एच.एफ़.डी.सी. वेबसाइट)
- www.socialjustice.nic.in (समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट)
- http://punarbhava.in
- http://www.eyeway.org/
- राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों की अधिकारिक वेबसाइट

इकाई - 12

समावेशी शिक्षा : उत्तम प्रयोग एवं विभिन्न संगठन

(Inclusive Education : the best use and various organizations)

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यरत संस्थाएं

12.3.1 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

12.3.2 राष्ट्रीय संस्थाएं

12.4 सारांश

12.5 शब्दावली

12.6 अभ्यास प्रश्न

12.7 संदर्भ ग्रंथ सूची

12.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली तमाम योजनाओं तथा अधिनियमों के बारें में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया | विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु बहुत सारे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यरत हैं | ये संस्थान विकलांगता के प्रभाव को कम करने तथा उनके लिए समान अवसर का सृजन करने में अग्रणीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं |

इस इकाई में हम विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यरत तमाम राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थानों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे |

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम एवं उद्देश्यों को बता सकेंगे |

2. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों को विस्तार पूर्वक बता सकेंगे |
3. विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा कर सकेंगे
4. विशेष आवश्कता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यरत विविध संस्थानों की तुलना कर सकेंगे |

12.3 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यरत संगठन

मनुष्य की क्षमताओं में विविधता का होना एक स्वाभाविक घटना हैं अत: प्रत्येक समाज में सामान्य क्षमता वालें व्यक्तियों के साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति भी होते हैं | विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति भी समाज के अभिन्न हिस्सा हैं| अवसरों की उपलब्धता की स्थिति में ये भी अपनी पूरी क्षमता का विकास करते हैं तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं |अत: यह समाज की जिम्मेदारी हैं की उनके लिए अवसरों का सृजन करें तथा आवश्यक सुविधाओं की पहुँच इस वर्ग तक सुनिश्चित करें| विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा शिक्षा एवं पुनर्वास के माध्यम से इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य बहुत सारी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पूरे मनोयोग से कर रही हैं | कुछ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विवरण निम्नवत हैं |

12.3.1 अंतर्राष्ट्रीय संगठन:

12.3.1.**i एक्शन ऐड(Action Aid)** :यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो की 45 देशों के लगभग 15 मिलियन लोगों के साथ गरीबी और असमानता को खत्म करने में प्रयासरत हैं| इसका मुख्यालय जोहानसबर्ग में हैं | यह एक ऐसी अंतराष्ट्रीय संगठन हैं जिसका मुख्यालय अफ्रीका में हैं इसमें दफ्तर एशिया , अमेरिका तथा यूरोप में भी हैं | इस संगठन का विश्वास है कि निरंतर हो रही असमानता और अन्याय से लड़ने के गरीबी के मूल कारणों से निपटना होगा तथा उन्नति के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण आवश्यक हैं | यह संगठन लोगों को अपने की संवैधानिक, नैतिक या कानूनी अधिकारों के प्रतिपादन में सहायता करती है| यह लोगों को उनकी क्षमताओं का प्रयोग कर गरीबी, भेदभाव तथा अन्याय से लड़ने में सहायता करती हैं | यह सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं परन्तु इनका मानना हैं की सभी प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रभावी साधन शिक्षा हैं | यह विश्वास करती हैं गुणवत्तापूर्ण एवं जन-पोषित शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए | यह संसार भर में लगभग 5000 समुदायों में बालक तथा बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता स्थानीय समुदाय के संसाधनों का प्रयोग करते हुए करती हैं | इसकी शिक्षा का कार्य मुख्यत: चार क्षेत्र - स्कूल में अधिकारों को बढ़ावा देना , शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बालिका शिक्षा एवं हिंसा के लिए कम करना तथा साक्षरता के माध्यम से सशक्तिकरण करना हैं|

12.3.1.**ii विश्व स्वास्थ संगठन(World Health Organisation) :** विकलांगता का स्वास्थ से गहरा सम्बन्ध हैं | यह संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक

विकसित करने का कार्य करती है। यह संगठन 7 अप्रैल , 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया |जिसका उद्देश्य संसार में लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना व उसको बना के रखना है। इसका का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है। इसकी स्थापना दिवस को विश्व स्वास्थ दिवस के रूप में मनाते हैं | भारत भी इसका एक सदस्य देश है | इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों में विनियमन और समन्वय करने का दायित्व भी निभाता हैं | विकलांगता के क्षेत्र में यह मुख्यतया विकलांगता की रोकथाम और नियंत्रण का कार्य करता हैं एवं समुदाय आधारित पुनर्वास को बढ़ावा देता हैं | जून 2011 में इस संगठन ने " विश्व विकलांगता प्रतिवेदन " नामक दस्तावेज़ प्रकाशित किया हैं जिसके अनुसार विश्व में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लगभग एक अरब हैं जो की विश्व की कुल जनसँख्या का करीब 15 प्रतिशत हैं जो की पहले 10 प्रतिशत माना जाता था |

12.3.1.ii संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) : यह एक अंतराष्ट्रीय संगठन हैं जिसका गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था | भारत 1956 से यूनेस्को का सदस्य देश है। यह संयुक्त राष्ट्र का संघ की ही एक इकाई है तथा इसका मुख्यालय पैरिस , फ्रांस में स्थित है। । यह शिक्षा, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इसका शिक्षा एवं संस्कृति के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना इसका लक्ष्य है| वह साक्षरता बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वसम्मत विकास लक्ष्यों,मिलेनियम विकास उद्देश्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में महती भूमिका में हैं | यूनेस्को के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करना और जीवन पर्यन्त अधिगम।
- धारणीय विकास के लिए नीति और विज्ञान की जानकारी को गतिशील बनाना।
- उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना।
- सांस्कृतिक विविधता, अंत:सांस्कृतिक बातचीत और शान्ति की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान सोसायटियों का निर्माण करना।

12.3.1.iv संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोश के रूप में 11 दिसम्बर 1946 में हुई थी जिसका आरम्भिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ित बच्चों के लिए भोजन तथा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करना था |1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बना |उस समय इसका नाम *यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस* फंड की जगह यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड कर दिया गया हालांकि इसका लघु रूप यूनिसेफ ही चलता रहा इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।

यूनीसेफअपने आपूर्ति प्रभाग कार्यालय जो की कोपनहेगन, डेनमार्क में है से महत्वपूर्ण सामानों जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के

लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि का वितरण करती हैं । यह नीतियाँ बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ मुख्यत: पांच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल-श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों, बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। यूनीसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। १९८९ में संगठन को इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

12.3.1.v सेव दी चिल्ड्रेन (Save The children) : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो 120 देशों बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही हैं | यह विश्व व्यापी मूवमेंट हैं जो एग्लान्त्ने जेब(Eglantyne Jebb) नामक महिला ने प्रारम्भ किया था |जिसका विश्वास था की सभी बच्चे चाहें वो जो भी ,जहाँ भी हो स्वास्थ एवं खुशहाल जीवन पर उनका अधिकार हैं | वर्तमान में यह भारत के 15 राज्यों के बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं यह सिर्फ बच्चों को जीवन की कठिनाई से बचाने का ही कार्य नहीं करती बल्कि उन कठिनाइयों के उन्नमूलन के लिए भी कार्य करती हैं | यह विशेषकर बच्चों के जीवन (सेर्विवल), सुरक्षा, शिक्षा एवं आपातकालीन एवं प्राकृतिक आपदाओं में उनकी देखभाल के लिए कार्य करती हैं | शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली यह एक अग्रगणी संगठन हैं | समावेशी शिक्षा के चुनौतियों का सामना करने के लिए यह 3-18 वर्ष के बच्चों की विविध आवश्यकताओ की पूर्ति के 'समावेशी शिक्षार्थी सुगम वातावरण ' के सृजन के लिए प्रयासरत हैं | शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से कार्य करता हैं |यह समावेशी तथा समता आधारित शिक्षा नीतियों तथा अभ्यासों बिना किसी भेदभाव के बच्चा चाहें किसी भी लिंग , वर्ग , जाति, धर्म अथवा समुदाय का हो, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती हैं इसके साथ ही यह अर्ली चाइल्डहुड केयर कार्यक्रमों एवं बाल केन्द्रित उपागमों , शिक्षक प्रशिक्षण और समुदाय की विद्यालयों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बनाने पर बल देती हैं | यह मुख्यतः शिक्षा के पहलुओं – विद्यालयों का संगठन , अनुदेश्नात्मक पहलु तथा समुदाय सहभागिता पर विशेष कार्य करती हैं |

12.3.1.vi विश्व अन्ध संघ The World Blind Union (WBU): यह 190 देशों के 285 मिलियन पूर्ण दृष्टि अभाव तथा आंशिक दृष्टिवान व्यक्तियों एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संगठन हैं | यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों की आवाज हैं तथा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से दृष्टिबधिता एवं अल्प दृष्टिदोष सम्बंधित मुद्दों पर बात चीत करती हैं | यह दृष्टिबधिता के क्षेत्र में कार्य कर रही सभी प्रमुख राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं और उनका सहयोग करती हैं | यह 1964 में दृष्टिहीनों के द्वारा दृष्टिहीनों के लिए अस्तित्व में आया |

12.3.1.vii.विशेष शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (International Association of Special Education): यह 1985 में स्थापित किया गया था इसके सदस्य 48 देशों में हैं जिसमे की शिक्षक, अध्यापक शिक्षक, आचार्य , वाणी चिकित्सक , मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ सेवा प्रदाता , समाज सेवक , परामर्श दाता इत्यादि शामिल हैं | इसका उद्देश्य सभी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर

तथा सेवाओं में सुधार करना हैं | यह संसार भर में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा एवं कल्याण सम्बंधित मुद्दों की समझ एवं जागरूकता बढाने, व्यावसायिकों के विनिमय, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं

12.3.1.vii अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ शिक्षा परिषद International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI) : यह एक व्यवसायिक गैर सरकारी संगठन हैइसे पूर्व में अंतराष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग शिक्षा परिषद (आई .सी .ई.वी.एच) के नाम से जाना जाता था | इसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गयी थी तथा 1992 से इसे आई .सी.ई वी.आई. नाम दिया गया | यह उन व्यक्तियों और संगठनों का एक वैश्विक संघ है जो दृष्टिबाधित के साथ सभी बच्चों और युवाओं के लिए उचित शिक्षा के को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं | यह किसी भी समूह या व्यक्ति का स्वागत करता हैं जो इसके उद्देश्यों का समर्थन करते हो तथा उसके लिए प्रयास रत हो | ICEVI को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। यह विकलांग बच्चों पर यूनिसेफ गैर सरकारी संगठन समिति के एक संस्थापक सदस्य है और यूनेस्को,विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करता हैं। 2030 तक दृष्टिबाधित बच्चों और युवाओं के साथ सभी बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य हैं | इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह समाज का इन व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने, ग़ैर सरकारी संगठनों की सहायताओं को बढ़ावा देने , समावेशन तथा एकीकरण को बढ़ावा देने , नवाचार को प्रोत्साहित करने , श्रेष्ठ प्रणालियों के निर्माण तथा उसके बारे के सूचनाओं के प्रचार प्रसार करने तथा अनुसंधानों को बढ़ावा देनेका कार्य करते हैं |

2.3.1.viii हैंडीकैप इंटरनेशनल**(Handicap International)** : यह एक ग़ैर-सरकारी संगठन हैं जो की 1982 में थाईलैण्ड अस्तित्व में आया | इसका मुख्यालय फ्रांस तथा बेल्जियम में हैं यह एक स्वतंत्र संस्था हैं जिसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों की सहायता के लिए बनाया गया था | यह भारत में विकलांगता के बहुत सारे मुद्दों पर कार्य करती हैं| इस संगठन ने वर्ष 1988 में भारत में समुदाय आधारित पुनर्वास, पांडिचेरी केंद्र को सहायता के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था |विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों गुणवत्तापूर्ण सेवाएं तथा शिक्षा प्रदान करना हैंडीकैप इंटरनेशनल के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हैं |

अभ्यास प्रश्न

1. एक्शन ऐडका मुख्यालय................................... में हैं|
2. ....विश्व के देशों के स्वास्थ संबंधी मानक विकसित करने का कार्य करती है।
3. यूनेस्कोका गठन ....को हुआ था|
4. यूनिसेफ का मुख्यालय...............................में है।
5. सेव दी चिल्ड्रेन नामक विश्व व्यापी मूवमेंट........................ने शुरू किया था |
6. विशेष शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन वर्ष .... में स्थापित किया गया था|

7. ....को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।

12.3.2 राष्ट्रीय संगठन

भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समता, समानता,स्वतंत्रता,न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है | यह विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों समेत एक संयुक्त तथा समावेशित समाज बनाने का समर्थन करता हैं | इस महती उद्देश्य को क्रियान्वित करने में कुछ राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं| ये विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा प्रदान कर बेहतर गुणवत्तापूर्ण वन व्यतीत करने योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निम्न सात राष्ट्रीय संस्थान हैं जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास के साथ मानव बल के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ये इस प्रकार हैं:

- पण्डित दीन दयाल शारीरिक विकलांग संस्थान् नई दिल्ली
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान् देहरादून
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान् कोलकाता।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान् सिकंदराबाद।
- अली यावर जंग श्रवण विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई
- स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान, कटक
- राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान् चेन्नई।

12.3.2.i पण्डित दीन दयाल शारीरिक विकलांग संस्थान् नई दिल्ली : Pandit Deen Dayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped (IPH), New Delhiयह संस्थान 12 नवम्बर 1976 को समिति पंजीकरण अधिनियम ,1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया था |यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन हैं| इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य चलन विकलांगताओ (लोकोमोटर डिसेबिलिटी) से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए जनशक्ति का विकास करना हैं. विभिन्न अपंगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की समस्याओं को कम करने तथा फिजियोथेरपी, प्रोस्थेटिक्स और आर्थोतेक्स के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण सेवाए प्रदान करने के लिए यह संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता हैं. तदनुसार संस्थान निम्निलिखित दीर्घकालीन पाठ्यक्रम संचालित करता हैं. 1.) फिजिकल थेरेपी (बी टी पी), 2.) व्यावसायिक थेरेपी (बी ओ टी) 3.) प्रोस्थेटिक और आर्थोतिक्स (बी पी ओ). इन तीनो पाठयकर्मो की अवधि चार वर्ष हैं. तथा ये दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध हैं| यह संस्थान अस्थि विकलां व्यक्तियों को शिक्षा , प्रशिक्षण तथा अन्य पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के साथ इन लोगों के लिए शिक्षा , प्रशिक्षण एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक विशेष उपकरणों/यंत्रो अथवा उपयुक्त नये विशेष उपकरणों/यंत्रो तैयार एवं वितरण करती हैं |

12.3.2.ii राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून National Institute of Visually Handicapped (NIVH), Dehradun :यह संस्थान राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान के नाम से यह जुलाई 1979 में अस्तित्व में आया | इससे पूर्व इसे राष्ट्रीय अन्ध जन केन्द्र के नाम से जाना जाता था |यह एक स्वायत्तशाशी संस्था के रूप में संस्थानिक पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत अक्टूबर, 1982 में पंजीकृत हुआ |यह संस्थान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के शिक्षा एवं पुनर्वास के विविध कार्यक्रमों को संचालित , प्रायोजित तथा समन्वयित करने का कार्य करती हैं | इसके साथ यह प्रशिक्षकों और पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण, जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान प्रायोजित करना, समन्वय करना अथवा आर्थिक सहायता देना जिससे विशेष उपकरणों/यंत्रो अथवा उपयुक्त नये विशेष उपकरणों/यंत्रो का विकास हो सके | संस्थान का मानव संसाधन के विकास के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान करती हैं | इस संस्था द्वारा अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाले मुख्य संस्थानों और व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य से चलाए जाते है| दृष्टिबाधित के लिए संस्थान सीबीएसई से संबद्ध माडल स्कूल भी संचालित करता हैं

संस्थान द्वारा तुनालका गावं (उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड) और शिलांग (मेघालय) में स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग से समेकित शिक्षा का हिल माडल भी विकसित किया है. घर आधारित माडल शहरी झोपड़पट्टी में रहने वाले मानसिक रूप से मंद दृष्टि अपंग बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किया गया हैं. यह माडल पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली क्षेत्र में कार्यरत हैं यह क्षेत्रीय खंड 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल कार्यक्रम का भी संचालन करता हैं. जो माता-पिता को मार्गदर्शन और परामर्श देता हैं| यह संस्थान दृष्टिहीन तथा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए एक बड़ा पुस्तकालय भी चलाता है | यहाँ एक अल्प दृष्टि इकाई भी स्थापित हैं| स्थान के पास ब्रेल पुस्तकें की प्रिंटिंग करने के लिए एक प्रभावशाली संरचना हैं| इस प्रकार यह दृष्टिबाधितों के सम्पूर्ण विकास के लिए सभी आवश्यक कार्यक्रम नियोजित एवं संचालित करती हैं |

12.3.2.iii राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता (National Institute for the Orthopaediaclly Handicapped) : अस्थि विकलांगता के क्षत्र में 1978 से कार्यरत यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था हैं | यह संस्थान पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में तत्पर हैं यह अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यकता जनशक्ति विकसित करता हैं| यह अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ समय- समय पर और विशेष शल्य हस्तक्षेप और अन्य उपचारात्मक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आवश्यक जनशक्ति का विकास करता है| अस्थि विकलांगता जिसमे संयोजन अथवा गतिशीलता की समस्या के साथ तंत्रिका विकलांगता भी शामिल है कि शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसन्धान करना/ प्रायोजन करना, समन्वय करना अथवा वित्तीय सहायता देना इसके उद्देश्यों में से एक हैं| जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी में अनुसन्धान/ प्रयोजन समन्वय अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे सहायक यंत्रों अथवा उपयुक्त

शल्य/चिकित्सा प्रकियाओं अथवा नये सहायक यंत्रों के विकास करता हैं | अस्थि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास को बढ़ावा देने के मानव संसाधनों जैसे -प्रशिक्षुओं और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यवसायिक सलाहकारों और इस तरह के अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का संचालन या प्रयोजन करता हैं| अस्थि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के निर्माण के लिए विनिर्माताओं को वितरण, बढ़ावा अथवा वित्तीय सहायता देता हैं| इस प्रकार संसथान की गतिविधियों में मोटे तौर पर मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवायें, अनुसन्धान और विकास, प्रलेखन और सूचना प्रसार, गैर सरकारी संगठनों की निगरानी एवं तालमेल , जागरूकता, छात्रों का नियोजन आदि शामिल हैं| ये गतिविधियाँ संस्थान और उसके संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर विभिन्न विभागों/इकाईयों की सहायता से करती हैं|

12.3.2.iv राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थम, सिकंदराबाद(National Institute for the Mentally Handicapped) : यह संस्थान वर्ष 1984 में मनोविकास नगर, सिकंदराबाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान हैं| यह मानसिक मंदितार्थ व्यक्तियों के लिए समर्पित संस्था हैं | यह संस्थान एक शीर्षक निकाय हैं जो देश में मानसिक मंदितार्थ क्षेत्र में प्रशिक्षण देने, अनुसन्धान करने और सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता हैं| मानव संसाधन विकास , अनुसन्धान और विकास , देखरेख और पुनर्वास के मॉडल का विकास , प्रलेखन और सूचना प्रसार, समुदाय आधारित पुनर्वास इत्यादि उद्देश्यों पर कार्य करती हैं | यह मानसिक मन्दिता, समुदाय आधारित पुनर्वास, चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता हैं | जो मानसिक मन्दिता के क्षेत्र में अनुसन्धान एवं जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को तैयार करता हैं. यह विशेष शिक्षा (मानसिक मन्दिता) में एम. फिल. कार्यक्रम का भी संचालन करता हैं |मानसिक मंदित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य को आरंभिक हस्तक्षेप सेवाओं से किया जाता हैं जैसे फिसियोथेरेपी / आर्थो, बायोकेमेस्ट्री, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी, मनोविज्ञान परीक्षण, व्यवहार संसोधन, माता पिता को परामर्श प्रदान तथा व्यावसायिक अंकलन संबंधी सेवाये आदि | यह संस्थान पुनर्वास के लिए माडल भी विकसित करता हैं. संस्थान में एक विशेष शिक्षा (एस ई सी) भी है जो संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता हैं. विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना सेवा पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए की गयी हैं | इसके अतिरिक्त, संस्थान नई दिल्ली में इसी प्रकार का माडल विशेष शिक्षा केन्द्र भी संचालित करता है.

यह केंद्र 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के मानसिक मंदित बच्चों का पंजीकरण करता है. ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, जो दूरदराज स्थानों से आते हैं और संस्थान की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहें हैं इस संस्थान के परिसर में पारिवारिक कुटीर उपलब्ध कराए जाते है जहाँ गृह आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए कार्यकम योजना प्रदान की जाती हैं जिससे वह इन कुटीरो में अपने रोजमर्रा के कामों से दूर रहते हुए बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सके | इस के अतिरिक्त यहाँ विभिन जाचं

उपकरणों, जागरूकता सृजन सामग्रियों और प्रबंधन पैकेजों को विकसित किया हैं जिनका देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है|

12.3.2.vअली यावर जंग श्रवण विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped (AYJNIHH): इस संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई | यह संस्थान बांद्रा (पश्चिम), मुंबई में स्थित हैं | यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान हैं | यह संस्थान श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन , अनुसन्धान, नैदानिक सेवाओं, आउटरिच और विस्तार सेवओं, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सेवाओं, सामग्री विकास, प्रलेखन और सूचना प्रसार उद्देश्यों से स्थापित किया था. कोलकाता , नई दिल्ली , सिकंदराबाद तथा भुवनेश्वर में इसके क्षेत्रीय केन्द्र हैं | इन केन्द्रों का उद्देश्य स्थानीय और खेत्रीय स्तर पर जन शक्ति विकास तथा सेवाएँ प्रदान करना हैं | इस संस्थान द्वारा शैक्षिक सेवाओं के अंतर्गत शैक्षिक आंकलन और परामर्श , पूर्व विद्यालय , खुला विद्यालय इत्यादि सेवाएँ प्रदान की जाती हैं |शैक्षिक आंकलन के अंतर्गत बच्चें के विकास की वर्तमान स्थिति , भाषा अधिगम कौशल , विद्यालयी विषय ज्ञान तथा अन्य सम्बंधित समस्याओं का आकंलन किया जाता हैं इससे प्राप्त सूचनाओं को विद्यालय के चयन , अभिभावकों को परामर्श देने , बच्चे की व्यैक्तिक शैक्षिक आवश्यकता की पहचान करने तथा उनके लिए व्यैक्तिक शैक्षिक योजना तैयार करने में किया जाता हैं |यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्र शिक्षा (श्रवण बाधित), वाक् और श्रवण (श्रवण विज्ञान और बोल भाषा विकृति विज्ञान) और मीडिया और विकलांगता संचार के क्षेत्र में डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर, स्नातक, पूर्व स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता हैं. इस संस्थान द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए डीटीपी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स और भारतीय संकेत भाषा आदि के पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं|

यह संस्थान भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) को पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्रियों के विकास के लिए भारतीय संकेत भाषा प्रकोष्ठ चलता हैं| श्रवण बाधितो को संकेत भाषा शिक्षक और द्विभाषीय बनने के लिए प्रशिक्षण देता हैं तथा इनके लिए द्विभाषा (संकेत और बोल भाषा) कार्यक्रम विकसित करता हैं| शिक्षण संस्थाओ के शिक्षकों/अनुदेशकों और माता-पिता और परिवारों को संकेत प्रशिक्षण और देश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त संकेत भाषा शब्दावली और उनकी भिन्नताओं का अध्धयन कर दस्तावेज तैयार करता हैं|

12.3.2.viस्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान, कटक(Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research (SVNIRTAR) : राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान के नाम से यह संस्थान 1984 में अस्तित्व में आया | 22 फरवरी, 1984 को यह संस्थान ALIMCO से अलग हुआ तथा भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी अंग बना उसके पश्चात यह समिति पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ | वर्ष 2004 में इसके नाम के आगे स्वामी विवेकानंद जोड़ा गया | इसका वर्तमान नाम स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान, कटक हैं | यह

संस्थान मानव संसाधन का विकास करने तथा सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, अनुसंधानों और आउट रीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करता आ रहा हैं| यह विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरिंग, प्रोस्थेटिस्टों, आर्थोटिस्टों, फिजियोथेरेपिस्टों, व्यावसायिक थेरेपिस्टों, बहु उद्देश्य पुनर्वास थेरेपिस्टों जैसे कार्मिको तथा ऐसे ही अन्य क प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित, प्रायोजित एवं समन्वित करता हैं| चलन विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए यह संस्थान फिजियोथेरपी, व्यावसायिक थेरेपी, प्रोस्थेटिक और अर्थोतिक्स में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता हैं| यह शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सेवांए भी प्रदान करता हैं इन सेवाओं में शारीरिक विकृतियों का सर्जिकल सुधार, फिजियोथेरपी, व्यावसायिक थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी शामिल है| इस संस्थान में कृत्रिम अंगों की फिटिंग की जाती हैं| यह अपने यहाँ और शिविरों के आयोजन द्वारा न केवल ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बल्कि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी व्हील चेयर और तिपहिया साइकिल जैसे चलने में मदद करने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति करता हैं.

12.3.2.vii राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई(National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities)(NIEPMD): इस संस्थान की स्थापना वर्ष 2005 में राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी| जैसे कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) में उल्लेख हैं एक से अधिक प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यकता आधारित पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती हैं.

यह संस्थान एम.फिल. डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और डिप्लोमस कार्यक्रम संचालित करके, इसे क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के अपने बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता हैं, ताकि बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करने के कार्य में संलग्न व्यवसायिको की आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके. आरंभिक हस्तक्षेप स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा क्लिनिकल मनोविज्ञान में एम.फिल. पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त तथा मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई से संबंध हैं. इन पाठयकर्मो का उद्देश्य बहुविकलांगता से ग्रस्त बच्चो की पहचान करने, उनकी जाच करने, उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उनकी देखरेख करने के लिए विशेष शिक्षको को तैयार करना हैं. इसके अलावा पुनर्वास व्यवसायिको के विभिन्न श्रेणियों, अभिभावकों, शिक्षको एवं जिला स्तरों के जमीनी स्तर के कार्य कार्यकर्ताओं के लिए बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रबंध और शक्तिकरण से संबंधित प्रशिक्षण कर्यक्रम आयोजित किए गए.

उपर्युक्त सात राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ और संस्थायें जो समावेशी शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, जिनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित है:-

12.3.2.viii राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद(National Council for Educational Research and Training): इस परिषद 1961 में गठित एक स्वायत्त संस्था है | यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं

समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति-निर्धारण में मदद करने का है। इस परिषद का मुख्यालय श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली में और इसके पांच क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग में हैं इसके द्वारा प्राथमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से प्रारम्भ की गयी अनेक परियोजनाओं एवं गतिविधियों में संतुलन स्थापित करने एवं उनको प्रबोधित करने का कार्य किया जाता है।विकलांगों की शिक्षा इसके शिक्षा के क्षत्र के अनेक कार्यों में से एक हैं | भारत में शिक्षा से जुड़े लगभग हरेक कार्य में एनसीईआरटी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में रहती है। | विकलांगता क्षेत्र में परिषद का प्रवेश वर्ष 1977- 78 में हुआ, जब इसके शिक्षक प्रशिक्षण विभाग में व्यवसायिकों की एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य था कि नई एकीकृत शिक्षा योजना के संदर्भ में विकलांग बच्चों के शिक्षको के प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने में सहयोग देना | 1983 में परिषद की ओर से डॉक्टर एन. के. जंगीरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए कुछ एशियाई देशों की यात्रा की | 1983 के दशक के उत्तरा में परिषद् के शिक्षक प्रशिक्षण विभाग में विस्तार सेवाओं के अन्तर्गत विकलांग शिक्षक को भी सम्मलित किया गया| इस विभाग में दृष्टिबाधित व श्रवण विकलांग बच्चों के लिए अंग्रेज़ी भाषा में संसाधन पुस्तकें तैयार की | 1987 में यूनिसेफ के सहयोग से एकीकृत शिक्षा परियोजना संचालित की जिसके फलस्वरूप नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यक वाले विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ा | एन सी .ई .आर .टी द्वारा 1 सितम्बर 1995 को विशेष आवश्यकता वाले समूहों शिक्षा विभाग स्थापित किया गया | तब से यह विभाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षत्र में कार्यरत हैं|

पिछले दो दशकों में परिषद् के इस सम्बद्ध विभाग की ओर से विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा हैं शोध कर्यों का निष्पादन, राज्य स्तर के समावेशी शिक्षा के अधिकारियों व सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विकलांगता संबंधी विविध अभिविन्यास कर्यक्रमों का संचालन, अल्प दृष्टि व श्रवण विकलांग बच्चों के शिक्षण पर पुस्तिकों का प्रकाशन का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा हैं |

12.3.2.ix मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource and Development): विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन में इस मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है| इस मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले योजनाओं जैसे- सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा नियमित विद्यालयों में इन बच्चों का समावेशन आसान हो गया है| अब हम इन योजनाओं को संक्षेप में समझते हैं:

- **सर्व शिक्षा अभियान:** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि 6-14 वर्ष का कोई भी बच्चा (कक्षा 1-8 तक) शिक्षा से वंचित ना रह सके तथा उसको घर के पास के विद्यालय में दाखिला दी जाएँ| इस योजना से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बहुत लाभ हुआ तथा उनको नियमित विद्यालयों ने दाखिला देना शुरू कर दिया, जिससे उनका समावेशन होने लगा| इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 300/- रूपये प्रति छात्र प्रति वर्ष दिया जाता है|

- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** इस योजना की शुरुआत मार्च 2009 में हुआ था, इसका मुख्य उदेश्य माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) पर शिक्षा के स्तर को सुधारना है| इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का माध्यमिक स्तर के शिक्षा के लिए समावेशन किया जाता है तथा उनके शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 3000/- रूपये प्रति वर्ष दिया जाता है|

अभ्यास प्रश्न

8. पण्डित दीन दयाल शारीरिक विकलांग संस्थान में .... स्थित हैं |
9. एन. सी .ई .आर.टी. ने वर्ष............ में यूनिसेफ के सहयोग से एकीकृत शिक्षा परियोजना संचालित किया |
10. वर्ष 2005 में चेन्नई में .... नामक राष्ट्रीय संस्थान की गई |
11. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान......................में स्थित हैं |
12. अली यावर जंग श्रवण विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई की स्थापना ....को हुई|
13. ....की स्थापना वर्ष 1984 में मनोविकास नगर, सिकंदराबाद में की गयी |
14. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान ....में अस्तित्व में आया |

12.4 सारांश

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा शिक्षा एवं पुनर्वास के माध्यम से इन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना उनके कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आता हैं | तथा यह एक समता तथा समानता पर आधारित समाज की आवश्यकता हैं | इस इकाई में आपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास से जुड़े अनेकों अन्तराष्ट्रीय संगठनों जैसे एक्शन ऐड, विश्व स्वास्थ संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सेव दी चिल्ड्रेन, विश्व अन्ध संघ , विशेष शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ शिक्षा परिषद, हैंडीकैप इंटरनेशनल तथा कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे पण्डित दीन दयाल शारीरिक विकलांग संस्थान् नई दिल्ली , राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान् देहरादून ,राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान् कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान् सिकंदराबाद, अली यावर जंग श्रवण विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई , स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षणएवं अनुसन्धान संस्थान, कटक, राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान् चेन्नई, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया |

12.5 शब्दावली

- **विशेष शिक्षा** का आशय है की विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्ति शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग से शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना |
- **समावेशी शिक्षा :** समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाएं शामिल है।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. जोहानसबर्ग
2. विश्व स्वास्थ संगठन
3. 16 नवम्बर 1945
4. न्यूयार्क
5. एग्लान्त्य्ने जेब्ब Eglantyne Jebb
6. 1985
7. ICEVI
8. नई दिल्ली
9. 1987
10. राष्ट्रीय बहु-विकलांग सशक्तीकरण संस्थान
11. कटक
12. 9 अगस्त 1983
13. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान्
14. जुलाई 1979

12.7 अभ्यास प्रश्न

1. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं के की सूचि बनायें तथा उनके उद्देश्यों की चर्चा करें |

2. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थाओं का समावेशी शिक्षा में योगदान का विश्लेषण करें ।
3. विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें|
4. विशेष आवश्कता वाले व्यक्तियों की शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका का वर्णन करें|

12.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- Government of India (2012). Manual on Disability Statistic. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Central Statistics Office, Sansad Marg, New Delhi
- Save the Children (nd), https://www.savethechildren, Retrieved 24 April 2015.
- World Health Organization, https://wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization, Retrieved 24 April 2015.
- World Blind Union http://www.worldblindunion.org/,Retrieved 12 April 2015.
- International Association of Special Education http://www.iase.org/, Retrieved 07 May 2015.
- International Council for Education of People with Visual Impairment, http://icevi.org/ Retrieved 12 April 2015.
- Handicap International,http://en.wikipedia.org/wiki/Handicap_International, Retrieved 16 April 2015.
- Pandit Deen Dayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped (IPH), New Delhi,http://www.iphnewdelhi.in/UserView/UserView.aspx?TypeID=1125, Retrieved 12 April 2015.
- National Institute of Visually Handicapped (NIVH), Dehradun, https://www.nivh.gov.in/, Retrieved 16 April 2015.

- National Institute for the Orthopaediaclly Handicapped http://www.niohkol.nic.in/, Retrieved 15 April 2015.
- National Institute for the Mentally Handicapped, http://www.nimhindia.org/ , Retrieved 19 April 2015.
- Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped http://ayjnihh.nic.in/index.asp, Retrieved 20April 2015.
- Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research http://www.svnirtar.nic.in/, Retrieved 20 April 2015.
- National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities http://niepmd.tn.nic.in/, Retrieved 29 April 2015.
- National Council for Educational Research and Training, http://www.ncert.nic.in/departments/nie/degsn/index_degsn.html, Retrieved 5 May 2015.
- Ministry of Human Resource and Development http://mhrd.gov.in/, Retrieved 02 May 2015.

सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

- Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
- Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional Children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
- Ysseldyke, J. E. and Algozzine,B.(1998)Special Education: A practical approach for teachers. Delhi:Nice Printing Press.
- Das. M. (2007). Education of Exceptional Children. Atlantic Publishers, New Delhi.
- Werts. M. G. etal.(2007). Fundamentals of Special Education. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

- Government of India (2012). Manual on Disability Statistic. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Central Statistics Office, Sansad Marg, New Delhi
- World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: WHO.
- World Health Organization (2000). International Classification ofFunctioning, Disability and Health. Geneva: WHO, 2000.

बीएड – 118

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Creating an Inclusive School
समावेशित विद्यालय का निर्माण

बीएड – 118

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

संरक्षक	**अध्यक्ष**
प्रो. अशोक शर्मा	**प्रो. एल.आर. गुर्जर**
कुलपति	निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

** **संयोजक**	* **संयोजक**
डॉ. अनिल कुमार जैन	**डॉ. रजनी रंजन सिंह**
सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ	सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

प्रो. (डॉ) एल.आर. गुर्जर	**प्रो. जे. के. जोशी**
निदेशक (अकादमिक)	निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
प्रो. दिव्य प्रभा नागर	**प्रो. दामीना चौधरी (सेवानिवृत्त)**
पूर्व कुलपति	शिक्षा विद्यापीठ
ज.रा. नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
प्रो. अनिल शुक्ला	**डॉ. रजनी रंजन सिंह**
आचार्य शिक्षा ,	सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. अनिल कुमार जैन	**डॉ. कीर्ति सिंह**
सह आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
डॉ. पतंजलि मिश्र	**डॉ. अखिलेश कुमार**
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

*डॉ. रजनी रंजन सिंह ,सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 13.06.2015 तक

** डॉ. अनिल कुमार जैन, सह आचार्य एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ 14.06.2015 से निरन्तर

समन्वयक एवं सम्पादक

समन्वयक (बी.एड.)	सम्पादक
डॉ. कीर्ति सिंह	**डॉ. अखिलेश कुमार**
सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्यापीठ
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ्यक्रम लेखन

1. **श्री विजय कुमार** (इकाई सं. 1,2,3)
   स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, नागपुर
2. **डॉ. रश्मि रंजन** (इकाई 4,5,6, 8,9, 10)
   बैकुंठ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, अमलोरी, सीवान (बिहार)
3. **डॉ. आध्याशाक्ति राय** (इकाई सं. 7, 12)
   स्पेशल एजुकेशन विभाग, डी.एस.एम.एन.आर.यू., लखनऊ
4. **श्री ब्रिजेश राय**(इकाई सं. 11)
   स्पेशल एजुकेशन विभाग, डी.एस.एम.एन.आर.यू., लखनऊ

आभार

प्रो. विनय कुमार पाठक

पूर्व कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. अशोक शर्मा	**प्रो. एल.आर. गुर्जर**
कुलपति	निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा
प्रो. करण सिंह	**डॉ. सुबोध कुमार**
निदेशक	अतिरिक्त निदेशक
पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग	पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण प्रभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

उत्पादन 2015, ISBN :

इस सामग्री के किसी भी अंश को व.म.खु.वि.वि., कोटा, की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। व.म.खु.वि.वि., कोटा के लिए कुलसचिव, व.म.खु.वि.वि., कोटा (राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

बीएड – 118

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

इकाई सं.	इकाई का नाम	पेज न.
1	अक्षमता के संप्रत्यय एवं उसके विभिन्नमॉडल	1
2	बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)	19
3	बालक / बालिकाओं की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के संदर्भ में नीतिगत स्तरीय हस्तक्षेप (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य)	38
4	विशेष आवश्यकताओं की समझ	57
5	विशिष्ट बालकों की पहचान	78
6	विशेष शैक्षिक जरूरतों को संबोधित	111
7	विद्यालय को समावेशित विद्यालय बनाने में बाधाएँ/ चुनौतियाँ	143
8	शून्य अस्वीकृति हेतु समावेशी विद्यालयों की चुनौतियां, बाधा मुक्त वातावरण, संसाधनों की सरंचना,सहायक सामग्री, अनुकूलन, संसाधन कक्ष , सामाजिक और सामुदायिक जागरूकता तथा सामुदायिक- व अभिभावकों की सहभागिता	162
9	समावेशी विद्यालय की चुनौतियों का समाधान	178
10	समावेशी का प्रबंधन	192
11	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभकारी योजनाएँ	225
12	समावेशी शिक्षा : उत्तम प्रयोग एवं विभिन्न संगठन	244